VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

राजव्यवस्था

MAINS 365

क्लासरूम स्टडी मटेरियल 2025

जून 2024 से मई 2025

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /visionias_upsc vision_ias /VisionIAS_UPSC www.visionias.in

मुख्य परीक्षा
2025 के लिए 1 वर्ष का
समसामयिक घटनाक्रम
केवल 60 घंटे में

ENGLISH MEDIUM
1 July | 5 PM

हिन्दी माध्यम
5 July | 5 PM

- द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इंडिया ईयर बुक, RSTV आदि का समग्र कवरेज।
- मुख्य परीक्षा हेतु विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी सामग्री।
- मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक वर्ष की समसामयिक घटनाओं की खंड–वार बुकलेटस (ऑनलाइन स्टूडेंटस के लिये मेटेरियल केवल सॉफ्ट कॉपी में ही उपलब्ध)
- लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं जो दूरस्थ अभ्यार्थियों के लिए सहायक होंगी जो क्लास टाइमिंग मे लचीलापन चाहते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

10 in Top 10 Selections in CSE 2024 (from various programs of VISIONIAS)

हिन्दी माध्यम में 30+ चयन

137 AIR अंकिता कांति
182 AIR रवि राज
412 AIR जितेंद्र कुमावत
438 AIR ममता
448 AIR सुख राम
483 AIR ईश्वर लाल गुर्जर
509 AIR अमित कुमार यादव
554 AIR विमलोक तिवारी
564 AIR गौरव छिम्वाल
618 AIR राम निवास सियाग
622 AIR आलोक रंजन
651 AIR अनुराग रंजन वत्स
689 AIR खेतदान चारण
718 AIR रजनीश पटेल
731 AIR तेशुकान्त
760 AIR अश्वनी दुबे
795 AIR कर्मवीर नरवाडिया
865 AIR आनंद कुमार मीणा
873 AIR सिद्धार्थ कुमार मीणा
890 AIR सुषमा सागर
893 AIR अरुण मालवीय
895 AIR अजय कुमार
899 AIR रितिक आर्य
911 AIR अरुण कुमार
921 AIR ममता जोगी
925 AIR विजेंद्र कुमार मीणा
953 AIR राजकेश मीणा
998 AIR इकबाल अहमद

राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

विषय-सूची

1. भारतीय संविधान, प्रावधान और मूल संरचना (Indian Constitution, Provisions and Basic Structure) 6
- 1.1. भारतीय संविधान के 75 वर्ष: एक नज़र में 6
- 1.2. जातिगत जनगणना 7
- 1.3. आरक्षण 9
  - 1.3.1. आरक्षण: एक नज़र में 9
  - 1.3.2. अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण 9
  - 1.3.3. मूल अधिवास आधारित आरक्षण 11
- 1.4. नागरिकता 12
  - 1.4.1 नागरिकता: एक नज़र में 12
  - 1.4.2. नागरिकता अधिनियम की धारा 6A 12
- 1.5. समान नागरिक संहिता 14
- 1.6. शक्तियों का पृथक्करण 15
- 1.7. भारत में संपत्ति का अधिकार 16
- 1.8. आंतरिक आपातकाल 18
- 1.9. विभिन्न देशों के संविधान के साथ तुलना 19
  - 1.9.1. संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 19
  - 1.9.2. भारत और फ्रांस 20
- 1.10. मुख्य शब्दावलियां 21
- 1.11. अभ्यास प्रश्न 21

2. संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियां (Issues and Challenges Pertaining to The Federal Structure) 22
- 2.1. राजकोषीय संघवाद: एक नज़र में 22
- 2.2. राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग 23
- 2.3. नए राज्यों की मांग 25
- 2.4. राज्यपाल का पद: एक नज़र में 27
  - 2.4.1. राज्य के विधेयकों को स्वीकृति 27
- 2.5. मुख्य शब्दावलियां 29
- 2.6. अभ्यास प्रश्न 29

3. संसद और राज्य विधान-मंडल: संरचना और कार्यप्रणाली (Parliament and State Legislatures: Structure and Functioning) 30
- 3.1. संसद की कार्य उत्पादकता में गिरावट 30
- 3.2. गठबंधन सरकार 32
- 3.3. दल-बदल विरोधी कानून 33
- 3.4. लोक सभा का उपाध्यक्ष 34
- 3.5. विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 35
- 3.6. गैर-सरकारी विधेयक 36
- 3.7. मुख्य शब्दावलियां 37
- 3.8. अभ्यास प्रश्न 37

4. न्यायपालिका और अन्य अर्ध-न्यायिक निकायों की संरचना और कार्यप्रणाली (Structure and Functioning of Judiciary and other Quasi-Judicial Bodies) 38
- 4.1. आपराधिक न्याय प्रणाली: एक नज़र में 38
  - 4.1.1. आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम 39
  - 4.1.2. निःशुल्क विधिक सहायता 41
- 4.2. जेल सुधार 43
- 4.3. न्यायिक सुधार 44
  - 4.3.1. न्यायिक जवाबदेही 44
  - 4.3.2. न्यायिक रिक्तियां 46
  - 4.3.3. साक्षी संरक्षण योजना, 2018 47
- 4.4. अनुच्छेद 142 47
- 4.5. ग्राम न्यायालय 49
- 4.6. भारत में अधिकरण प्रणाली 49
- 4.7. वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र: एक नज़र में 51
  - 4.7.1. माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2024 का मसौदा 52
- 4.8. सरकार से जुड़े मुकदमे 52
- 4.9. न्यायपालिका और कानून लागू करने में AI की भूमिका 53
- 4.10. मुख्य शब्दावलियां 54
- 4.11. अभ्यास प्रश्न 54

5. भारत में चुनाव (Elections in India) 55
- 5.1. चुनाव सुधार: एक नज़र में 55
  - 5.1.1. राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र 55
  - 5.1.2. राजनीति का अपराधीकरण: एक नज़र में 57
- 5.2. फ्रीबीज़/ मुफ्त सुविधाएं 57
- 5.3. भारत निर्वाचन आयोग 60
  - 5.3.1. राज्य निर्वाचन आयोग 61
- 5.4. परिसीमन आयोग 62
- 5.5. चुनाव प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 63

© Vision IAS

5.6. मुख्य शब्दावलियां ____ 64
5.7. अभ्यास प्रश्न ____ 64
6. गवर्नेंस (Governance) ____ 65
6.1. प्रशासनिक सुधार: एक नज़र में ____ 65
6.1.1. मिशन कर्मयोगी ____ 65
6.1.2. शिकायत निवारण तंत्र ____ 67
6.1.3. सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री ____ 69
6.2. सुशासन में नागरिकों की भागीदारी ____ 71
6.2.1. गवर्नेंस और AI ____ 72
6.3. ई-गवर्नेंस ____ 74
6.3.1. ई-गवर्नेंस: एक नज़र में ____ 74
6.3.2. बिग टेक कंपनियों का विनियमन ____ 75
6.3.3. नेट न्यूट्रैलिटी ____ 76
6.3.4. इंटरनेट शटडाउन ____ 77
6.4. ऑनलाइन गलत सूचना ____ 79
6.4.1. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता ____ 80
6.5. भारत में पर्यावरणीय गवर्नेंस: एक नज़र में ____ 82
6.5.1. पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण ____ 82
6.6. केंद्र प्रायोजित योजना ____ 83
6.7. सिविल सोसाइटी: एक नज़र में ____ 85
6.7.1. गैर-सरकारी संगठन ____ 86
6.8. भारत में विज्ञापन संबंधी विनियमन ____ 88
6.9. ऑनलाइन बेटिंग और गैंबलिंग क्षेत्रक ____ 90
6.10. मुख्य शब्दावलियां ____ 90
6.11. अभ्यास प्रश्न ____ 91
7. स्थानीय शासन (Local Governance) ____ 92
7.1. राज्यों में पंचायतों को अंतरण या हस्तांतरण की स्थिति 92
7.2. स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा ____ 94
7.3. जन योजना अभियान ____ 95
7.4. मुख्य शब्दावलियां ____ 96
7.5. अभ्यास प्रश्न ____ 97
8. महत्वपूर्ण संवैधानिक, वैधानिक और कार्यकारी निकाय (Important Constitutional, Statutory and Executive Bodies) ____ 98
8.1. नीति आयोग के 10 वर्ष ____ 98
8.2. लोकपाल और लोकायुक्त ____ 99
8.3. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ____ 100
8.4. राष्ट्रीय महिला आयोग ____ 102
8.5. मुख्य शब्दावलियां ____ 103
8.6. अभ्यास प्रश्न ____ 103
9. महत्वपूर्ण अधिनियम और विधान (Important Acts and Legislations) ____ 104
9.1. वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 ____ 104
9.2. उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 ____ 105
10. विविध (Miscellaneous) ____ 107
10.1. सहकारिता ____ 107
10.2. सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 ____ 109
10.3. लोकतंत्र की वैश्विक स्थिति 2024 ____ 112
10.4. अल्पसंख्यक संस्थान ____ 113
10.5. मुख्य शब्दावलियां ____ 114
10.6. अभ्यास प्रश्न ____ 114
11. विगत वर्षों के प्रश्न 2013-2024 (सिलेबस के अनुसार) {Previous Year Questions 2013-2024 (Syllabus Wise)} ____ 115
12. परिशिष्ट (Appendix) ____ 135

भूमिका

सपना देखने का साहस रखने वाले अभ्यर्थियों के नाम,

भारत-भर की लाइब्रेरियों के शांत कोनों में, देर-रात की एकांत पढ़ाई में, और उन लाखों दिलों में जो राष्ट्र सेवा का स्वप्न संजोए हुए हैं - वहीं बसती है वह अडिग दृढ़-इच्छाशक्ति, जो दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में से एक, UPSC सिविल सेवा परीक्षा में सफलता का जुनून देती है।

Mains 365 उसी दृढ़-इच्छाशक्ति से जन्मा है और इस मान्यता से भी कि UPSC CSE मुख्य परीक्षा 2025 में सफलता केवल कड़ी मेहनत से नहीं मिलेगी; इसके लिए रणनीतिक तैयारी, समग्र समझ और विभिन्न शैक्षिक धाराओं को एकसाथ जोड़कर प्रभावशाली उत्तर लिखने की क्षमता चाहिए।

प्रश्न 1. ज़्यादातर UPSC अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में असफल क्यों होते हैं?

- **बिखरी हुई जानकारी:** कई स्रोतों के उपयोग से भ्रम पैदा होता है
- **पुराना कंटेंट:** ऐसे कंटेंट का उपयोग करना जो हालिया घटनाक्रमों को प्रतिबिंबित नहीं करते
- **एकीकरण का अभाव:** स्टेटिक ज्ञान को समसामयिक घटनाओं से जोड़ने में असमर्थता
- **खराब उत्तर संरचना:** ज्ञान को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत न कर पाना
- **UPSC माइंडसेट को न समझ पाना:** यह न जान पाना कि आयोग वास्तव में क्या चाहता है

लेकिन क्या होगा यदि आप एक व्यापक स्रोत के साथ इन सभी चुनौतियों पर काबू पा सकें?

प्रश्न 2. Mains 365 राजव्यवस्था क्यों?

यह एक वार्षिक संकलन है, जो प्रत्येक महत्वपूर्ण समसामयिक थीम, जैसे कि न्यायालय के निर्णय, नीतिगत बदलाव, डेटा सेट आदि सभी को UPSC CSE मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार टॉपिक के अनुसार और परीक्षा के लिए तैयार नोट्स में परिवर्तित करता है।

इसके अलावा, Mains 365 राजव्यवस्था डॉक्यूमेंट GS के अन्य पेपर में भी बढ़त दिलाएगा, उदाहरण के लिए, यह डॉक्यूमेंट GS-I (सामाजिक न्याय), GS-III (डिजिटल अर्थव्यवस्था) और GS-IV (पारदर्शिता और नैतिकता) के साथ भी जुड़ा हुआ है।

प्रश्न 3. यह सामान्य अध्ययन के पेपरों की तरह कैसे है?

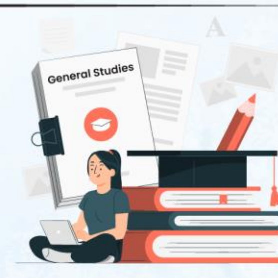

प्रत्येक अध्याय का नाम सिलेबस के किसी टॉपिक के आधार पर रखा गया है, जैसे- संविधान, शासन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण, आदि, ताकि आप अपनी पढ़ाई को सिलेबस चेकलिस्ट से आसानी से मिला सकें।

प्रश्न 4. मेरे पास पहले से ही स्टेटिक भाग की किताबें हैं। मुझे इसकी आवश्यकता क्यों है?

स्टेटिक कॉन्सेप्ट्स केवल तभी अंक दिलाती हैं, जब उन्हें वास्तविक उदाहरणों से जोड़ा जाता है। Mains 365 यही कार्य करता है - यह वर्षभर के प्रमुख न्यायिक निर्णयों, समितियों की रिपोर्टों, आँकड़ों और वैश्विक घटनाओं को UPSC सिलेबस से जोड़कर प्रस्तुत करता है। इससे आपके उत्तर अधिक स्पष्ट, समृद्ध और अधिक विश्लेषणात्मक बनते हैं।

© Vision IAS

प्रश्न 5. क्या इससे वास्तव में परीक्षा हॉल में मेरा समय बचेगा?

हां। इन्फोग्राफिक्स, कंट्रास्ट टेबल और "सुर्ख़ियों में क्यों" जैसे खंड विजुअल फ्लैशकार्ड की तरह काम करते हैं; आपको एक तस्वीर याद आती है, पैराग्राफ नहीं। इससे हर 10 या 15 अंक के प्रश्न का उत्तर देने में कुछ मिनट कम हो जाते हैं।

1.5. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC)

सुर्ख़ियों में क्यों? → **इसे भूमिका के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है**

हाल ही में, उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की।

समान नागरिक संहिता (UCC) के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

- अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम वाद (1985): इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक न्याय और व्यक्तिगत कानूनों में समानता की आवश्यकता पर जोर दिया।
- सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995) और लिली थॉमस मामले (2000): व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके।
- शायरा बानो बनाम भारत संघ वाद (2017): शरियत अधिनियम, 1937 के तहत तलाक़-ए-बिद्दत (तत्काल तीन तलाक) को एक मनमानी प्रथा मानते हुए इसे असंवैधानिक घोषित किया था।

वैल्यू एडिशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है

भारत में UCC के पक्ष में तर्क	UCC के विरुद्ध तर्क
• **संवैधानिक कर्तव्य:** अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। • **आधुनिक समाज:** ऐसे कानून व प्रथाएं जो धर्म के आधार पर देश को विभाजित करते हैं या समाज की प्रगति में बाधक बनते हैं, उन्हें समाप्त करना आवश्यक है। • **अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करना:** संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अभिसमय सहित कई मानवाधिकार सम्मेलनों और प्रोटोकॉल्स में भारत की सदस्यता को उचित ठहराने के लिए UCC जरूरी है। • **कानूनों का सरलीकरण:** यह विवादों के त्वरित और अधिक कुशल समाधान को सुनिश्चित करेगी। • **आधुनिकीकरण:** समान नागरिक संहिता विकासशील, समावेशी सामाजिक मूल्यों को दर्शाती है।	• **विविधता के खिलाफ:** व्यक्तिगत कानून सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग हैं, और समान नागरिक संहिता धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) का उल्लंघन कर सकती है। • **आम सहमति का अभाव:** समुदायों की सहमति के बिना UCC को लागू करने से सामाजिक अशांति उत्पन्न हो सकती है। • **सहकारी संघवाद के खिलाफ:** UCC राज्यों की विधायी क्षमता में हस्तक्षेप कर सकती है। इससे सहकारी संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन हो सकता है।

कंट्रास्ट टेबल

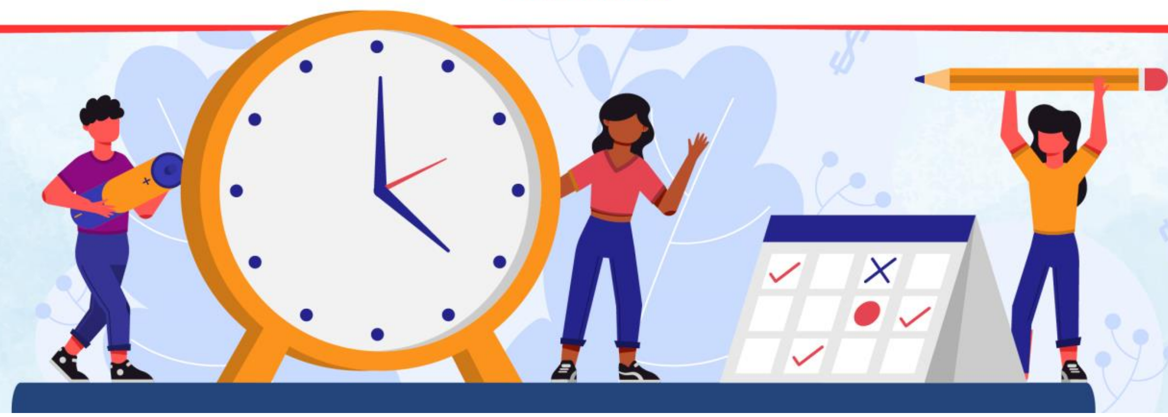

प्रश्न 6. मेरे उत्तरों को अतिरिक्त विश्वसनीयता कैसे मिलती है?

सरकारिया व पुंछी आयोग और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) से सीधे उद्धरण देने योग्य पंक्तियाँ, साथ ही तथ्य और प्रमुख कीवर्ड (जैसे – 2023 में इंटरनेट शटडाउन के कारण 21.9 अरब डॉलर का नुकसान) उत्तर में तुरंत विश्वसनीयता जोड़ते हैं। परीक्षक ऐसे सटीक संदर्भों को पसंद करते हैं।

इस वर्ष, हमने प्रत्येक अध्याय के बाद कीवर्ड शामिल किए हैं, जो रेडीमेड वैल्यू एडिशन का काम करते हैं, ताकि आप उत्तरों को जल्दी समृद्ध कर सकें और उन्हें टॉपिक-केंद्रित बना सकें।

प्रश्न 7. यह तीन घंटे की परीक्षा के लिए कैसे तैयार किया गया है?

हर सब-टॉपिक को 'संदर्भ → विश्लेषण → आगे की राह' के क्रम में प्रस्तुत किया गया है, ताकि आप इस फ्रेमवर्क को उठाकर, उसमें अपने विचार जोड़ सकें और जब बाकी लोग अब भी फ्रेमवर्क बना रहे हों, तो आप पूरी गति से उत्तर लिख सकें।

हर अध्याय के अंत में एक प्रैक्टिस प्रश्न भी दिया गया है, ताकि आप उत्तर लेखन का अभ्यास कर सकें और अपने कंटेंट को लंबे समय तक याद रख सकें।

प्रश्न 8. क्या आप इसे एक वास्तविक प्रश्न के उदाहरण से समझा सकते हैं?

PYQ: "भारत में सहकारी संघवाद की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।"

Mains 365 डॉक्यूमेंट से संघवाद के बारे में संक्षिप्त बिंदु:

- **CBI को सामान्य सहमति से संबंधित गतिरोध (प्रशासनिक)**
- **GST परिषद में मतभेद (वित्तीय)**
- **राज्यपाल बनाम राज्य सरकारें (राजनीतिक)**
- **पुंछी आयोग की सिफारिशें (समाधान की दिशा)**

इन्हें भूमिका-मुख्य भाग-निष्कर्ष में शामिल करें:

सहकारी संघवाद को परिभाषित करते हुए शुरुआत करें, प्रत्येक चुनौती को वर्तमान उदाहरण के साथ स्पष्ट करें, सुधारों का सुझाव देते हुए निष्कर्ष निकालें और अमेरिका के "मार्बल-केक संघवाद" मॉडल के साथ तुलना करें।

परिणाम: एक सटीक, 250 शब्दों का उत्तर, जो हालिया आंकड़ों और समिति की रिपोर्ट को प्रश्न से जोड़ता है - ठीक वही जो UPSC 15 अंकों के प्रश्न में तलाशता है।

प्रश्न 9. प्रत्येक 15 अंक के प्रश्न के लिए आवश्यक सूक्ष्म संरचना क्या है?

- **भूमिका (≤ 30 सेकंड):** सुर्ख़ियों में क्यों, उद्धरण या डेटा/तथ्य
- **मुख्य भाग (≤ 6 मिनट):** 2-3 आयाम, प्रत्येक में साक्ष्य एवं विश्लेषण
- **आगे की राह (≤ 1 मिनट):** 3-4 कार्यान्वियन योग्य सुधार
- **निष्कर्ष (≤ 30 सेकंड):** एक प्रभावशाली व दूरदर्शी वाक्य

प्रश्न 10. कोई फाइनल प्रो टिप?

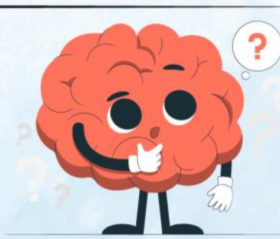

Mains 365 को एक तैयार उत्तर बैंक के रूप में सोचें: यह पहले से तैयार है- आपका काम बस चुनना, व्यवस्थित करना और अपनी खुद की अंतर्दृष्टि जोड़ना है। यदि आप इसका उपयोग रणनीतिक ढंग से करते हैं, तो न केवल उत्तर लेखन आसान हो जाएगा, बल्कि बेहतर अंक प्राप्त करना भी कहीं अधिक संभव हो जाएगा।

© Vision IAS

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2026

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

Scan the QR CODE *to* download VISION IAS app

DELHI : 15 जुलाई, 2 PM | **JAIPUR : 24 जून** | **JODHPUR : 2 जुलाई**

Lakshya

MAINS MENTORING PROGRAM 2025

45 Days Expert Intervention

A Strategic Revision, Practice, and Mentoring Program for UPSC Prelims Examination

29 JUNE 2025

- Highly experienced and qualified team of Mentors for continuous support and guidance
- A structured plan of revision for GS Prelims, CSAT, and Current Affairs
- Effective Utilization of learning resources, including PYQs, Quick Revision Modules (QRMs), and PT-365

Lakshya

PRELIMS & MAINS INTEGRATED MENTORING PROGRAM

Lakshya Prelims & Mains Integrated Mentoring Program 2026

(A Strategic Revision, Practice, and Mentoring Program for UPSC Prelims and Mains Examination 2026)

VisionIAS introduces the Lakshya Prelims & Mains Integrated Mentoring Programme 2026, offering unified guidance for UPSC aspirants across both stages, ensuring comprehensive support and strategic preparation for success

2026 | 14 MONTHS | 2 JULY

Highlights of the Program

- Coverage of the entire UPSC Prelims and Mains Syllabus
- Development of Advanced answer writing skills
- Highly experienced and qualified team of senior mentors
- Special emphasis to Essay & Ethics

1. भारतीय संविधान, प्रावधान और मूल संरचना (Indian Constitution, Provisions and Basic Structure)

1.1. भारतीय संविधान के 75 वर्ष: एक नज़र में (75 Years of Indian Constitution at a Glance)

भारतीय संविधान के 75 वर्ष

26 जनवरी, 1950 को भारत डोमिनियन से गणतंत्र में परिवर्तित हुआ।

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं

केंद्र और राज्यों के बीच **शासन की एक संघीय प्रणाली**	सरकार के तीनों अंगों के बीच **शक्तियों का पृथक्करण**	**कानून के समक्ष समानता**	एक **पंथनिरपेक्ष राज्य,** जो अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता को मान्यता देता है

प्रमुख उपलब्धियां

लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना	**संवैधानिक नैतिकता:** राज्य के सभी तीनों अंगों द्वारा संविधान के सिद्धांतों का अक्षरशः और भावनात्मक रूप से पालन करना	न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है	सामाजिक न्याय और समावेशिता
› **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव:** चुनाव आयोग (अनुच्छेद 324) पारदर्शी और विश्वसनीय चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। › **मूल अधिकार:** अनुच्छेद 32 के माध्यम से समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि की सुरक्षा।	› **विधायिका:** उदाहरण के लिए- 106 वां संविधान संशोधन (महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण)। › **कार्यपालिका:** उदाहरण के लिए- आयुष्मान भारत, हर घर जल जैसी कल्याणकारी योजनाएं, आदि। › **न्यायपालिका:** उदाहरण के लिए- नवतेज जौहर मामला (2018), जिसमें समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है।	› **केशवानंद भारती (1973):** मूल ढांचे का सिद्धांत। › **एस. आर. बोम्मई (1994):** अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को सीमित करना; संघीय ढांचे को बनाए रखना। › **अनुच्छेद 21 का विस्तार:** मेनका गांधी वाद (1978) - विधि की सम्यक् प्रक्रिया; पुट्टास्वामी वाद (2017) - निजता का अधिकार।	› **हाशिए पर स्थित समुदाय:** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण (अनुच्छेद 15 व 16); 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व आदि। › **अल्पसंख्यक अधिकार:** सांस्कृतिक और शैक्षिक संरक्षण प्रदान करना (अनुच्छेद 29 एवं 30)।

संबंधित मुद्दे

केंद्र-राज्य विवाद: संघवाद (उदाहरण के लिए- राज्यपाल के पद का दुरुपयोग), राजकोषीय संघवाद (उदाहरण के लिए- वित्त आयोग द्वारा अपनाए गए सिद्धांत) आदि।	**अंतर्राज्यीय तनाव:** जल विवाद (जैसे कि कावेरी, सतलज आदि), सीमा विवाद (जैसे कि महाराष्ट्र-कर्नाटक, असम-मेघालय) आदि।	**संस्थाओं का कमजोर होना:** संसदीय कार्यप्रणाली में गिरावट, न्यायपालिका पर अत्यधिक कार्य बोझ, स्थानीय शासन की अक्षमता आदि।	**शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन:** न्यायिक अतिक्रमण (अनुच्छेद 142), अध्यादेशों के दुरुपयोग का आरोप, आदि।

आगे की राह

संघीय संतुलन: › **सरकारिया आयोग (1988):** अंतर्राज्यीय परिषद को सशक्त बनाना (अनुच्छेद 263); राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श करना आदि। › **सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने** एवं संवाद के माध्यम से विवादों के समाधान हेतु अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषदों और नीति आयोग की शासी परिषद की नियमित बैठकें सुनिश्चित करना।	**न्यायपालिका की सीमाएं:** अनुच्छेद 142 को कुछ विशिष्ट मामलों तक सीमित किया जाना चाहिए; जनहित याचिका मानदंडों का सख्ती से अनुपालन करना चाहिए आदि।	**विधायी जवाबदेही:** अध्यादेशों के उपयोग को नियंत्रित करना चाहिए (डी.सी. वाधवा केस, 1986); पूर्वव्यापी कानूनों से बचा जाना चाहिए; संसद की निगरानी को सशक्त बनाना चाहिए; आदि।	**पारदर्शिता:** द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2009) ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में लोक भागीदारी सुनिश्चित करने की सिफारिश की थी।	**ग्लोबल लर्निंग:** यूनाइटेड किंगडम के न्यायिक नियुक्ति मॉडल जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण करना चाहिए।

1.2. जातिगत जनगणना (Caste Census)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया है कि **लद्दाख** जैसे हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना की शुरुआत **1 अक्टूबर, 2026** से होगी, जबकि **देश के अन्य भागों में** जनगणना की शुरुआत **1 मार्च, 2027** से होगी। गौरतलब है कि इस बार की जनगणना में **जातिगत जनगणना** को भी शामिल किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **स्वतंत्रता के बाद पहली जातिगत-जनगणना:** स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार होगा जब जातिगत डेटा **(अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा)** को आधिकारिक तौर पर **दशकीय जनगणना के तहत** एकत्र किया जाएगा।
    - आखिरी आधिकारिक जातिगत जनगणना डेटा, 1931 की जनगणना का उपलब्ध है। 1941 की जनगणना का डेटा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण सार्वजनिक नहीं किया गया था।
- **राज्य-स्तरीय जातिगत सर्वेक्षणों में विसंगतियां मिलना:** हाल के वर्षों में **बिहार, कर्नाटक जैसे कई राज्यों ने अपने स्तर पर जातिगत सर्वेक्षण** कराए हैं। हालांकि, इन सर्वेक्षणों पर अक्सर **एकरूपता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता की कमी** जैसे आरोप लगते रहे हैं।
    - **जातिगत सर्वेक्षण,** जातिगत जनगणना से अलग होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि **जनगणना के लिए भारत के संविधान में प्रावधान** किए गए हैं, जबकि **सर्वेक्षण के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।**

भारत में जनगणना

- **परिचय:** भारत में जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। भारत की दशकीय जनगणना महत्वपूर्ण **जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक डेटा** प्रदान करती है। हालांकि, **2021 में निर्धारित जनगणना को कोविड-19 महामारी के कारण** अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।
- **संवैधानिक और कानूनी प्रावधान:**
    - **संवैधानिक प्रावधान: संविधान के अनुच्छेद 246** के तहत जनगणना **संघ सूची का विषय** है। यह **सातवीं अनुसूची के तहत संघ सूची की प्रविष्टि 69** में शामिल है।
    - **कानूनी प्रावधान: जनगणना अधिनियम, 1948** और **जनगणना नियमावली, 1990**

जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्यों?

- **संवैधानिक प्रावधान का पालन करने के लिए: अनुच्छेद 340 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच** के लिए **राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग गठित करने का प्रावधान** किया गया है।
- **नीति निर्माण के लिए:** जाति आधारित अपडेटेड डेटा साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, कल्याणकारी योजनाओं का लक्षित समूहों तक लाभ पहुंचाने और संसाधनों का न्यायसंगत तरीके से आवंटन करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
    - **OBCs समूहों का तर्क** है कि उनकी जनसंख्या और पिछड़ेपन पर **अपडेटेड डेटा नहीं** होने की वजह से राष्ट्रीय संसाधनों पर उनके दावों की अक्सर उपेक्षा की जाती है।
- **सकारात्मक उपाय (Affirmative Action):** आरक्षण के लाभार्थियों की सही तरीके से पहचान और उपायों की निगरानी संभव हो सकेगी।
    - सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग-अलग निर्णयों में भारत में आरक्षण के लिए जाति को एक वैध मानदंड के रूप में लगातार बरकरार रखा है, साथ ही कुछ सीमाएं और शर्तें भी रखी हैं।
    - भारत के अलग-अलग समुदायों, जैसे- महाराष्ट्र के मराठा, हरियाणा के जाट आदि द्वारा OBC आरक्षण की मांगों को गहराई से और तथ्यों के आधार पर समझने की आवश्यकता है।
- **उप-वर्गीकरण:** OBC की उप-जातियों के बीच लाभ का उचित तरीके से वितरण का समर्थन करता है।
    - **OBC के उप-वर्गीकरण** पर **2017** में गठित **न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग** ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, लेकिन इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।
- **व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना:** यह पूरे भारत में मानकीकृत और पारदर्शी तरीके से जातिगत डेटा संग्रह सुनिश्चित करेगा।

© Vision IAS

जातिगत जनगणना से जुड़ी चिंताएं

- **सटीक डेटा और रिपोर्टिंग की समस्या:** जनगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति की जानकारी स्वयं सरकारी अधिकारियों को देगा। ऐसी स्थिति में, यदि अधिकारियों को इस प्रकार के डेटा संग्रहण का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला हो, तो त्रुटियों अथवा जानबूझकर गलत जानकारी दर्ज किए जाने की आशंका बनी रहेगी।
    - **उदाहरण के लिए:** 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) में **दोहरी प्रविष्टि/ दोहराव** और **वर्तनी की अशुद्धियों** के कारण जातियों की संख्या बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाई गई, जिससे डेटा का कुछ अंश अनुपयोगी हो गया।
- **वर्गीकरण से जुड़ी समस्या:** केंद्र और राज्यों द्वारा जारी **जाति सूचियों में अंतर** होने के कारण अक्सर विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। **उदाहरण के लिए:** हरियाणा में जाटों को OBC में शामिल नहीं किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में जाट OBC सूची में शामिल हैं।
- **राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला:** जातिगत गणना से कई अन्य जातियां भी आरक्षण की मांग कर सकती हैं और इससे अशांति उत्पन्न हो सकती है।
- **आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी पहचान की राजनीति को बढ़ावा: जातिगत डेटा** जाति आधारित राजनीतिक लामबंदी को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे सामाजिक विभाजन और अधिक गहरा हो सकता है।
- **निजता से जुड़ी चिंताएं:** डिजिटल माध्यम से जातिगत जानकारी एकत्र करना वस्तुतः डेटा सुरक्षा और निजता से जुड़ी गंभीर चिंताओं को जन्म देता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ डिजिटल साक्षरता कम है।

आगे की राह

- **परामर्श प्रक्रिया:** भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय को शिक्षा जगत के विशेषज्ञों, जातीय समूहों, राजनीतिक संगठनों और आम जनता से परामर्श करना चाहिए ताकि जातिगत गणना कराने के सही तरीकों को तैयार किया जा सके।
- **जाति निर्देशिका:** विशेषज्ञ से सलाह लेकर एक मानकीकृत राष्ट्रीय जाति निर्देशिका तैयार की जानी चाहिए, लोगों की फीडबैक लेने के लिए सूचियों का ड्राफ्ट ऑनलाइन प्रकाशित किया जाना चाहिए, और फिर इसे गणना में शामिल लोगों के लिए अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** जातिगत डेटा एकत्र करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि **जातिगत गणना में दोहराव और वर्तनी संबंधी त्रुटियों से बचा जा सके।** त्रुटियों को कम करने के लिए **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और बिग डेटा एनालिटिक्स** जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है।

निष्कर्ष

डॉ. अंबेडकर के शब्दों में, "सामाजिक सुधार के बिना राजनीतिक सुधार संभव नहीं है"। इसलिए, जातिगत जनगणना डेटा-आधारित सामाजिक सुधार और न्यायसंगत नीति की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकती है। हालांकि, यह गणना निष्पक्ष तरीके से और एकता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

1.3. आरक्षण (Reservation)

1.3.1. आरक्षण: एक नज़र में (Reservation at a glance)

आरक्षण

आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 15(4)	अनुच्छेद 15(6) और 16(6)	अनुच्छेद 16(4), 16 (4a) और 16(4b)	अनुच्छेद 46	अनुच्छेद 243D	अनुच्छेद 330
सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs), अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए **शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण।**	शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में **EWS के लिए 10% आरक्षण।** (103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019)।	**पदों और सेवाओं में आरक्षण** की सुविधा	राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के **शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा।**	प्रत्येक **पंचायत** में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए **स्थानों के आरक्षण** का प्रावधान किया गया है।	**लोक सभा** में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए **स्थानों के आरक्षण** का प्रावधान।

भारत में आरक्षण से संबंधित मुख्य न्यायिक निर्णय

इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ वाद (1992)	एम. नागराज बनाम भारत संघ वाद (2006)	जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद, 2018	जनहित अभियान बनाम भारत संघ वाद, 2022	पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य वाद, 2024
› **अनुच्छेद 16(4) के** तहत आरक्षण **पर 50% की सीमा** तय की गई। › **पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं** दिया जाएगा। › **OBCs में क्रीमी लेयर के व्यक्तियों को आरक्षण के लाभों से बाहर** रखा जाना चाहिए।	› **पदोन्नति में आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने के लिए 3 शर्तें निर्धारित की गई, अर्थात राज्य को निम्नलिखित पर ध्यान देना होगा:** • अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा। • लोक नियोजन में उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित तथ्य। • आरक्षण समग्र प्रशासनिक दक्षता के हित में है।	**पदोन्नति में आरक्षण के लिए** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन **को दर्शाने हेतु मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता को रद्द** कर दिया।	सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम को बरकरार रखा। यह अधिनियम **EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान** करता है।	सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के समुदायों के भीतर अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करने हेतु **अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति** दी।

1.3.2. अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण (Sub-Classification of Schedules Castes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने **पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य वाद (2024)** में निर्णय दिया कि अनुसूचित जातियों का **उप-वर्गीकरण** भारत के संविधान के **अनुच्छेद 14, 15(4) और 16(4)** के तहत **स्वीकार्य** है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, राज्य सरकारें SC समुदायों के भीतर **अधिक वंचित समूहों को अतिरिक्त कोटा (आरक्षण)** प्रदान करने हेतु अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण कर सकती हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ मुख्य रूप से **निम्नलिखित दो पहलुओं पर विचार कर रही थी:**
    - क्या **आरक्षित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण** की अनुमति दी जानी चाहिए, और
    - **ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य वाद (2005) में दिए गए निर्णय के औचित्य पर।**

- गौरतलब है कि **ई.वी. चिन्नैया मामले** में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संविधान के **अनुच्छेद 341(1)** के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियां **सजातीय समूह के एक ही वर्ग से संबंधित हैं और उन्हें आगे उप-वर्गीकृत नहीं** किया जा सकता।
- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तेलंगाना **अनुसूचित जातियों (SC)** के बीच उप-वर्गीकरण को लागू करने वाला **देश का पहला राज्य** बन गया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन नहीं** करता है, क्योंकि उप-वर्गीकरण से न तो इस सूची में किसी नए अनुसूचित जाति को शामिल किया जाता है और न ही इससे किसी को बाहर किया जाता है।
- **अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण का दायरा:**
  - इसका मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय और अलग-अलग जातीय समूहों की अलग-अलग पृष्ठभूमियों को ध्यान में रखते हुए **अनुच्छेद 14 के तहत वास्तविक समानता (केवल औपचारिक समानता नहीं) प्रदान करना** है।
  - राज्य (सरकार) कुछ जातियों के **अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर उप-वर्गीकरण** कर सकता है। हालांकि, राज्य को यह सिद्ध करना होगा कि **किसी जाति/ समूह के पिछड़ेपन के कारण ही उसका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है।**
- राज्य अपनी इच्छा या राजनीतिक लाभ के अनुसार कार्य नहीं कर सकता और **उसके निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन** होंगे।
- **राष्ट्रपति** द्वारा **आरक्षण हेतु अनुसूचित जाति समुदायों की जो सूची** तैयार की जाती है, राज्य उसमें मनमाने तरीके से हेरफेर कर अनुसूचित जातियों में विशेष जाति के पक्ष में **100% आरक्षण निर्धारित नहीं** कर सकता।
- संविधान के **अनुच्छेद 341(1) के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियां** अलग-अलग स्तरों पर पिछड़ेपन वाली जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के विजातीय समूह हैं।
- चार न्यायाधीशों ने **"क्रीमी लेयर सिद्धांत"** को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक विस्तारित करने का सुझाव दिया, लेकिन यह कोई निर्देश नहीं था, क्योंकि यह मामले से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं था।

उप-वर्गीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क

अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के पक्ष में तर्क	अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के खिलाफ तर्क
• **मौलिक समानता:** यह **सबसे निम्न स्तर पर रहने वालों को प्राथमिकता देने का दृष्टिकोण** है। इससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाया जा सकेगा। • **गवर्नेंस:** उप-वर्गीकरण से विविध और प्रभावी शासन सुनिश्चित होगा। • **विजातीय समूह (Heterogeneous groups):** अनुसूचित जातियों की श्रेणी के भीतर सबसे वंचित समूहों और उनके संघर्षों तथा उनके साथ अलग-अलग स्तरों पर होने वाले भेदभाव को देखते हुए उनका उप-वर्गीकरण जरूरी है। • **विधान-मंडलों की विधायी क्षमता: अनुच्छेद 341** राष्ट्रपति को किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में नामित करने का अधिकार देता है। हालांकि, नामित करने के बाद **अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत** निहित मौलिक अधिकारों के आलोक में **अनुच्छेद 246 के तहत राज्य की विधायी क्षमता का इस्तेमाल होने लगता** है।	• **एकता और एकजुटता:** इससे अनुसूचित जाति समुदाय में विभाजन हो सकता है, जिससे उनकी सामूहिक आवाज और सौदेबाजी की शक्ति कमजोर हो सकती है। • **अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का उद्देश्य:** आरक्षण ऐतिहासिक अन्याय के लिए क्षतिपूर्ति है, यह आर्थिक कल्याण के लिए नहीं है। • **आर्थिक गतिशीलता से जातिगत भेदभाव का कलंक शायद मिट न पाए:** उदाहरण के लिए- **ऑक्सफैम की इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट, 2022** ऋण तक पहुंच में जाति-आधारित भेदभाव को उजागर करती है। • **डेटा संबंधी सीमाएं:** कई जातीय समूहों के विश्वसनीय और व्यापक स्तर पर जाति आधारित जनगणना डेटा का अभाव है। जैसे- **सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC), 2011**। • **दुरुपयोग की संभावना:** राज्यों में सत्ताधारी दलों द्वारा वोट बैंक को बढ़ाने के लिए **"संभावित राजनीतिक फेरबदल"** की आशंका रहेगी।

निष्कर्ष

राज्यों को उप-वर्गीकरण के लिए स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ (निष्पक्षता) और न्यायोचित मानदंड निर्धारित करने चाहिए। यह मानदंड व्यक्तिनिष्ठ आकलन की बजाय सापेक्ष पिछड़ेपन और सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व संबंधी तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित हों।

1.3.3. मूल अधिवास आधारित आरक्षण (Domicile-Based Reservation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने **"कर्नाटक राज्य उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2024"** को मंजूरी दी।

अन्य संबंधित तथ्य

- विधेयक में उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में प्रबंधन वाली नौकरियों में **स्थानीय लोगों के लिए 50% तथा गैर-प्रबंधन वाले पदों पर 75% आरक्षण** का प्रावधान किया गया है।
    - इससे पहले **हरियाणा, आंध्र प्रदेश** जैसे कई राज्यों ने **निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण** सुनिश्चित करने के लिए इसी तरह के कानून बनाए थे।

मूल निवास स्थान या अधिवास आधारित आरक्षण पर न्यायिक निर्णय

- इस विषय पर हरियाणा के अधिनियम को **पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक** घोषित कर दिया था। **उच्च न्यायालय का मानना था कि यह कानून संविधान के भाग III (मूल अधिकार)** और **संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत** का उल्लंघन करता है।
- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **पीजी मेडिकल सीटों में मूल अधिवास-आधारित आरक्षण** को **संविधान के अनुच्छेद 14** का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया।

राज्य सरकारें निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के लिए कानून क्यों बना रही हैं?

- **निजी क्षेत्र** में सबसे अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। इसलिए निजी क्षेत्र में आरक्षण सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता को पूरा कर सकता है।
    - यह तर्क भी दिया जाता है कि किसी राज्य में सृजित नौकरियाँ सबसे पहले उसी राज्य के निवासियों को दी जानी चाहिए।
- निजी क्षेत्र को सरकार से कर रियायतें, कम ब्याज दर पर ऋण (ब्याज सब्सिडी) जैसे लाभ मिलते हैं, इसलिए उनसे **सकारात्मक उपाय** (आरक्षण नीति) को लागू करने के लिए कहा जा सकता है।

निवास या अधिवास-आधारित आरक्षण के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 16(2): इसके अनुसार 'कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।'

- हालांकि **अनुच्छेद 16(3),** संसद को राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के तहत नियोजन के किसी वर्ग या वर्गों के संबंध में राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास की शर्त लगाने वाला कोई भी कानून बनाने की अनुमति देता है।

उप-वर्गीकरण से संबंधित चिंताएं

- **निजी क्षेत्र के लिए व्यवसाय करना मुश्किल बना देता है,** तथा **कुशल कार्यबल** की कमी के कारण निजी क्षेत्र अपना व्यवसाय किसी और राज्य या क्षेत्र में ले जाने के लिए मजबूर हो सकता है।
- इससे अन्य राज्यों में भी **सन ऑफ़ सॉइल (भूमिपुत्र) सिंड्रोम (स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना)** को बढ़ावा मिलता है।
- यह **अनुच्छेद 14, 15 और 16** के तहत **समानता के अधिकार** और **अनुच्छेद 19(1)(g)** के तहत कोई वृत्ति, उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

निष्कर्ष

मूल-अधिवास आधारित आरक्षण क्षेत्रीय असमानताओं को कम कर सकता है, लेकिन यह सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने की संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को कमजोर करने वाला नहीं होना चाहिए। जैसा कि भारत के प्रथम **प्रधान मंत्री पंडित नेहरू** ने कहा था, "एकता से आशय विविधता में एकता होना चाहिए, एकरूपता नहीं"।

© Vision IAS

1.4. नागरिकता (Citizenship)

1.4.1 नागरिकता: एक नज़र में (Citizenship at a Glance)

नागरिकता (Citizenship)

नागरिकता एक तरह से बहिष्करण का विचार है, क्योंकि इसमें **गैर-नागरिक शामिल नहीं** होते हैं। यह **संघ सूची** का एक विषय है। संविधान में **'नागरिक' शब्द को परिभाषित नहीं** किया गया है।	**भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके:** जन्म से, वंश के आधार पर, देशीयकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा तथा क्षेत्र के अधिग्रहण द्वारा नागरिकता।

संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता।	**अनुच्छेद 6:** पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन/ प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।	**अनुच्छेद 8:** भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।	**अनुच्छेद 11:** संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को कानून के माध्यम से विनियमित किया जाना।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019

CAA का उद्देश्य प्रवासियों के एक विशेष समूह को नागरिकता प्रदान करना है, भले ही उनके पास **1955 के नागरिकता अधिनियम** के अनुसार यात्रा के वैध दस्तावेज नहीं हैं।	**जो अवैध प्रवासी निम्नलिखित चार शर्तों को पूरा करते हैं,** उन्हें अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा: › वे **हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई धर्म** से हों; › वे **अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश** से आये हों, उन्होंने **31, दिसंबर 2014** को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो; तथा › वे संविधान की **छठी अनुसूची** में शामिल **असम, मेघालय, मिजोरम** और **त्रिपुरा** के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में **नहीं** आते हों; या › **वे 'इनर लाइन' परमिट (अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड)** के तहत आने वाले **क्षेत्रों में नहीं** आते हों।	इन प्रवासियों के लिए **देशीयकरण (Naturalisation)** के जरिए नागरिकता लेने की **अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष** कर दी गई है।

CAA, 2019 नियमों की आवश्यकता क्यों?

उत्पीड़ित व्यक्तियों को राहत तथा जीवन और स्वतंत्रता के उनके अधिकारों की सुरक्षा करके **मानवाधिकारों के सिद्धांतों को बरकरार** रखता है।	अवैध प्रवासियों और उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के बीच अंतर स्पष्ट करके **राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत** बनाए रखता है।	तीन पड़ोसी इस्लामी देशों में धर्म के आधार पर उत्पीड़न का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों को राहत प्रदान करता है।

संबंधित चिंताएं

इसमें **श्रीलंका और म्यांमार** जैसे देशों में उत्पीड़न का सामना करने वाले प्रवासियों को शामिल **नहीं** किया गया है।	CAA नियम, 2024 में उत्पीड़न- आधारित प्रवासन की जांच के लिए परीक्षण का अभाव है।	मुसलमानों, यहूदियों व एथीस्ट को नागरिकता से बाहर रखना अनुच्छेद 14 और पंथनिरपेक्षता का उल्लंघन है।	CAA **31 दिसंबर, 2014** से पहले प्रवेश करने वाले प्रवासियों के आधार पर उनके साथ अलग व्यवहार करता है।

1.4.2. नागरिकता अधिनियम की धारा 6A (Section 6A of Citizenship Act)

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने नागरिकता अधिनियम की 'धारा 6A' की वैधता को बरकरार रखा।

धारा 6A के बारे में

- **'धारा 6A' नागरिकता अधिनियम, 1955 का एक विशेष प्रावधान** है। इसे **वर्ष 1985 में केंद्र सरकार** और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित **"असम समझौते"** के बाद **नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1985** के जरिए शामिल किया गया था।

- इस धारा के तहत, **1 जनवरी, 1966 से 24 मार्च, 1971** के बीच पूर्वी पाकिस्तान (यानी वर्तमान बांग्लादेश) से असम में आकर बसे सभी व्यक्तियों को **विदेशी घोषित किए जाने की तारीख से दस वर्ष बाद** भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था।
  - इसने 2013 में असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को अपडेट करने में मदद की।
- **असम समझौते (Assam Accord) की पृष्ठभूमि:**
  - 1947 के बाद, असम में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से बड़ी संख्या में प्रवासियों का आगमन हुआ, विशेष रूप से 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान और उसके बाद। इससे स्थानीय लोगों में अपनी पहचान, संस्कृति और भूस्वामित्व अधिकारों को खोने को लेकर डर उत्पन्न हुआ।
  - **ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU)** के नेतृत्व वाले **असम आंदोलन (1979-1985)** के दौरान अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उनके निर्वासन की मांग की गई।
  - यह आंदोलन **15 अगस्त, 1985 को असम समझौते** पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। इस समझौते पर AASU, भारत सरकार और असम सरकार ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का उद्देश्य **अवैध प्रवास की समस्या को सुलझाना और असम के मूल लोगों की पहचान की रक्षा करना था।**

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **संसद ने संविधान के अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची की सूची I (संघ सूची) की प्रविष्टि 17** के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग कर नागरिकता अधिनियम में धारा 6A को जोड़ा है।
- **अनुच्छेद 14 (समानता):** असम का विशेष नागरिकता कानून **अनुच्छेद 14 के तहत समानता का उल्लंघन नहीं करता है,** क्योंकि प्रवासियों के मामले में असम की स्थिति शेष भारत से **एकदम अलग** है।
- **संस्कृति पर प्रभाव {अनुच्छेद 29 (1)}:** इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रवासियों ने **असम के लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाया है।**
- **24 मार्च, 1971 के कटऑफ डेट पर:** यह **कटऑफ डेट** भी उचित है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने **26 मार्च, 1971** को ही पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेशी राष्ट्रवादी आंदोलन को रोकने के लिए **ऑपरेशन सर्चलाइट** शुरू किया था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अन्य प्रभाव

- **असम NRC के लिए समर्थन:** यह निर्णय असम NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) के जरिए अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए **1971 की कट-ऑफ तारीख के उपयोग** को उचित ठहरता है।
  - हालांकि 2019 के **NRC ड्राफ्ट से बाहर किए गए 19 लाख (1.9 मिलियन) लोगों की स्थिति** तब तक अनिश्चित बनी रहेगी जब तक कि इस लंबित सूची को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाए।
- **CAA (2019) से टकराव:** AASU जैसे कई आलोचक तर्क देते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 वास्तव में '1971 की कट-ऑफ तिथि' की उपेक्षा करता है। इससे **CAA (2019)** को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- **आर्थिक प्रभाव:** 1971 से पहले आए प्रवासियों को भारत की नागरिकता मिलने से असम की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
- **सामाजिक प्रभाव:** असमिया और प्रवासी समुदायों (जैसे- बंगाली भाषियों) के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है।

निष्कर्ष

असम समझौते को उचित ठहराने वाला सुप्रीम कोर्ट का निर्णय असम में लंबे समय से चली आ रही "असमिया लोगों और उनकी संस्कृति की पहचान की रक्षा" संबंधी चिंताओं का समाधान करता है और संवैधानिक सिद्धांतों की पुष्टि भी करता है। हालांकि, इस समझौते को लागू करने में राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवीय मूल्यों और विधिवत प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
UPSC के लिए करेंट अफेयर्स
की समग्र तैयारी हेतु एकमात्र समाधान
Digital Current Affairs 2.0
मुख्य विशेषताएं:
विजन इंटेलिजेंस
डेली प्रैक्टिस
डेली न्यूज समरी
स्टूडेंट डैशबोर्ड
क्विक नोट्स और हाइलाइट्स
संधान तक पहुंच की सुविधा
QR कोड स्कैन करें

1.5. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की।

समान नागरिक संहिता (UCC) के बारे में

- **परिभाषा:** UCC पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए **एक समान कानून** लागू करने का प्रावधान करती है। यह समान कानून **सभी धार्मिक समुदायों** के विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान रूप से लागू होगा।
- **वर्तमान स्थिति:**
  - वर्तमान में, अलग-अलग धर्मों के **भारतीय नागरिक उपर्युक्त मामलों में अपने धर्म के संबंधित** व्यक्तिगत कानूनों (Personal laws) से शासित होते हैं। भारत में **प्रत्येक धर्म अपने विशेष कानूनों का पालन** करता है।
  - वर्तमान में, **गोवा** भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां एक प्रकार का UCC पहले से ही लागू है। वहां **पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867** लागू है। ज्ञातव्य है कि **उत्तराखंड ने इसी वर्ष (2024) UCC को अपनाया है।**
  - भारत के **21वें विधि आयोग (2018)** ने कहा था कि इस समय **UCC का निर्माण आवश्यक या वांछनीय नहीं** है। हालांकि, **प्रत्येक धर्म के पारिवारिक कानूनों में सुधार किए जाने चाहिए, ताकि उन्हें लैंगिक रूप से न्यायसंगत** बनाया जा सके।

समान नागरिक संहिता (UCC) के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

- **अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम वाद (1985):** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक न्याय और व्यक्तिगत कानूनों में समानता की आवश्यकता पर जोर दिया।
- **सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995) और लिली थॉमस मामले (2000): व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की आवश्यकता** पर बल दिया, ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके।
- **शायरा बानो बनाम भारत संघ वाद (2017):** शरियत अधिनियम, 1937 के तहत **तलाक़-ए-बिद्दत (तत्काल तीन तलाक) को एक मनमानी प्रथा मानते हुए इसे असंवैधानिक** घोषित किया था।

भारत में UCC के पक्ष में तर्क	UCC के विरुद्ध तर्क
• **संवैधानिक कर्तव्य:** अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। • **आधुनिक समाज:** ऐसे कानून व प्रथाएं जो धर्म के आधार पर देश को विभाजित करते हैं या समाज की प्रगति में बाधक बनते हैं, उन्हें समाप्त करना आवश्यक है। • **अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करना:** संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अभिसमय सहित कई मानवाधिकार सम्मेलनों और प्रोटोकॉल्स में भारत की सदस्यता को उचित ठहराने के लिए UCC जरूरी है। • **कानूनों का सरलीकरण:** यह विवादों के त्वरित और अधिक कुशल समाधान को सुनिश्चित करेगी। • **आधुनिकीकरण:** समान नागरिक संहिता विकासशील, समावेशी सामाजिक मूल्यों को दर्शाती है।	• **विविधता के खिलाफ:** व्यक्तिगत कानून सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग हैं, और समान नागरिक संहिता धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) का उल्लंघन कर सकती है। • **आम सहमति का अभाव:** समुदायों की सहमति के बिना UCC को लागू करने से सामाजिक अशांति उत्पन्न हो सकती है। • **सहकारी संघवाद के खिलाफ:** UCC राज्यों की विधायी क्षमता में हस्तक्षेप कर सकती है। इससे सहकारी संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन हो सकता है।

भारत में UCC को लागू करने की दिशा में आगे की राह

- **आम सहमति बनाना:** UCC के संदर्भ में सरकार को धार्मिक नेताओं एवं सामुदायिक प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों के साथ तर्कपूर्ण वार्ता करनी चाहिए।
- **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव विश्लेषण:** संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए और विशेषकर हाशिए पर रहने वाले व कमजोर समुदायों के लिए प्रावधान करने चाहिए।

- **शिक्षा और जागरूकता:** लोगों में प्रगतिशील और व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए, ताकि वे UCC की भावना को समझ सकें।
- **सभी व्यक्तिगत कानूनों का संहिताकरण:** कानूनों को संहिताबद्ध करके सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित करना चाहिए, जो निष्पक्षता को बढ़ावा दे सके।

निष्कर्ष

भारत जैसे सांस्कृतिक विविधता वाले देश में समान नागरिक संहिता का उद्देश्य केवल एकरूपता लाना नहीं, बल्कि समुदायों के साथ निष्पक्षता और उनमें समानता प्राप्त करना होना चाहिए। इन उद्देश्यों को समुदायों के साथ संवाद के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए, न कि किसी बाध्यकारी आदेश के द्वारा। इस क्रम में संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए बहुलवाद का सम्मान करना चाहिए।

1.6. शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के **उपराष्ट्रपति ने शक्तियों के स्पष्ट पृथक्करण की आवश्यकता पर बल** दिया तथा चेतावनी दी कि **विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका** के बीच किसी भी प्रकार का अतिव्यापन **संस्थागत अतिक्रमण का जोखिम** पैदा करता है।

शक्तियों के पृथक्करण के बारे में

- **विचार:** शक्तियों के पृथक्करण का अर्थ है सरकार की तीन शाखाओं - कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका- में **अधिकारों एवं कर्तव्यों का स्पष्ट विभाजन।**
- **उत्पत्ति: अरस्तू** ने पहली बार सरकार के कार्यों को अग्रलिखित **तीन श्रेणियों** में वर्गीकृत किया था: सामान्य मामलों से संबंधित **विचार-विमर्श, मजिस्ट्रेट संबंधी और न्यायिक।**
- **आधुनिक सिद्धांत:** शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का आधुनिक प्रतिपादक फ्रांसीसी न्यायविद **'मोंटेस्क्यू'** को माना जाता है। **मांटेस्क्यू** ने अपनी पुस्तक **'*द स्पिरिट ऑफ द लॉज (1748)*'** में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को प्रतिपादित और स्पष्ट किया है।

भारत में शक्तियों का पृथक्करण

- **नाजुक संतुलन:** भारतीय संविधान **शक्तियों के सीमित पृथक्करण के एक नाजुक संतुलन पर आधारित** है। इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कार्यों का विभाजन किया गया है। साथ ही, उनके बीच **नियंत्रण एवं संतुलन** को बनाए रखा गया है, ताकि एक-दूसरे के कार्यों का अतिक्रमण न किया जा सके।
  - **अनुच्छेद 50** राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण के लिए उपाय करने का निर्देश देता है।
- **एक-दूसरे के कार्यों का आपस में टकराव (Functional Overlap):**
  - **राष्ट्रपति, कार्यपालिका का प्रमुख होने के बावजूद,** संविधान के **अनुच्छेद 123** के अनुसार **अध्यादेश जारी करने जैसी विधायी शक्तियों** का प्रयोग कर सकता है।
  - **विधायिका भी कई मामलों में न्यायिक कार्य करती है,** जैसे- राष्ट्रपति और न्यायाधीशों को पद से हटाना या अपने विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामले में खुद ही निर्णय लेना, आदि।
  - **न्यायपालिका** कभी-कभी कार्यपालिका को दिशा-निर्देश जारी करती है और कुछ मामलों में विधायी संशोधन से जुड़े सुझाव भी देती है, जिससे वह **विधायी और कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करती हुई प्रतीत होती है।** उदाहरणार्थ: विशाखा दिशा-निर्देश।

- **मूल ढांचे का हिस्सा:** सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि **शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा** है।
- **सरकार के विभिन्न अंगों के बीच संघर्ष:**
  - **न्यायिक हस्तक्षेप:** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे गए राज्य विधेयकों पर **राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।**
  - **विधायिका द्वारा अतिक्रमण:** राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)[1] अधिनियम। इस अधिनियम के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में केंद्रीय कानून मंत्री और दो प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल किए गए थे।
  - **कार्यपालिका द्वारा अतिक्रमण:** कई अधिकरणों (ट्रिब्यूनल्स) में कार्यपालिका के सदस्यों का बहुमत होता है। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की अवहेलना करता है। साथ ही, लगातार अध्यादेश जारी करने से कानून बनाने की विधायिका की शक्ति की उपेक्षा होती है।

निष्कर्ष

सरकार के अंग पूरी तरह से अलग-अलग ढंग से कार्य नहीं कर सकते; वे वास्तव में आपसी सहयोग और एक-दूसरे के सम्मान के साथ कार्य करते हैं ताकि कोई एक अंग दूसरे के कार्यों का अतिक्रमण न कर सके। इस प्रकार, कुछ कार्यात्मक टकराव और पर्याप्त नियंत्रण एवं संतुलन के साथ शक्तियों का व्यापक पृथक्करण लोकतंत्र को सशक्त बनाता है।

1.7. भारत में संपत्ति का अधिकार (Property Rights in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक **ऐतिहासिक फैसला** सुनाया। इसमें **निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की राज्य की शक्तियों को सीमित** किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **पिछले निर्णयों को खारिज किया गया: रंगनाथ रेड्डी केस (1978)** और **संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग केस (1983)** में यह निर्णय दिया गया था कि **निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन (Community resources)** माना जा सकता है।

हालिया निर्णय (प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य) के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **अनुच्छेद 39(b) का दायरा:** न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि **निजी संपत्ति** को अनुच्छेद 39(b) के तहत स्वतः **"समुदाय के भौतिक संसाधन"** के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।
- **राज्य का संपत्ति अधिग्रहण का अधिकार:** अनुच्छेद 39(b) राज्य को निजी संपत्ति के अधिग्रहण की **विधायी शक्ति प्रदान नहीं** करता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अधिकार **भूमि अधिग्रहण करने की संप्रभु शक्ति (Eminent domain),** और **सातवीं अनुसूची में सूची III की प्रविष्टि 42** से प्राप्त होता है।
- **वर्गीकरण के लिए मानदंड:** किसी निजी संपत्ति को "समुदाय के भौतिक संसाधन" के रूप में शामिल करने का निर्णय **उसकी प्रकृति, उपलब्धता या कमी, सामुदायिक कल्याण पर प्रभाव, और निजी हाथों में संकेंद्रण** पर निर्भर करता है।
- **आर्थिक नीतियों में लचीलापन:** कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान निर्माताओं का इरादा आर्थिक नीतियों को लचीला बनाना था, ताकि सरकारें समय के साथ बदलते हालात के हिसाब से आर्थिक नियमों में बदलाव कर सकें, न कि वे एक **स्थायी आर्थिक सिद्धांत** से बंधी रहें।
- **अनुच्छेद 31C की वैधता:** कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि केशवानंद भारती मामले में बरकरार रखा गया **अनुच्छेद 31C अभी भी वैध है।**
- **सार्वजनिक कल्याण और निजी संपत्ति के अधिकारों के बीच संतुलन:** सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक कल्याण और निजी संपत्ति के अधिकार के बीच एक संतुलन स्थापित किया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार के सभी कार्य **संविधान के मूलभूत सिद्धांतों,** जैसे कि **समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14)** और **संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 300A)** के अनुरूप होने चाहिए।
  - कोर्ट ने कहा कि यहां **सार्वजनिक न्यास सिद्धांत (Public Trust Doctrine)** को भी लागू किया जा सकता है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि प्राकृतिक संसाधनों तक सभी की समान पहुंच हो और इनका उपयोग लोक हित में किया जाए।
- **इमिनेंट डोमेन की सीमाएं:** सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण में इमिनेंट डोमेन के सिद्धांत के **व्यापक उपयोग पर सवाल उठाया।**

[1] National Judicial Appointments Commission

संपत्ति के अधिकार का विकास-क्रम

- **मूल स्थिति:** प्रारंभ में, संपत्ति के अधिकार और अधिग्रहण की स्थिति में मुआवजे को **संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 के तहत मूल अधिकारों के रूप में संरक्षित** किया गया था।
- **25वां संविधान संशोधन अधिनियम (1971):** इसके द्वारा **संविधान में अनुच्छेद 31C को शामिल** किया गया था। **अनुच्छेद 31C** ने उन **कानूनों को संरक्षण प्रदान किया, जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों {विशेष रूप से अनुच्छेद 39(b) और 39(c)}** को अमल में लाने के लिए बनाए गए हैं। इन कानूनों को **मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती नहीं** दी जा सकती है।
- **44वें संशोधन (1978) के बाद: 1978 में 44वें संविधान संशोधन** द्वारा संपत्ति के अधिकार को **मूल अधिकारों की सूची से हटा** दिया गया, तथा इसे **अनुच्छेद 300A** के अंतर्गत एक **संवैधानिक अधिकार** बना दिया गया।

इमिनेंट डोमेन (Eminent domain) का सिद्धांत: सरकार को निम्नलिखित शर्तों के साथ **निजी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिग्रहित** करने की अनुमति देता है।

- **इमिनेंट डोमेन सिद्धांत के तत्व:**
  - **सार्वजनिक उपयोग:** सरकार सार्वजनिक उद्देश्य (जैसे कि अवसंरचना निर्माण) के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन यह तभी किया जा सकता है जब कोई वैध आवश्यकता हो और कोई वैकल्पिक उपाय न हो।
  - **उचित मुआवजा:** जब संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है, तो सरकार को संपत्ति के स्वामी को उचित मुआवजा प्रदान करना होगा।
  - **उचित प्रक्रिया:** संपत्ति के स्वामी को पहले सूचित किया जाना चाहिए और अधिग्रहण को चुनौती देने या मुआवजे पर वार्ता करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
  - **सरकारी प्राधिकरण:** इस शक्ति का प्रयोग केवल सरकार या उन अधिकृत सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है, जिनके पास सार्वजनिक उपयोग के लिए संपत्ति अधिग्रहण करने का कानूनी अधिकार है।

सार्वजनिक न्यास सिद्धांत (Public Trust Doctrine): यह सुनिश्चित करता है कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से प्रबंधन करे।

- **ट्रस्टी (न्यासी) के रूप में राज्य:** सार्वजनिक न्यास सिद्धांत के तहत, राज्य एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है, जो जनता के लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करता है। साथ ही, यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग किया जाए और वे समाप्त या क्षतिग्रस्त न हों।
  - **टी.एन. गोदावर्मन बनाम भारत संघ** मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य को एक ट्रस्टी के रूप में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **प्राकृतिक संसाधनों** का लोक हित के लिए संधारणीय रूप से उपयोग किया जाए।
- **लाभार्थी के रूप में नागरिक:** नागरिक इस न्यास के लाभार्थी हैं, जो अपने लाभ के लिए तथा भावी पीढ़ियों हेतु संसाधनों का संधारणीय रूप से उपयोग करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रभाव

- **विधायी प्रभाव:** यह निर्णय भविष्य के **संपत्ति अधिग्रहण कानूनों, भूमि सुधारों और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों** को प्रभावित कर सकता है।
- **आर्थिक सुधार:** यह निर्णय राज्य की संपत्ति अधिग्रहण की शक्ति को सीमित करके, **निजी निवेश को समर्थन** प्रदान करता है और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है। साथ ही, यह एक **अधिक बाजार-उन्मुख अर्थव्यवस्था** की ओर बदलाव का संकेत भी देता है।
- **राजनीतिक बहस:** राजनीतिक दल भूमि सुधार और संपत्ति के अधिकारों पर अपने रुख को समायोजित कर सकते हैं, जबकि यह फैसला सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, विशेष रूप से वंचितों के लिए **भूमि पुनर्वितरण को आकार** दे सकता है।
- **संवैधानिक जांच:** यह निर्णय **निजी संपत्ति पर सरकारी कार्रवाई की जांच** करने में न्यायपालिका की भूमिका को मजबूत करता है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून समानता और संपत्ति सहित संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप हों।

निष्कर्ष

कोर्ट ने कहा है कि निजी संपत्ति को सार्वजनिक हित में इस्तेमाल करने के लिए **"समुदाय के भौतिक संसाधन"** के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करते समय हर मामले में अलग-अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। इस निर्णय में **समानता और संपत्ति के अधिकारों सहित संवैधानिक सिद्धांतों** को बनाए रखने के लिए सरकारी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जबकि सार्वजनिक न्यास सिद्धांत के माध्यम से जिम्मेदारीपूर्ण संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा दिया गया है।

Vision Publication
Igniting Passion for Knowledge..!
Scan the QR code to explore our collection and start your journey towards success.

1.8. आंतरिक आपातकाल (Internal Emergency)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक संकल्प पारित किया। ज्ञातव्य है कि **25 जून, 1975** को **राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency)** की घोषणा की गई थी।

आपातकाल क्या है?

- **परिभाषा:** आपातकाल में लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है और केंद्र सरकार राज्य सरकारों की शक्तियों को अपने हाथ में ले लेती है।
- **उद्देश्य:** देश की **संप्रभुता, एकता, अखंडता व सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा** करना।

आंतरिक आपातकाल (1975-77) लगाने के लिए जिम्मेदार कारक

- **आर्थिक संदर्भ:** 1973 में वस्तुओं की कीमतों में 23 प्रतिशत और 1974 में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इससे लोगों को बहुत अधिक आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा था।
- **गुजरात व बिहार आंदोलन:** गुजरात और बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों का दोनों राज्यों की राजनीति एवं राष्ट्रीय राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ा था।
- **न्यायपालिका के साथ टकराव:** इस अवधि के दौरान, सरकार और सत्तारूढ़ दल के न्यायपालिका के साथ कई मतभेद थे जैसे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में **न्यायमूर्ति ए.एन. रे** की नियुक्ति।

आंतरिक आपातकाल (1975-77) लागू करने के प्रभाव/ आलोचना

- **राजनीतिक प्रभाव:**
  - **नागरिक स्वतंत्रता का निलंबन:** आपातकाल के दौरान सरकार को सभी या किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या प्रतिबंधित करने की शक्ति मिल गई।
    - **सेंसरशिप:** समाचार-पत्रों पर पूर्व-सेंसरशिप लागू कर दी गई, **प्रेस परिषद को समाप्त कर दिया गया** तथा कई पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया।
  - **सत्ता का केंद्रीकरण:** शक्तियों का संघीय वितरण व्यावहारिक रूप से निलंबित कर दिया गया और सभी शक्तियां संघ सरकार (प्रधान मंत्री कार्यालय) के हाथों में केंद्रित हो गईं। इस प्रकार, राज्यों की विधायी शक्ति में परिवर्तन हुआ।
    - **42वें संविधान संशोधन अधिनियम (CAA) 1976** द्वारा लोक सभा की अवधि **पांच वर्ष से बढ़ाकर छह वर्ष** कर दी गई।
  - **असहमति पर कार्रवाई:** विपक्षी नेताओं को **आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (MISA/ मीसा)** जैसे कानूनों के तहत बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया गया।
- **सामाजिक प्रभाव:**
  - **सत्ता का दुरुपयोग:** आपातकाल के दौरान **बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए, हिरासत में मौतें हुईं और प्रमुख शहरों में उचित पुनर्वास योजनाओं के बिना झुग्गी-झोपड़ी हटाने के आधिकारिक अभियान** चलाए गए, जिससे हजारों लोग विस्थापित हुए।
  - **संगठनों पर प्रभाव:** राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), जमात-ए-इस्लामी जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों पर **सामाजिक एवं सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की आशंका के कारण प्रतिबंध** लगा दिया गया था।
  - **जबरन नसबंदी:** जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के नाम पर लोगों की जबरन नसबंदी की जा रही थी। इससे लोगों की व्यक्तिगत स्वायत्तता और प्रजनन संबंधी स्वतंत्रता प्रभावित हुई थी।
- **संस्थागत प्रभाव:**
  - **न्यायिक स्वतंत्रता:** न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता किया गया, जिन न्यायाधीशों को सरकार का समर्थन न करने वाला माना गया, उन्हें स्थानांतरित या दरकिनार कर दिया गया।
    - सरकार ने न्यायिक समीक्षा के दायरे को सीमित करने के उद्देश्य से **42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976** पारित किया था।
  - **विश्वास का क्षरण:** आपातकाल के दौरान शक्तियों के मनमाने उपयोग ने सरकारी संस्थानों में नागरिकों के विश्वास को खत्म कर दिया था।

आंतरिक आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से लाए गए संवैधानिक परिवर्तन

- **लिखित अनुमोदन:** आपातकाल की घोषणा केवल **मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई लिखित सलाह** के आधार पर ही की जा सकती है।
    - इसके अतिरिक्त, आंतरिक (राष्ट्रीय) आपातकाल की घोषणा के आधार के रूप में प्रयुक्त **"आंतरिक अशांति (Internal disturbance)"** शब्दावली को **"सशस्त्र विद्रोह (Armed rebellion)"** से प्रतिस्थापित कर दिया गया।
- **मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 359** का दायरा सीमित कर दिया गया। इसका अर्थ है कि **अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 20)** तथा **प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 21)** आपातकाल के दौरान लागू रहेंगे।
    - इसके अतिरिक्त, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि **44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया और अनुच्छेद 300A के तहत इसे संवैधानिक अधिकार** बना दिया।
- **लोक सभा का कार्यकाल:** अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करके **लोक सभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर वापस 5 वर्ष** कर दिया गया।
- **अनुच्छेद 275A को हटाना:** यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ के किसी भी सशस्त्र बल या किसी अन्य बल को तैनात करने की शक्ति प्रदान करता था।
- **न्यायिक समीक्षा:** राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न या उससे जुड़े सभी संशयों और विवादों की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी तथा उनका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा।

निष्कर्ष

आपातकाल के दौरान असहमति का दमन और नागरिक स्वतंत्रता में कटौती लोकतंत्र की रक्षा में नागरिकों की भूमिका को रेखांकित करती है। इसके अलावा, सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर नियंत्रण एवं संतुलन को मजबूत करने की आवश्यकता है।

1.9. विभिन्न देशों के संविधान के साथ तुलना (Comparison of Constitution)

1.9.1. संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव (USA Presidential Election)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव **निर्वाचक मंडल प्रणाली (Electoral College system)** के माध्यम से आयोजित किया गया।

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव बनाम भारत के राष्ट्रपति का चुनाव

मानदंड	संयुक्त राज्य अमेरिका	भारत
निर्वाचक मंडल की संरचना	• नागरिक **इलेक्टोरल कॉलेज** के **538 सदस्यों** यानी **इलेक्टर्स (निर्वाचक)** को चुनते हैं। • राज्यों में निर्वाचकों की संख्या अलग-अलग होती है। चुनाव के बाद प्रत्येक निर्वाचक एक वोट डालता है, जो **उम्मीदवार कुल 538 इलेक्टर्स में से आधे से अधिक (270) वोट प्राप्त करता है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति** बन जाता है।	भारत में भी राष्ट्रपति का चुनाव एक **निर्वाचक मंडल** द्वारा किया जाता है। **इस निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं-** • संसद के दोनों सदनों के **निर्वाचित** सदस्य, और • राज्यों की विधान सभाओं के **निर्वाचित** सदस्य। • संसद के दोनों सदन तथा राज्य विधान सभाओं के **नामांकित या मनोनीत** सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल **नहीं** होते हैं।
शासी अधिनियम/ नियम	• प्रत्येक राज्य अपने स्वयं के चुनाव नियम बनाता है, जो अमेरिका की विकेंद्रीकृत प्रणाली को दर्शाता है।	• **राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952** द्वारा शासित
नामांकन प्रक्रिया	• उम्मीदवार प्राइमरीज़ और कॉक्सेस के माध्यम से पार्टी नामांकन सुरक्षित करते हैं।	• राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन पत्र, प्रस्तावक के रूप में **कम-से-कम 50 निर्वाचकों और अनुमोदकों के रूप में कम-से-कम 50 निर्वाचकों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।**

© Vision IAS

चुनाव पद्धति	अधिकतर राज्य **विनर-टेक-ऑल दृष्टिकोण** का पालन करते हैं। • हालांकि, **मेन और नेब्रास्का** राज्यों में यह प्रणाली थोड़ी अलग है। वहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है। ○ उम्मीदवार पॉपुलर वोट (सर्वाधिक मत) में जीत के बिना भी राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकता है। ○ उदाहरण के लिए- **2016 में डोनाल्ड ट्रंप की जीत।**	• **एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा** चुनाव संपन्न होता है। राष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान होता है। ○ जीतने के लिए उम्मीदवार को **कुल डाले गए वोटों का 50% + 1 हासिल** करना होता है।
चुनाव कब आयोजित होता है	प्रत्येक 4 वर्ष में एक निश्चित समय पर।	हर 5 साल में (या असाधारण मामलों में पहले)।
रनिंग मेट	राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एक संभावित साथी (उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार) चुनता है।	भारत के उपराष्ट्रपति के लिए **अलग से चुनाव** होता है।

1.9.2. भारत और फ्रांस (India and France)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से फ्रांसीसी प्रधान मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा।

भारत और फ्रांस के संविधान के बीच समानताएं

- **मूल आदर्श:** दोनों देशों के पास लिखित संविधान है जो **फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों- स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व** पर आधारित है।
- **लोकप्रिय संप्रभुता:** दोनों देशों में जनता सर्वोच्च है और नागरिकों को 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' का अधिकार प्राप्त है।
- भारत और फ्रांस दोनों देशों में **द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था** है।
    - फ्रांस में, **निचले सदन** (नेशनल असेंबली) के **सदस्यों को पांच साल के लिए प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार** द्वारा चुना जाता है। यहां के **उच्च सदन** (सीनेट) **के सदस्यों को अप्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार के माध्यम से चुना जाता है** और **प्रत्येक तीन वर्ष में उच्च सदन के आधे सदस्य बदल जाते हैं।**
    - **भारत:** लोक सभा और राज्य सभा की तरह द्विसदनीय संरचना।
- **आपातकालीन प्रावधान:** दोनों देशों के संविधान में **आपातकाल घोषित करने का प्रावधान** शामिल है।

भारत और फ्रांस की राजव्यवस्था में अंतर

विशेषताएं	भारत की राजव्यवस्था	फ्रांस की राजव्यवस्था
संघवाद	• भारत **संघात्मक (Federal)** संरचना वाला देश है, जिसमें एकात्मक (Unitary) विशेषताएँ भी शामिल हैं।	• फ्रांस **एकात्मक (Unitary)** व्यवस्था वाला देश है, जो विकेन्द्रीकृत आधार पर संगठित है।
सरकार का स्वरूप	• **संसदीय प्रणाली:** राष्ट्रपति केवल औपचारिक **राष्ट्राध्यक्ष** होते हैं और प्रधान मंत्री सरकार का प्रमुख।	• **अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली (Semi-Presidential):** राष्ट्रपति (प्रत्यक्ष निर्वाचित) के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं और प्रधान मंत्री दैनिक कार्यों का संचालन करता है।
राष्ट्रपति	• राष्ट्रपति **अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली** के माध्यम से से **5 वर्ष के कार्यकाल के लिए** चुने जाते हैं। उनके **कितनी बार भी राष्ट्रपति बनने पर कोई सीमा** निर्धारित नहीं है।	• राष्ट्रपति **सार्वभौमिक प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा** चुने जाता है। वह **5 वर्ष के लिए चुना** जाता है। वह केवल **एक बार ही पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र** होता है।
पंथनिरपेक्षता	• भारतीय पंथनिरपेक्षता **सकारात्मक पंथनिरपेक्षता** है, जो सभी धर्मों का समान रूप से आदर करती है। इसमें राज्य द्वारा सभी **धर्मों में सैद्धांतिक आधार पर हस्तक्षेप की अनुमति** है।	• **चर्च और राज्य के बीच सख्त पृथक्करण।** फ्रांसीसी पंथनिरपेक्षता के तहत **राज्य का किसी भी धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप प्रतिबंधित** है।

जनमत सर्वेक्षण	• भारतीय संविधान में **जनमत संग्रह का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं** है।	• फ्रांसीसी संविधान में **जनमत संग्रह का स्पष्ट प्रावधान** है।
न्यायिक व्यवस्था	• **एकीकृत न्याय प्रणाली:** उच्चतर न्यायालयों के निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ उच्चतर न्यायालयों में अपील की जा सकती है।	• **विभाजित न्याय प्रणाली:** नागरिक विवादों के निपटान के लिए वैधानिक न्यायालय मौजूद हैं जबकि नागरिक तथा प्रशासन के बीच विवादों के निपटान के लिए प्रशासनिक न्यायालय हैं।

1.10. मुख्य शब्दावलियां (Key Words)

मुख्य शब्दावलियां				
मूल संरचना सिद्धांत	संवैधानिक नैतिकता	संघीय शासन प्रणाली	लोकतंत्र का संरक्षण	सामाजिक न्याय और समावेशिता
संस्थाओं का कमजोर होना	संवैधानिक कार्य	शक्तियों का पृथक्करण	सकारात्मक उपाय	मूल-अधिवास आधारित आरक्षण
जातिगत जनगणना	इमिनेंट डोमेन सिद्धांत	कानून की आत्मा/ भावना	राष्ट्रपति प्रणाली बनाम संसदीय प्रणाली	कार्यों का टकराव
विधायिका द्वारा अतिक्रमण	कार्यपालिका द्वारा अतिक्रमण	असहमति को दबाना	सत्ता का केंद्रीकरण	नाजुक संतुलन

1.11. अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

उत्तर लेखन प्रारूप

भारत में जातिगत जनगणना कराने की आवश्यकता की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। इसके संभावित लाभ और चुनौतियां क्या हैं, तथा समावेशी व डेटा आधारित नीति-निर्माण सुनिश्चित करने के लिए इनका समाधान कैसे किया जा सकता है?

भूमिका	मुख्य भाग 1	मुख्य भाग 2	निष्कर्ष
हालिया संदर्भ:	जातिगत जनगणना की आवश्यकता और संभावित लाभ	चुनौतियां और चिंताएं	आगे की राह

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
न्यूज़ टुडे
रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए
न्यूज टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए
न्यूज टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए
अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची
"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:
किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे में बेहतर समझ विकसित करने के लिए
न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है
टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

2. संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियां (Issues and Challenges Pertaining to The Federal Structure)

2.1. राजकोषीय संघवाद: एक नज़र में (Fiscal Federalism at a Glance)

राजकोषीय संघवाद

भारतीय परिप्रेक्ष्य में **संघीय प्रणाली के भीतर निधियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का संघ, राज्य एवं स्थानीय सरकारों** द्वारा साझाकरण ही **राजकोषीय संघवाद** है।	राजकोषीय संघवाद को अक्सर निम्नलिखित **तीन व्यापक सिद्धांतों से जोड़कर देखा जाता है: राजकोषीय मामलों में समानता; विकेंद्रीकरण प्रमेय (Decentralization theorem); तथा समनुषंगिता का सिद्धांत (Principle of Subsidiarity)**

भारत में "राजकोषीय संघवाद" व्यवस्था को परिभाषित करने वाले संवैधानिक प्रावधान

सातवीं अनुसूची: संघ और राज्य सूचियों में कर आधारों का निर्धारण **(अनुच्छेद 246)**	**राजस्व का वितरण:** › **अनुच्छेद 269:** संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले, लेकिन पूरी तरह से राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। › **अनुच्छेद 269-A:** अन्तर्राज्यीय व्यापार पर वस्तु और सेवा कर (GST)। › **अनुच्छेद 270:** वित्त आयोग के अनुसार संघ और राज्यों के बीच करों का वितरण।	**सहायता अनुदान (Grants-in-Aid): अनुच्छेद 275** के अनुसार केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान।	**ऋण** › **संघ** घरेलू स्रोतों से या बाहर से धन उधार ले सकता है **(अनुच्छेद 292)।** › **राज्य** केवल घरेलू स्रोतों से ही धन उधार ले सकते हैं **(अनुच्छेद 293)।**	संघ और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का निर्णय करने के लिए **वित्त आयोग का गठन** किया जाता है **(अनुच्छेद 280)।**

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों से जुड़े विवाद या मुद्दे

ऋण लेने की सीमा: राज्यों द्वारा ऋण/उधार लेने की सीमा उनके **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3% पर सीमित** कर दी गई है। (**15वां वित्त आयोग)**	**ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन:** प्रमुख करों की दरों को नियंत्रित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है; राज्य SGST (GST के बाद) तक ही सीमित है।	**व्यय का बोझ:** राज्य सरकारों का विकासात्मक व्यय **GDP के 8.8% (2004-05) से बढ़कर 12.5%** (2021-22) हो गया।	**उपकर (Cess) से प्राप्त राजस्व:** उपकरों और अधिभारों (Surcharges) के संग्रह (कुल करों का लगभग 25%) को **राज्यों के साथ साझा नहीं** किया गया है।	**सहायता अनुदान में कमी:** केंद्रीय अनुदान ₹1.95 लाख करोड़ (2015-16) से घटकर ₹1.65 लाख करोड़ (2023-24) हो गया।

आगे की राह

मार्गदर्शक सिद्धांत: › केंद्र और राज्य दोनों के लिए वित्तीय स्वायत्तता। › वैध खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि जुटाना।	**बजटेतर उधारियों की समीक्षा:** संघ और राज्यों, दोनों के ऋण लेने के तरीकों की समीक्षा करने की आवश्यकता है।	**क्षैतिज असंतुलन:** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी राज्यों को न्यूनतम राजकोषीय हिस्सा मिले; निर्धन राज्यों के लिए लाभ की सीमा तय की जाए आदि।	**16वें वित्त आयोग की भूमिका:** विशेष प्रयोजन हस्तांतरण (प्रवास, जलवायु, व जनसांख्यिकी) के लिए वार्ता करना; कर हिस्सेदारी के लिए मानव विकास सूचकांक का उपयोग करना आदि।	**राजस्व वृद्धि व्यय आवश्यकताओं के अनुरूप** होनी चाहिए।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION SANDHAN
Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज

2.2. राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग (States' Demand for Autonomy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

तमिलनाडु राज्य सरकार ने **राज्य की स्वायत्तता और संघवाद को मजबूत करने हेतु उपाय सुझाने के लिए** सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश **न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ** की अध्यक्षता में **एक उच्च स्तरीय समिति का गठन** किया है।

समिति को सौंपे गए कार्य:

- केंद्र-राज्य संबंधों के **संवैधानिक, वैधानिक और नीतिगत पहलुओं की समीक्षा** करना,
- राज्य सूची से **समवर्ती सूची में स्थानांतरित विषयों को वापस राज्य सूची में लाने** के तरीके सुझाना,
- **प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने में राज्यों की मदद करने के लिए** उपायों की सिफारिश करना,
- **राष्ट्रीय एकता को प्रभावित किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्तता** देने हेतु सुधारों का प्रस्ताव करना।

भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था

- भारत **राज्यों का एक संघ** है, और **राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं** है।
- संघ एवं राज्यों के बीच **समान संस्थाएं और साधन** हैं, जैसे- **एकल संविधान, एकल नागरिकता**, समान **अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय निर्वाचन आयोग** और **एकीकृत न्यायपालिका।**
- **विधायी शक्तियों का विभाजन:**
    - **संविधान का अनुच्छेद 246** संसद और राज्य विधान-मंडलों को सातवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों पर विधायी शक्तियां प्रदान करता है।
- भारतीय संघवाद को अक्सर **अर्ध-संघीय स्वरुप** वाला बताया जाता रहा है। इस तरह की व्यवस्था में संविधान में एक मजबूत केंद्र की वकालत की जाती है और उसे राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं।

केंद्र-राज्य संबंधों पर पूर्व में गठित समितियां और उनकी सिफारिशें

- **राजमन्नार समिति (1969)**: तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित इस समिति ने **सातवीं अनुसूची में शामिल विषयों के पुनर्वितरण के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग** के गठन की सिफारिश की थी।
- **आनंदपुर साहिब संकल्प (1973):** केंद्र की शक्तियां केवल **रक्षा, विदेश मामले, संचार, मुद्रा आदि** तक सीमित रखने की मांग की गई, जबकि शेष सभी शक्तियां राज्यों को सौंपे जाने की बात कही गई थी।
- **पश्चिम बंगाल ज्ञापन (1977): अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) को हटाने** और संविधान में **"संघात्मक"** शब्द जोड़ने की मांग की गई थी।

भारत ने केंद्रीकृत संघवाद के स्वरूप को क्यों अपनाया?

- **भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना:** स्वतंत्रता के समय विभाजन की विभीषिका की वजह से विभाजनकारी शक्तियों के उभरने की आशंका को देखते हुए मजबूत केंद्र सरकार का समर्थन किया गया।
- **संपदा और विकास का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना:** केंद्र की भूमिका को एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में देखा गया, जो अमीर राज्यों से गरीब राज्यों की ओर धन के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाकर समानता स्थापित करने में मदद करती है।
- **मूल संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना:** भारत के **संविधान का उद्देश्य न्याय, संसदीय लोकतंत्र, स्वतंत्रता** आदि के सिद्धांतों को बढ़ावा देकर एक **विविध, बहुलवादी और बहुसांस्कृतिक संघीय समाज का निर्माण** करना है। इसे एक मजबूत केंद्र के माध्यम से और सुदृढ़ बनाया जा सकता है।
- **कानूनों में एकरूपता को बढ़ावा देना।**

राज्यों की स्वायत्तता को कम करने वाले प्रमुख मुद्दे

- **राज्य सूची के विषयों में केंद्र का हस्तक्षेप:**
    - उदाहरण के लिए, तीन केंद्रीय कृषि कानून उन विषयों (कृषि और विपणन) पर पारित किए गए थे, जो मुख्य रूप से राज्य सूची के विषय हैं।
- **राजकोषीय शक्तियों का केंद्रीकरण: वस्तु एवं सेवा कर (GST)** के कारण राज्यों की कराधान शक्तियां सीमित हो गई हैं। राज्यों को कर हस्तांतरण में देरी की जाती है और अनुदान में कटौती की जा रही है।

© Vision IAS

* **राज्यों की विविधता को नजरअंदाज करते हुए सभी के लिए एक जैसी नीतियां अपनाना:** तमिलनाडु त्रिभाषा फार्मूला का विरोध करता है, क्योंकि उसका मानना है कि यह नीति तमिल पहचान को समाप्त कर सकती है।
* **संस्थागत निगरानी में कमी:** अंतराज्यीय परिषद की बैठकें नियमित नहीं होना (अनुच्छेद 263), राज्यपाल द्वारा राज्य विधान-मंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी करना।
    * साथ ही, राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित विधेयकों (जैसे- तमिलनाडु के मामले में) को **अनुच्छेद 200** के अंतर्गत राज्यपाल की मंजूरी मिलने में अनावश्यक देरी की जाती है।
* **केंद्रीकरण की बढ़ती घटनाएं:** हाल ही में तमिलनाडु राज्य विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों पर अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा मंजूरी देने की शक्तियों के अनुचित दुरूपयोग ने सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को को उजागर किया।
    * इसी प्रकार, **पश्चिम बंगाल ने राज्य की सहमति के बिना राज्य में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच का विरोध** किया।

केंद्र-राज्य संबंधों को सुधारने की प्रमुख पहलें

* **अन्तर्राज्यीय परिषद:** इसका गठन **अनुच्छेद 263 के तहत** हुआ है। यह केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देती है।
* **योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन**: नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, जिसमें राज्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
* **कर हस्तांतरण में वृद्धि:** 14वें वित्त आयोग ने केंद्र से राज्यों को मिलने वाले करों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी।
* **GST परिषद:** यह **संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत** गठित एक संयुक्त फोरम है जिसमें केंद्र और राज्यों, दोनों के सदस्य शामिल हैं। यह परिषद **GST से संबंधित नीतिगत निर्णय लेती** है।
* **केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) की संख्या में कमी:** केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या 130 से घटाकर 75 कर दी गई है, और भविष्य में इसे कम करके 50 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे राज्यों को अपने फंड के व्यय में स्वायत्तता मिल सकेगी।

राज्य स्वायत्तता की मांग का प्रभावी रूप से समाधान करने के उपाय

* **सरकारिया आयोग (1983) की प्रमुख सिफारिशों को लागू करना चाहिए:**
    * **अवशिष्ट शक्तियां:** सभी अवशिष्ट शक्तियों (कराधान को छोड़कर) को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाए।
    * **विधेयक पारित करने से पूर्व परामर्श करना:** समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र सरकार को राज्यों से परामर्श करना चाहिए।
    * **न्यूनतम हस्तक्षेप:** समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय कानूनों को केवल बुनियादी राष्ट्रीय मुद्दों पर एकरूपता सुनिश्चित करनी चाहिए और स्थानीय मामलों को राज्यों पर छोड़ देना चाहिए।
* **समतामूलक विकास को बढ़ावा देना: पुंछी आयोग (2007) की सिफारिशों के अनुसार** पिछड़े राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण बढ़ाया जाए। साथ ही, **भौतिक और मानव संसाधन अवसंरचना को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित** किया जाना चाहिए।
* **संस्थाओं के बीच संवाद को बढ़ावा देना: वेंकटचलैया आयोग की सिफारिश** के अनुसार **अन्तर्राज्यीय परिषद का उपयोग** अलग-अलग राज्यों से व्यक्तिगत स्तर पर या सामूहिक रूप से, दोनों तरीके से परामर्श लिया जाए। **क्षेत्रीय परिषदों को फिर से सक्रिय** किया जाए ताकि वे सार्थक संवाद और सहयोग के मंच बन सकें।
* **प्रमुख संस्थानों के माध्यम से आम सहमति को बढ़ावा देना चाहिए**: अंतर-राज्यीय परिषद, GST परिषद, नीति आयोग और अन्य सहकारी मंचों के माध्यम से समन्वय और नीतिगत सहमति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

अन्नादुरई ने 1967 में कहा था, **"आपसी सद्भावना और समझदारी के माध्यम से हमें भाईचारे और परस्पर लाभकारी संबंध की स्थापना करनी चाहिए।"** एक संतुलित संघीय ढांचा राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विविधता, दोनों का सम्मान करता है।

2.3. नए राज्यों की मांग (Demand For New States)

सुर्ख़ियों में क्यों?

2 जून, 2024 को तेलंगाना राज्य के गठन के दस साल पूरे हुए।

नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया

- **संविधान का अनुच्छेद 3:** संविधान के इस अनुच्छेद में **नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में बदलाव** से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
- **राष्ट्रपति की सिफारिश:** नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक **राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी पर ही संसद के किसी भी सदन में** पेश किया जाएगा।
- **राज्य विधान-मंडलों के साथ परामर्श:** किसी विधेयक को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति **विधेयक को उस राज्य विधान-मंडल को निर्धारित समय के भीतर** अपना विचार व्यक्त करने के लिए भेजेगा जिसके **क्षेत्र, सीमा या नाम** प्रभावित हो रहे हों।

स्वतंत्रता के बाद भारत में नए राज्यों की मांग को प्रेरित करने वाले कारक

- **भाषाई विविधता:** भाषा नए राज्यों के गठन की मांग को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक रही है।
  - उदाहरण के लिए- 1960 में भाषाई विविधता के आधार पर **महाराष्ट्र और गुजरात** राज्यों का गठन किया गया था।
- **विकास संबंधी असमानता:** कुछ क्षेत्रों में विकास संबंधी असमानता विद्यमान है, जो अलग राज्य के गठन की मांग को बढ़ावा देती है।
  - उदाहरण के लिए- **महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र** विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, यही कारण है कि यहां के लोग अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं।
- **सांस्कृतिक पहचान:** विविध नृजातीय समूह अपनी **नृजातीय, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान, जैसे- भाषा, नस्ल, रीति-रिवाज आदि का संरक्षण** करने का प्रयास करते हैं।
  - **उदाहरण के लिए- असम से अलग बोडोलैंड राज्य** की मांग का मुख्य कारण इस क्षेत्र की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति है, जो राज्य के बाकी हिस्सों से अलग है।
- **प्रशासनिक दक्षता:** ऐसा माना जाता है कि छोटे राज्यों में शासन व्यवस्था एवं प्रशासनिक तंत्र कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं।
  - उदाहरण के लिए- उत्तर प्रदेश से अलग **हरित प्रदेश** की मांग इसी आधार पर की जा रही है।

राज्य पुनर्गठन आयोग/ समितियां

- **एस.के. धर आयोग, 1948:** आयोग ने भाषाई कारक की बजाय **प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन** की सिफारिश की थी।
- **जे.वी.पी. समिति, 1948:** इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग खारिज कर दी थी।
- **फजल अली आयोग, 1953:** आयोग ने **राज्य पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित चार कारकों** की पहचान की थी:
  - देश की एकता और सुरक्षा को बनाए रखना एवं मजबूत करना;
  - भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता को महत्त्व देना;
  - वित्तीय स्थिरता, आर्थिक और प्रशासनिक विचार को ध्यान में रखने पर बल देना; तथा
  - राज्यों के पुनर्गठन का उद्देश्य समग्र रूप से लोगों एवं राष्ट्र के कल्याण की योजना बनाना और उसे बढ़ावा देना होना चाहिए।
- **फजल अली आयोग ने 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन** की सिफारिश की थी।
  - संसद ने आयोग की सिफारिशों को **7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956** के माध्यम से लागू किया था।

राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित न्यायिक निर्णय

बेरुबारी संघ वाद (1960): इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का **अनुच्छेद 3,** संसद को राज्यों के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी देश को सौंप सकती है।

- किसी भारतीय क्षेत्र को **संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी दूसरे देश को सौंपा** जा सकता है।
- इसके परिणामस्वरूप, कुछ भारतीय क्षेत्रों को पाकिस्तान को सौंपने हेतु **9वां संविधान संशोधन अधिनियम,** 1960 पारित किया गया था।

नये राज्यों के गठन के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क

पक्ष में तर्क	विपक्ष में तर्क
• **प्रभावी प्रशासनिक दक्षता:** इससे **संसाधनों का उचित उपयोग** होता है। ○ उदाहरण के लिए- तेलंगाना अपने जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप, तेलंगाना में **धान का उत्पादन 2015 के 4.57 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) से बढ़कर 2023 में 20 MMT से अधिक** हो गया था। • **नवाचार:** छोटे राज्यों में शासन और सेवा वितरण में **नवाचारों का आसानी से उपयोग** किया जा सकता है। इन नवाचारों के सफल होने पर अन्य राज्यों द्वारा भी इन्हें अपनाने की पूरी-पूरी संभावना होती है। ○ उदाहरण के लिए- **सिक्किम में जैविक खेती की सफलता के बाद, केरल सरकार ने राज्य को जैविक खेती केंद्र में बदलने के लिए 'जैविक कृषि मिशन'** (2023) की शुरुआत की है। • **व्यापार:** आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार, **उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा जैसे छोटे राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की तुलना में अधिक व्यापार** करते हैं। • **बेहतर विकास:** इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असमानताएं कम हुई हैं। ○ नीति आयोग के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023 के अनुसार, **उत्तराखंड में 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी निर्धनता से ग्रसित लोगों की संख्या 17.67% से घटकर 9.67%** रह गई है।	• **आर्थिक तनाव:** एक नए राज्य के प्रशासनिक तंत्र, अवसंरचना और संस्थानों की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। ○ उदाहरण के लिए- एक अनुमान के अनुसार, **तेलंगाना की नई राजधानी (अमरावती) में बुनियादी ढांचे और विभिन्न सरकारी भवनों के निर्माण के लिए 40,000 करोड़ रुपये** की आवश्यकता होगी। • **संसाधन आवंटन:** नए राज्य और मूल राज्य के बीच पानी, बिजली या खनिज संपदा जैसे संसाधनों का बंटवारा अंतर्राज्यीय विवादों को जन्म दे सकता है। ○ उदाहरण के लिए- **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना** के विभाजन के परिणामस्वरूप **कृष्णा नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है।** • **सीमा विवाद:** नवीन राज्य की सीमाएं खींचने से पड़ोसी राज्यों के साथ क्षेत्रीय विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। ये विवाद लंबे समय तक चल सकते हैं और समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकते हैं। ○ उदाहरण के लिए- **कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बेलगावी विवाद।** • **पेंडोरा बॉक्स:** नए राज्यों के निर्माण से अन्य नए राज्यों की मांग और निर्माण को बढ़ावा मिल सकता है।

आगे की राह

- **विकास:** मौजूदा राज्यों में उनके **सभी क्षेत्रों के समान विकास के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।** साथ ही, उन आर्थिक असमानताओं और शिकायतों का समाधान करना भी जरूरी है, जिनके कारण नए राज्यों के गठन की मांग उठती है।
- **विशेषज्ञ समिति:** नए राज्यों के गठन की मांग/ प्रभाव की जांच के लिए **सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ समिति** बनाई जानी चाहिए।
- **आर्थिक व्यवहार्यता:** किसी भी नए राज्य का निर्माण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसके पास **नए राज्य के रूप में स्थापित होने पर अपने खर्च का कम-से-कम 60% संसाधन या राजस्व न हो।**
- **स्पष्ट दिशा-निर्देश:** नए राज्यों के निर्माण के लिए **राजनीतिक विचारों की बजाय आर्थिक और सामाजिक व्यवहार्यता पर ध्यान केंद्रित** करते हुए स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ मानदंड विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

नए राज्यों के गठन से प्रशासनिक दक्षता बढ़ सकती है और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा भी मिल सकता है, लेकिन इससे आर्थिक बोझ, राज्यों के बीच विवाद, और कई अन्य राज्यों के गठन की मांग शुरू होने का खतरा भी बना रहता है। इसलिए, नए राज्यों के गठन संबंधी मांग पर विचार करते समय लोगों की आकांक्षाओं और प्रशासनिक व्यवहार्यता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़
देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं
✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र
2025 ENGLISH MEDIUM 6 JULY हिन्दी माध्यम 6 जुलाई
2026 ENGLISH MEDIUM 6 JULY हिन्दी माध्यम 6 जुलाई

2.4. राज्यपाल का पद: एक नज़र में (Office of Governor at a Glance)

राज्यपाल का पद

राज्यपाल भारत में किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसे राज्यों में संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 153: प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल के पद की स्थापना करता है (कुछ राज्यपाल एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की देखरेख करते हैं)।	**अनुच्छेद 163:** राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों के अलावा मंत्रिपरिषद की सहायता/ सलाह पर कार्य करता है।	**अनुच्छेद 200:** राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति (स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है या राष्ट्रपति के पास भेज सकता है)।	**अनुच्छेद 213:** विधानसभा के सत्र में ना होने पर राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति।	**अनुच्छेद 356:** राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना।

भूमिका एवं शक्तियां

कार्यकारी	विधायी	न्यायिक	विवेकाधीन शक्तियां	वित्तीय
मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता और राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है; राज्य प्रशासन की देखरेख करता है।	राज्य विधान सभा की बैठक बुलाना/ भंग करना, सत्र को संबोधित करना, विधेयकों को स्वीकृति देना, राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को सुरक्षित रखना।	क्षमा (Pardons), स्थगन (Reprieves), विराम (Respite) या लघुकरण (Commutations) प्रदान करता है (अनुच्छेद 161); उच्च न्यायालय के परामर्श से अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।	विशिष्ट मामलों में मंत्री की सलाह के बिना कार्य करना, जैसे चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, विधेयकों को सुरक्षित रखना।	राज्य के बजट प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करना; धन विधेयकों को मंजूरी देना।

राज्यपाल के पद के संदर्भ में दिए गए महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य वाद (1974)	एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ वाद (1994)	तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल वाद (2025)
स्पष्ट किया गया कि राज्यपाल सीमित विवेकाधीन क्षेत्रों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सहायता/सलाह पर कार्य करते हैं।	अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग रोका जाए; राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के अधीन हो; राज्यपाल की रिपोर्ट निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए।	सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपालों की निष्पक्षता और समयबद्ध निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया।

2.4.1. राज्य के विधेयकों को स्वीकृति (Assent to State Bills)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल** मामले में **राज्य विधान-मंडल** द्वारा पारित विधेयकों को समय पर मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए।

अन्य संबंधित तथ्य

न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया: सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करता है। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को **पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक डिक्री/ आदेश पारित करने का अधिकार** देता है।

© Vision IAS

राज्य विधेयक पर स्वीकृति या सहमति के संबंध में संवैधानिक प्रावधान	
राज्यपाल (अनुच्छेद 200)	राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति की शक्ति (अनुच्छेद 201)
• **स्वीकृति या सहमति प्रदान करना।**	• **स्वीकृति या सहमति प्रदान करना।**
• **सहमति रोकना।** • पुनर्विचार के लिए वापस करना (धन विधेयक को छोड़कर) – यदि विधान-मंडल इसे फिर से पारित करता है, तो **राज्यपाल को स्वीकृति देनी होगी।** • **राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करें।**	• **सहमति रोकना।** • **पुनर्विचार के लिए वापसी -** विधान-मंडल को 6 महीने के भीतर कार्रवाई करनी होगी; **पुनर्विचार के बाद भी राष्ट्रपति इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।**
राज्यपाल के विपरीत, राष्ट्रपति पुनर्विचारित विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है।	

निर्णय से संबंधित मुख्य बिंदु

- **विधेयक पर राज्यपाल की निष्क्रियता असंवैधानिक है:** विधायिका द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा मंजूरी देने के लिए भारतीय संविधान में **भले ही कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है,** लेकिन **अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास** या **अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास** कोई **पॉकेट या आत्यंतिक वीटो (Absolute Veto)** भी **उपलब्ध नहीं** हैं।
    - यदि राज्यपाल/ राष्ट्रपति विधेयकों को मंजूरी देने में निष्क्रियता प्रदर्शित करता है, तो **राज्य सरकार** सक्षम न्यायालय से **परमादेश (Mandamus) रिट जारी करने की याचिका दायर** कर सकती है।
- **विधान सभा द्वारा फिर से पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता:** विधेयक को **पहले चरण में ही** राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए **आरक्षित** किया जा सकता है।
    - इस सामान्य नियम का **एकमात्र अपवाद** तब है, जब **दूसरी बार में प्रस्तुत किया गया विधेयक पहली बार में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए विधेयक से मूल रूप से भिन्न हो।**
- **विधेयकों को मंजूरी देने के लिए निर्धारित समय-सीमा:** न्यायालय ने शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने हेतु **समय-सीमा निर्धारित की है।**

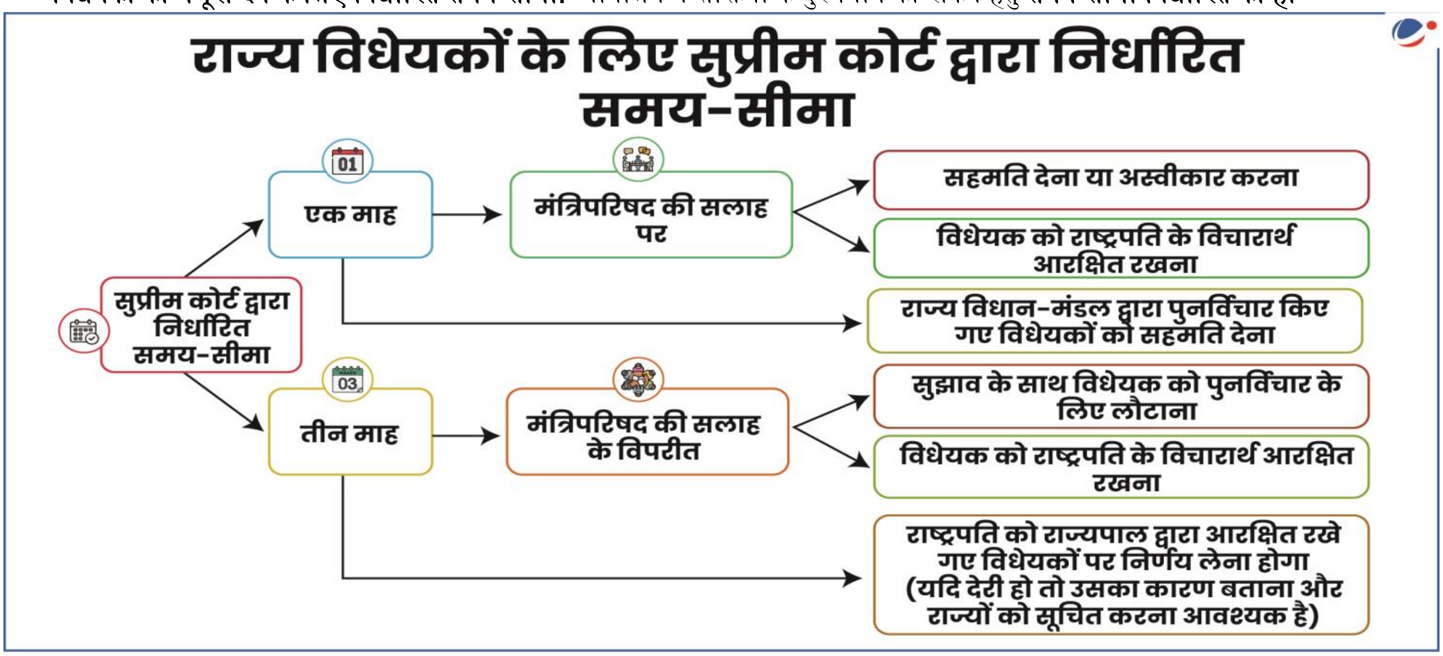

- **अनुच्छेद 200** के तहत राज्यपाल को अपने **कार्यों के निष्पादन में कोई विवेकाधिकार प्राप्त नहीं** है और **उसे मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह का अनिवार्य रूप से पालन करना होता है, सिवाय निम्नलिखित स्थितियों के:**
    - यदि राज्य विधान सभा द्वारा पारित किसी विधेयक से हाई कोर्ट की शक्तियों का हनन होता है तो, राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत ही उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेगा।

- समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी विषय से संबंधित विधेयक, आदि।

- **अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है:** राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा **स्वीकृति प्रदान करना** (आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर) **न्यायालय के विचार योग्य नहीं** हो सकता है।
  - हालांकि, **राज्यपाल द्वारा अपने विवेकाधिकार का उपयोग करके किसी विधेयक को मंजूरी न देने या उसे आरक्षित रखने के फैसले को न्यायालय में चुनौती** दी जा सकती है, क्योंकि संविधान द्वारा इस विवेकाधिकार को सीमित किया गया है।
- **राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयकों की असंवैधानिकता के आधार पर पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करना चाहिए:**
  - राष्ट्रपति को **अनुच्छेद 143 (कानून या तथ्य के प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की राष्ट्रपति की शक्ति)** के तहत **सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी चाहिए।**

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का उपर्युक्त निर्णय विभिन्न संस्थाओं की संवैधानिक जवाबदेही की पुष्टि करता है और राज्यों में सुचारू रूप से विधायी कार्य के संचालन को सुनिश्चित करता है। साथ ही, यह निर्णय अलग-अलग संवैधानिक संस्थाओं के बीच संतुलन बनाए रखने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

2.5. मुख्य शब्दावलियां (Key Words)

मुख्य शब्दावलियां				
राजकोषीय संघवाद	ऊर्ध्वाधर/ क्षैतिज असंतुलन	सहकारी संघवाद	असममित (Asymmetric) संघवाद	विधायी शक्तियों का विभाजन
राज्यों की स्वायत्तता	संस्थाओं द्वारा निगरानी	समतामूलक विकास	समन्वय और नीतियों पर सहमति	भाषायी विविधता
सांस्कृतिक पहचान	संसाधनों का आवंटन	भानुमती का पिटारा	आर्थिक व्यवहार्यता	डेमोक्रेटिक डेफिसिट
विवेकाधीन शक्ति	शासन में कमियां	प्रशासनिक दक्षता	आम सहमति बनाना	नियंत्रण और संतुलन
समवर्ती सूची के माध्यम से अतिक्रमण	सांस्कृतिक बहुलवाद	राज्य द्वारा अपनी पहचान पर बल		

2.6. अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

उत्तर लेखन प्रारूप

"भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र का वर्चस्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन यह सहयोगात्मक तंत्रों द्वारा संतुलित भी होती है।" इस संदर्भ में, केंद्र-राज्य संबंधों को प्रभावी बनाने हेतु हालिया पहलों और सिफारिशों का विश्लेषण कीजिए।

भूमिका	मुख्य भाग 1	मुख्य भाग 2	निष्कर्ष
राज्यों की स्वायत्तता में कमी पर हाल की बहसें	भारतीय संघवाद में केंद्रीय प्रभुत्व: संघीय व्यवस्था में संतुलन	केंद्र-राज्य संबंधों को मजबूत करने के लिए सिफारिशें	प्रभुत्व और सहयोग के बीच संतुलन

© Vision IAS

3. संसद और राज्य विधान-मंडल: संरचना और कार्यप्रणाली (Parliament and State Legislatures: Structure and Functioning)

3.1. संसद की कार्य उत्पादकता में गिरावट (Decline in Parliamentary Productivity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद की कार्यवाही में जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने की कार्रवाई की लोक सभा अध्यक्ष ने निंदा की।

अन्य संबंधित तथ्य

- **17वीं लोक सभा** ने अपने निर्धारित समय का **88% काम** किया और **राज्य सभा ने 73% काम** किया (PRS रिपोर्ट)।
- **18वीं लोक सभा के शीतकालीन सत्र (2024)** की उत्पादकता भी काफी कम रही। कामकाज की दृष्टि से इस सत्र के दौरान लोक सभा की उत्पादकता **54.5%** और राज्य सभा में **40%** रही।
- **राज्य विधायिका की स्थिति (PRS रिपोर्ट 2025)**
    - **बैठकों की औसत संख्या में कमी:** राज्य विधान-मंडल की 2017 में औसतन 28 बैठकें होती थीं, जो **2024 में घटकर 20** रह गईं। **अनुच्छेद 174** के तहत हर 6 महीने में कम-से-कम एक बार सत्र आयोजित करने की अनिवार्यता है, लेकिन **11 राज्यों ने केवल 1 या 2 दिन के लघु सत्रों के आयोजन** के माध्यम से इसे **औपचारिक रूप से पूरा** किया।
    - **सीमित परिचर्चा:** 51% विधेयक केवल एक दिन की परिचर्चा के बाद पारित कर दिए गए; केवल 4% विधेयकों को विस्तार से विचार करने के लिए समितियों के पास भेजा गया।
    - **विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना (अनुच्छेद 178):** अप्रैल, 2025 तक 8 राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशों में **उपाध्यक्ष** पद पर किसी व्यक्ति का चयन नहीं हो पाया था।
    - **विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति मिलने में देरी:** 2024 में 18% विधेयकों को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त करने में 3 महीने से अधिक का समय लगा।

संसदीय व्यवधान के लिए उत्तरदायी कारक

- **मूल कारक:**
    - **व्यवधान, विवादास्पद राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मुद्दों** से उत्पन्न होते हैं, जो **जनता का ध्यान आकर्षित** करते हैं। उदाहरण के लिए, हिंडनबर्ग विवाद।
    - **विपक्ष का दिखावा:** विपक्ष प्रस्तावों में देरी या अवरोध पैदा करने के लिए कार्यवाही में बाधा डालता है। इससे बहस से ध्यान हटकर प्रचार पर चला जाता है।
    - **दल-बदल विरोधी कानून** (52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची) सांसदों को पार्टी व्हिप का पालन करने के लिए बाध्य करता है। इससे मुद्दों पर सकारात्मक बहस पर प्रतिबंध लगता है एवं सांसदों पर व्यवधान संबंधी गतिविधियों में शामिल होने का दबाव पड़ता है।
- **संरचनात्मक कारक:**
    - **राजनीतिक दलों की बढ़ती संख्या** बहस के समय को कम कर देती है। इससे सदन में गैर-सूचीबद्ध मुद्दों के कारण व्यवधान पैदा होता है।
    - **संसदीय ढांचे में प्रश्नकाल जैसे** विविध कार्यों के लिए निर्धारित समय-सीमा का अभाव है, जिसके कारण देरी होती है।

संसदीय व्यवधान के प्रभाव

- **सदन के कामकाज में व्यवधानों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस का समय कम** हो जाता है। इससे संसद की सरकार को जवाबदेह ठहराने और कानून पारित करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप जल्दबाजी में निर्णय लिए जाते हैं।
- **लगातार व्यवधानों से संसद पर जनता का भरोसा कम** होता है, क्योंकि सांसद मुख्य मुद्दों को सुलझाने की बजाय कार्यवाही को रोकने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **संसद के प्रत्येक सत्र में प्रत्येक मिनट में 2.5 लाख रुपये खर्च** होते हैं। अकेले 2021 के गतिरोध से करदाताओं को 133 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

निष्कर्ष

"संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग" (NCRWC) ने प्रतिवर्ष लोक सभा की न्यूनतम 120 बैठकें, राज्य सभा की 100 बैठकें और कम सदस्य संख्या वाली राज्य विधान सभाओं के लिए 50 बैठकें और अधिक सदस्य संख्या वाली विधान सभाओं की 90 बैठकें आयोजित करने की सिफारिश की है।

जैसा कि डॉ. अंबेडकर ने चेतावनी दी थी, एक मजबूत संविधान भी उस समय निरर्थक हो जाता है अगर इसे लागू करने वाले लोग गैर-जिम्मेदाराना तरीके से कार्य करते हैं। संसदीय कार्य की उत्पादकता में बार-बार गिरावट यह संकेत देती है कि संसदीय कार्यप्रणाली में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। इनमें आचार संहिता लागू करना, संसद की बैठकों की संख्या बढ़ाना और बैठकों के बार-बार स्थगित होने से संबंधित स्पष्ट नियम बनाना शामिल हैं।

3.2. गठबंधन सरकार (Coalition Government)

सुर्ख़ियों में क्यों?

2024 के लोक सभा आम चुनाव के बाद **केंद्र में गठबंधन सरकार** बनी है। ऐसा संसद के निचले सदन यानी लोक सभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण हुआ है।

गठबंधन सरकार के बारे में

- यह एक राजनीतिक व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था में जब **किसी एक दल को विधायिका में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब कई दल सरकार बनाने के लिए आपस में सहयोग** करते हैं।
- भारत में गठबंधन सरकार के लिए योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में शामिल हैं- **बहुदलीय प्रणाली, क्षेत्रीय विविधता, राज्य स्तरीय पार्टियों का उदय, सत्तारूढ़ दल विरोधी कारक,** आदि।
- **भारत में गठबंधन सरकार दो तरीकों से बनती है:**
  - **चुनाव-पूर्व गठबंधन:** कई दल चुनाव से पहले गठबंधन बनाते हैं तथा मतदाताओं के सामने संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करते हैं।
  - **चुनाव-पश्चात गठबंधन:** यदि चुनाव-पूर्व गठबंधन बहुमत हासिल नहीं कर पाता है तब राजनीतिक दल चुनाव परिणामों के बाद सरकार बनाने के लिए गठबंधन हेतु दूसरी पार्टियों के साथ वार्ता करते हैं।

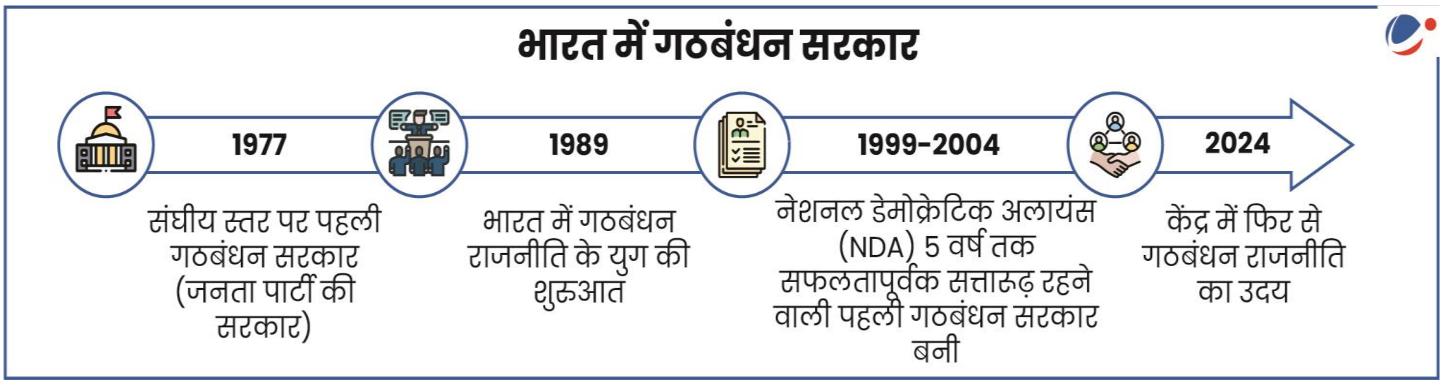

गठबंधन सरकार का महत्व

- **व्यापक प्रतिनिधित्व:** गठबंधन सरकार आमतौर पर अलग-अलग हितों और व्यापक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। सरकार में सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होने से संभावित रूप से अधिक समावेशी नीतियां और कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं।
- **नियंत्रण और संतुलन:** गठबंधन सरकार में शामिल भागीदार एक-दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। इससे संभावित रूप से सत्तावाद एवं जल्दबाजी में नीतिगत निर्णय लेने का जोखिम कम होता है।
- **आम सहमति बनाना:** गठबंधन सरकार के लिए वार्ता और समझौते की आवश्यकता होती है, जिससे संभवत: अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत नीतियां बनाई जा सकती हैं।
- **लोक सभा की भूमिका:** अब तक बनी गठबंधन सरकारों के परिणामस्वरूप लोक सभा में अधिक जीवंत और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस देखने को मिली है। इस तरह की बहस से सरकार की जवाबदेही में बढ़ोतरी होती है।
- **सहकारी संघवाद:** गठबंधन सरकारों में अक्सर क्षेत्रीय दलों को शामिल किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों की सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि होती है। इसके अलावा, शासन व्यवस्था का विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है।

गठबंधन सरकार से संबंधित चुनौतियां

- **राजनीतिक अस्थिरता:** गठबंधन सहयोगियों के अलग-अलग हितों के कारण बार-बार असहमति और सरकार में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, 1998 में केवल 13 माह के बाद ही पहली NDA सरकार गिर गई थी।
- **नीतिगत अस्थिरता:** गठबंधन सहयोगियों के बीच आम सहमति की आवश्यकता के कारण निर्णय लेने की गति धीमी हो सकती है। उदाहरण के लिए, 2008 में भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु समझौते पर UPA-1 सरकार से वामपंथी दलों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था।
- **अदूरदर्शी निर्णय-प्रक्रिया:** गठबंधन सरकार में प्रशासनिक/ गवर्नेंस व्यवस्था में बार-बार बदलाव के परिणामस्वरूप दीर्घकालिक रणनीतियों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- **विचारधाराओं से समझौता:** गठबंधन बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को अपनी मूल विचारधाराओं से समझौता करना पड़ सकता है।

- **क्षेत्रवाद:** गठबंधन में क्षेत्रीय दल अक्सर राज्य-विशिष्ट लाभों, क्षेत्रीय सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए संसाधनों के आवंटन आदि पर बल देने के लिए अपनी स्थिति का फायदा उठाते हैं।
- **विदेश नीति:** गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दलों के व्यक्तिगत हित विशेषकर क्षेत्रीय मुद्दों के संबंध में विदेश नीति संबंधी निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, 2011 में तीस्ता जल समझौते पर रुका हुआ निर्णय।

आगे की राह

- **राजनीतिक स्थिरता: रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव**[2] प्रणाली अपनाने के लिए विधान-मंडलों की प्रक्रिया के नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए (NCRWC)। इसके तहत किसी वैकल्पिक (गठबंधन) सरकार के गठन पर सहमति बनने के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ताकि राजनीतिक अस्थिरता से बचा जा सका।
  - **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग** के अनुसार, यदि गठबंधन में शामिल एक या एक से अधिक दल, गठबंधन से बाहर के एक या अधिक दलों के साथ मिलकर फिर से गठबंधन कर लेते हैं, तो उस दल/ दलों के सदस्यों को फिर से चुनाव जीतना होगा।
- **प्रधान मंत्री का चयन:** NCRWC के अनुसार, संसद के प्रक्रिया के नियमों के तहत लोक सभा के अध्यक्ष के चुनाव के साथ-साथ लोक सभा के नेता (प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति) के चुनाव के लिए एक तंत्र होना चाहिए।
- **गठबंधन के कामकाज में पारदर्शिता:** न्यूनतम साझा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति पर अनिवार्य रूप से नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिंग होनी चाहिए। इसके अलावा, प्रमुख नीतिगत निर्णयों के लिए 'गठबंधन प्रभाव आकलन' आरंभ किया जा सकता है।
- **दीर्घकालिक नीतिगत रणनीतियां:** राष्ट्रीय नीति निर्माण में **अंतर्राज्यीय परिषद जैसे संवैधानिक निकायों और नीति आयोग जैसे गैर-पक्षपातपूर्ण निकायों का उपयोग** करना चाहिए। ऐसा इस कारण, क्योंकि ये संस्थाएं गठबंधन राजनीति से बाहर होती हैं।

निष्कर्ष

क्षेत्रीय विविधताओं से परिपूर्ण परिदृश्य में गठबंधन, सहकारी संघवाद के एक प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। ये गठबंधन न्यायोचित सत्ता-साझाकरण और विकेन्द्रीकृत शासन की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाते हैं, जिससे डॉ. अंबेडकर द्वारा कल्पित "विचार-विमर्श पर आधारित लोकतांत्रिक बहुसंख्यकता" की भावना साकार होती है।

3.3. दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधान सभा के अध्यक्ष को दल-बदल विरोधी कानून के तहत कार्यवाही में देरी करने पर चेतावनी जारी की।

दल-बदल विरोधी कानून के बारे में

- इसे **52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985** के माध्यम से लाया गया था। इसके द्वारा संविधान में **दसवीं अनुसूची** को जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल को रोकना था।
- **अयोग्य ठहराए जाने के आधार:** सदस्य के लिए दल की सदस्यता **स्वेच्छा** से छोड़ना; सदन में मतदान के दौरान पार्टी **व्हिप का उल्लंघन करना।**

दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित न्यायिक निर्णय

- **किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हु वाद (1992):** यदि अध्यक्ष कार्यवाही में देरी करता है, तो कोर्ट को हस्तक्षेप करने/ न्यायिक समीक्षा का अधिकार होना चाहिए।
- **कर्नाटक विधायकों की अयोग्यता से संबंधित वाद (2020):** इस संबंध में अध्यक्ष की शक्तियों को एक स्वतंत्र अधिकरण को हस्तांतरित करने पर विचार किया गया।

दल-बदल विरोधी कानून के पक्ष में तर्क	दल-बदल विरोधी कानून के विपक्ष में तर्क
• **सरकार की स्थिरता को बढ़ावा देता है:** निर्वाचित सदस्यों को दल बदलने से रोकता है, जिससे सरकार गिरने से बचती है।	• **सदस्यों को स्वतंत्र निर्णय को सीमित करता है:** सदस्यों को पार्टी के निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर करता है, और अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेने से रोकता है (यह अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है)।

[2] Constructive vote of No-confidence

• **भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है:** सांसदों/विधायकों की खरीद-फरोख्त (हॉर्स ट्रेडिंग) जैसी अनैतिक गतिविधियों को रोकता है। • **मतदाताओं के वोट का सम्मान करता है:** जनता की पसंद की पार्टी और उसकी विचारधारा की रक्षा करता है।	• **लोकतांत्रिक लोकाचार के विरुद्ध:** जनप्रतिनिधियों को राजनीतिक दल की कठपुतली बना देता है। • **बदलाव में बाधा डालता है:** सदन में नवीन विचारों और असहमति को रोकता है।

निष्कर्ष

संसदीय लोकतंत्र में जहां राजनीतिक दलों में अनुशासन आवश्यक है, वहीं व्हिप का आँख मूंदकर पालन करना विचारात्मक लोकतंत्र को कमजोर करता है। इसलिए, निर्धारित समय में निर्णय और निर्वाचित सदस्यों द्वारा स्वतंत्र निर्णय जैसे सुधारों को अपनाना चाहिए ताकि दल-बदल विरोधी कानून की विश्वसनीयता को फिर से बहाल किया जा सके।

3.4. लोक सभा का उपाध्यक्ष (Deputy Speaker of the Lok Sabha)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2019 से लोक सभा में उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहना संवैधानिक विसंगति का संकेत देता है।

लोक सभा में उपाध्यक्ष के पद के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** यह पद **भारत शासन अधिनियम, 1919 के तहत 1921** में अस्तित्व में आया था।
- **चुनाव:** संविधान के **अनुच्छेद 93** में प्रावधान किया गया है कि लोक सभा जल्द-से-जल्द सदन के दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार, **उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के सांसद** को दिया जाता है।
- **पद त्याग और पद से हटाया जाना: अनुच्छेद 94** में पद के रिक्त होने, पद त्याग और हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। ध्यातव्य है कि लोक सभा उपाध्यक्ष को **सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया** जा सकता है।
    - अध्यक्ष अपना त्याग-पत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्याग-पत्र अध्यक्ष को सौंपता है।
- **कर्तव्य: अनुच्छेद 95** के अनुसार, अध्यक्ष की अनुपस्थिति या रिक्ति की स्थिति में उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

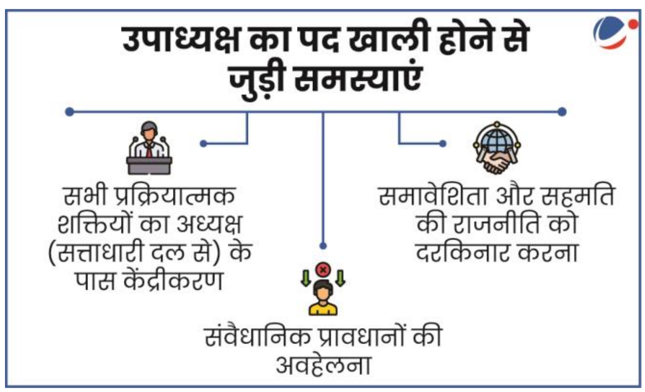

उपाध्यक्ष के पद का महत्त्व

- **संवैधानिक अनिवार्यता:** यह केवल औपचारिक पद नहीं है, क्योंकि संविधान में इसे अध्यक्ष पद के समकक्ष स्थान दिया गया है।
- **निरंतरता, स्थिरता और संस्थागत संतुलन के लिए आवश्यक:** यह पद आपातकाल की स्थिति में **द्वितीय नेतृत्व** प्रदान करता है।
- **विधायी कर्तव्य:** उपाध्यक्ष महत्वपूर्ण सत्रों की अध्यक्षता करता है, समितियों का नेतृत्व करता है और गंभीर वाद-विवाद का संचालन निष्पक्षता एवं प्राधिकार के साथ करता है।

निष्कर्ष

लोक सभा के उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए एक निश्चित समय सीमा (जैसे, नई लोक सभा की पहली बैठक के 60 दिन के भीतर) तय की जा सकती है या एक **वैधानिक व्यवस्था** की जा सकती है, ताकि समय सीमा के भीतर इस पद को भरा जा सके।

3.5. विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (Representation of Women in Legislature)

सुर्ख़ियों में क्यों?

18वीं लोक सभा में 74 महिलाएं चुनकर आईं हैं जो कुल सदस्यता का 13.6% है। 17वीं लोक सभा में 78 महिलाएं (14.4%) चुनकर आईं थीं। इस तरह देखा जाए तो **18वीं लोक सभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में थोड़ी गिरावट** दर्ज की गई है।

विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति

- 18वीं लोक सभा चुनाव में 797 महिला उम्मीदवारों में से **9.7%** ने जीत दर्ज की, जबकि 17वीं लोक सभा चुनाव में 726 महिला उम्मीदवारों में से 10.74% ने जीत दर्ज की।
- लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पहले लोक सभा में 5% था, जो **बढ़कर 17वें लोक सभा में अपने उच्चतम स्तर (14.4%) पर** पहुंच गया।
- वर्तमान में, महिला सदस्य **राज्य सभा सदस्यों का 14.05%** हैं।
- **वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की हिस्सेदारी 26.9%** है।
    - रवांडा की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 60% से अधिक है, जो विश्व में सर्वाधिक है।

महिला प्रतिनिधित्व का महत्व

- महिला संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पुरुष संसद सदस्यों की तुलना में **आर्थिक संकेतकों पर बेहतर प्रदर्शन** करती हैं।
- भारत की कुल आबादी में **लगभग 50% हिस्सा महिलाओं** का है। ऐसे में, इतनी बड़ी आबादी का विधायी प्रतिनिधित्व महिलाओं के **राजनीतिक सशक्तीकरण** के लिए बेहद जरूरी है।
- महिलाएं पुरुषों की तुलना में **कम आपराधिक और कम भ्रष्ट** होती हैं। वे अधिक प्रभावशाली होती हैं और उनके भीतर **राजनीतिक अवसरवाद कम** होता है (2018 में ऑक्सफोर्ड के एक अध्ययन के अनुसार)।

महिलाओं के विधायी प्रतिनिधित्व के समक्ष चुनौतियां

- **सामाजिक पूर्वाग्रह,** पुरुष प्रधान राजनीतिक संरचनाएं, पारिवारिक दायित्व आदि प्रमुख चुनौतियां हैं।
- **संरचनात्मक बाधाएं:**
    - चुनावी प्रक्रिया काफी महंगी है;
    - इसमें काफी अधिक समय लगता है;
    - कई बार अनुचित टिप्पणियां झेलनी पड़ती हैं;
    - चुनाव के दौरान हेट स्पीच का सामना करना पड़ता है;
    - अपमानजनक धमकियां सुनने को मिलती हैं;
    - इसके अलावा, बाहुबल का प्रभाव भी देखा जाता है आदि।
- **पितृसत्तात्मक समाज:** महिलाएं स्वयं कई बार पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों से प्रभावित होती हैं, जैसे कि सरपंच पति।

निष्कर्ष

लोकतांत्रिक लोकाचार न केवल सार्वभौमिक (सभी को) मताधिकार की वकालत करता है, बल्कि उचित प्रतिनिधित्व की भी अपेक्षा रखता है। इस प्रकार, विधायिकाओं में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना केवल राजनीतिक आवश्यकता ही नहीं है बल्कि संवैधानिक अपेक्षाओं को पूरा करना भी है।

3.6. गैर-सरकारी विधेयक (Private Member Bill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में संसद के दोनों सदनों में गैर-सरकारी विधेयकों को मिलने वाले समय में कमी आई है।

गैर-सरकारी विधेयक क्या होता है?

संसद के जो सदस्य (निर्वाचित या मनोनीत) मंत्री नहीं होते, उन्हें **गैर-सरकारी या प्राइवेट मेंबर** कहा जाता है। इन सदस्यों द्वारा **प्रस्तुत विधेयक को गैर-सरकारी विधेयक** कहा जाता है। ऐसे विधेयक का **मसौदा तैयार करना उस सदस्य की जिम्मेदारी** होती है जो इसे संसद में प्रस्तुत करता है।

गैर-सरकारी विधेयकों का क्या महत्व है?

- **नीतिगत नवाचार:** ये विधेयक सांसदों को नई नीतिगत पहल रखने का अवसर प्रदान करते हैं। **उदाहरण के लिए: "राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक, 2019"**
- **सुधार की संभावना:** गैर-सरकारी विधेयक पुराने कानूनों में सुधार को प्रेरित कर सकते हैं। **उदाहरण के लिए: "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकार विधेयक, 2014"**
- **पार्टी लाइन से स्वतंत्र अभिव्यक्ति:** ये विधेयक **पार्टी अनुशासन से स्वतंत्र होकर** अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते है।
- **जवाबदेही:** ये विधेयक सरकार की नीतियों का विकल्प प्रस्तुत कर सांसदों को सरकार की जवाबदेही तय करने का एक प्रभावी माध्यम प्रदान करते हैं।

गैर-सरकारी विधेयकों की संख्या कम क्यों होती जा रही है?

- **व्यवधान:** संसद की **बैठक बार-बार स्थगित होने** और **सामान्यतः सत्रों में हंगामा होने की वजह** से इन विधेयकों पर चर्चा का समय नहीं मिल पाता है। **उदाहरण के लिए,** 17वीं लोक सभा में प्रस्तुत 1,434 विधेयकों में से केवल 16 पर ही चर्चा हुई।
- **प्रक्रिया संबंधी समस्याएं:** गैर-सरकारी विधेयकों के लिए आवंटित समय कम होने **(सप्ताह में केवल 2–3 घंटे)** के कारण इन पर चर्चा शुरू होने में वर्षों लग जाते हैं। **लोक सभा के अध्यक्ष/ राज्य सभा के सभापति** द्वारा विधेयकों को प्रस्तुत करने की अनुमति देने या अस्वीकार करने का **विवेकाधिकार राजनीतिक विचारों से प्रभावित** हो सकता है।
- **संसाधनों की कमी:** गैर-सरकारी सदस्यों के पास अनुसंधान सहायता, विधेयक का प्रारूप तैयार करने की विशेषज्ञता या संस्थाओं से समर्थन का अभाव होता है।
- **'पारित होने की कम संभावना' से जुड़ी धारणा:** अब तक **केवल 14 गैर-सरकारी विधेयक ही कानून** बन सके हैं और अंतिम बार ऐसा विधेयक **1970 में पारित** हुआ था।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी:** कई गैर-सरकारी सांसदों ने बताया है कि सरकारें अपने विधायी एजेंडे को प्राथमिकता देती हैं और गैर-सरकारी विधेयकों की उपेक्षा करती हैं।

आगे की राह

- **प्रक्रियाओं को सरल बनाना:** गैर-सरकारी विधेयकों पर चर्चा के लिए निश्चित और व्यवधान रहित समय निर्धारित किया जाए। ऐसे विधेयकों पर **संसदीय कार्यवाही को डिजिटल रूप से ट्रैक** किया जाना चाहिए, आदि।
    - **प्रक्रिया नियमों में संशोधन करके** यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि गैर-सरकारी विधेयक के लिए निर्धारित समय के दौरान किसी अन्य विषय पर चर्चा न की जाए।
- **अनुसंधान सहायता:** सांसदों को प्रभावी तरीके से गैर-सरकारी विधेयक तैयार करने में सहायता देने के लिए एक अलग अनुसंधान संस्था (जैसे कि यूनाइटेड किंगडम की पब्लिक बिल कमेटी) स्थापित की जा सकती है।
- **संस्थागत सहायता:** संसद एक ऐसी समीक्षा समिति का गठन कर सकती है जो गैर-सरकारी विधेयकों की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और संवैधानिकता का परीक्षण करके उन पर चर्चा को प्राथमिकता दे।
    - **यूनाइटेड किंगडम के "10 मिनट रूल मॉडल"** को भी अपनाया जा सकता है, जिसमें सांसद एक संक्षिप्त भाषण के साथ लघु विधेयक प्रस्तुत करते हैं जो नए विधेयक के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

3.7. मुख्य शब्दावलियां (Key Words)

मुख्य शब्दावलियां				
राजनीतिक सशक्तीकरण	लोकतांत्रिक लोकाचार	चुनाव पूर्व/चुनाव पश्चात गठबंधन	आम सहमति बनाना	नियंत्रण और संतुलन
व्यापक प्रतिनिधित्व	संवैधानिक अनिवार्यता	विधायिका की जिम्मेदारियां	सामाजिक पूर्वाग्रह	संरचनात्मक बाधाएं
राजनीतिक उदासीनता	नीतिगत नवाचार	स्वतंत्र अभिव्यक्ति	प्रक्रियात्मक बाधाएं	नीतिगत अस्थिरता/ पंगुता (Policy Paralysis)
रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव	सांसदों के लिए आचार संहिता	विधायिका की जवाबदेही	व्हिप की राजनीति	निर्वाचकों के मत व्यवहार में बदलाव (Electoral Volatility)

3.8. अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

उत्तर लेखन प्रारूप

बढ़ती भागीदारी के बावजूद, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वैश्विक औसत से कम बना हुआ है। महिलाओं के विधायी प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के महत्व और इसमें बाधा बनने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

भूमिका	मुख्य भाग 1	मुख्य भाग 2	निष्कर्ष
18वीं लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व	महिलाओं के विधायी प्रतिनिधित्व का महत्व	महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बाधा डालने वाली चुनौतियां	राजनीतिक आवश्यकता और संवैधानिक अनिवार्यता

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
A.I.T.S
GS PRELIMS TEST SERIES 2026
ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली
30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट
2026 | ENGLISH MEDIUM 6 JULY | हिन्दी माध्यम 6 जुलाई

 © Vision IAS

4. न्यायपालिका और अन्य अर्ध-न्यायिक निकायों की संरचना और कार्यप्रणाली (Structure and Functioning of Judiciary and other Quasi-Judicial Bodies)

4.1. आपराधिक न्याय प्रणाली: एक नज़र में (Criminal Justice System at a Glance)

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली

आपराधिक न्याय प्रणाली अपराध की रोकथाम, जांच, अभियोजन, दंड और सुधार को शामिल करने वाला एक औपचारिक तंत्र है। यह **निवारण (Deterrence), प्रतिकार (Retribution), अशक्तता (Incapacitation), पुनर्वास (Rehabilitation) और क्षतिपूर्ति (Reparation)** जैसे सिद्धांतों का अनुसरण करती है।

सुधार की आवश्यकता क्यों?

दोषसिद्धि की कम दर	लंबित मामले	आधुनिक तकनीक	प्रत्यर्पण के मामले में कम सफलता	मानव संसाधन की कमी	जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की कम संख्या
यह हत्या के मामले में 43.8% और बलात्कार के मामले में 27.4% है। (NCRB 2022)	अदालतों में 4.7 करोड़ मामले लंबित हैं।	साक्ष्य प्रबंधन, भंडारण आदि का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है।	3 में से केवल 1 भगोड़े का ही सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण हो पाता है।	प्रति एक लाख आबादी पर केवल 192 पुलिस (संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह 222 होना चाहिए)।	प्रति 10 लाख की आबादी पर केवल 21 न्यायाधीश हैं।

उठाए गए कदम

तीन नए आपराधिक कानून पारित: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम।	**गवाह संरक्षण योजना, 2018**	**फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना**	**खुली जेल प्रणाली:** NCRB, 2015 रिपोर्ट में राजस्थान मॉडल का उल्लेख किया गया है।	**आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम (CPA), 2022**

आगे की राह

पुलिस सुधार (प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ वाद, 2006)	अभियोजन को मजबूत बनाना	मलिमथ समिति की सिफारिशें
› राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए **राज्य सुरक्षा आयोग** की स्थापना करनी चाहिए। › **योग्यता के आधार पर DGP की नियुक्ति** करनी (न्यूनतम दो वर्ष के कार्यकाल के लिए) चाहिए। › स्थानांतरण, पदस्थापना, पदोन्नति और वेतन के प्रबंधन के लिए **पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन** करना चाहिए। › केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के चयन के लिए **राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का** गठन करना चाहिए।	एक मजबूत, परिचालनात्मक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र **अभियोजन विभाग (DoP)** की स्थापना करनी चाहिए।	› **अनुच्छेद 20(3):** "राइट टू साइलेंस" या मौन रहने के अधिकार में संशोधन करना चाहिए। › **अभियुक्त के अधिकार (Rights of accused):** क्षेत्रीय भाषाओं में संहिता की अनुसूची प्रकाशित करनी चाहिए। › **साक्ष्य संबंधी कानून:** गवाहों के मृत्यु पूर्व बयान, ऑडियो/ वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किए गए बयानों को अधिकृत किया जाना चाहिए। › **लोक अभियोजन:** प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सहायक लोक अभियोजकों और अभियोजकों की नियुक्ति करनी चाहिए।

CSAT क्लासेस 2026
ENGLISH MEDIUM 12 JUNE, 11 AM
हिन्दी माध्यम 12 जून, 2 PM

4.1.1. आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम (Criminal Law Reform Acts)

सुर्ख़ियों में क्यों?

देश के तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई, 2024 से लागू हुए। ये तीन नए कानून हैं- भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

कानून और उनकी विशेषताएं	भारतीय न्याय संहिता, 2023	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
उद्देश्य और पृष्ठभूमि	• इसे **भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860** के स्थान पर लाया गया है। गौरतलब है कि IPC, 1860 में कई पुराने और अप्रासंगिक प्रावधान थे। • **भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 से पहले:** भारतीय दाण्डिक कानूनों में संसदीय चार्टर व अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के विनियम, हिंदू विधि, मुस्लिम कानून, प्रथागत कानून आदि से संबंधित नियम/ कानून शामिल थे। • **IPC, 1860 के लागू होने के बाद:** विधि आयोग की कई रिपोर्ट्स में **महिलाओं के खिलाफ अपराधों, खाद्य पदार्थों में मिलावट, मृत्युदंड** जैसे विषयों पर **IPC में संशोधन करने की सिफारिश** की गई थी।	• इसके द्वारा **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 को प्रतिस्थापित** किया गया है। **CrPC** में भारतीय दंड संहिता, 1860 सहित कई अधिनियमों के तहत निर्धारित अपराधों के लिए **गिरफ्तारी (Arrest), अभियोजन (Prosecution) और जमानत (Bail) की प्रक्रिया** संबंधी प्रावधान किए गए थे। • **उत्पत्ति:** CrPC को सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन के अधीन **1861** में अधिनियमित किया गया था। इसके बाद **1872 और 1882** में क्रमिक रूप से अधिनियमित नई संहिताओं द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया था। ○ सबसे महत्वपूर्ण संशोधन **1898, 1923 और 1955** में किए गए थे। • **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973:** भारत के विधि आयोग ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में, इस संहिता में व्यापक स्तर पर संशोधन करने हेतु सिफारिश की थी।	• इसके द्वारा **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को प्रतिस्थापित** किया गया है। यह अधिनियम सभी दीवानी/ सिविल और फौजदारी/ दाण्डिक कार्यवाहियों में भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता हेतु नियमों का प्रावधान करता है। • **उत्पत्ति:** इसका उद्देश्य **साक्ष्यों से संबंधित कानूनों को समेकित** करना था। इन साक्ष्यों के आधार पर ही न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और निर्णय सुनाता है। • **प्राथमिक मुद्दा:** भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 पिछले कुछ दशकों के दौरान देश में हुई **प्रौद्योगिकीय उन्नति के अनुरूप नहीं** है।
मुख्य प्रावधान	• **सामुदायिक सेवा:** छोटे-मोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा कराने का प्रावधान किया गया है। • **महिलाओं के खिलाफ लैंगिक अपराध:** ○ 18 वर्ष से कम आयु की महिला से सामूहिक बलात्कार के कृत्य को नाबालिग के साथ बलात्कार माना जाएगा। पहले 16 वर्ष से कम उम्र को नाबालिग माना गया था। ○ इसमें छल-कपट/ धोखे से या झूठे वादे करके **किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने को भी अपराध** माना गया है। • **राजद्रोह (Sedition):** इस संहिता में **राजद्रोह (IPC की धारा 124A)** से जुड़े प्रावधान को हटा दिया गया है।	• **विचाराधीन कैदियों की हिरासत:** इसके तहत यदि **पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति** ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की **एक-तिहाई अवधि को हिरासत में बिता लिया** है, तो उसे **जमानत पर रिहा** किया जाएगा। • **मेडिकल जांच:** इसके अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी विशेष मामलों, जैसे- बलात्कार में आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जांच का अनुरोध कर सकता है। • **फॉरेंसिक जांच:** यह उन सभी अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाती है, जिनके लिए कम-से-कम **सात वर्ष** के कारावास के दंड का प्रावधान है।	• **साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता:** इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी या किसी कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप तथा ई-मेल, सर्वर लॉग आदि में स्टोर की गई सूचना को शामिल किया जा सके। • **दस्तावेजी साक्ष्य:** इसमें कहा गया है कि **लेखों, मानचित्रों और व्यंगात्मक चित्रों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी दस्तावेज** माना जाएगा। • **मौखिक साक्ष्य:** इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी

	• **आतंकवाद:** इस संहिता में आतंकवाद को एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका उद्देश्य देश की **एकता, अखंडता और सुरक्षा अथवा भारत या किसी अन्य देश में लोगों या लोगों के किसी वर्ग के बीच भय पैदा** करना है। • **संगठित अपराध:** यह संहिता संगठित अपराध को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करती है: ○ निरंतर गैर-कानूनी गतिविधि, जैसे- अपहरण, जबरन वसूली, और साइबर अपराध आदि; ○ अपराध सिंडिकेट।	○ यदि किसी राज्य के पास फॉरेंसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वह दूसरे राज्य की इस सुविधा का इस्तेमाल करेगा। • **मजिस्ट्रेट की शक्ति:** यह मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर, हैंडराइटिंग, उंगलियों की छाप और आवाज के नमूने एकत्र करने की अनुमति प्रदान करती है, चाहे वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो अथवा नहीं। • **कार्यवाहियों के लिए समय-सीमा:** यह विविध कार्यवाहियों हेतु समय-सीमा निर्धारित करती है। जैसे जांच अधिकारी को मेडिकल रिपोर्ट सौंपना, निर्णय देना, पीड़ितों को जांच की प्रगति के संबंध में सूचित करना और आरोप तय करना आदि के लिए समय-सीमा का निर्धारण करती है।	गई किसी भी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। • **संयुक्त सुनवाई (Joint trials):** कानून में ये बताया गया है कि अगर कई लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, और उनमें से एक आरोपी फरार हो गया है, तो भी बाकी आरोपियों का संयुक्त मुकदमा चलाया जाएगा।
संभावित प्रभाव	• **अस्पष्ट परिभाषाएं:** "आपराधिक गतिविधि" की अस्पष्ट परिभाषाएं उनके अनुचित प्रयोग का कारण बन सकती हैं। साथ ही, ये वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने भी का कारण बन सकती हैं। उदाहरण के लिए- ○ **"विध्वंसक गतिविधियों"** में किसी भी प्रकार की आलोचना शामिल हो सकती है, या ○ संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जैसी चीजों को "आतंकवादी कृत्य" में शामिल किया गया है। • **पुलिस की विवेकाधीन शक्तियां:** स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में नए कानूनों या UAPA जैसे मौजूदा कानूनों के तहत मुकदमा चलाने के बीच चयन करने के मामले में पुलिस की विवेकाधीन शक्तियों में वृद्धि हुई है। इससे असंगत आवेदन और निष्पक्षता एवं जवाबदेही के बारे में चिंताएं पैदा हो रही हैं। • **मौजूदा मुकदमों में विलंब:** यद्यपि यह विधेयक लंबित कार्यवाहियों और मुकदमों पर लागू नहीं होता है, लेकिन न्यायालयों पर इनकी **व्याख्या करने का अतिरिक्त बोझ बढ़ने की संभावना है।**	• **मामलों का तीव्र निपटान:** प्रक्रियाओं और आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का उद्देश्य न्याय प्रदान करने में तेजी लाना है। • **तकनीक का इस्तेमाल:** जांच और मुकदमों की सुनवाई में फोरेंसिक और ICT के उपयोग को बढ़ावा देता है। • **पीड़ित का अधिकार:** FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, भले ही अपराध किसी और पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में हुआ हो। • **निष्पक्ष जांच:** पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तलाशी और जब्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है।	• **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रयोग में वृद्धि होगी:** इससे त्रुटिपूर्ण दोषसिद्धि के मामलों में कमी आ सकती है। साथ ही, मामलों की जांच में तेजी लाने में मदद मिल सकती है। • **निजता संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं:** इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती और उनमें संग्रहित संवेदनशील जानकारी तक पहुंच के कारण निजता के उल्लंघन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

नए आपराधिक कानूनों का महत्व

- **केवल सजा के बजाय न्याय को प्राथमिकता:** नए आपराधिक कानून औपनिवेशिक दंडात्मक सोच से हटकर एक न्याय-केंद्रित प्रणाली की ओर अग्रसर हैं। इनका उद्देश्य केवल अपराधियों को दंड देना नहीं, बल्कि पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करना, त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना तथा न्याय व्यवस्था को अधिक मानवीय और संवेदनशील बनाना है।
- **निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया:** ई-एफ.आई.आर., फोरेंसिक साक्ष्य जैसे डिजिटल साधन।

- **भारतीय मूल्यों पर आधारित:** धर्म और न्याय पर आधारित ये कानून भारतीय लोकाचार को दर्शाते हैं, नागरिकों को सशक्त बनाते हैं और परंपरा को आधुनिक न्याय के साथ जोड़ते हैं।

निष्कर्ष

भारतीय दंड संहिता (IPC) के **160 वर्षों बाद** लागू किए गए ये नए आपराधिक कानून लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार द्वारा बनाए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य **सजा की बजाय न्याय सुनिश्चित करना है।** इनमें फोरेंसिक तकनीक का समावेश, मुकदमों के निपटारे के लिए निर्धारित समय-सीमाएं जैसे प्रावधान शामिल हैं, जो पूरी प्रणाली को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाते हैं। ये कानून औपनिवेशिक विरासत से बाहर निकलकर एक आधुनिक, न्याय-संगत आपराधिक न्याय प्रणाली की नींव रखते हैं। हालांकि इसकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि संवैधानिक मूल्यों की सतत निगरानी और समय-समय पर समीक्षा कितनी ईमानदारी से की जाती है।

4.1.2. निःशुल्क विधिक सहायता (Free Legal Aid)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **जेल में बंद कैदियों को "निःशुल्क और समय पर विधिक सहायता" सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश** जारी किए।

सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए मुख्य निर्देशों पर एक नज़र

- **2022 की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)** को समय-समय पर अपग्रेड कर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- कैदी विधिक सहायता क्लीनिकों (PLACs) की **निगरानी संबंधी अधिकारों में वृद्धि करना।**
- कानूनी सहायता सेवाओं से संबंधित सांख्यिकीय डेटा को नियमित रूप से अपडेट करना।
- **लीगल एड डिफेंस काउंसिल यानी विधिक सहायता बचाव वकील** द्वारा किए गए **कार्यों का नियमित निरीक्षण और ऑडिट** किया जाएगा।
- उपलब्ध विधिक सहायता योजनाओं के बारे में लोगों के बीच **जागरूकता बढ़ाने** के लिए स्थानीय भाषाओं में प्रचार सामग्रियों के प्रभावी तरीकों का उपयोग किया जाएगा।
- **नियमित रिपोर्टिंग:** जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSAs) के समक्ष और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के समक्ष नियमित तौर पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

भारत में निःशुल्क कानूनी या विधिक सहायता के बारे में

- भारत में **विधिक सहायता** से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों को **निःशुल्क कानूनी सेवाएं** प्रदान करने से है, जो **कानूनी प्रतिनिधित्व या न्याय प्रणाली तक पहुंच का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं।**
    - विधिक सहायता में **कानूनी सलाह, अदालती कार्यवाही में प्रतिनिधित्व, मध्यस्थता, वार्ता और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र** आदि शामिल होते हैं।
- **विधिक सहायता के लिए संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 39-A
- **वैधानिक प्रावधान:**
    - विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
    - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 341
- **निःशुल्क विधिक सहायता का महत्त्व:** सामाजिक कल्याण और न्याय, अधिकारों की सुरक्षा करना, कानून के शासन को मजबूत करना, कानून संबंधी जागरूकता को बढ़ाना।
- **कानूनी सहायता के लिए पात्र व्यक्ति:** महिलाएं एवं बच्चे; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य; दिव्यांगजन; आदि

विधिक सहायता से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **एम.एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1978):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैदियों को **अनुच्छेद 21 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार** है।
- **हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979):** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि **अनुच्छेद 21** के तहत प्रत्येक कैदी को **स्पीडी ट्रायल यानी शीघ्र सुनवाई का मौलिक अधिकार** प्राप्त है।

© Vision IAS

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्ति में चुनौतियां

- अधिकांश विचाराधीन कैदियों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी है।
- उचित विधिक सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है।
- वित्त-पोषण की कमी है।
- निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड सख्त है और नौकरशाही से जुड़ी बाधाओं के कारण विधिक सहायता प्राप्त करने में देरी होती है।
- दुर्गम क्षेत्रों में रहे और भाषा संबंधी बाधाओं के कारण वंचित समुदाय निःशुल्क विधिक सहायता का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **"दिशा/ DISHA (Design Innovative Solutions for Holistic Accsee/ भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नवीन समाधान डिजाइन करना)":** क़ानूनी मुकदमे से पहले विवाद निवारण तंत्र को मजबूत करना है।
- **टेली-लॉ:** यह योजना **विशेषज्ञ वकीलों के पैनल के माध्यम से कानूनी सलाह की उपलब्धता** को सुगम बनाती है। यह पैनल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) के अंतर्गत होता है।
- **न्याय बंधु (प्रो बोनो कानूनी सेवाएं) कार्यक्रम:** यह प्रो बोनो एडवोकेट्स (जनता के कल्याण से जुड़े वकील) और पंजीकृत लाभार्थियों के बीच जुड़ाव की सुविधा प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से इच्छुक वकील स्वयं का पंजीकरण करा सकते हैं, ताकि वे समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान कर सकें।
- **न्याय मित्र कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम **हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित 10 से 15 वर्ष पुराने मामलों (सिविल व क्रिमिनल, दोनों प्रकार के मामलों) के निपटान** को सुगम बनाता है।
- **लोक अदालत:** यह वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों में से एक है। इसमें न्यायालयों में लंबित या मुकदमा-पूर्व मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया/ समझौता किया जाता है। लोक अदालत में मामला दायर करने पर **कोई न्यायालय शुल्क नहीं** लिया जाता है।

आगे की राह

- **नीतिगत कार्यान्वयन:** वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना, पात्रता मानदंडों को आसान बनाने की आवश्यकता है।
- **बुनियादी ढांचे और संसाधनों को बढ़ाना:** विधिक सेवा प्राधिकरणों की क्षमताओं का निर्माण करना आवश्यक है।
- **जागरूकता पैदा करना:** उदाहरण के लिए- 2022 में **"हक हमारा भी तो है@75"** अभियान का आयोजन किया गया था।
- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** जेल के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में उपलब्ध करवाना।
- **गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता:** मेहनत और लगन से काम करना।

निष्कर्ष

प्रभावी विधिक सहायता केवल सेवा नहीं है, बल्कि सुशासन का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। यह उचित प्रक्रिया आधारित न्याय को बढ़ावा देती है, लंबित मामलों को कम करती है, तथा यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी नागरिक को केवल आर्थिक या सामाजिक असुविधा के कारण न्याय से वंचित न किया जाए।

4.2. जेल सुधार (Prison Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

गृह मंत्रालय ने **मॉडल जेल मैनुअल, 2016 के नियमों और मॉडल जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023** में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य देश भर की जेलों में जाति आधारित भेदभाव एवं वर्गीकरण को समाप्त करना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- ये संशोधन **सुकन्या शांता बनाम भारत संघ और अन्य मामले में, कैदियों के बीच जाति-आधारित भेदभाव उन्मूलन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश** के अनुपालन में किए गए हैं।

किए गए मुख्य संशोधनों पर एक नज़र

- **जेल प्राधिकारी** सख्ती से यह सुनिश्चित करेंगे कि **कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव नहीं** किया जाए। इसमें जेल के भीतर कर्तव्यों या काम का आवंटन भी शामिल है।
  - जाति के आधार पर भेदभाव संविधान के **अनुच्छेद 14** (कानून के समक्ष समानता), **अनुच्छेद 15** (भेदभाव का निषेध), **अनुच्छेद 17** (अस्पृश्यता का उन्मूलन), आदि के तहत **निषिद्ध** है।
- **'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013'** के प्रावधान जेलों एवं सुधार संस्थानों पर **बाध्यकारी प्रभाव** डालेंगे।
  - जेल के अंदर **हाथ से मैला उठाने या सीवर या सेप्टिक टैंक की मैनुअल रूप से खतरनाक तरीके से सफाई की अनुमति नहीं** दी जाएगी।

मॉडल जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **विशेष जेल:** उच्च सुरक्षा वाली सेमी-ओपन या ओपन जेलें स्थापित करने का प्रावधान।
- **विधिक सहायता और प्रोत्साहन:** जेल में अच्छे आचरण प्रस्तुत करने पर पैरोल, फरलो और समय से पहले रिहाई की सुविधाएं दी गई हैं।
  - **इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से निगरानी** की शर्त पर कैदियों को जेल से छुट्टियां देने की पहल शुरुआत की गई है।
- **पुनर्वास: जेल की सजा काटने के बाद समाज में स्वीकृति के लिए** कैदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **विशेष आवास:** जेलों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग-अलग आवास सुविधाएं प्रदान करने के प्रावधान किए गए हैं।

जेल सुधारों की आवश्यकता क्यों है?

- **औपनिवेशिक युग का कानून:** सुप्रीम कोर्ट ने **राममूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य (1996)** मामले में **कारागार अधिनियम, 1894** को बदलने हेतु नए जेल कानून बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
- **जेल की क्षमता से अधिक कैदी होना:** सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी "प्रिजन ऑफ इंडिया 2024" रिपोर्ट के अनुसार, 31 दिसंबर 2022 तक देशभर में कुल कैदियों की संख्या 5.73 लाख थी, जो **जेलों की क्षमता का 131.4%** है यानी 31.4% अधिक कैदी हैं।
  - इनमें से **75.8% विचाराधीन कैदी** थे।
  - **जमानत अस्वीकृति दर** सत्र न्यायालयों में 32.3% और मजिस्ट्रेट अदालतों में 16.2% है।
- **जेलों में अमानवीय स्थिति:** बंद कोठरियों में साफ-सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है, और चिकित्सा सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं।
  - 40% से कम जेलों में सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध हैं; केवल 18% जेलों में महिलाओं के लिए अलग सुविधाएं हैं।
- **महिला कैदियों के अधिकार:** राज्य जेल मैनुअल में महिला कैदियों के प्रजनन अधिकारों को स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है।
- **मृत्युदंड की सजा पाए कैदी:** 2006 से 2022 के बीच मृत्युदंड की सजा पाए केवल 0.3% कैदियों को ही फांसी दी गई। मृत्युदंड की सजा के क्रियान्वयन में अत्यधिक देरी देखी जाती है (NCRB के अनुसार)।
- **भेदभाव:** जेलों में जाति के आधार पर कार्यों का विभाजन, मैनुअल स्कैवेंजिंग की कुप्रथा जारी रहना, और सामाजिक दर्जे के आधार पर कैदियों का वर्गीकरण जैसी समस्याएं अब भी मौजूद हैं।

जेल-सुधार हेतु उठाए गए कदम

- लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए **फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन** किया गया है।
- **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)** को कैदियों के मूल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- **मॉडल जेल मैनुअल 2016:** यह विचाराधीन कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करती है।
- **न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर रिपोर्ट (1987):** इस रिपोर्ट में भारत में महिला कैदियों की स्थिति का अध्ययन किया गया।

© Vision IAS

- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:**
  - **ई-प्रिजन (e-Prisons):** नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा विकसित यह प्रणाली **जेलों और कैदियों से संबंधित सभी गतिविधियों को एकीकृत** करती है।
  - **FASTER (फास्टर एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकाड्र्स) प्रणाली:** सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई यह प्रणाली न्यायालयों द्वारा दिए गए जमानत आदेशों को जेलों तक पहुंचने में होने वाली देरी को समाप्त करती है।
  - **इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS):** यह न्यायालयों, पुलिस और जेलों के बीच स्वतः कार्य करने वाला संपर्क माध्यम बना सकता है जिससे हिरासत से जुड़े मामलों में अनुचित देरी को कम किया जा सके।

भारत में जेल प्रशासन और नियम

- **प्रशासन:** भारत में **कारागार (जेल) और कैदी 'राज्य सूची' के विषय** (प्रविष्टि 4) हैं, जिससे उनका प्रशासन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बन जाता है।
- **कानूनी फ्रेमवर्क:** जेलों का संचालन मुख्य रूप से **कारागार अधिनियम, 1894** और **राज्यों के जेल मैनुअल** द्वारा होता है। केंद्र सरकार का **मॉडल आदर्श जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम**, 2023 राज्यों को जेलों से संबंधित सर्वोत्तम आधुनिक कार्यप्रणालियों को अपनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- **कैदियों के लिए मौजूदा प्रावधान**
  - **भारत में प्रावधान:**
    - **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 479:** यह उस विचाराधीन कैदी को जमानत पर रिहा करने का प्रावधान करती है, जिसने किसी भी कानून के तहत अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि के आधे से अधिक अवधि जेल में बिता दिया हो।
    - **BNSS में प्ली बार्गेनिंग (धारा 289 से 300):** यह व्यवस्था प्रतिवादी (अभियुक्त) और अभियोजन पक्ष के बीच मुकदमे से पहले समझौता का प्रावधान करती है।
  - **वैश्विक स्तर पर नियम:**
    - **बैंकॉक नियम:** संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2010 में अपनाए गए ये नियम महिला कैदियों के साथ व्यवहार और महिला अपराधियों के लिए बिना-हिरासत वाले उपायों (जैसे सामुदायिक सेवा) के लिए प्रावधान करते हैं।
    - **नेल्सन मंडेला नियम:** संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में अपनाए गए ये नियम कैदियों के साथ व्यवहार के लिए न्यूनतम मानक प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

भारत में जेल प्रशासन को 'दंडात्मक व्यवस्था' वाली औपनिवेशिक सोच से बाहर निकलकर कैदियों के पुनर्वास और अधिकार-आधारित सोच को अपनाना चाहिए, जहाँ कैद में रखने का उद्देश्य अपराधियों से प्रतिशोध लेना नहीं, बल्कि उनका सुधार करना होना चाहिए। यह सोच संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में निहित मूल्यों के अनुरूप है।

4.3. न्यायिक सुधार (Judicial Reforms)

4.3.1. न्यायिक जवाबदेही (Judicial Accountability)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिल्ली हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के आवास पर करोड़ों रुपये नकद मिलने से **भारत की उच्चतर न्यायपालिका में जवाबदेही को लेकर चिंताएं बढ़** गई हैं।

न्यायिक जवाबदेही के बारे में

- न्यायिक जवाबदेही से तात्पर्य उन व्यवस्थाओं से है जो **न्यायाधीशों और न्यायालयों को व्यक्तिगत या संस्थागत रूप से उन आचरणों और निर्णयों के लिए उत्तरदायी** ठहराती है जो **संवैधानिक मूल्यों या कानूनी मानकों के प्रतिकूल** होते हैं।
- यह व्यवस्था न्यायिक निर्णयों में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाती है तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं में नागरिकों का विश्वास मजबूत करती है।
- संविधान **शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत** का प्रावधान करता है, जिसमें शासन के प्रत्येक अंग के कार्यों में संतुलन और एक-दूसरे की निगरानी (checks and balances) की व्यवस्था है।
  - हालांकि, मूल अधिकारों का संरक्षक होने के नाते, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना और राजनीतिक व आर्थिक प्रभावों से मुक्त रहना आवश्यक है।
  - अनुच्छेद 235 के तहत, संविधान ने **हाई कोर्ट को अधीनस्थ न्यायालयों पर 'नियंत्रण'** प्रदान किया है, जो **न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र** का आभास देता है।

जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा प्रमुख तंत्र

- **पद से हटाया जाना:** वर्तमान में, उच्चतर न्यायपालिका के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 124, 217 और 218** तथा **न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968** के अंतर्गत प्रावधान मौजूद हैं।
- **1999 की आंतरिक जांच प्रक्रिया:** यह न्यायिक नैतिकता को नियंत्रित करने वाले दो महत्वपूर्ण चार्टर्स - **न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन, 1997**[3] और **न्यायिक आचरण संबंधी बैंगलोर सिद्धांत, 2002**[4] पर आधारित है।
  - **CJI सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों के आचरण के खिलाफ शिकायतें प्राप्त** कर सकता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों के आचरण के खिलाफ शिकायतों का निपटान कर सकता है।
  - **बैंगलोर न्यायिक आचार सिद्धांत:** स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा, समानता, निष्पक्षता, औचित्य (Propriety), क्षमता और सतर्कता।

न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन, 1997

- न्यायिक पद पर आसीन व्यक्तियों को ऐसे किसी भी कार्य से बचना चाहिए जिससे उच्चतर न्यायपालिका में जनता का विश्वास कम हो।
- उन मामलों की सुनवाई और निर्णय में शामिल नहीं होना चाहिए जिनमें अपने परिवार का कोई सदस्य या मित्र पक्षकार हो।
- राजनीतिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से कोई राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, विशेषकर जब वे मामले न्यायिक निर्णय का विषय बन सकते हों।
- परिवार और मित्रों को छोड़कर किसी से भी अन्य व्यक्ति से उपहार नहीं लेना चाहिए या उनका आतिथ्य स्वीकार नहीं करना चाहिए।
- किसी अन्य वृत्ति या व्यवसाय में संलग्न नहीं होना चाहिए।
- अपने पद या कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित किसी भी आर्थिक लाभ की मांग नहीं करनी चाहिए, जब तक कि स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति नहीं दी गई हो।

भारत में न्यायिक जवाबदेही से संबंधित चिंताएं

- **न्यायिक स्वतंत्रता के साथ टकराव:** उदाहरण के लिए, कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति — भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं।
- **पद से हटाने की जटिल प्रक्रिया**
- **परिसंपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना अनिवार्य नहीं होना:** जहां लोक सेवकों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को कानून के तहत अपनी परिसंपत्तियों का ब्यौरा अनिवार्य रूप से सार्वजनिक करना पड़ता है वहीं न्यायाधीशों के लिए यह अनिवार्य नहीं है।
  - हालांकि, अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ ने यह निर्णय लिया कि न्यायाधीशों को पद ग्रहण करते समय अपनी परिसंपत्तियों की सूची मुख्य न्यायाधीश (CJI) के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। साथ ही, बाद में जब भी कोई बड़ी परिसंपत्ति अर्जित की जाए, तब भी इसकी सूचना CJI के समक्ष देनी चाहिए।
- **सीमित नियंत्रण और संतुलन:** न्यायपालिका अपने अधिकांश पहलुओं जैसे **न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं, जांच तंत्र,** आदि को स्वयं नियंत्रित करती है।
- **जवाबदेही में बाधा डालने वाले अन्य प्रावधान:** आपराधिक कार्रवाई से छूट/ उन्मुक्ति, RTI पर प्रतिबंध, आदि।

न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह

- **न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक:** इसे **15वीं लोक सभा** में पेश किया गया था, लेकिन **लोक सभा भंग होने के कारण यह व्यपगत** हो गया।
- **राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (NJC):** नियुक्तियों और कदाचार की जांच के लिए **भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट (80वीं व 121वीं)** द्वारा प्रस्तावित।
  - NJC को **न्यायिक सदस्य के अलावा गैर-न्यायिक सदस्य शामिल** करने की सलाह दी गई है।
- **स्थायी अनुशासन समिति:** न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए केंद्रीय स्तर पर न्यायपालिका के सदस्यों वाली एक स्थायी अनुशासन समिति गठित की जानी चाहिए।
- **न्यायिक निरीक्षण:** न्यायाधीशों के लिए एक स्थायी **प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली** विकसित की जा सकती है, जिसके माध्यम से निर्धारित मानकों में चूक, या न्यायाधीशों के संदिग्ध आचरण को तुरंत प्रकाश लाया जा सके।

[3] Restatement of Values of Judicial Life, 1997

[4] Bangalore Principles of Judicial Conduct

4.3.2. न्यायिक रिक्तियां (Judicial Vacancies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार **सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों में न्यायपालिका में वर्तमान में 5,600 से अधिक रिक्तियां** हैं।

- वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के **2 पद,** हाई कोर्ट्स (HC) में न्यायाधीशों के **364 पद** और जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों के **5245 पद** रिक्त हैं।

रिक्तियों के लिए जिम्मेदार कारक

- **समय-समय पर पदों का रिक्त होना:** इसकी मुख्य वजहें हैं- सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, निधन, न्यायाधीशों की पदोन्नति, न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि होना आदि।
- **अधिक समय लेने वाली कॉलेजियम प्रक्रिया:** सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में न्यायाधीशों की **नियुक्ति कॉलेजियम प्रक्रिया** से होती है। इस प्रक्रिया के तहत **कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निरंतर सहयोग** आवश्यक है। साथ ही, अलग-अलग सरकारी एजेंसियों से परामर्श एवं मंजूरी की आवश्यकता भी पड़ती है।
    - हाई कोर्ट्स में नियमित न्यायाधीशों तथा अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति **संविधान के अनुच्छेद 217 व 224** के तहत की जाती है।
- **अन्य कारक:**
    - निचली अदालतों में **न्यायिक पदों पर नियुक्ति की परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने में काफी समय** लगता है।
    - न्यायाधीशों को **कम वेतन** मिलता है और उन पर **कार्य बोझ भी अधिक** होता है। इस वजह से **प्रतिभाशाली वकील न्यायाधीश बनने के इच्छुक नहीं** होते हैं।

अदालतों में पद रिक्त रहने के प्रभाव

- **न्याय में देरी होना:** सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में क्रमशः **19,500 तथा 27 लाख से अधिक मामले लंबित** हैं।
    - **लंबित मामलों के अधिक होने के अन्य कारण हैं-** न्यायिक अवसंरचना में कमी, सुनवाई का बार-बार टलना, मामलों के निपटान के लिए समय-सीमा तय नहीं होना आदि।
- **देश की आबादी की तुलना में न्यायाधीशों का अनुपात कम होना:** इस वजह से न्यायिक अधिकारियों पर **कार्य का बहुत अधिक तनाव** रहता है। ऐसे में उनसे **गलतियां होने की आशंका** बनी रहती है।
    - 2002 में, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में एक निर्देश पारित किया गया था। इसके अनुसार 2007 तक, **ट्रायल कोर्ट में प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश** होने चाहिए।

आगे की राह

- **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) फ्रेमवर्क पर पुनर्विचार** करने की जरूरत है। इससे न्यायिक नियुक्तियों में संतुलन सुनिश्चित होगा। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही, दोनों सुनिश्चित हो सकती है।
- **अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS):** सिविल सेवकों की भर्ती के समान जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए **केंद्रीकृत भर्ती प्रक्रिया** अपनाई जा सकती है।
    - इससे न्यायपालिका में **अधिक प्रतिभाओं को आकर्षित करने में मदद** मिल सकती है। साथ ही, इससे **न्यायाधीशों की नियुक्ति में एकरूपता** भी सुनिश्चित होगी।
- न्यायालयों में **न्यायाधीशों की कुल संख्या की समय-समय पर समीक्षा** करनी चाहिए, आदि।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION SANDHAN
Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज

4.3.3. साक्षी संरक्षण योजना, 2018 {Witness Protection Scheme (WPS), 2018}

सुर्ख़ियों में क्यों?

"न्याय प्रणाली की आंख और कान" के रूप में साक्षी या गवाह के महत्व को रेखांकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने WPS, 2018 के क्रियान्वयन को लेकर चिंता जताई है।

साक्षी संरक्षण योजना (WPS), 2018 के बारे में

- इसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित किया गया तथा इसे सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है।
- **उद्देश्य:** खतरे के आकलन के आधार पर साक्षी को सुरक्षा प्रदान करना। साथ ही, सुरक्षा संबंधी उपायों में साक्षी की सुरक्षा करना/ पहचान को बदलना, उसका नए स्थान पर पुनर्वास करना आदि शामिल हैं।
- **खतरे के आधार पर निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की जाती है:**
  - **श्रेणी A:** साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों को जान खतरा हो।
  - **श्रेणी B:** साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, सम्मान या संपत्ति पर खतरा हो।
  - **श्रेणी C:** जहां खतरे का स्तर मध्यम हो।
- यह राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के अधीन **गृह विभाग/ मंत्रालय द्वारा संचालित राज्य साक्षी संरक्षण निधि** का भी प्रावधान करती है।

क्रियान्वयन में क्या चिंताएँ हैं?

- **खराब क्रियान्वयन:** सीमित संसाधनों (वित्त पोषण और बुनियादी ढाँचे) के कारण कई राज्य विशेषकर निचली अदालतों में इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रहे हैं।
  - **नए आपराधिक कानून** सभी राज्य सरकारों को गवाह संरक्षण योजना को लागू करने का आदेश देते हैं।
- **संकीर्ण दायरा:** उच्च जोखिम वाले अन्य मामलों को छोड़कर गंभीर अपराधों के लिए सीमित सुरक्षा।
- **गवाहों को डराना-धमकाना:** हाई-प्रोफाइल मामलों में गवाहों को गंभीर धमकियों का सामना करना पड़ता है, जिससे गवाही का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
  - **गोपनीयता के मुद्दे:** कमजोर रिकॉर्ड प्रबंधन और पुरानी आईटी प्रणाली व्यक्तियों के ठिकाने को उजागर करने का जोखिम उठाती है।
- **स्थायी समाधान की आवश्यकता:** यह एक अस्थायी योजना है, इसके लिए एक मजबूत राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

जैसा कि **जेरेमी बेंथम** ने कहा, "गवाह न्याय की आंखें और कान हैं।" इस प्रकार, **बढ़ी हुई फंडिंग** और **बेहतर समन्वय** के माध्यम से गवाह संरक्षण योजना को मजबूत करके, देश में न्याय को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और निर्भीक परीक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है।

4.4. अनुच्छेद 142 (Article 142)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में, अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए उन विधेयकों को **स्वीकृत मानने का आदेश** दिया, जो **राज्यपाल के पास लंबित थे**।

अनुच्छेद 142 के बारे में

- **न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया:** सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करता है। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को **पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक डिक्री/ आदेश पारित करने का अधिकार** देता है।
- **संवैधानिक भूमिका:** इसका प्रावधान **असाधारण स्थिति में उपयोग** करने के लिए किया गया था। इस प्रावधान का उपयोग तब किया जा सकता है जब किसी विषय पर न्याय निर्णय करने में मौजूदा कानून मौन है या इसके लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं।
  - हालांकि, समय के साथ अनुच्छेद 142 एक शक्तिशाली साधन बनकर उभरा है, जिसका उपयोग अब केवल विशिष्ट मामलों में ही नहीं, बल्कि शासन, नीति और संस्थाओं द्वारा कार्य करने में विफलता से जुड़े विषयों में भी लगातार होने लगा है।

© Vision IAS

अनुच्छेद 142 के सकारात्मक प्रभाव	अनुच्छेद 142 से जुड़े मुद्दे
• **विधायी शून्यता वाले अत्यावश्यक मुद्दों का समाधान: भंवरी देवी और अन्य बनाम राजस्थान राज्य वाद (2002)** में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए **"विशाखा दिशा-निर्देश"** जारी किए थे। इसके परिणामस्वरूप, अंततः **"महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, निषेध और रोकथाम) अधिनियम[5], 2013"** बनाया गया था। ○ **अन्य उदाहरण,** ताजमहल की सफाई, विचाराधीन कैदियों की रिहाई और यूनियन कार्बाइड मामला। • **लोकतंत्र को मजबूत करना: के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) वाद (निजता से संबंधित)** में सुप्रीम कोर्ट ने **व्यक्तिगत निजता** की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। • **नियंत्रण और संतुलन प्रदान करता है:** 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध और मनमाने माने गए **218 कोयला ब्लॉक आवंटनों में से चार को छोड़कर सभी को रद्द** कर दिया था। • **नागरिक अधिकार और सामाजिक न्याय: विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा एवं अन्य वाद (2020)** में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटियों के सहदायिक/ समान उत्तराधिकार (Coparcener) संबंधी अधिकारों पर परस्पर विरोधी निर्णयों का समाधान किया था। • **समानता को बढ़ावा: सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पूनिया मामले में,** सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को **स्थायी कमीशन** देने का निर्णय दिया था।	• **परिभाषा में सब्जेक्टिविटी:** अनुच्छेद 142 न्यायालय को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करता है। साथ ही, "पूर्ण न्याय" पद के लिए एक मानक परिभाषा की अनुपस्थिति के कारण इसका मनमाने ढंग से उपयोग या दुरुपयोग हो सकता है। • **न्यायपालिका और विधायिका के बीच की सीमाओं को अस्पष्ट करता है:** कर्नाटक के फ्लोर टेस्ट (शक्ति परीक्षण) से संबंधित राजनीतिक संकट में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने न्यायपालिका और कार्यपालिका की सीमाओं को अस्पष्ट कर दिया था। इससे अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण संबंधी चिंताएं बढ़ गई थीं। **{एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)}** • **गैर-जवाबदेही:** अनुच्छेद 142 कार्यपालिका और विधायिका के विपरीत, **न्यायपालिका को उसके निर्णयों की जांच या उन्हें चुनौती देने से प्रतिरक्षा प्रदान** करता है। • **निरंतरता का अभाव: अनुच्छेद 142 के तहत असंगत कानूनी फैसले** व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए मुकदमेबाजी की योजना बनाने व कार्यवाहियों को जटिल बना सकते हैं। • **संघवाद को कमजोर करना:** तमिलनाडु मामले में, आलोचकों का तर्क है कि न्यायालय ने **संवैधानिक संघवाद** के सिद्धांत को दरकिनार करते हुए **राज्यपाल के संवैधानिक क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप** किया है।

आगे की राह

- **'पूर्ण न्याय' को परिभाषित करना:** 'पूर्ण न्याय' पद की अस्पष्टता का उपयोग मनमाने निर्णयों को उचित ठहराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- **संविधान पीठ को रेफर करना:** अनुच्छेद 142 को लागू करने वाले **सभी मामलों** को कम-से-कम पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए।
- **न्यायिक संयम को बढ़ावा देना:** सुप्रीम कोर्ट को नीति-निर्माण की भूमिका निभाने के बजाय केवल कानूनी अंतराल को भरने तक स्वयं को सीमित रखना चाहिए। यह दृष्टिकोण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण की संवैधानिक भावना के अनुकूल है।
- **शक्तियों के मनमाने उपयोग से बचना:** न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **अनुच्छेद 142 के तहत दिए गए निर्णय प्रासंगिक तथ्यों और विचारों पर आधारित हों।** उन्हें अपनी शक्ति के मनमाने उपयोग से बचना चाहिए।
- **एक विनियामक ढांचा स्थापित करना:** अनुच्छेद 142 के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालय के निर्णयों को जांच और जवाबदेही के अधीन लाया जाना चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 142 को लागू करने से पहले सभी संबंधित पक्षों को सुना जाए।

[5] The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act

4.5. ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalayas)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों के गठन की व्यवहार्यता पर चिंता जताई है। गौरतलब है कि **ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 द्वारा ग्राम न्यायालयों के गठन को अनिवार्य** किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकट की गई मुख्य चिंताएं

- **राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों का गठन अनिवार्य है या नहीं:** ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की **धारा 3** में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें ग्राम न्यायालयों का गठन कर सकती हैं। इसमें निश्चितता का अभाव है कि राज्य सरकार को ग्राम न्यायालयों का गठन करना ही होगा।
- **संसाधनों की कमी:** पहले से ही **मौजूदा न्यायालयों के लिए सीमित संसाधनों का सामना कर रही राज्य सरकारों** के लिए अतिरिक्त ग्राम न्यायालयों को वित्त-पोषित करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है।
- **उच्चतर न्यायपालिका पर कार्य बोझ का बढ़ना:** इन ग्राम न्यायालयों का प्राथमिक उद्देश्य जिला और सिविल अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम करना है। लेकिन इनकी अप्रभाविता से उच्चतर न्यायालयों पर बोझ बढ़ सकता है। इससे अंततः हाई कोर्ट्स पर अपील व रिट याचिकाओं का भी बोझ बढ़ेगा।

ग्राम न्यायालयों की मुख्य विशेषताएं

- **गठन:** इन्हें **जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या मध्यवर्ती स्तर पर निकटवर्ती पंचायतों के समूह** के लिए गठित किया जा सकता है।
  - राज्य सरकार, संबंधित हाई कोर्ट के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए **'न्यायाधिकारी' की नियुक्ति** करती है।
- **अधिकार क्षेत्र:** यह एक **मोबाइल कोर्ट** होगा, जिसके सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के अधिकार-क्षेत्र होंगे।
- **विवाद समाधान प्रक्रिया:** विवादों का समाधान सुलह-समझौते की सहायता से किया जाना चाहिए।
  - **सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुलहकारों (Conciliators) के रूप में नियुक्त** किया जा सकता है।
  - ये **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों** पर काम करते हैं। गौरतलब है कि **ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 से बाध्य नहीं** हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023** द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
- **महत्व: ग्राम न्यायालय** यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न होना पड़े।

ग्राम न्यायालयों के कार्यान्वयन की स्थिति

- प्रारंभिक लक्ष्य लगभग **2,500 ग्राम न्यायालयों** को गठित करने का था। हालांकि, इनमें से **500 से भी कम** गठित किए जा सके हैं तथा वर्तमान में पूरे भारत में केवल **314 ही कार्यरत** हैं।
- **महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान** जैसे राज्यों ने इनके गठन में प्रगति दिखाई है, जबकि **उत्तर प्रदेश व बिहार** सहित अन्य प्रमुख राज्यों में इनका कार्यान्वयन सीमित या लगभग शून्य रहा है।

ग्राम न्यायालयों को समर्थन देने वाली पहलें

- **ग्राम न्यायालय योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना)** के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को ग्राम न्यायालय गठित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

निष्कर्ष

संविधान के अनुच्छेद 39A की मूल भावना को संरक्षित रखने के लिए, ग्राम न्यायालयों को राजनीतिक इच्छाशक्ति, वित्त-पोषण और प्रशासनिक स्पष्टता के रूप में समर्थन प्रदान करना चाहिए, ताकि उनकी स्थापना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

4.6. भारत में अधिकरण प्रणाली (Tribunals in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की** संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान अधिकरणों से जुड़ी प्रमुख चिंताओं को रेखांकित किया जिनमें **कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़ी चिंताएं** शामिल हैं।

अधिकरण प्रणाली के बारे में

- अधिकरण (ट्रिब्यूनल) **अर्ध-न्यायिक निकाय** होते हैं जिन्हें **विशेष मामलों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए** स्थापित किया जाता है।

© Vision IAS

- **संवैधानिक स्थिति: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976** द्वारा संविधान में **भाग XIV-A** जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 323-A और 323-B सम्मिलित किए गए। इनमें अधिकरण से संबंधित प्रावधान हैं।
    - **अनुच्छेद 323-A** संसद को लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन (निपटान) के लिए **प्रशासनिक अधिकरणों (केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर) की स्थापना का अधिकार** देता है।
    - **अनुच्छेद 323-B** उन **विशिष्ट विषयों (जैसे- कराधान, भूमि सुधार, आदि)** की सूची प्रदान करता है, जिन पर संसद या राज्य विधान सभाएं कानून बनाकर अधिकरण स्थापित कर सकती हैं।

अधिकरणों से जुड़ी चिंताएं

- **कर्तव्य निर्वहन में स्वतंत्रता की कमी:** अधिकरण में नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका का अत्यधिक हस्तक्षेप और तकनीकी सदस्यों की उपस्थिति इनकी न्यायिक स्वतंत्रता को कम करती हैं।
- **लंबित मामलों की अधिक संख्या:** उदाहरण के लिए, 2021 तक केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में **7,312 मामले लंबित** थे, जबकि सशस्त्र बल अधिकरण में **18,829 मामले लंबित थे।**
- **अवसंरचना की कमी:** देश के कई अधिकरण मानव संसाधनों की कमी, रिक्तियों का लंबित रहना, और बदतर सेवा-प्रदायगी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
- **अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद:** स्थायी न्यायालयों और अधिकरणों के बीच मामलों के अधिकार-क्षेत्र को लेकर कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।
- **एकीकृत प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होना:** 16 से अधिक केंद्रीय अधिकरण हैं और ये अलग-अलग मंत्रालयों के अधीन कार्य करते हैं, जिससे समन्वय में बाधा आती है।

आगे की राह

- **अधिकरणों की कार्यप्रणाली में स्वतंत्रता यानी न्यायिक स्वतंत्रता प्रदान करना:** अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समितियों में न्यायविदों का बहुमत होना चाहिए और अधिकरणों के सदस्यों को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रखना चाहिए।
- **राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC) नामक स्वतंत्र निकाय की स्थापना:** भारत में सभी अधिकरणों के प्रशासन के लिए एक स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता है {**एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) मामले में सिफारिश** की गई थी}।
- **समय पर नियुक्तियां और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना:** सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकरणों में नियुक्त करना चाहिए।

4.7. वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र: एक नज़र में (Alternate Dispute Resolution at a glance)

वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR)

ADR एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत **न्यायालय के बाहर विवादों का समाधान और निपटान** किया जाता है। इसके तहत सिविल, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि सभी तरह के मामलों को शामिल किया जाता है।

ADR के प्रकार

माध्यस्थम् (Arbitration): एक तटस्थ मध्यस्थ न्यायालय के बाहर बाध्यकारी निर्णय देता है। उदाहरण के लिए-
- माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत **भारतीय माध्यस्थम् परिषद।**
- संस्थागत माध्यस्थम् की सुविधा के लिए NDIAC अधिनियम, 2019 के तहत **नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (NDIAC)।**

मध्यस्थता (Mediation): मध्यस्थ पक्षों को **स्वैच्छिक समझौते** तक पहुँचने में मदद करने के लिए **बातचीत की सुविधा** प्रदान करता है।
- **मध्यस्थता अधिनियम, 2023** एक संस्थागत कानूनी ढांचा स्थापित करता है।

सुलह (Conciliation): एक मध्यस्थ बिना किसी बाध्यकारी निर्णय के विवादों को सुलझाने में **पक्षों की सक्रिय रूप से सहायता** करता है।
- मध्यस्थता अधिनियम, 2023 में सुलह के लिए भी प्रावधान शामिल किए गए हैं।

समझौता (Negotiation): पक्षकार **तीसरे पक्ष की भागीदारी के बिना सीधे विवाद** को निपटाने में संलग्न होते हैं।

लोक अदालत: कानूनी समर्थन के साथ विवादों के शीघ्र, सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए **एक वैधानिक मंच।**

ADR का महत्व

न्यायपालिका पर बोझ में कमी: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2025 के अनुसार, देश में न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ से अधिक हो चुकी है।

किफायती और शीघ्र न्याय: मध्यस्थता से महंगे कानूनी शुल्क, अदालत के खर्च और लंबी कानूनी प्रक्रिया में लगने वाले समय की बचत होती है।

सहकारी समस्या समाधान: इसमें एक तटस्थ तीसरा पक्ष बिना किसी का पक्ष लिए, संवाद को प्रोत्साहित करता है और समाधान तक पहुंचने में मदद करता है।

मध्यस्थता प्रणाली से संबंधित मुद्दे

विविधता का अभाव: मध्यस्थ नियुक्तियों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का वर्चस्व है।

विश्वास की कमी: तीसरे पक्ष की निष्पक्षता को लेकर चिंताएं बनी रहती हैं।

गलती होने का जोखिम: अनौपचारिक व बाध्यकारी प्रकृति गलत निर्णयों को जन्म दे सकती है।

न्यायालय पर कार्य बोझ लगातार बने रहना: ऐसे कई निर्णयों को चुनौती दी जाती है, जिससे मध्यस्थता का मूल उद्देश्य कमजोर हो जाता है।
- हाल ही में, **गायत्री बालासामी बनाम ISG नोवासॉफ्ट मामले** में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालयों के निर्णयों को संशोधित करने की शक्ति को सीमित कर दिया (उदाहरण के लिए- केवल लिपिकीय त्रुटि के मामले में, अनुच्छेद 142 के तहत आदि)।

आगे की राह

मध्यस्थ पूल का विस्तार करना: ACI के माध्यम से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की बजाये पेशेवरों को प्रशिक्षित करना चाहिए और मान्यता देनी चाहिए।

पारदर्शिता सुनिश्चित करना: उदाहरण के लिए- मध्यस्थों की संबद्धता का खुलासा करना।

मुकदमेबाजी स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देना: चंडीगढ़ स्थित एक आईटी स्टार्ट-अप ने विविध ADR तंत्रों के माध्यम से वाणिज्यिक और सिविल मामलों को निपटाने के लिए एक ऑनलाइन निजी डिजिटल कोर्ट 'ज्यूपिटिस' शुरू किया है।

त्वरित प्रवर्तन: समर्पित हाई कोर्ट्स की पीठें गठित करनी चाहिए और सारांश प्रवर्तन की अनुमति देनी चाहिए।

अन्य उपाय: अवधि/शुल्क को सीमित करना चाहिए, क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने चाहिए और MSME क्षेत्रक में जागरुकता बढ़ानी चाहिए।

© Vision IAS

4.7.1. माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2024 का मसौदा (Draft Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2024)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने **माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 यानी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट, 1996** में संशोधन करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2024 के ड्राफ्ट पर लोगों से सुझाव मांगा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस संशोधन का उद्देश्य **संस्थागत आर्बिट्रेशन को बढ़ावा देना, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में न्यायालय के हस्तक्षेप को कम करना और इससे जुड़ी कार्यवाहियों का समय पर समापन सुनिश्चित** करना है।

माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2024 के मसौदे की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र:

- **'सुलह यानी कॉन्सिलिएशन' शब्द को हटा दिया गया है:** संशोधित अधिनियम को अब **आर्बिट्रेशन एक्ट, 1996** कहा जाएगा, क्योंकि कॉन्सिलिएशन से संबंधित प्रावधानों को **मीडिएशन एक्ट (मध्यस्थता अधिनियम), 2023** में शामिल कर लिया गया है।
- **तत्काल आवश्यकता पड़ने पर आर्बिट्रेटर्स की नियुक्ति:** कई बार आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के गठन में देरी होती है। ऐसे में देरी से बचने के लिए यह प्रावधान किया गया है।
- **संस्थागत फोकस:** इसमें दक्षता को बढ़ावा देने हेतु **एड हॉक अरेंजमेंट्स** की तुलना में **संस्थागत आर्बिट्रेशन** पर फोकस किया गया है।
- **आर्बिट्रेशन कॉउंसिल ऑफ इंडिया (ACI): आर्बिट्रेशन से संबंधित** कार्यवाहियों के लिए मॉडल नियम बनाने और आर्बिट्रेशन से जुड़े संस्थानों को मान्यता देने का अधिकार ACI को सौंपा गया है।
- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आर्बिट्रेशन की अनुमति दी गई है।
- **अपीलीय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की स्थापना:** इसे आर्बिट्रेशन से जुड़े निर्णयों के विरुद्ध आवेदनों पर विचार करने हेतु स्थापित किया जाएगा।

4.8. सरकार से जुड़े मुकदमे (Government Litigation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने केंद्र सरकार से जुड़े मुकदमों को कम करने के लिए निर्देश जारी किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- **'भारत सरकार द्वारा मुकदमेबाजी के कुशल और प्रभावी प्रबंधन के लिए निर्देश'** सुशासन, लोक कल्याण एवं समय पर न्याय प्रदान करने की दिशा में एक एकीकृत दृष्टिकोण है।
- **उद्देश्य:** यह निर्देश **"मानक परिचालन प्रक्रिया" (SOP)** की तरह कार्य करेगा, ताकि सरकार से जुड़े मुकदमों का सही से प्रबंधन हो सके।
- **लागू होना:** केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग, उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय, स्वायत्त निकाय तथा CPSEs के मध्यस्थता मामलों पर भी।
  - **राज्य सरकारें** भी इस निर्देश को अपनाने पर विचार कर सकती हैं।
- 70% सरकारी मुकदमें निरर्थक होते हैं और अदालतों के बोझ को कम करने के लिए इनकी संख्या कम की जा सकती है।

सरकार से जुड़े मुकदमों के प्रबंधन में चुनौतियां

- **क़ानूनी प्रावधान की संकीर्ण व्याख्या:** कानून की संकीर्ण व्याख्या शिकायतों को मुकदमों में तब्दील करने हेतु प्राथमिक कारक के रूप में कार्य करती है।
- **मुकदमों की अधिकता:** उदाहरण के लिए- केंद्र सरकार अलग-अलग न्यायालयों में लंबित लगभग 700,000 मामलों में एक पक्षकार है।
- **क्षमता की कमी:** संसाधनों की कमी के कारण मंत्रालयों की संबंधित मुकदमों का प्रबंधन करने की क्षमता सीमित है। **उदाहरण के लिए-** अधिकांश मंत्रालयों में विधि प्रकोष्ठ नहीं हैं।
- **प्रक्रियागत अनिवार्यताओं की पूर्ति न करना:** उदाहरण के लिए- फॉर्म, शपथ-पत्र आदि का अनुचित या अपूर्ण प्रस्तुतीकरण।

मुकदमों के प्रबंधन के लिए निर्देश

- **क्षमता को मजबूत करना:** प्रत्येक मंत्रालय में **कानूनी विशेषज्ञता वाले नोडल अधिकारी** की नियुक्ति करनी चाहिए।
  - इसके अलावा, **मुकदमेबाजी से संबंधित पाठ्यक्रम को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म** पर उपलब्ध कराया जाएगा।

- **शिकायत निवारण तंत्र:** मंत्रालयों द्वारा **तिमाही आधार पर शिकायत निवारण की समीक्षा** करनी चाहिए तथा एकत्रित आंकड़ों के माध्यम से रुझानों का विश्लेषण करना चाहिए।
  - **उदाहरण के लिए-** डाक विभाग सर्किल स्तर पर **हर छह माह में "स्टॉफ अदालत"** आयोजित करता है।
- **सरकारी मध्यस्थता पोर्टल की स्थापना: उदाहरण के लिए-** नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड की तरह एक पोर्टल बनाया जाना चाहिए, ताकि मध्यस्थता से जुड़े डेटा को एकत्र किया जा सके।

निष्कर्ष

न्यायालयों पर बोझ को कम करने, समय पर न्याय सुनिश्चित करने और न्यायपालिका पर नागरिकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए मुकदमों का प्रभावी तरीके से प्रबंधन करना आवश्यक है।

4.9. न्यायपालिका और कानून लागू करने में AI की भूमिका (Role of AI in Judiciary and Law Enforcement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मशीन लर्निंग (ML), नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP), ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (OCR), प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)-संचालित तकनीकों का उपयोग **न्यायिक प्रक्रियाओं, कानूनी शोध और कानून को लागू करने में AI को एकीकृत करने** के लिए किया जा रहा है।

न्यायपालिका के कार्यों में और कानून को लागू करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका

न्यायपालिका का आधुनिकीकरण	• AI न्यायिक कार्यों की दक्षता बढ़ाता है और डिजिटल तकनीक को अपनाने में तेजी लाता है। • **ई-कोर्ट के तीसरे चरण** में स्वचालित केस प्रबंधन, कानूनी अनुसंधान, देरी/ स्थगन का पूर्वानुमान, केस के बारे में पूर्व विश्लेषण, आदि में AI सहायक सिद्ध हो सकता है। ○ उदाहरण के लिए, **SUPACE (सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी)** पोर्टल केस फाइलिंग से संबंधित व्यापक डेटा का विश्लेषण करने में मदद करता है।
कानूनी विषयों का अनुवाद और इनका सभी तक पहुंच सुनिश्चित कराना	• **SUVAS (सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर)** जैसे AI आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट के 31,000 से अधिक निर्णयों का 16 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। • **e-SCR पोर्टल** AI द्वारा अनुवाद किए गए निर्णयों तक पहुंच प्रदान करता है।
कानून लागू करना एवं अपराध की रोकथाम	• **प्रेडिक्टिव पुलिसिंग में AI:** अपराध पैटर्न को समझने, अधिक अपराध वाले आशंकित क्षेत्रों का पूर्वानुमान, अपराधियों के व्यवहार का विश्लेषण करने में सहायक है। • **AI-संचालित सर्विलांस:** अपराध स्थल की निगरानी के लिए स्वचालित ड्रोन, डेटाबेस से अपराधियों के चेहरे की पहचान। ○ **उदाहरण के लिए, NCRB** द्वारा **NAFRS (नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकग्निशन सिस्टम)** और **ABHED (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ह्यूमन इफेस डिटेक्शन) एप्लीकेशन** शुरू की गयी, जिसका उपयोग राजस्थान और पंजाब पुलिस द्वारा किया जा रहा है। • **डिजिटल साक्ष्य और अपराध के लक्षणों का पता लगाने में** AI-आधारित फोरेंसिक विश्लेषण। • **वॉइस-रिकग्निशन सिस्टम जैसे नए टूल की मदद से FIR फाइल करना** और **ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) की मदद से क्राइम-सीन का पुनर्निर्माण।** • अपराध की बेहतर ट्रैकिंग और जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए CCTNS, ई-जेल और ई-फोरेंसिक जैसी **राष्ट्रीय प्रणालियों के साथ** AI को एकीकृत करना।

न्यायपालिका में और कानून-प्रवर्तन में AI को अपनाने की चुनौतियां और प्रभाव

- **डेटा की गुणवत्ता और एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह:** खराब, एकाकी या पूर्वाग्रह युक्त डेटा के कारण अप्रत्याशित और अनुचित AI रिजल्ट प्राप्त होते हैं, जिससे इन तकनीकों पर भरोसा कम होता है। **उदाहरण के लिए,** पश्चिमी देशों में अश्वेत लोगों और महिलाओं के प्रति AI रिजल्ट्स में पूर्वाग्रह (भेदभाव) देखा गया है।

- इसके अलावा, दूरदराज के क्षेत्रों में **वंचितों और गरीब समुदायों को डिजिटल व्यवस्था से नहीं जोड़ने के कारण** डिजिटल डिवाइड (डिजिटल अवसंरचना और डिजिटल साक्षरता की कमी) और बढ़ेगा जिससे **डिजिटल माध्यमों में उनके साथ भेदभाव और बढ़ेगा।**

- **पारदर्शिता:** अपारदर्शी AI मॉडल (ब्लैक बॉक्स जो बिना किसी स्पष्ट तर्क वाले एल्गोरिदम हैं) न्यायिक और पुलिसिंग निर्णयों में कानूनी रूप से विफल साबित होते हैं और इनसे जनता का विश्वास कम होता है।
- **नैतिकता, कानून व निजता के उल्लंघन से संबंधित चिंताएं:** जवाबदेही की कमी, निजता के अधिकार का उल्लंघन और अस्पष्ट कानून खतरों को बढ़ाते हैं तथा जांच और निर्णय में देरी का कारण बनते हैं।
- **क्षमता और विरोध:** विशेषज्ञता की कमी, पर्याप्त वित्तपोषण का अभाव तथा नौकरी छूटने का डर या इन पर अविश्वास की वजह से AI मॉडल के अपनाने की दर धीमी है।

निष्कर्ष

विशेष रूप से डेटा की सुरक्षा और नैतिकता आधारित गवर्नेंस से जुड़ी चिंताओं और कानूनी व्यवस्था के अनुकूल बनाने की दृष्टि से देखा जाए तो तो AI को अपनाना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। हालांकि यह भी सही है कि इस तकनीक को अपनाने से भारत की न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाया जा सकता है। विधि और न्याय में AI का भविष्य वास्तव में **AI-संचालित कानूनी अनुसंधान, ब्लॉकचेन तकनीक की मदद से केस रिकॉर्ड की सुरक्षा, AI एनालिटिक्स के माध्यम से न्यायिक पारदर्शिता** और **कानून को लागू करने हेतु साइबर सुरक्षा** बढ़ाने में इसकी भूमिका से तय होगा।

4.10. मुख्य शब्दावलियां (Key Words)

मुख्य शब्दावलियां				
औपनिवेशिक विरासत	कम दोषसिद्धि दर	डिटरेन्स	दंडात्मक	प्रतिपूर्ति
फोरेंसिक जांच	तकनीक अपनाना	अभ्यस्त अपराधी	इन-हाउस व्यवस्था	न्याय में देरी
न्यायिक संयम	पूर्ण न्याय	अधिकार-क्षेत्र को लेकर विवाद	अलग-अलग प्रशासनिक नियंत्रण	क्षमता संबंधी बाधाएं
संकीर्ण व्याख्या	नैतिकता आधारित शासन	विनियामक व्यवस्था	न्यायिक निरीक्षण	

4.11. अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

उत्तर लेखन प्रारूप

भारत में कारागार सुधारों की आवश्यकता की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। कारागारों को अधिक समावेशी, मानवीय और पुनर्वासोन्मुख बनाने के उद्देश्य से हालिया विधायी और नीतिगत पहलों पर चर्चा कीजिए।

भूमिका	मुख्य भाग 1	मुख्य भाग 2	निष्कर्ष
हालिया संदर्भ	कारागार सुधारों की आवश्यकता क्यों?	हालिया विधायी और नीतिगत पहलें	आगे की राह

Vision Publication
Igniting Passion for Knowledge..!
Scan the QR code to explore our collection and start your journey towards success.

5. भारत में चुनाव (Elections in India)

5.1. चुनाव सुधार: एक नज़र में (Electoral Reforms at a glance)

चुनाव सुधार

चुनाव वस्तुतः प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र में जनता की स्वतंत्र इच्छा के माध्यम से **नियमित अंतराल पर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण** करने के लिए चुनने हेतु संचालित की जाने वाली मतदान की प्रक्रिया है।

लोकतंत्र में चुनावों की भूमिका

जवाबदेही सुनिश्चित करना	भागीदारी बढ़ाना	राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना	स्व-सुधारात्मक तंत्र की तरह कार्य करना	एकीकरण को बढ़ावा देना	लोकतांत्रिक स्वामित्व को प्रोत्साहित करना
उत्तरदायी और जवाबदेह सरकार का गठन करना।	शासन में राजनीतिक दलों और नागरिकों को शामिल करना।	राष्ट्रवाद और देशभक्ति के प्रतीकों को महत्त्व प्रदान करना।	सत्ताधारी दलों पर नियंत्रण रखना; और जनता की मांगों पर विचार करना।	नागरिकों को एक-दूसरे के साथ जोड़ना; तथा राजनीतिक एकीकरण को सुगम बनाना	समर्थन या असहमति की अभिव्यक्ति को सक्षम बनाना, लोकतांत्रिक संस्कृति को मजबूत करना आदि।

भारत में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे

चुनावों का वित्त-पोषण	सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग	राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण	राजनीतिक दलों द्वारा डमी उम्मीदवार उतारना	सोशल मीडिया का प्रभाव

चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए किए गए सुधार

पारदर्शिता	मतदाताओं की भागीदारी	प्रौद्योगिकियों का उपयोग	सभी को एक समान अवसर प्रदान करना
आय के स्रोतों का अनिवार्य रूप से खुलासा करना।	मतदान की न्यूनतम आयु कम की गई है; डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी गई है; चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 पारित किया गया है, मतदाता पहचान-पत्र को आधार के साथ लिंक किया गया है आदि।	इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM), नोटा (NOTA) का विकल्प उपलब्ध है।	आदर्श आचार संहिता, चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, निर्धारित समय तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाना आदि।

5.1.1. राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र (Internal Democracy in Political Parties)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत में राजनीतिक दलों के भीतर लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को लागू करने में **भारत निर्वाचन आयोग (ECI)** की भूमिका पर बहस जारी है।

दलों में आंतरिक लोकतंत्र क्या अर्थ है?

- राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की अवधारणा में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन कर राजनीतिक दल की **आंतरिक व्यवस्था, संरचना और समन्वय** को प्रबंधित किया जाता है। इसका सीधा संबंध इस व्यवस्था से है कि उस पार्टी में **उम्मीदवारों का चयन कैसे किया जाता है, नेता कैसे उभरते हैं, नीतियां कैसे बनाई जाती हैं और फंडिंग कैसे प्राप्त की जाती है।**

राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है?

- **विकेंद्रीकरण:** यह राजनीतिक दल के शीर्ष-स्तरीय नेताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले **केंद्रीकृत विवेकाधीन नियंत्रण को सीमित** करता है। साथ ही, यह अलग-अलग स्तरों पर **दलों के अधिक से अधिक हितधारकों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में योगदान करने का अवसर** प्रदान करता है।

- **अपराधीकरण को रोकना:** यह धन और बाहुबल से प्रेरित "चुनाव जीतने की क्षमता" के आधार पर उम्मीदवार के चयन की **प्रणालीगत समस्या का समाधान** करता है।
  - एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के विश्लेषण के अनुसार, नवनिर्वाचित लोक सभा सदस्यों में से **46% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं।**
- **प्रतिनिधित्व:** यह नागरिकों को राजनीति में भाग लेने और चुनाव लड़ने का समान राजनीतिक अवसर प्रदान करता है।
- **युवाओं की भागीदारी:** इससे नई प्रतिभाओं को अवसर मिलता है और शीर्ष नेताओं के प्रभाव में कमी आती है।
- **भ्रष्टाचार में कमी:** प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की 2008 की **'नैतिकता और अभिशासन' रिपोर्ट** में कहा गया है कि अधिक केंद्रीकरण के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।
- **पारदर्शिता और सूचना का मुक्त प्रवाह:** जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लिखी गई पुस्तक **"ऑन लिबर्टी"** (1859) में **"विचार और चर्चा की स्वतंत्रता" के "पूर्ण"** संरक्षण पर तर्क प्रस्तुत किया गया है।

राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी के लिए उत्तरदायी कारण

- **कानूनी समर्थन का अभाव:** राजनीतिक दलों के पंजीकरण का एकमात्र प्रावधान **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 29A** के तहत किया गया है। यह ECI में राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है।
  - इसके अलावा, **धारा 29A** के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए **ECI के दिशा-निर्देश और आवेदन प्रारूप में केवल आंतरिक जवाबदेही के लिए प्रावधान** निर्धारित किए गए हैं। इसमें **उम्मीदवार के चयन के लिए कोई प्रावधान नहीं** है।
- **दंडात्मक प्रावधानों का अभाव: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (I) बनाम इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल वेलफेयर** मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, वर्तमान में **ECI को किसी भी दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं** है।
- **संरचनात्मक चुनौतियां:** वंशवादी राजनीति का प्रचलन; केंद्रीकृत सत्तावादी संरचनाएं; 1985 का दलबदल-रोधी कानून (संविधान का 52वां संशोधन) जिसमें पार्टी लाइन (दल की विचारधारा व नीतियों) का सख्ती से पालन करने की अनिवार्यता है; आदि।
- **अन्य मुद्दे:** राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव, कमजोर संगठनात्मक ढांचा, आदि।

आगे की राह

- **पारदर्शिता:** चुनाव सुधारों से संबंधित सरकार द्वारा गठित कई समितियों जैसे **तारकुंडे समिति (1975), दिनेश गोस्वामी समिति (1990) और इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998)** ने देश में राजनीतिक दलों के कार्यों में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया है।
- **"चुनाव सुधार" पर विधि आयोग की सिफारिशें (255वीं रिपोर्ट) को अपनाना:**
  - **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में नया अध्याय IVC:** इसमें आंतरिक लोकतंत्र, दलीय संविधान, दलीय संगठन, आंतरिक चुनाव, उम्मीदवार के चयन, मतदान प्रक्रिया और गैर-अनुपालन के कुछ मामलों सहित किसी दल का पंजीकरण रद्द करने की चुनाव आयोग की शक्ति से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- **संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC):**
  - भारत में राजनीतिक दलों या दलों के गठबंधनों के पंजीकरण और कार्यप्रणाली को विनियमित करने के लिए **राजनीतिक दल (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम** जैसा व्यापक कानून बनाने की सिफारिश की गई है।

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026
▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
DELHI :15 जुलाई, 2 PM | JAIPUR : 24 जून | JODHPUR : 2 जुलाई | प्रवेश प्रारम्भ BHOPAL | LUCKNOW
Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.
/visionias.upsc /c/VisionIASdelhi /c/VisionIASdelhi /t.me/s/VisionIAS_UPSC

5.1.2. राजनीति का अपराधीकरण: एक नज़र में (Criminalisation of Politics at a glance)

राजनीति का अपराधीकरण

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट, 'शासन में नैतिकता' में "चुनावी प्रक्रिया में अपराधियों की भागीदारी" को राजनीति का अपराधीकरण कहा है।

राजनीति के अपराधीकरण के कारण

उम्मीदवारों की जीत की संभावना	आपराधिक मामलों में दोष-सिद्ध होने में देरी	कानून में कमियां	चुनाव आयोग की सीमित शक्तियां
आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों के **जीतने की संभावना 15.4%** होती है, जबकि अन्य उम्मीदवारों के जीतने की संभावना केवल 4.4% होती है (ADR)	2023 में सुप्रीम कोर्ट में राजनेताओं के खिलाफ अलग-अलग अपराधों से संबंधित लगभग 5,000 मामले लंबित थे।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 केवल दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकता है, आरोपी राजनेताओं को नहीं।	चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत कर सकता है, लेकिन वह उसका पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता।

प्रभाव

भ्रष्टाचार और विश्वास की कमी (भ्रष्टाचार सूचकांक, 2024 में भारत 96वें स्थान पर है।)	राजनीतिक दलों में अपराधियों का प्रभुत्व होता है, जिससे **दलों के भीतर लोकतंत्र कमजोर** होता है	राजनीतिक-आपराधिक गठजोड़ जांच/ अभियोजन को कमजोर करता है (उदाहरण के लिए- सुप्रीम कोर्ट ने **CBI** को "पिंजरे में बंद तोता" की संज्ञा दी थी)	सांसदों के खिलाफ 5,097 मामले लंबित होने के कारण **दोषसिद्धि दर कम है** (SC एमिकस, 2022)।	धनबल और बाहुबल को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करने से **सामाजिक कल्याण** पर असर पड़ता है। साथ ही, **हिंसा और सामाजिक असामंजस्य की संस्कृति** को बढ़ावा मिलता है

उठाए गए कदम

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951: धारा 8(3) के तहत 2 वर्ष से अधिक की सजा पाने वाले सांसदों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है (अनुच्छेद 102 और 191)।	**ECI वेब पोर्टल:** राजनीतिक दलों के वित्त-पोषण का ऑनलाइन विवरण प्रस्तुत करने के लिए शुरू किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय

ADR वाद (2002): मतदाताओं को उम्मीदवार की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार है।	**PUCL वाद (2004):** धारा 33B को रद्द कर दिया गया और पूर्ण प्रकटीकरण को बरकरार रखा गया।	**लिली थॉमस वाद (2013):** RPA, 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक माना गया; दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले सांसद या विधायक की सदस्यता तुरंत समाप्त।

5.2. फ्रीबीज़/ मुफ्त सुविधाएं (Freebies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्न उठाया कि क्या मुफ्त सुविधाएं (फ्रीबीज़) गरीबों में परजीवी मानसिकता को बढ़ावा दे रही हैं और उनमें कार्य करने की इच्छा को हतोत्साहित कर रही हैं।

मुफ्त सुविधाओं (Freebies) का अर्थ क्या है?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) फ्रीबीज़ को इस प्रकार से परिभाषित करता है: **"ये ऐसी सार्वजनिक कल्याणकारी सेवाएं होती हैं, जिनके लिए नागरिकों को कोई शुल्क नहीं देना होता है।"**

- आमतौर पर राजनीतिक दल चुनावों के दौरान ऐसी सेवाओं का वादा करते हैं।
- हाल में कई विशेषज्ञ मानने लगे हैं कि **लोक-कल्याणवाद** (वेलफेरिज्म) **और मुफ्त सुविधाएं (फ्रीबीज) एक-दूसरे के पर्याय** बन गए हैं।

लोक कल्याण बनाम मुफ्त सुविधाएं

- **लोक कल्याण:** यह संविधान में "राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों" में निहित है। इसमें लोगों को खाद्य सुरक्षा (जैसे- PDS), नौकरियां (जैसे- मनरेगा), जैसी जरूरी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रयास शामिल हैं। इससे मानव पूंजी का निर्माण होता है।
- **मुफ्त सुविधाएं:** सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, अल्पकालिक मुफ्त वादों में स्थिरता का अभाव होता है। मुफ्त बिजली, पानी या ऋण माफी जैसी योजनाएं बाज़ारों को विकृत करती हैं, और लोगों को काम करने के प्रति उदासीन बना सकती हैं।

लोक कल्याण के विभिन्न दृष्टिकोण

दान आधारित दृष्टिकोण	आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण	अधिकार-आधारित दृष्टिकोण
इसमें इनपुट पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, न कि परिणाम पर।	इसके तहत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनपुट और परिणाम, दोनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।	अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया और परिणाम, दोनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
गरीबों के प्रति संपन्न वर्गों की नैतिक जिम्मेदारी की पहचान करता है।	आवश्यकताओं को वैध दावों के रूप में मान्यता दी जाती है।	अधिकारों को ऐसे दावों के रूप में देखा जाता है, जिनकी पूर्ति कानूनी और नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों को करनी चाहिए।
व्यक्तियों को पीड़ित के रूप में देखा जाता है।	व्यक्तियों को विकास संबंधी हस्तक्षेप के लिए एक साधन माना जाता है।	व्यक्तियों और समूहों को अपने अधिकारों का दावा करने का अधिकार दिया जाता है।
यह समस्याओं की अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है।	इसके तहत समस्याओं के तात्कालिक कारणों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।	यह उन मूलभूत संरचनात्मक कारणों और उनके प्रत्यक्ष प्रभावों की पड़ताल करता है जो अधिकारों को प्रभावित करते हैं।

संवैधानिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य

- **राज्य की नीति के निदेशक तत्व (DPSP): अनुच्छेद 38, 39, 41** कल्याण को बढ़ावा देने, सभी के लिए आजीविका सुनिश्चित करने, धन के संकेन्द्रण को रोकने आदि में राज्य की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं।
- **चुनाव आयोग:** चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से अपील करता है कि वे अपने चुनावी वादों में पारदर्शिता बरतें और मुफ्त उपहारों या सुविधाओं के लिए वित्तीय स्रोतों का स्पष्ट खुलासा करें।

फ्रीबीज़/ मुफ्त सुविधाओं से संबंधित न्यायिक निर्णय

- **सुब्रमण्यम बालाजी वाद (2013):** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि पात्र लाभार्थियों को **"रंगीन टीवी, लैपटॉप जैसी नागरिक सुविधाओं का वितरण राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के तहत** किया जा सकता है।"
- **अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ (विचाराधीन वाद):** सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त सुविधाएं देने को चुनौती देने संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

फ्रीबीज़/ मुफ्त सुविधाओं के प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव	नकारात्मक प्रभाव
बुनियादी जरूरतों की पूर्ति: भोजन एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, आवास, आदि।	**वित्तीय बोझ:** इससे सरकारी बजट पर दबाव बढ़ता है, तथा अवसंरचना विकास पर खर्च में कमी आती है, आदि।
लैंगिक असमानताओं को कम करते हैं: मध्याह्न भोजन, मुफ्त साइकिल आदि ने स्कूलों में नामांकन दर को बढ़ावा दिया है।	**निर्भरता की संस्कृति:** इससे उत्पादकता में कमी आ सकती है।
समावेशन: विविध सेवाओं के माध्यम से वित्तीय बाधाओं को हटाना है।	**सतत विकास पर प्रभाव:** उदाहरण के लिए- भविष्य की पीढ़ियों पर बोझ बढ़ सकता है।

राजनीतिक भागीदारी: चुनावी भागीदारी बढ़ा सकती हैं और अधिक प्रतिनिधिक लोकतंत्र को बढ़ावा देती हैं।	**मुफ्त सुविधाओं की राजनीति:** इनका इस्तेमाल सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने की बजाय वोट हासिल करने के लिए लोकलुभावन उपायों के रूप में किया जा सकता है।
कम रोजगार और अंतर-पीढ़ीगत मोबिलिटी में कमी से निपटने में मदद करती हैं।	**बाजार को कमजोर करना:** फ्रीबीज़ के कारण निवेश के लिए उपलब्ध संसाधनों का अन्य जगहों पर इस्तेमाल होता है। इस प्रकार विनिर्माण क्षेत्रक की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

मुफ्त सुविधाओं की परिपाटी से निटपने के लिए किए जा सकने योग्य आवश्यक उपाय

- **नीतिगत सुधार:** वित्तीय अनुशासन, लीकेज को रोकना, बीमा कवरेज का विस्तार और राजनीतिक सहमति बनाना।
- **चुनाव आयोग की भूमिका:** यह चुनावी घोषणा-पत्रों को विनियमित करके पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकता है।
- **कौशल विकास:** व्यक्तिगत सशक्तीकरण से लोगों की मुफ्त सुविधाओं पर निर्भरता को कम किया जा सकता है।
- **न्यायिक हस्तक्षेप:** नीति आयोग, RBI एवं वित्त आयोग के विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जा सकती है, जो मुफ्त सुविधाओं के प्रभाव का आकलन करे।
- **वैश्विक उदाहरणों से सीखना:**
    - **श्रीलंका (2019):** चुनावी वादे के तहत की गई कर कटौती से राजस्व का भारी नुकसान हुआ था, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था।
    - **वेनेजुएला:** मुफ्त सुविधाओं के रूप में लोकलुभावन नीतियों और ऋण माफी योजनाओं ने अर्थव्यवस्था को गंभीर संकट में डाल दिया था।

निष्कर्ष

अमर्त्य सेन की **"कैपेबिलिटी एप्रोच"** का अनुसरण करते हुए सरकारों को अल्पकालिक मुफ्त सुविधाओं की बजाय मानव कौशल को बढ़ावा देने वाली दीर्घकालिक योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे बढ़-चढ़कर घोषणाएं करने की होड़ और वित्तीय संकट (जैसा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन. के. सिंह ने चेतावनी दी थी) को रोका जा सकता है।

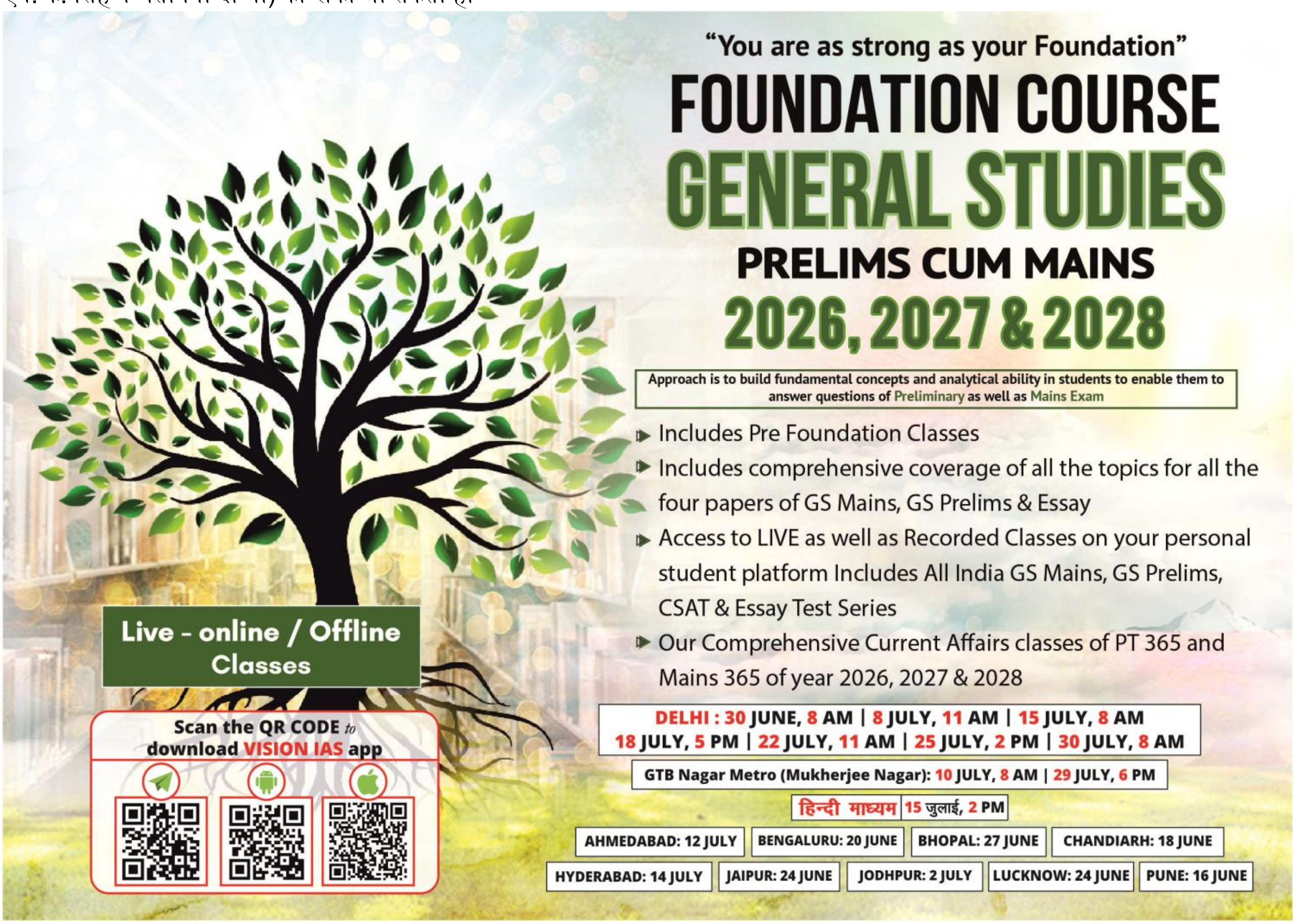

5.3. भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India: ECI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाया। ECI की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को हुई थी।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के बारे में

- **परिचय:** ECI एक **स्थायी संवैधानिक निकाय** है।
  - **अनुच्छेद 324** के तहत **संसद व राज्य विधान-मंडल के चुनावों के साथ-साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति** के पदों के लिए होने वाले चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति भारत निर्वाचन आयोग को प्रदान की गई है।
- **संरचना:** एक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्त (ECs) जिनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। वर्तमान में, भारत निर्वाचन आयोग में **एक CEC और दो ECs** हैं।
- **नियुक्ति: राष्ट्रपति** भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं।
  - हाल ही में, पहली बार '**मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023'** के तहत एक नए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति की गई है। यह अधिनियम निम्नलिखित आधार पर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है:
    - **CEC और ECs को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान दर्जा, वेतन और भत्ते प्रदान किए गए हैं।**
    - **पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उन पर सिविल या आपराधिक मुकदमा चलाने से छूट प्रदान की गई है।**
    - CEC और ECs के लिए **निश्चित कार्यकाल तय** की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की प्रमुख उपलब्धियां

- **चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित करवाना:** अब तक **18 लोक सभा** चुनाव और **400** से **अधिक राज्य विधान सभा चुनावों का सफल आयोजन** किया गया है।
- **मतदाता पंजीकरण: 100 करोड़ मतदाताओं** के पंजीकरण का लक्ष्य हासिल करना भारतीय लोकतंत्र की एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है।
- **पंजीकृत मतदाताओं के लिंगानुपात में सुधार:** 2019 में प्रत्येक 1,000 पंजीकृत पुरुष मतदाताओं की तुलना में 928 महिला मतदाता पंजीकृत थीं। यह अनुपात सुधरकर 2024 में 948 हो गया।
- **राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश:** उम्मीदवारों के लिए अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया।
- **विभिन्न पहलें:** मतदाताओं को जागरूक करने के लिए **सिस्टेमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन (SVEEP);** दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान करना सुलभ बनाने हेतु **SAKSHAM ऐप** शुरू की गयी।

ECI के समक्ष चुनौतियां

- **पूर्ण स्वायत्तता की कमी:**
  - **चयन प्रक्रिया:** खोज और चयन समिति में **सरकार के प्रतिनिधियों का बहुमत** होने के कारण इसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं।
  - **निर्वाचन आयुक्तों को हटाना: CEC** के विपरीत, ECs को CEC की सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है।
- **सीमित शक्तियां:** राजनीतिक दलों द्वारा नियमों के गंभीर उल्लंघन के बावजूद, ECI के पास उनका **पंजीकरण रद्द करने की शक्ति नहीं** है।
- **स्वतंत्र कर्मचारियों की कमी:** ECI अपने स्वयं के कार्यबल की बजाय **सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर** है। इससे ECI की स्वायत्तता प्रभावित होती है।

आगे की राह

- **चयन समिति की संतुलित संरचना:** चुनाव सुधारों पर गोस्वामी समिति (1990) और विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि:
  - मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में प्रधान मंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल होने चाहिए।
- **सेवानिवृत्ति के बाद:** गोस्वामी समिति (1990) ने सिफारिश की थी कि CEC और ECs को सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद, जैसे राज्यपाल आदि, के लिए अपात्र घोषित किया जाए, ताकि कार्यकाल के दौरान उनकी निष्पक्षता बनी रहे।

- **प्रशासनिक स्वतंत्रता:** गोस्वामी समिति और भारत निर्वाचन आयोग (ECI), दोनों ने चुनाव आयोग के लिए एक स्वतंत्र सचिवालय की स्थापना की सिफारिश की, ताकि इसके कामकाज में पूर्ण स्वायत्तता सुनिश्चित हो सके।
- **ECI के सभी सदस्यों को समान संवैधानिक संरक्षण:** विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट के अनुसार, अनुच्छेद 324(5) में संशोधन कर CEC और अन्य ECs के हटाए जाने की प्रक्रिया को एक समान बनाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को प्रशासनिक स्वायत्तता, संवैधानिक संरक्षण और पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया के द्वारा सशक्त बनाने से चुनाव व्यवस्था पर आधारित भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों का विश्वास और अधिक बढ़ेगा तथा उनकी अधिक भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

5.3.1. राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission: SEC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)** की **कर्नाटक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट** में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोगों (SECs) का सशक्त नहीं होना स्थानीय निकायों के चुनावों में देरी का एक प्रमुख कारण है।

राज्य निर्वाचन आयोगों (SECs) के बारे में

- ये **स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण** हैं, जो **स्थानीय स्वशासन के निकायों,** जैसे- पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) आदि के **चुनावों के लिए उत्तरदायी** होते हैं।
- **73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** में राज्य चुनाव आयोगों के गठन का प्रावधान किया गया है।
    - इसकी सिफारिश **गाडगिल समिति** ने भी की थी।

राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 243K(1) और अनुच्छेद 243ZA:** मतदाता सूची तैयार करने और पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।
- **अनुच्छेद 243K(2):** राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा की शर्तें और कार्यकाल राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
    - उसे **हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित रीति और आधारों के अलावा** अन्य किसी रीति से पद से नहीं हटाया जाएगा।
    - उसे केवल **राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया** जा सकता है।

राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य

- स्थानीय निकाय चुनावों **के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना,** ताकि निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
- स्थानीय निकाय चुनावों के लिए **मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन की देखरेख** करना।
- स्थानीय निकाय चुनावों में **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण।**
- स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित **विवादों का निर्णय करने का अधिकार, जिसमें उम्मीदवारों की अयोग्यता के मामले** भी शामिल हैं।
- स्थानीय निकायों को आवंटित **वित्तीय शक्तियों और संसाधनों के संबंध में सिफारिशें** करना।
- स्थानीय निकाय **चुनावों के संचालन से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह** प्रदान करना।

राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित चिंताएं

- **स्थानीय निकायों के चुनावों में देरी:** राज्य सरकारों द्वारा आरक्षण रोस्टर प्रकाशित करने में विफलता के कारण स्थानीय निकायों के चुनावों में देरी होती है {उदाहरण के लिए, कर्नाटक में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) का चुनाव नियत समय के 3.5 साल बाद आयोजित कराया गया}।
- **नियुक्ति प्रक्रिया:** आयोग में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना बढ़ जाती है।

- **प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी:** इसकी वजह से स्थानीय स्तर पर चुनावों के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न होती है।
- **मतदाताओं की उदासीनता:** इसका उदाहरण शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में कम मतदान प्रतिशत (उदाहरण के लिए, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई में केवल 45-48% मतदान) होना है।
- **कानून स्पष्ट नहीं होना:** अस्पष्ट कानूनी व्यवस्था के कारण राज्य सरकारों के साथ अक्सर विवाद उत्पन्न होते हैं।
  - **भारतीय शहरी प्रणाली पर जनाग्रह वार्षिक सर्वेक्षण (ASICS), 2023 के अनुसार,** 34 में से केवल 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने ही राज्य चुनाव आयोगों को वार्ड का परिसीमन कराने की शक्ति प्रदान की है।

आगे की राह

- **सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां (2006):** राज्य निर्वाचन आयोगों (SECs) को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के समान सशक्त बनाया जाना चाहिए, और राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक फंड, स्टाफ और सहयोग प्रदान करना चाहिए।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की सिफारिशें:**
  - राज्य चुनाव आयुक्तों की **नियुक्ति कॉलेजियम** के माध्यम से की जानी चाहिए, जिसमें मुख्यमंत्री, विधान सभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता शामिल हों।
  - ECI और SECs के बीच समन्वय बढ़ाने, संसाधनों का साझा तरीके से उपयोग करने और एक-दूसरे के अनुभव से सीखने हेतु एक **संस्थागत तंत्र** स्थापित किया जाना चाहिए।
- **समय पर परिसीमन:** देरी और मनमानी कार्यवाही से बचने के लिए वार्डों और आरक्षण की समीक्षा **प्रत्येक 10 वर्ष में अनिवार्य** रूप से की जानी चाहिए।
- **SEC की शक्तियों का विस्तार करना:** आरक्षण व्यवस्था का अनुपालन और मेयर चुनावों की निगरानी करने के लिए **SEC** को सशक्त बनाया जाना चाहिए ताकि इनमें किसी भी प्रकार के कदाचार को रोका जा सके (उदाहरण के लिए, 2024 चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामला)।
- **जन जागरूकता अभियान:** मतदान प्रतिशत बढ़ाने, मतदाता साक्षरता बढ़ाने और चुनाव में कदाचार को रोकने के लिए SVEEP जैसे अभियान शुरू करना चाहिए।

निष्कर्ष

राज्य निर्वाचन आयोगों को 'स्वतंत्रता और अधिकार' के मामले में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के समकक्ष दर्जा देना चाहिए। इससे **73वें और 74वें संविधान संशोधनों के वास्तविक उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने** तथा **जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाने** में मदद मिलेगी।

5.4. परिसीमन आयोग (Delimitation Commission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि परिसीमन के परिणामस्वरूप लोक सभा सीटों में होने वाली किसी भी वृद्धि में **दक्षिणी राज्यों को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा।** साथ ही, उन्होंने कहा कि आनुपातिक आधार पर दक्षिणी राज्यों की **एक भी लोक सभा सीट कम नहीं** की जाएगी।

परिसीमन के बारे में

- यह **लोक सभा और विधान सभाओं के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं** तय करने की प्रक्रिया है।
- परिसीमन कार्य की जिम्मेदारी उच्च-अधिकार प्राप्त संस्था को सौंपी जाती है। इस संस्था को **परिसीमन आयोग** (Delimitation Commission) या सीमा आयोग कहा जाता है।
- भारत में परिसीमन आयोगों का गठन **4 बार (1952, 1963, 1973 और 2002)** किया गया है।
- वर्ष 2002 में, **84वें संविधान संशोधन** के द्वारा **लोक सभा और राज्य विधान सभाओं की सीटों के परिसीमन** की प्रक्रिया को **2026 तक रोक दिया गया था।** इसका मतलब यह हुआ कि **परिसीमन आयोग** लोक सभा या विधान सभाओं में कुल सीटों की संख्या नहीं बढ़ा सकता। अब यह कार्य **2026 के बाद ही किया जा सकता है।**

परिसीमन आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत,** संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम पारित करके परिसीमन आयोग का गठन करना चाहिए।
- **संविधान के अनुच्छेद 170** के तहत, राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए।

परिसीमन आयोग के बारे में

- परिसीमन आयोग **जनसंख्या के समान अनुपातों के लिए समान प्रतिनिधित्व** सुनिश्चित करता है, और निर्वाचन क्षेत्रों का भौगोलिक आधार पर निष्पक्ष विभाजन करता है, ताकि किसी भी राजनीतिक दल को कोई अनुचित लाभ न मिले।
- **गठन:** इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है और यह **भारत निर्वाचन आयोग (ECI)** के सहयोग से कार्य करता है।
- **आयोग में तीन पदेन सदस्य होते हैं:**
  - सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो आयोग के **अध्यक्ष** होते हैं।
  - मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC), या फिर CEC द्वारा नामित एक **चुनाव आयुक्त**।
  - संबंधित राज्य के **राज्य चुनाव आयुक्त।**
- आयोग की सिफारिशों को **कानून माना जाता है** और **इन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं** दी जा सकती है।
  - हालांकि, हाल ही में, **किशोरचंद्र छगनलाल राठौड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया** कि यदि परिसीमन आयोग की कोई सिफारिश स्पष्ट रूप से मनमानी है और संवैधानिक मूल्यों के साथ असंगत है, तो संवैधानिक न्यायालय इन सिफारिशों की समीक्षा कर सकता है।

असमान प्रतिनिधित्व से उत्पन्न चिंताएं

- **उत्तरी बनाम दक्षिणी राज्य का बहस:**
  - **जनसंख्या नियंत्रण उपायों के लिए दंडित करने का आरोप:** जनसंख्या-आधारित परिसीमन संसद में दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कम कर सकता है। यह वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण और सुशासन सुनिश्चित करने में दक्षिणी राज्यों की सफलता के लिए उन्हें अनुचित रूप से दंड देने जैसा है।
  - **संघवाद और क्षेत्रीय स्वायत्तता:** संसद में प्रतिनिधित्व में व्यापक बदलाव संघवाद को कमजोर कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय नीतियाँ उत्तरी राज्यों की प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाई जा सकती हैं।
- **"एक नागरिक एक वोट" सिद्धांत को कमजोर करना:** उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में एक सांसद औसतन लगभग 25.3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि तमिलनाडु में एक सांसद औसतन लगभग 18.4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। स्पष्ट है कि यह स्थिति मतदाताओं के मत मूल्य में असमानता है।

निष्कर्ष

परिसीमन प्रत्येक दशकीय जनगणना के बाद किया जाना चाहिए ताकि प्रतिनिधित्व में व्यापक बदलाव न हो, साथ ही प्रत्येक मतदाता के मत मूल्य को कमोबेश समान रखा जाना चाहिए। परिसीमन से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए **आम सहमति** बनाने की आवश्यकता है।

5.5. चुनाव प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI in Election Campaign)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने राजनीतिक दलों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंटेंट के उपयोग के संबंध में सलाह जारी की।

ECI द्वारा सलाह में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **AI/ सिंथेटिक रूप से तैयार कंटेंट को लेबल करना:** ऐसी कोई भी इमेज, वीडियो, ऑडियो या अन्य कंटेंट जो AI प्रौद्योगिकियों के उपयोग से तैयार किए गए हों या उनमें व्यापक बदलाव किए गए हों, उन्हें **स्पष्ट रूप से लेबल** किया जाए।
- **प्रचार सामग्री में प्रकटीकरण (Disclosure):** जहां भी सिंथेटिक कंटेंट का उपयोग किया गया हो, वहां **डिस्क्लेमर देना अनिवार्य** होगा।
- इसके अलावा, **दिल्ली पुलिस** ने AI के संभावित दुरुपयोग पर नजर रखने हेतु दिल्ली विधान सभा चुनाव पर एक **नोडल अधिकारी नियुक्त** किया है। यह अधिकारी चुनाव से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखेगा।

© Vision IAS

चुनावों में AI का प्रभाव		
पहलू	**सकारात्मक प्रभाव**	**नकारात्मक प्रभाव**
मतदाता सहभागिता	चैटबॉट्स से प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा जा सकता है	डीपफेक्स मतदाताओं को गुमराह कर सकते हैं
चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित बनाना	धोखाधड़ी का पता लगाना, साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है	साइबर हमलों, तकनीकी विफलताओं का खतरा
डेटा विश्लेषण और भविष्यवाणियां	रणनीति, संसाधन आवंटन में मदद करता है	एल्गोरिदम व्यवहार में हेरफेर कर सकते हैं
माइक्रो-टारगेटिंग	सटीक, प्रभावी संदेश व्यवस्था	डेटा में पूर्वाग्रह समूहों को हाशिए पर धकेल सकता है।
तकनीक पर निर्भरता बढ़ना	प्रचार की दक्षता में वृद्धि	अत्यधिक निर्भरता पारदर्शिता और गोपनीयता को खतरे में डालती है

चुनाव में AI के प्रभाव को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदम

- सोशल मीडिया में AI के उपयोग से **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और चुनावों पर प्रभाव का आकलन एवं शोध** करना चाहिए।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा जवाबदेही और पारदर्शिता संबंधी दायित्वों के तहत किए गए **दावों को सत्यापित** करना चाहिए।
- नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट का पता लगाने और इसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु **विनियमित एल्गोरिदम फ़िल्टर** बनाने चाहिए।
- लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए **AI के उपयोग पर वैश्विक मानक** स्थापित करने चाहिए।

निष्कर्ष

आज के डिजिटल युग में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए, चुनाव से जुड़े कानूनों को प्रौद्योगिकी के विकास के अनुरूप रखने की जरूरत है। एक प्रभावी कानूनी फ्रेमवर्क यह सुनिश्चित करेगा कि AI टूल्स का उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों और नेताओं की जवाबदेही तय हो सके।

5.6. मुख्य शब्दावलियां (Key Words)

मुख्य शब्दावलियां				
राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र	विश्वास की कमी	लोक कल्याण और मुफ्त सुविधाएं (फ्रीबीज)	अधिकार आधारित दृष्टिकोण	जरूरत आधारित दृष्टिकोण
राजनीतिक भागीदारी	मतदाता पंजीकरण	संदिग्ध स्वायत्तता	मतदाताओं की उदासीनता	समयबद्ध परिसीमन
मतदाताओं की सुरक्षा	मतदाता-संपर्क			

5.7. अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

उत्तर लेखन प्रारूप

फ्रीबीज़ को अक्सर कल्याण के साधन के रूप में उचित ठहराया जाता है, लेकिन इन्हें राजकोषीय लोकलुभावनवाद के रूप में आलोचना भी मिलती है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए कि भारत किस प्रकार कल्याणकारी दायित्वों और राजकोषीय संयम (Fiscal prudence) के बीच संतुलन बना सकता है।

भूमिका	मुख्य भाग 1	मुख्य भाग 2	निष्कर्ष
क्या फ्रीबीज़ परजीवी जीवनशैली को बढ़ावा देते हैं	कल्याण के रूप में फ्रीबीज़: पक्ष में तर्क	राजकोषीय लोकलुभावनवाद के रूप में आलोचना और संतुलन के तरीके	सशक्तीकरण और लोकलुभावनवाद के बीच संतुलन

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

✓ सामान्य अध्ययन
✓ निबंध
✓ दर्शनशास्त्र

2025	ENGLISH MEDIUM 6 JULY	हिन्दी माध्यम 6 जुलाई
2026	ENGLISH MEDIUM 6 JULY	हिन्दी माध्यम 6 जुलाई

Scan the QR CODE *to* download VISION IAS app

ऑप्शनल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज़

✓ भूगोल
✓ समाजशास्त्र
✓ दर्शनशास्त्र
✓ हिंदी साहित्य
✓ राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध

2025	ENGLISH MEDIUM 6 JULY	हिन्दी माध्यम 6 जुलाई
2026	ENGLISH MEDIUM 6 JULY	हिन्दी माध्यम 6 जुलाई

6. गवर्नेंस (Governance)

6.1. प्रशासनिक सुधार: एक नज़र में (Administrative Reforms at a glance)

प्रशासनिक सुधार

प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य सरकार की संरचना और कार्य-प्रणाली में सुधार लाना है, ताकि लोक नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।	औपनिवेशिक शासन से लोकतंत्र की ओर रुख करने के लिए स्वतंत्रता के बाद के सुधार आवश्यक थे। **प्रमुख प्रयास: गोरवाला रिपोर्ट, प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC), होता समिति आदि।**

भारत में प्रमुख प्रशासनिक सुधार

संरचनात्मक/ संस्थागत सुधार	मानव संसाधन सुधार	नागरिक केंद्रित पहलें	तकनीक-सक्षम शासन	प्रदर्शन मूल्यांकन
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG); प्रशासनिक सुधार आयोग (ARCs); केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) आदि।	मिशन कर्मयोगी; लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 आदि।	केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS); नागरिक चार्टर; सेवोत्तम मॉडल आदि।	ई-क्रांति; ई-ऑफिस; ई-समीक्षा आदि।	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (NeSDA); सुशासन सूचकांक (GGI) आदि।

भारत में प्रशासनिक सुधारों को लागू करने में मौजूद बाधाएं

शक्तियों का केन्द्रीकरण, संरचना का पदानुक्रमण	नौकरशाही में जड़ता और व्यापक भ्रष्टाचार।	क्षमता निर्माण की कमी और प्रशिक्षण में अपर्याप्त निवेश।	विभागों के बीच खराब समन्वय	तीव्र सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों का दबाव (शहरीकरण, तकनीकी आदि)।

आगे की राह

मंत्रियों और सिविल सेवाओं के बीच **संबंधों को समन्वित** किया जाना चाहिए।	**हितधारकों की सक्रिय भागीदारी** के माध्यम से नागरिक-केंद्रितता सुनिश्चित करनी चाहिए (पी. सी. होता समिति की सिफारिश के अनुसार नागरिक हितों से जुड़े पहलुओं की पहचान करनी चाहिए)	**लोक नीति शिक्षा में सुधार** करना चाहिए	प्रशासन के किसी एक क्षेत्र में **डोमेन संबंधी विशेषज्ञता** हासिल करनी चाहिए।	एक **'केंद्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण'** की स्थापना की जानी चाहिए। (द्वितीय ARC)	ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी **उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाना** चाहिए।

6.1.1. मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi)

सुर्ख़ियों में क्यों?

क्षमता निर्माण आयोग (CBC)[6] की स्थापना के तीन वर्ष पूरे हो गए हैं। इसका गठन **राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB)[7]-मिशन कर्मयोगी** के हिस्से के रूप में 2021 में किया गया था।

NPCSCB-मिशन कर्मयोगी के बारे में

- NPCSCB का उद्देश्य एक ऐसी **पेशेवर, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और भविष्योन्मुखी सिविल सेवा का निर्माण करना** है जो भारत की विकास संबंधी आकांक्षाओं, राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हो।
- इसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और एजेंसियों के **सभी सिविल सेवक (अनुबंधित कर्मचारियों सहित) शामिल हैं।**
- इच्छुक राज्य सरकारें भी अपनी क्षमता निर्माण योजनाओं को इसी तर्ज पर संरेखित कर सकती हैं।

---

[6] Capacity Building Commission

[7] National Programme for Civil Services Capacity Building

© Vision IAS

- CBC की स्थापना **सिविल सेवा में विश्वास बहाली** तथा सहयोगात्मक एवं अनुभव साझा करने की प्रक्रिया के आधार पर क्षमता निर्माण के लिए एक समान दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से की गई है।
- **मिशन कर्मयोगी के मार्गदर्शक सिद्धांत:**
  - **नियम-आधारित से भूमिका-आधारित प्रशिक्षण और मांग-संचालित क्षमता निर्माण की ओर बदलाव।**
  - **क्षमता विकास के लिए योग्यता-आधारित दृष्टिकोण को अपनाना:** योग्यताओं को व्यवहार, कौशल और ज्ञान (ASK) के संयोजन के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
  - **70-20-10 अधिदेश:** यह मॉडल इस सिद्धांत पर आधारित है कि 70 प्रतिशत सीखना नौकरी के अनुभवों से आता है; 20 प्रतिशत सीखना दूसरों के साथ काम करने से आता है; और 10 प्रतिशत नियोजित प्रशिक्षण से आता है।
  - मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सीखने को संगठनात्मक लक्ष्यों एवं व्यक्तिगत अधिकारियों के करियर लक्ष्यों के साथ संरेखित करना है।
  - **निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना:** मिशन कर्मयोगी के तहत, प्रदर्शन निर्धारित करने के लिए वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष और स्वतंत्र मूल्यांकन किए जाएंगे।
  - **निरंतर व आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना और सरकार में अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाना।**
- **एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (iGOT)[8] कर्मयोगी प्लेटफॉर्म:**
  - यह एक **व्यापक ऑनलाइन मंच** है। यह सिविल सेवा अधिकारियों को उनकी **क्षमता-निर्माण के प्रयासों में मार्गदर्शन** प्रदान करता है।
  - iGOT-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के सभी उपयोगकर्ताओं के **प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन, प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार** पर किया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत लर्नर, पर्यवेक्षक, सामग्री प्रदाता और निर्माता शामिल हैं।
  - हाल ही में, अमृत ज्ञान कोष पोर्टल को iGOT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया था। यह एक व्यापक संग्रह है जो पूरे भारत से सर्वोत्तम पद्धतियों को एकत्रित करता है। यह पोर्टल 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में से 15 के साथ तालमेल बनाकर कार्य करता है।

NPCSCB-मिशन कर्मयोगी का महत्त्व:

- **पेशेवर विकास:** सिविल सेवकों की बदलती भूमिकाएं **अधिकारियों के लिए अपनी व्यवहारिक, कार्यात्मक और डोमेन संबंधी दक्षताओं के निर्माण के अवसर** प्रस्तुत करती हैं।
- **एक समान प्रशिक्षण दृष्टिकोण:** इस पहल का उद्देश्य देश भर में **प्रशिक्षण मानकों में सामंजस्य स्थापित करना** है।
- **प्रशिक्षण लागत को कम करना:** यह मिशन **ऑनलाइन कोर्सेज़ को प्राथमिकता देने** तथा विदेशी प्रशिक्षण पर खर्च को कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **प्रेरणादायक नैतिकता:** मिशन कर्मयोगी द्वारा प्रचारित मूल्य और आदर्श इच्छुक सिविल सेवकों में नैतिक आचरण को प्रेरित करेंगे।
- **आर्थिक संवृद्धि:** यह पहल व्यापार करने में सुगमता के लिए अनुकूल नीतियां बनाने और सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है।
- **नागरिक केंद्रित:** इस मिशन के माध्यम से एक अधिक गतिशील भूमिका आधारित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इस भूमिका आधारित दृष्टिकोण का उद्देश्य टीम वर्क को बढ़ावा देना और सेवा वितरण को बेहतर बनाना है।

सिविल सेवकों के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- **सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक (NSCSTI)[9]:** NSCSTI, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उनकी **प्रशिक्षण देने की क्षमता** को बढ़ाने के लिए एक आधार तैयार करेगा।
- **आरंभ (Aarambh):** इसे 2019 में भारत सरकार ने शुरू किया था। यह सिविल सेवक प्रशिक्षण के लिए **पहला सामान्य फाउंडेशन कोर्स** है।
- **राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति:** इसे 1996 में अपनाया गया था और 2012 में इसकी समीक्षा की गई थी। इसका उद्देश्य **पेशेवर, निष्पक्ष और कुशल सिविल सेवकों को विकसित करना है।**

NPCSCB-मिशन कर्मयोगी से जुड़ी चिंताएं

- **विस्तार:** विविध स्तरों पर बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों (1.5 करोड़) के लिए प्रशिक्षण चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **अति-केंद्रीकरण:** प्रशिक्षण और सीखने के लिए केंद्रीकृत संस्थागत ढांचे पर जोर देने से **राज्यों की ओर से प्रतिरोध** का सामना करना पड़ सकता है।

[8] Integrated Government Online Training

[9] National Standards for Civil Service Training Institutions

- **प्रतिरोध:** भारतीय नौकरशाही अक्सर **बदलाव के लिए प्रतिरोधी** रही है और इतने बड़े सुधार को नौकरशाही के भीतर अलग-अलग स्तर पर प्रतिरोधों का सामना करना पड़ सकता है।
- **प्रासंगिकता:** विविध क्षेत्रकों की अलग-अलग आवश्यकताओं (जैसे कि हिमालयी क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए अलग-अलग) के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करना कठिन है।

निष्कर्ष

मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य प्रशिक्षण को लोकतांत्रिक बनाना, जटिलता को कम करना, तथा सिविल सेवाओं में व्याप्त असमानताओं को समाप्त करना है। विकासशील कार्यक्रम और राज्य सहयोग से सेवा वितरण में वृद्धि हो सकती है तथा सिविल सेवकों को सशक्त बनाया जा सकता है।

6.1.2. शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (MoPPG&P)** ने लोक शिकायतों से निपटने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य शिकायत निवारण तंत्र को **समयबद्ध, सुलभ और सार्थक** बनाना है।

मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नज़र

- नागरिकों की शिकायतों का समाधान सिंगल विंडो यानी एक ही जगह से करने के लिए CPGRAMS[10] के साथ **एक एकीकृत यूजर-फ्रेंडली शिकायत दर्ज करने वाला प्लेटफॉर्म विकसित** किया जाएगा।
- सभी मंत्रालयों/ विभागों में **लोक शिकायतों के समाधान हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति** की जाएगी।
- प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग में योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी रखने वाले डेडिकेटेड **शिकायत प्रकोष्ठ** स्थापित किए जाएंगे।
- प्रभावी शिकायत निवारण की **मौजूदा समय-सीमा 30 दिन से घटाकर 21 दिन** कर दी गई है।

शिकायत निवारण तंत्र (GRM) के बारे में

- किसी संगठन का शिकायत निवारण तंत्र **उसकी प्रभावशीलता के मापन हेतु सबसे महत्वपूर्ण उपकरण** है, क्योंकि यह किसी भी संगठन के काम-काज के बारे में फीडबैक प्रदान करता है।
- **केंद्र सरकार के स्तर पर शिकायतों से निपटने के लिए दो नामित नोडल एजेंसियां हैं:**
  - MoPPG&P के अधीन **प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)**; तथा
  - कैबिनेट सचिवालय के अधीन **लोक शिकायत निदेशालय।**
- **शिकायत निवारण की स्थिति:**
  - CPGRAMS **24x7 उपलब्ध एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म** है। यह नागरिकों को सेवा वितरण से जुड़े किसी भी विषय पर लोक अधिकारियों के समक्ष **अपनी शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा प्रदान** करता है।
  - यह भारत सरकार और राज्यों के **सभी मंत्रालयों/ विभागों से जुड़ा एक सिंगल पोर्टल** है। इस पोर्टल की खास विशेषता यह है कि यह अधिकारियों को शिकायतों तक **भूमिका-आधारित पहुंच** प्रदान करता है।
  - CPGRAMS पोर्टल ने 2022-2024 की अवधि में लगभग 60 लाख लोक शिकायतों का निवारण किया है। साथ ही, 1.01 लाख शिकायत निवारण अधिकारियों की मैपिंग की है।

[10]Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System/ केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली

शिकायत निवारण के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- **संवैधानिक और वैधानिक संस्थान:** भारत में ऐसे कई संस्थान **(CVC, लोकायुक्त, NHRC, SHRC आदि)** हैं भ्रष्टाचार, लोक सेवकों द्वारा पद के दुरुपयोग, मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों का समाधान करते हैं।
- **शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक (GRAI):** यह सूचकांक संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश पर MoPPG&P के **प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)** ने तैयार किया है।
- **प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति/ PRAGATI):** यह एक बहु-उद्देश्यीय और मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म है। यह योजनाओं एवं परियोजनाओं की निगरानी व समीक्षा करना भी इसका एक अन्य उद्देश्य है।
- **ई-निवारण:** यह **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड** की एक पहल है। इसका उद्देश्य करदाताओं की शिकायतों को तेजी से ट्रैक करना और उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है।
- **नागरिक चार्टर:** नागरिक चार्टर पहल उन समस्याओं को हल करने का एक साधन है, जिनका एक नागरिक लोक सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों से लोक सेवा प्राप्त करते समय सामना करता है।

शिकायत निवारण तंत्र से जुड़े मुद्दे

- **शिकायत निपटान में देरी: CPGRAMS** पर दर्ज की **कई शिकायतें निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय तक लंबित रहती हैं।** पहले शिकायतों को **45 दिनों के भीतर दूर करना होता था,** अब इसे **30 दिनों में दूर करना होता** है।
- **भ्रष्ट आचरण:** कुछ शिकायत निवारण तंत्र भ्रष्टाचार से प्रभावित होते हैं, जहां अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगने या शिकायतों के समाधान में जानबूझकर देरी या हेरफेर करने की घटनाएं सामने आती हैं।
- **एकीकरण का अभाव:** राज्यों के अलग-अलग क्षेत्रकों (जैसे- सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उपभोक्ता अधिकार आदि) में शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म्स की बहुलता के कारण नागरिकों के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करना और उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है।
- **डिजिटल डिवाइड:** खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कई नागरिकों की **ऑनलाइन शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म्स का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक इंटरनेट या डिजिटल साक्षरता तक पहुंच की कमी** है।

आगे की राह

- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें:**
  - आयोग ने राज्यों को एक **स्वतंत्र लोक शिकायत निवारण प्राधिकरण** स्थापित करने की सलाह दी है।
  - सरकारी संगठनों को प्राप्त शिकायतों का **गहन विश्लेषण** करना चाहिए तथा इसके बाद **उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां समस्याएं उत्पन्न** हो रही हैं।
- **कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें, (25वीं रिपोर्ट):**
  - शिकायत निवारण प्रणाली **सुलभ, सरल, त्वरित, निष्पक्ष, उत्तरदायी और प्रभावी** होनी चाहिए।
  - समिति ने सुझाव दिया कि **लोक शिकायत निवारण तंत्र को RTI अधिनियम, 2005 की तर्ज पर वैधानिक रूप** में स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा, **सभी शिकायतों को उनके अंतिम निपटान तक आगे बढ़ाने की व्यवस्था** भी सुनिश्चित होगी।
- **विकेंद्रीकृत निवारण:** स्थानीय कार्यालयों को मुद्दों को हल करने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। साथ ही, शिकायत समाधान में तेजी लाई जा सकती है।
- **प्रक्रिया को सरल बनाना:** इसके लिए कागजी कार्रवाई और औपचारिकताओं को कम करना होगा तथा तंत्र को सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उदाहरण के लिए- सूचना एवं सुविधा काउंटरों की स्थापना।
- **निगरानी और फीडबैक तंत्र:** यह समय-समय पर लेखा-परीक्षा करेगी, प्रमुख प्रदर्शन संकेतक स्थापित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए- **शिकायत पर प्रतिक्रिया समय, समाधान दर, नागरिक संतुष्टि** आदि।
- **प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना:** AI का उपयोग शिकायतों को वर्गीकृत/ प्राथमिकता देने; संसाधनों के आवंटन और नीतिगत समायोजन में मदद करने हेतु डेटा विश्लेषण का उपयोग करने आदि के लिए किया जा सकता है।

निष्कर्ष

एकीकरण, विकेन्द्रीकरण और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने से सेवा प्रदायगी में सुधार होगा और दक्षता बढ़ेगी तथा नागरिक-केंद्रित शासन सुनिश्चित होगा।

6.1.3. सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री (Lateral Entry in Civil Services)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार में सचिव और संयुक्त सचिव के **45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिये भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा जारी विज्ञापन को वापस** ले लिया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- लेटरल एंट्री के लिए जारी किए गए विज्ञापन को आलोचनाओं के कारण वापस ले लिया गया है। इस आलोचना का कारण यह है कि ऐसी भर्ती में **अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के उम्मीदवारों के लिए कोई आरक्षण नहीं** होता है।
- **नवंबर, 2018 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा UPSC को लिखे गए पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि-**
  - इन पदों को भरने की वर्तमान व्यवस्था को **प्रतिनियुक्ति** के रूप में माना जा सकता है, जहां **SCs/ STs/ OBCs के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करना अनिवार्य नहीं** है।
  - हालांकि, **यदि यथोचित योग्य SCs/ STs/ OBCs उम्मीदवार पात्र हैं,** तो उन पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही, समग्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए **समान स्थिति वाले मामलों में ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता** दी जानी चाहिए।

लेटरल एंट्री में आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है?

- आरक्षण **"13-पॉइंट रोस्टर"** के माध्यम से लागू किया जाता है। इस फॉर्मूले के अनुसार, **3 रिक्तियों की तक की भर्ती पर कोई आरक्षण लागू नहीं होता है।**
- भर्ती के लिए जारी हालिया विज्ञापन में, UPSC ने 45 रिक्तियों का विज्ञापन जारी किया था। **एकल-पद कैडर में आरक्षण लागू नहीं** होता है। चूंकि, लेटरल एंट्री के तहत भरा जाने वाला प्रत्येक पद एकल-पद है, इसलिए आरक्षण लागू नहीं होता है।
- **अखिलेश कुमार सिंह बनाम राम दवन एवं अन्य वाद (2015)** में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एकल-पद कैडर में आरक्षण **100% आरक्षण के बराबर होगा और इसलिए यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(4) का उल्लंघन** करता है।

लेटरल एंट्री के बारे में

- इसके माध्यम से सरकारी मंत्रालयों/ विभागों में **मध्य और वरिष्ठ स्तर के पदों** पर नियुक्ति के लिए पारंपरिक सरकारी सेवा संवर्गों के बाहर से व्यक्तियों की भर्ती की जाती है।
- यह **सलाहकारी भूमिकाओं के लिए निजी क्षेत्रक के पेशेवरों की नियुक्ति करने से अलग** है। उदाहरण के लिए- **भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार**। यह **3 से 5 साल तक की अवधि के लिए की गई संविदात्मक भर्ती** है, जिसमें प्रदर्शन के आधार पर कार्यकाल का विस्तार किया जा सकता है।
- **ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम** जैसे देशों में डायरेक्ट एंट्री (परीक्षा के माध्यम से) और लेटरल एंट्री, दोनों तरीकों को अपनाया गया है।

लेटरल एंट्री प्रणाली के लाभ	लेटरल एंट्री से जुड़े मुद्दे
• **अधिकारियों की कमी को दूर करना:** DoPT की 2023-24 की अनुदान मांगों पर जारी रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के स्तर पर केवल **442 IAS अधिकारी काम** कर रहे हैं, जबकि इनकी **आवश्यक संख्या 1,469 है।** ○ **बसवान समिति (2016)** ने लेटरल एंट्री का समर्थन किया था। • **प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि:** नीति आयोग के अनुसार, **"स्थापित करियर आधारित नौकरशाही में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है।"** • **विशिष्ट विषयों के विशेषज्ञों को शामिल करना:** अर्थशास्त्र, वित्त, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टोकरेंसी जैसी तकनीकों में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को काम पर रखने से सार्वजनिक नीतियों में एक नया दृष्टिकोण आ सकता है। • **विभागीय आवश्यकताओं को पूरा करना:** कुछ मंत्रालयों/ विभागों को नागर विमानन, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर निजी क्षेत्रक के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।	• **अल्पकालिक फोकस:** 3 से 5 साल। • **सामाजिक न्याय में टकराव।** • **हितों का टकराव:** निजी क्षेत्रक के व्यक्ति लाभ के लिए सरकारी निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। • **जवाबदेही से जुड़ी चिंताएं।** • **जमीनी स्तर के अनुभव की कमी।** • **राजनीतिक हस्तक्षेप:** भाई-भतीजावाद और पक्षपात।

आगे की राह

- **लोक प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना:** यह सेवारत नौकरशाहों को देश की अर्थव्यवस्था व अलग-अलग क्षेत्रकों से संबंधित विशेषज्ञता हासिल करने तथा बेहतर प्रबंधकीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है।
- **निजी क्षेत्रक में प्रतिनियुक्ति:** निजी क्षेत्रक में IAS और IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से डोमेन आधारित विशेषज्ञता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सकती है।
- **प्रत्येक विभाग के लिए लक्ष्य निर्धारण और ट्रैकिंग को संस्थागत बनाना:** प्रत्येक मंत्रालय और सरकारी एजेंसी को स्पष्ट समय-सीमा के साथ परिणाम-आधारित लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।
  - अधिकारियों की भूमिका में एकरूपता लाने के लिए, क्षमता निर्माण आयोग और मिशन कर्मयोगी का उपयोग करके मिड-करियर ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं।
- **सिविल सेवाओं में करियर प्रबंधन को बढ़ावा देना:** सिविल सेवकों को **शुरुआती वर्षों में विविध क्षेत्रकों में ज्ञान प्राप्त** करने तथा उसके बाद उनकी रुचियों वाले विशिष्ट डोमेन में विशेषज्ञता प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- **दो-स्तरीय प्रवेश प्रक्रिया:** पूर्व RBI गवर्नर डी. सुब्बाराव ने IAS में दो-स्तरीय प्रवेश प्रक्रिया की सिफारिश की थी, पहले सामान्य रूप से 25-30 वर्ष की आयु वर्ग के लिए और उसके बाद लेटरल एंट्री के जरिए 37-42 वर्ष के आयु वर्ग के लिए।

6.2. सुशासन में नागरिकों की भागीदारी (Citizen Participation in Good Governance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

MyGov प्लेटफॉर्म को शुरू हुए 10 साल पूरे हो गए हैं। इस प्लेटफॉर्म को **जुलाई, 2014** में शुरू किया गया था।

MyGov प्लेटफॉर्म के बारे में

- इस प्लेटफॉर्म को 2014 में भारत के प्रधान मंत्री ने शुरू किया था। MyGov वस्तुतः **नागरिकों की भागीदारी हेतु एक प्लेटफॉर्म है, जो नीति निर्माण में नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित** करने के लिए कई सरकारी निकायों/ मंत्रालयों के साथ सहयोग करता है। साथ ही, यह प्लेटफॉर्म जनहित तथा लोक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर **लोगों की राय भी प्राप्त** करता है।
- **MyGov के तहत शुरू किए गए प्रमुख अभियान:**
  - **LiFE[11] अभियान:** यह जन समुदाय को **पर्यावरणीय क्षरण** और **जलवायु परिवर्तन** के प्रभाव से निपटने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही, यह वैश्विक चुनौतियों से निपटने हेतु व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रयासों के व्यापक प्रभाव पर जोर देता है।
  - **स्टे सेफ ऑनलाइन:** यह अभियान **भारत की G-20 समूह की अध्यक्षता के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य **ऑनलाइन जोखिमों, सुरक्षा उपायों और साइबर स्वच्छता के बारे में नागरिकों (विशेष रूप से दिव्यांगजनों) को शिक्षित** करना है, ताकि समग्र साइबर सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके।
  - **स्वच्छ भारत सर्वेक्षण:** यह कार्यक्रम इंटरैक्टिव गतिविधियों और सोशल मीडिया जुड़ाव के जरिए, एक स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के निर्माण में सक्रिय लोक भागीदारी को बढ़ावा देता है।
  - **मिलेट्स-सुपरफूड:** इसका उद्देश्य मिलेट्स के पोषण संबंधी लाभों को उजागर करना तथा जीवन-शैली संबंधी बीमारियों को रोकने में उनकी भूमिका को समझना है।

सुशासन क्या है?

- **सुशासन** वास्तव में निर्णय लेने की प्रभावी और दक्ष प्रक्रिया है। साथ ही, इस प्रक्रिया में लिए गए निर्णयों को लागू करने में **नागरिकों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता** दी जाती है।
- **संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के आठ प्रमुख गुण** बताए हैं।

नागरिक भागीदारी सुशासन में कैसे मदद करती है?

- **जवाबदेही:** नागरिक फीडबैक देकर सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराते हैं। इससे सरकारी निर्णयों में **पारदर्शिता को बढ़ावा** मिलता है।
  - उदाहरण के लिए- **सूचना का अधिकार (RTI)**।
- **सेवा वितरण:** नागरिकों के सुझाव से सेवाओं के वितरण में सुधार किया जाता है, उदाहरण के लिए- MyGov पर प्राप्त सुझावों का उपयोग स्वच्छ भारत मिशन को बेहतर बनाने में किया गया, जैसे कि सार्वजनिक शौचालयों को सही जगह पर बनाना।
- **समावेशिता को बढ़ावा मिलता है:** यह हाशिए पर रहे समूहों सहित विविध समुदाय सरकार के समक्ष अपना मत प्रकट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए- **MGNREGA, सामाजिक लेखा परीक्षा** आदि गरीबों को प्राथमिकता देने में मदद करती है।

---
[11] Lifestyle for Environment/ पर्यावरण के लिए जीवन-शैली

- **विश्वास निर्माण:** कार्यक्रमों में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से **सरकारी संस्थानों में लोगों का विश्वास** बढ़ता है। उदाहरण के लिए- **ग्राम सभाएं।**
- **नवाचार:** नागरिक समस्या समाधान के लिए अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, जैसे मैसूर का प्लास्टिक से टाइल्स बनाने का विचार।

सुशासन में नागरिक भागीदारी बढ़ाने से जुड़ी चुनौतियां

- **प्रतिबद्धता की कमी:** नीति निर्माण में भागीदारी के लिए **समय और संसाधनों की आवश्यकता** होती है, जो **अक्सर सीमित** होते हैं। इससे नागरिकों की निरंतर भागीदारी बाधित होती है।
- **सीमित भागीदारी: ज्ञान एवं समझ की कमी** है, **जटिल प्रक्रियाएं और लालफीताशाही** नागरिकों के लिए भागीदारी करना मुश्किल बना सकती हैं।
- **प्रशासनिक चुनौतियां:** सरकारों में बड़े पैमाने पर फीडबैक या घटनाओं **को प्रबंधित करने की क्षमता में कमी** हो सकती है।

भारत और विदेश में सहभागी गवर्नेंस का विचार

- **भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013:** इसमें भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के सहयोग से सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है।
- **वन अधिकार अधिनियम, 2006: ग्राम सभा** की सहभागी और लोकतांत्रिक प्रकृति के कारण उसे **वैधानिक संस्था का दर्जा** दिया गया है।
- **पहुंच एवं लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल:** इसमें पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों को स्थानीय समुदायों के साथ साझा करने का प्रावधान किया गया है।

- **सरकार पर विश्वास की कमी: अधूरे वादों, कथित भ्रष्टाचार के मामलों, समुदाय के इनपुट पर विचार करने में विफलता** के कारण सरकार में जनता का विश्वास अक्सर कम होता है।
- **सामाजिक कारक:** सामाजिक-आर्थिक असमानताएं, सांस्कृतिक मानदंड और पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण महिलाओं एवं हाशिए के समूहों को गवर्नेंस में समान रूप से भाग लेने और निर्णय लेने के अवसर नहीं मिल पाते हैं।

आगे की राह

- **सुगमता:** सरकारी डेटा को **व्यवस्थित और सुलभ प्रारूप में जारी** किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए- पारदर्शिता बढ़ाने हेतु RTI अधिनियम को मजबूत बनाना।
- **जागरूकता:** स्कूली पाठ्यक्रम में **नागरिक शिक्षा** को शामिल करना चाहिए। नागरिकों को उनके अधिकारों, उनकी भागीदारी के महत्त्व में प्रभावी ढंग से भाग लेने के तरीकों के बारे में **शिक्षित करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।**
- **डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म:** डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करना चाहिए और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल ई-गवर्नेंस प्लैटफॉर्म्स बनाने चाहिए। इससे नागरिक सहभागिता बढ़ाने के लिए नागरिकों को जानकारी तक सुगम पहुंच प्राप्त हो सकेगी और वे आसानी से फीडबैक प्रदान कर सकेंगे।
- **समावेशी नीति-निर्माण:** शासन प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए जन-भागीदारी और विविध समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। जैसे- **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में सार्वजनिक जन-भागीदारी घटक को मजबूत** करना आदि।
- **शिकायत निवारण:** शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत और सुव्यवस्थित करना चाहिए। इसके अलावा, नीतियों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए फीडबैक प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।

6.2.1. गवर्नेंस और AI (Governance and AI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा नागरिक विमानन मंत्री ने कहा कि सरकार सुशासन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करेगी तथा नागरिकों की निजता और डेटा स्वामित्व की सुरक्षा के लिए उचित विनियमन और सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

भारत में गवर्नेंस को नया रूप देने में AI की क्षमता

- **कुशल सेवा वितरण:** AI सार्वजनिक सेवाओं को स्वचालित कर सकता है, सरकारी कार्यभार को कम कर सकता है और सेवा की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है।
- **शिक्षा:** AI पर्सनलाइज्ड लर्निंग को सक्षम करके, स्मार्ट सामग्री बनाकर तथा ग्रेडिंग और मूल्यांकन को स्वचालित करके भारत की शिक्षा प्रणाली को बदल सकता है।
  - **उदाहरण के लिए-** NCERT ने अपने NROER (नेशनल रिपॉजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज) रिपॉजिटरी में उपलब्ध प्रत्येक संसाधन के साथ टैग करने के लिए 31 मेटाडेटा एलिमेंट्स का एक सेट सूचीबद्ध किया है।
- **स्वास्थ्य देखभाल:** AI विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन के माध्यम से सेवा वितरण और पहुंच में सुधार करके स्वास्थ्य सेवा में बदलाव ला रहा है।
  - **उदाहरण के लिए-** नीति आयोग ने जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के साथ मिलकर कैंसर प्रबंधन में AI के प्रभावी उपयोग के लिए कैंसर से संबंधित रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी इमेज का डेटाबेस बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

* **कृषि:** AI मौसम, कीट प्रबंधन और संसाधन उपयोग के लिए पूर्वानुमानित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे किसानों को लाभ होता है।
    * **उदाहरण के लिए-** राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली AI और मशीन लर्निंग का उपयोग करके फसल रोगों की पहचान में क्रांति ला रही है।
* **समावेशिता और पहुंच:** AI-संचालित **DPI** ने विशेष रूप से भारत जैसे **बहुभाषी और विविधतापूर्ण देश** में समावेशिता एवं पहुंच में सुधार किया है।
    * **उदाहरण के लिए- भाषिणी प्लेटफॉर्म** क्षेत्रीय भाषाओं में सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए AI का उपयोग कर रहा है।
* **डेटा-संचालित नीति निर्माण:** AI साक्ष्य-आधारित नीति निर्धारण, पारदर्शिता और नीतिगत प्रभावशीलता में सुधार के लिए बड़े डेटासेट का विश्लेषण कर सकता है।
    * **उदाहरण के लिए- इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज** के तहत शहरी सेवाओं को अनुकूलित करने के लिए AI का उपयोग किया जाता है।
* **न्यायिक दक्षता:** AI केस प्रबंधन को स्वचालित करके, परिणामों की भविष्यवाणी करके और कानूनी अनुसंधान को सुव्यवस्थित करके न्यायिक दक्षता में सुधार कर सकता है।
    * **उदाहरण के लिए-** कानूनी दस्तावेजों के अनुवाद के लिए **SUVAS (सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर)** नामक एक AI-आधारित उपकरण का उपयोग किया जा रहा है।
* **आपदा प्रबंधन: RAHAT/ राहत (रैपिड एक्शन फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस)** ऐप जैसे AI-संचालित सिस्टम प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करके और आपात स्थितियों के दौरान निकासी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाने में मदद करते हैं।

गवर्नेंस के लिए AI को शामिल करने में चुनौतियां

* **सरकारी विभागों में डेटा का बिखराव: उदाहरण के लिए-** राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति (NDGFA) अभी तक लागू नहीं की गई है।
* **अवसंरचना की कमी:** 2023 तक **भारत की 45% आबादी** की अभी भी इंटरनेट तक पहुंच नहीं है।
* **विनियामक ढांचा:** यूरोपीय संघ (EU) के AI अधिनियम के विपरीत, भारत में AI-विशिष्ट कानूनों का अभाव है।
* **कौशल की कमी:** NASSCOM की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 1,40,000 AI पेशेवरों की कमी है।
* **डेटा गोपनीयता:** AI के उपयोग के लिए संवेदनशील डेटा पर निर्भरता गोपनीयता के उल्लंघन का जोखिम बढ़ाती है।
* **कमजोर IP व्यवस्था: अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (IP) सूचकांक, 2024** में भारत 42वें स्थान पर है।
* **नैतिक पूर्वाग्रह:** पक्षपातपूर्ण डेटा पर प्रशिक्षित AI सिस्टम भेदभावपूर्ण परिणाम उत्पन्न कर सकता है।

आगे की राह

* **जोखिम प्रबंधन और नैतिक निरीक्षण:** AI सिस्टम में पूर्वाग्रह की समाप्ति और जोखिम प्रबंधन के लिए मानवीय निरीक्षण के साथ AI का निरंतर बदलते स्वरूप में मूल्यांकन व निगरानी की जानी चाहिए।
* **डेटा संप्रभुता और गोपनीयता:** डेटा गोपनीयता और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
* **पूर्वाग्रह, निष्पक्षता और पारदर्शिता:** AI सिस्टम को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए, हमें लेखा परीक्षण, विविध डेटासेट तैयार करना चाहिए।
* **शिक्षा और कौशल विकास:** वंचित क्षेत्रों में AI शिक्षा प्रदान करने के लिए INDIAai फ्यूचरस्किल्स जैसी पहलों का विस्तार करना चाहिए।
* **सार्वजनिक-निजी सहयोग:** INDIAai कंप्यूट कैपेसिटी पहल।
* **साइबर सुरक्षा और निगरानी:** रियल टाइम में खतरे का पता लगाने के लिए AI का उपयोग करना चाहिए।

निष्कर्ष

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में सेवा-वितरण, पारदर्शिता और नागरिक संपर्क को बढ़ाकर **गवर्नेंस में क्रांति लाने की अपार क्षमता** है। हालांकि, इस तकनीक का उपयोग **नैतिक सिद्धांतों, डेटा संरक्षण पर मजबूत कानूनों और समावेशी डिजिटल अवसंरचना** द्वारा निर्देशित होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि AI न्यायसंगत और ज़िम्मेदार लोक कल्याण का माध्यम बना रहे।

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़
देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं
✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र
2025 ENGLISH MEDIUM 6 JULY | हिन्दी माध्यम 6 जुलाई
2026 ENGLISH MEDIUM 6 JULY | हिन्दी माध्यम 6 जुलाई

6.3. ई-गवर्नेंस (E-Governance)

6.3.1. ई-गवर्नेंस: एक नज़र में (E- Governance at a glance)

ई-गवर्नेंस

जब सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रक और अन्य संबंधित संस्थाएं **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT)** का उपयोग प्रशासनिक कार्यों, सेवाओं और सूचनाओं के कुशल वितरण के लिए करती हैं, तो इसे **ई-गवर्नेंस (इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस)** कहा जाता है।	**उद्देश्य: सरल (Simple), नैतिक (Moral), जवाबदेह (Accountable), अनुक्रियाशील (Responsive) और पारदर्शी (Transparent)** यानी **SMART/ स्मार्ट शासन-व्यवस्था** को साकार करना।

ई-गवर्नेंस की श्रेणियां

सरकार से नागरिक (G2C)	सरकार से सरकार (G2G)	सरकार से व्यवसाय (G2B)	सरकार से कर्मचारी (G2E)
डिजिलॉकर, आधार आदि।	अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS), ई-कोर्ट्स आदि।	GeM (सरकारी ई-मार्केटप्लेस), स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल आदि।	केंद्रीकृत उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली (CAMS), ई-वेतन/ ईपेरोल सिस्टम आदि।

भारत में ई-गवर्नेंस के लिए शुरू की गई पहलें

'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम (2015)	कॉमन सर्विस सेंटर	नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (UMANG)	डिजिलॉकर	राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM, 2016)
इसका उद्देश्य **डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था** बनाना है।	ग्राम स्तरीय उद्यमियों (VLEs) के माध्यम से **ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं प्रदान** करना।	नागरिकों को मोबाइल के जरिए सरकारी सेवाएं प्रदान करना।	सार्वजनिक दस्तावेजों की **कागज रहित उपलब्धता** को सुगम बनाता है।	इसे किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी व प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली बनाने के लिए 2016 में लॉन्च किया गया था।

भारत में ई-गवर्नेंस के समक्ष चुनौतियां

निजता और सुरक्षा संबंधी मुद्दे	आर्थिक मुद्दे	स्थानीय भाषाओं का प्रयोग	डिजिटल साक्षरता का निम्न स्तर	ग्रामीण-शहरी डिजिटल डिवाइड
इसमें ऑनलाइन लेन-देन की सुरक्षा का मुद्दा, डेटा का दुरुपयोग, साइबर धोखाधड़ी, डेटा की चोरी और फिशिंग शामिल हैं।	इससे संबंधित सेवाओं के कार्यान्वयन और उनके मेंटेनेंस पर सरकार को भारी लागत उठानी पड़ती है।	भारत में अधिकांश लोग अंग्रेजी के प्रति सहज नहीं हैं।	भारत में केवल 38% परिवार डिजिटल रूप से साक्षर हैं।	ग्रामीण भारतीय परिवारों में से केवल 24% के पास ही इंटरनेट तक पहुंच है, जबकि शहरों में यह दर 66% है (NSSO)।

आगे की राह

ई-गवर्नेंस नीतिगत फ्रेमवर्क को बार-बार बदलते राजनीतिक और नौकरशाही द्वारा किए जाने वाले बदलावों से **अलग रखा जाना चाहिए।**	**प्रौद्योगिकी से जुड़े जोखिम** के बारे में अन्य सार्वजनिक एजेंसियों और नागरिकों को अवगत कराना चाहिए।	**उन लोगों तक सेवाएं और सूचना पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित** की जानी चाहिए जिनके पास कंप्यूटर नहीं हैं या जिनके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है।	**नागरिकों के लिए जागरूकता अभियान** उनकी **स्थानीय भाषा में** चलाए जाने चाहिए।

6.3.2. बिग टेक कंपनियों का विनियमन (Regulating Big Tech)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने **डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून समिति की रिपोर्ट**[12] पर जनता से फीडबैक मांगा है।

पृष्ठभूमि

- इस समिति ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में नई चुनौतियों का समाधान करने के लिए **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002** की समीक्षा की है।
- बिग टेक कंपनियों की **प्रतिस्पर्धा-विरोधी पद्धतियों पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं** ने गूगल, मेटा, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और एक्स जैसी बिग टेक कंपनियों के लिए मजबूत विनियामक उपायों की मांग की है। **उदाहरण के लिए,** मेटा और व्हाट्सएप बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग {CCI (भारत, 2024-25)} आदि।

बिग टेक कंपनियों के विनियमन की आवश्यकता क्यों है?

- **संप्रभुता के लिए खतरा:** यूजर डेटा को अवैध रूप से एकत्रित करके और उसे देश के बाहर के सर्वरों पर भेजने से उसके दुरुपयोग का खतरा रहता है।
- **नेटवर्क प्रभाव:** बिग टेक कंपनियां नेटवर्क प्रभाव का उपयोग करके तेजी से आगे बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि उनके पास जितने अधिक यूजर्स होंगे, वे उतनी ही मजबूत होंगी। इससे नए प्रतिस्पर्धियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाएगा।
- **राजकोष को राजस्व हानि:** बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर दुरुपयोग के कारण **भारत को प्रतिवर्ष लगभग 10 बिलियन डॉलर का नुकसान** होता है।
- **डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा जोखिम:** बड़े पैमाने पर डेटा संग्रहण से उसके दुरुपयोग, निगरानी एवं उल्लंघन की संभावना बढ़ जाती है।
- **नैतिक चिंताएं:** पारदर्शिता और जवाबदेही, लोक हित बनाम कॉर्पोरेट लाभ, डिजिटल डिवाइड और समानता, नैतिक नीति निर्माण और विनियमन, पर्यावरणीय जिम्मेदारी।

बिग टेक कंपनियों को विनियमित करने में चुनौतियां

- **विनियामक शून्यता: प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002** एक्स-पोस्ट मॉडल पर आधारित है, जिसमें प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार के घटित होने के बाद कार्रवाई की जाती है।
- **प्रवर्तन में देरी:** उदाहरण के लिए- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA)[13], 2025 को अभी लागू किया जाना है।
- **विनियामक तंत्र का एकसमान न होना:** बड़ी टेक कंपनियां वैश्विक स्तर पर काम करती हैं, लेकिन विनियामक प्रतिक्रियाएं अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती हैं।
- **टेक्नो-राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद:** इससे देश घरेलू कंपनियों के पक्ष में हो जाते हैं।
- **कानून की अस्पष्टता:** व्हाट्सएप ने मध्यवर्ती से जुड़े नियमों को चुनौती देते हुए तर्क दिया है कि ट्रेसेब्लिटी से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन टूट जाएगा और इससे यूजर्स की निजता की सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन होगा।

बिग टेक कंपनियों को विनियमित करने के लिए प्रमुख कानून

भारत में

- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA), 2023:** इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण की ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) या आईटी नियम[14], 2021:** भारत में बड़े यूजर आधार वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को **महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्तियों (SSMIs)** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

---

[12] Digital Competition Law Committee's Report

[13] Digital Personal Data Protection Act

[14] Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) or IT Rules

© Vision IAS

- **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002**
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:** इसमें भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए कंपनियों को दंडित करने का प्रावधान है।

वैश्विक

- **यूरोपीय संघ: जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR), 2016** और डिजिटल सर्विसेज एक्ट पैकेज के तहत प्रस्तावित **डिजिटल मार्केट एक्ट (DMA)** शामिल हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र:** "प्रतिबंधात्मक व्यापारिक गतिविधियों के नियंत्रण के लिए बहुपक्षीय रूप से सहमत न्यायसंगत सिद्धांतों और नियमों के एक सेट" को स्वीकृति प्रदान की थी।

बिग टेक कंपनियों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए आगे की राह

डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- **डिजिटल प्रतिस्पर्धा के पूर्व-विनियमन की आवश्यकता:** एक **डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून** बनाया जाना चाहिए। इससे CCI केवल उन उद्यमों को विनियमित कर सकेगी।
- **प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यम (SSDEs)[15]:** सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउज़र जैसी बाजार संकेन्द्रण के प्रति संवेदनशील मुख्य सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को पूर्व-विनियमन के लिए SSDEs के रूप में नामित करना चाहिए।
    - **SSDEs के दायित्व: SSDEs को निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन नहीं करना चाहिए;**
        - अपने स्वयं के या संबंधित पक्ष के उत्पादों को प्राथमिकता देना या तीसरे पक्ष के ऐप्स को ब्लॉक करना;
        - उपयोगकर्ताओं को अपनी अन्य सेवाएं अपनाने के लिए बाध्य करना;
        - प्रतिस्पर्धा करने के लिए गैर-सार्वजनिक व्यावसायिक उपयोगकर्ता डेटा का उपयोग करना; आदि।
- **नियमों को ठीक से लागू करना:** CCI को मामलों का शीघ्र पता लगाने और निपटान के लिए महानिदेशक कार्यालय सहित अपनी **तकनीकी क्षमता में सुधार** करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, **तेजी से अपील के लिए NCLAT की एक अलग पीठ गठित** की जानी चाहिए।
- **दंड:** उल्लंघन करने पर **SSDEs के वैश्विक कारोबार के 10% तक जुर्माना** लगाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

गूगल, मेटा, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और एक्स जैसी बड़ी टेक कंपनियों पर बाजार में लंबे समय से बाजार में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के आरोप लगते रहे हैं। यदि इन पर प्रभावी विनियमन न हो, तो इनका वर्चस्व निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और स्वतंत्र सार्वजनिक संवाद के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। ऐसा असंतुलन न केवल प्रतिस्पर्धा को दबा सकता है, बल्कि उपभोक्ताओं की पसंद को भी सीमित कर सकता है।

6.3.3. नेट न्यूट्रैलिटी (Net Neutrality)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, एक **अमेरिकी अपीलीय न्यायालय** ने फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन (अमेरिका का दूरसंचार विनियामक) द्वारा **नेट न्यूट्रैलिटी लागू** करने के प्रयासों के खिलाफ फैसला सुनाया। यह **अमेरिका और भारत में नेट न्यूट्रैलिटी के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण को दर्शाता** है।

नेट न्यूट्रैलिटी क्या है?

- **नेट न्यूट्रैलिटी** इस विचार का प्रतिनिधित्व करता है कि लोगों के लिए अधिकतम उपयोगी **सार्वजनिक सूचना नेटवर्क या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं** को इंटरनेट पर मौजूद **सभी कंटेंट्स, साइट्स और प्लेटफॉर्म्स के साथ समान व्यवहार** करना चाहिए।
    - दूसरे शब्दों में **इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs)** को सेवा, एप्लीकेशन, प्रेषक या प्राप्तकर्ता के आधार पर **इंटरनेट ट्रैफिक** में किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए।

[15] Systemically Significant Digital Enterprises

नेट न्यूट्रैलिटी पर बहस

पक्ष में तर्क	विपक्ष में तर्क
• **उपयोगकर्ता का अधिकार:** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरनेट तक भेदभाव-रहित पहुंच का मूल अधिकार प्रदान करना। • **गोपनीयता:** नेट न्यूट्रैलिटी के बिना, ISPs इंटरनेट ट्रैफिक की जांच और उसमें हेरफेर कर सकते हैं। इससे उपयोगकर्ता की गोपनीयता से समझौता हो सकता है। • **नवाचार एवं उद्यमिता:** नेट न्यूट्रैलिटी, स्टार्ट-अप्स तथा बड़ी दिग्गज टेक- कंपनियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित कर सकती है।	• **ISPs के लिए राजस्व की हानि:** फाइबर आधारित अवसंरचनाओं और नई एक्सेस बेस्ड प्रौद्योगिकियों में निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। • **समान अवसर का अभाव:** भारत में दूरसंचार प्रदाताओं को वॉयस कॉल और संदेश जैसी समान सेवाओं के लिए उच्च लागत एवं विनियामकीय अनुपालन का सामना करना पड़ता है। • **OTT ऐप्स पर चयनात्मक प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता: अशांत क्षेत्रों** में इंटरनेट को पूरी तरह से शटडाउन करने की बजाय, संचार सेवाएं प्रदान करने वाले कुछ OTT ऐप्स को चुनिंदा रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में बाधाएं उत्पन्न न हों।

भारत में नेट न्यूट्रैलिटी संबंधी फ्रेमवर्क

- 2018 में, **दूरसंचार विभाग (DoT) ने नेट न्यूट्रैलिटी पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क** को अधिसूचित किया था।
  - इसमें इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज द्वारा कंटेंट के प्रति **गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार** के सिद्धांतों को शामिल किया गया था।
  - हालांकि, यह कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (CDN), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), विशिष्ट सेवाओं आदि के लिए **गैर-भेदभाव नियमों से संबंधित कुछ अपवादों की अनुमति** देता है।

6.3.4. इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdown)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर द्वारा प्रबंधित किए जाने वाले **इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर** के आंकड़ों के अनुसार, **भारत में 2024 में 60 बार मोबाइल इंटरनेट शटडाउन** हुआ। यह आंकड़ा पिछले 8 वर्षों में सबसे कम है।

भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित प्रावधान

- **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973:** वर्ष 2017 तक **CrPC की धारा 144** (अब **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** की **धारा 163**) के तहत।
  - जिला मजिस्ट्रेट को गैर-कानूनी सभा रोकने/ गतिविधियों पर अंकुश लगाने की शक्तियां प्रदान की गई थीं।
- **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (2017 में संशोधित): 2017 के नियमों** के तहत **15 दिनों तक इंटरनेट शटडाउन करने की अनुमति** दी गई है।
  - **आधार:** लोक आपात/ लोक सुरक्षा (परिभाषित नहीं)।
  - **प्राधिकारी:** संघ/ राज्य का गृह सचिव।
  - **आदेश की समीक्षा:** 5 दिनों के भीतर (कैबिनेट सचिव/ मुख्य सचिव) समिति का गठन।
- **संविधान का अनुच्छेद 19(2):** सुरक्षा, लोक व्यवस्था आदि के लिए वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाना।

इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में तर्क	इंटरनेट शटडाउन के विपक्ष में तर्क
• **राष्ट्रीय सुरक्षा और उग्रवाद को रोकने के लिए:** उदाहरण के लिए, जम्मू और कश्मीर में 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद इंटरनेट शटडाउन को लागू किया गया। • **सांप्रदायिक हिंसा:** 2023 में मणिपुर व हरियाणा में इंटरनेट शटडाउन होने से सांप्रदायिक हिंसा के प्रसार को रोकने में सफलता मिली। • **गलत सूचना:** 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान दुष्प्रचार या फर्जी खबरों के प्रसारण को रोकने में मदद मिली।	• **आर्थिक नुकसान:** 2023 की पहली छमाही में 1.9 बिलियन डॉलर से अधिक के निवेश से हाथ धोना पड़ा। • **व्यापार करने का मूल अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(g):** इंटरनेट शटडाउन से डिजिटल माध्यम से किए जाने वाले व्यवसाय को नुकसान होता है, खासकर ऑनलाइन पेमेंट पर निर्भर रहने वाले छोटे व्यवसायियों को अधिक नुकसान होता है। • **मानवाधिकार का हनन:** उदाहरण के लिए, इंटरनेट शटडाउन की वजह से महिलाएं ऑनलाइन तरीके से अपराधों की रिपोर्ट नहीं कर सकती हैं।

© Vision IAS

• **कानून और व्यवस्था बनाए रखना:** उदाहरण के लिए, **CAA और कृषि बिल के विरोध प्रदर्शन के दौरान** लोक व्यवस्था बनाए रखना। • **प्रतियोगी परीक्षा की सत्यनिष्ठा:** राजस्थान में, **राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (REET), 2021** परीक्षा में ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए राज्यव्यापी इंटरनेट बंद लागू किया गया था।	• **अधिकारों का उल्लंघन:** यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19), सूचना तक पहुँच को सीमित करता है। • **प्रेस की स्वतंत्रता कम होना:** उदाहरण के लिए, 2019 में जम्मू-कश्मीर में पत्रकारिता प्रभावित हुई। • **शिक्षा/ स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर प्रभाव:** इंटरनेट शटडाउन से लर्निंग, टेलीमेडिसिन सेवा बाधित होती है।

इंटरनेट की स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **फ़हीमा शिरीन बनाम केरल राज्य मामला:** केरल हाई कोर्ट ने संविधान के **अनुच्छेद 21 के तहत इंटरनेट के अधिकार को मौलिक अधिकार** माना।
- **अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामला:** सुप्रीम कोर्ट ने **अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इंटरनेट की स्वतंत्रता** की पुष्टि की।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें (रिपोर्ट: 'दूरसंचार सेवाओं/ इंटरनेट का निलंबन और इसका प्रभाव', 2021)

- **सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों को अपनाना:** दूरसंचार विभाग (DoT) को अन्य लोकतांत्रिक देशों में इंटरनेट शटडाउन नियमों का विश्लेषण करने के लिए एक अध्ययन करना चाहिए।
- **निलंबन के आधार:** इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के आधार से संबंधित परिभाषित मापदंडों को संहिताबद्ध करना चाहिए।
- **आनुपातिकता का सिद्धांत[16]:** दूरसंचार विभाग को गृह मंत्रालय (MHA) के साथ समन्वय में आनुपातिकता के स्पष्ट सिद्धांत और शटडाउन हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए।
- **समावेशी समीक्षा समिति:** सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, सार्वजनिक सदस्यों आदि को शामिल करके तीन सदस्यीय समीक्षा समिति को अधिक समावेशी बनाना चाहिए।
- **सेवाओं पर चुनिंदा प्रतिबंध:** दूरसंचार विभाग को संपूर्ण इंटरनेट प्रतिबंध लगाने के बजाय कुछ सेवाओं के उपयोग पर सीमित प्रतिबंध लगाने की नीति तैयार करनी चाहिए।
- **इंटरनेट शटडाउन की प्रभावशीलता:** सार्वजनिक सुरक्षा और आपात स्थितियों से निपटने में इंटरनेट शटडाउन के प्रभाव और उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए।

[16]Principles of proportionality

6.4. ऑनलाइन गलत सूचना (Online misinformation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऑनलाइन गलत सूचना, दुष्प्रचार और हेट स्पीच के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक सिद्धांत **"ग्लोबल प्रिंसिपल्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी: रेकमेंडेशन्स फॉर मल्टी-स्टेकहोल्डर एक्शन"** जारी किए हैं।

ऑनलाइन गलत सूचना के बारे में

- **गलत सूचना (Misinformation)** का अर्थ वह **झूठा या भ्रामक कंटेंट है,** जिसे बिना किसी नुकसान के इरादे से साझा किया जाता है, हालांकि वह हानिकारक हो सकता है।
    - **धोखा देने अथवा आर्थिक या राजनीतिक रूप से लाभ प्राप्त करने के इरादे से फैलाई गई झूठी या भ्रामक सूचना**, जिससे जनता को नुकसान पहुंचता है, उसे **दुष्प्रचार (Disinformation)** कहा जाता है।

भ्रामक सूचना के प्रसार के लिए उत्तरदायी कारक

स्पष्ट और सरल संदेश	विश्वसनीय स्रोत	पुष्टि से संबंधित पूर्वाग्रह	भावनात्मक प्रतिध्वनि	सूचना की कमी
ऐसे संदेशों पर लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं और उन्हें बिना कुछ सोचे-समझे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं।	ऐसे संदेश भरोसेमंद स्रोतों और जान-पहचान वाले चैनलों से प्रसारित होते हैं। इस कारण उन्हें तुरंत शेयर कर दिया जाता है।	लोग उन संदेशों को प्राथमिकता देते हैं, जो उनकी मौजूदा आस्था/ विश्वास से जुड़े होते हैं।	भावनाओं को उकसाने वाले संदेशों के प्रसारित होने की बहुत अधिक संभावना होती है।	सटीक सूचना का अभाव भ्रामक सूचना के अधिक प्रसार का कारण बन सकता है।

ऑनलाइन गलत सूचना के संभावित नकारात्मक प्रभाव

- **अपारदर्शी एल्गोरिदम:** यह बहुत अधिक सूचनाओं को उत्पन्न करता है और नस्लवाद, भेदभाव, महिलाओं से द्वेष जैसे कई पूर्वाग्रहों को मजबूत करता है।
- **लोकतंत्र के लिए खतरा:** गलत सूचना मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में गुमराह करके चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है। इससे सार्वजनिक संस्थानों और मीडिया पर लोगों का विश्वास कम हो सकता है।
- **सतत विकास लक्ष्य (SDGs) हासिल करने में कठिनाई:** गलत सूचना और संचालित दुष्प्रचार अभियान 'ग्रीनवॉशिंग' जैसी गतिविधियों के माध्यम से जलवायु संबंधी कार्रवाई में बाधा बन सकते हैं।
- **अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव:** गलत सूचनाएं वित्तीय बाजारों में तनाव पैदा करके या अवास्तविक अपेक्षाओं (जैसे बहुत कम समय में अधिक वित्तीय लाभ) को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है।

ऑनलाइन गलत सूचना से निपटने में चुनौतियां

- **तीव्र डिजिटल प्लेटफॉर्म:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म की अभूतपूर्व गति, इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी यानी "सूचना की सत्यता" के समक्ष गंभीर खतरा पैदा करती है।
- **रीडर्स की सुदूर अवस्थिति:** तथ्य-जांचकर्ता अक्सर रीडर्स से अलग-थलग होते हैं। इसलिए, रीडर्स सूचना में किए गए किसी भी सुधार या सूचना को रद्द किए जाने से अनजान रह सकते हैं।
- **डेटा एन्क्रिप्शन तकनीक:** व्हाट्सएप जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफ़ॉर्म गलत सूचना की निगरानी और उस पर प्रतिक्रिया करना मुश्किल बनाते हैं।
- **मीडिया के बारे में कम समझ और सुभेद्यता:** उदाहरण के लिए, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में युवा व्यक्तियों की तुलना में झूठी खबरें साझा करने की संभावना तीन से चार गुना अधिक होती है।

© Vision IAS

- **रोचक कंटेंट:** सरल व मनोरंजक मीम और ट्वीट एवं मल्टीमीडिया संदेश (वीडियो या ऑडियो) सभी दर्शकों के लिए आसानी से स्वीकार करने योग्य होते हैं।

आगे की राह

संयुक्त राष्ट्र के **"इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी के लिए वैश्विक सिद्धांत" निम्नलिखित 5 सिद्धांतों** को रेखांकित करते हैं। इनका उद्देश्य ऑनलाइन गलत सूचना से निपटना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मानवाधिकारों को बनाए रखना है:

- **सामाजिक विश्वास और लचीलापन:** सभी भाषाओं और संदर्भों में **मजबूत व नवीन डिजिटल विश्वास एवं सुरक्षा प्रणालियों को लागू** करना चाहिए। साथ ही, सुभेद्य समूहों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **सकारात्मक प्रोत्साहन:** ऐसे **व्यवसाय मॉडल्स अपनाने चाहिए, जो मानवाधिकारों को प्राथमिकता** देते हों। साथ ही, ये व्यवहारिक ट्रैकिंग और व्यक्तिगत डेटा पर आधारित व एल्गोरिदम-संचालित विज्ञापन पर निर्भर न हों।
- **लोगों का सशक्तीकरण:** नए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और जिनकी इंटरनेट तक पहुंच नहीं है या बहुत कम पहुंच है, ऐसे लोगों के लिए **डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण** को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **स्वतंत्र और बहुलवादी मीडिया:** राज्यों और तकनीकी कंपनियों को प्रेस की स्वतंत्रता एवं पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही, जनहित के लिए काम करने वाले समाचार संगठनों, पत्रकारों और मीडिया कर्मियों का समर्थन करना चाहिए।
- **पारदर्शिता और अनुसंधान:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए, शोधकर्ताओं को जोड़न चाहिए, और सिविल सोसाइटी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

निष्कर्ष

ऐसे समय में जब अरबों लोग भ्रामक सूचनाओं, विकृत समाचारों और झूठी खबरों के संपर्क में हैं, एक सुरक्षित एवं अधिक भरोसेमंद इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के शब्दों में, **"किसी को भी ऐसे एल्गोरिदम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए जिसे वे नियंत्रित नहीं करते हैं, जिसे उनके हितों की रक्षा के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया, तथा जो व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने और उन्हें जोड़े रखने के लिए उनके व्यवहार को ट्रैक करता है।"**

6.4.1. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता (Obscenity on Digital Platforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **"इंडियाज गॉट लैटेंट"** नामक यूट्यूब शो में अश्लील टिप्पणियों से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए **सॉलिसिटर जनरल** से अनुरोध किया कि वे **ऑनलाइन दिखाए जाने वाले भद्दे कंटेंट पर नियंत्रण के लिए संतुलित विनियामक उपाय प्रस्तुत करें**, जिससे **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Free Speech) पर संतुलन बना रहे।**

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता को विनियमित करने की आवश्यकता क्यों?

- **सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण:** अनियंत्रित अश्लील कंटेंट की अनुमति देने से समाज का नैतिक चरित्र कमजोर होता है, तथा अनादर और नैतिक पतन को बढ़ावा मिलता है।
    - उदाहरण के लिए- 2021 की "बुल्ली बाई" ऐप की घटना में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की तस्वीरों की ऑनलाइन नीलामी की गई थी।
- **मानव गरिमा की रक्षा:** कांट का मानना था कि मनुष्यों को कभी भी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
- **अश्लीलता के सामान्यीकरण से बचना:** जॉन स्टुअर्ट मिल का हानि सिद्धांत सुझाव देता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से समाज को हानि नहीं होनी चाहिए।
- **प्लेटफॉर्म्स की नैतिक जिम्मेदारी: उपयोगितावाद** का दर्शन कहता है कि कोई भी कार्य समाज के अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम कल्याण को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए।

* **संवैधानिक नैतिकता को कायम रखना: अनुच्छेद 19(2)** प्रावधान करता है कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। ऐसे अधिकारों पर लोक व्यवस्था, सदाचार या शालीनता, नैतिकता, अपराध के लिए उकसाने सहित विभिन्न आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

स्पष्ट परिभाषा के बिना कानूनी ढांचा

* **भारतीय न्याय संहिता (BNS)** और IT अधिनियम, 2000 की धारा 67 दोनों ही अश्लील कंटेंट पर प्रतिबंध लगाते हैं।
* **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021** के द्वारा गाली-गलौज, सेक्स, नग्नता, मादक द्रव्यों के सेवन और हिंसा जैसे स्पष्ट कंटेंट दिखाने वाली फिल्मों और शो के लिए आयु-आधारित रेटिंग देने का प्रावधान किया गया है।
* इसके अतिरिक्त, **सिनेमैटोग्राफ अधिनियम (1952), केबल टीवी अधिनियम (1999) और महिलाओं का अशिष्ट चित्रण अधिनियम (1986)** जैसे कानून भी अश्लीलता को नियंत्रित करते हैं।

अश्लील सामग्री से संबंधित मुख्य न्यायिक निर्णय

* **रंजीत डी. उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1964):** सुप्रीम कोर्ट ने **हिकलिन परीक्षण** लागू किया, जिसके अनुसार "भ्रष्ट करने और भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति" वाली किसी भी सामग्री को अश्लील माना जाता है।
* **अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2014):** न्यायालय ने प्रचलित सामाजिक और नैतिक मानदंडों के आधार पर अश्लीलता का मूल्यांकन करते हुए **सामुदायिक मानक परीक्षण** की ओर रुख किया।

आगे की राह

* **न्याय एवं वस्तुनिष्ठता (Justice & Objectivity):** भारत की सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट एवं सुसंगत दिशा-निर्देश तैयार किए जाने चाहिए, जिससे पक्षपात या न्यायिक निर्णयों में व्यक्तिनिष्ठता/ व्यक्तिपरकता को रोका जा सके।
* **जवाबदेही एवं जिम्मेदारी:** OTT कंटेंट, डिजिटल समाचार और उभरती तकनीकों को विनियमित करने के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग विधेयक लाया जाना चाहिए, जिससे नैतिक और सामाजिक रूप से उत्तरदायी मीडिया सुनिश्चित हो सके।
* **नैतिक कंटेंट क्रिएशन को प्रोत्साहित करना:** सामाजिक उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करने के लिए, स्व-विनियमन और ऐसी नैतिक स्टोरीटेलिंग को बढ़ावा देना चाहिए, जो सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक सम्मान को प्रतिबिंबित करती हो।
* **सशक्तीकरण एवं सूचित विकल्प:** युवाओं को मीडिया एथिक्स, जिम्मेदारीपूर्ण कंटेंट व्यवहार और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम लागू करना चाहिए।

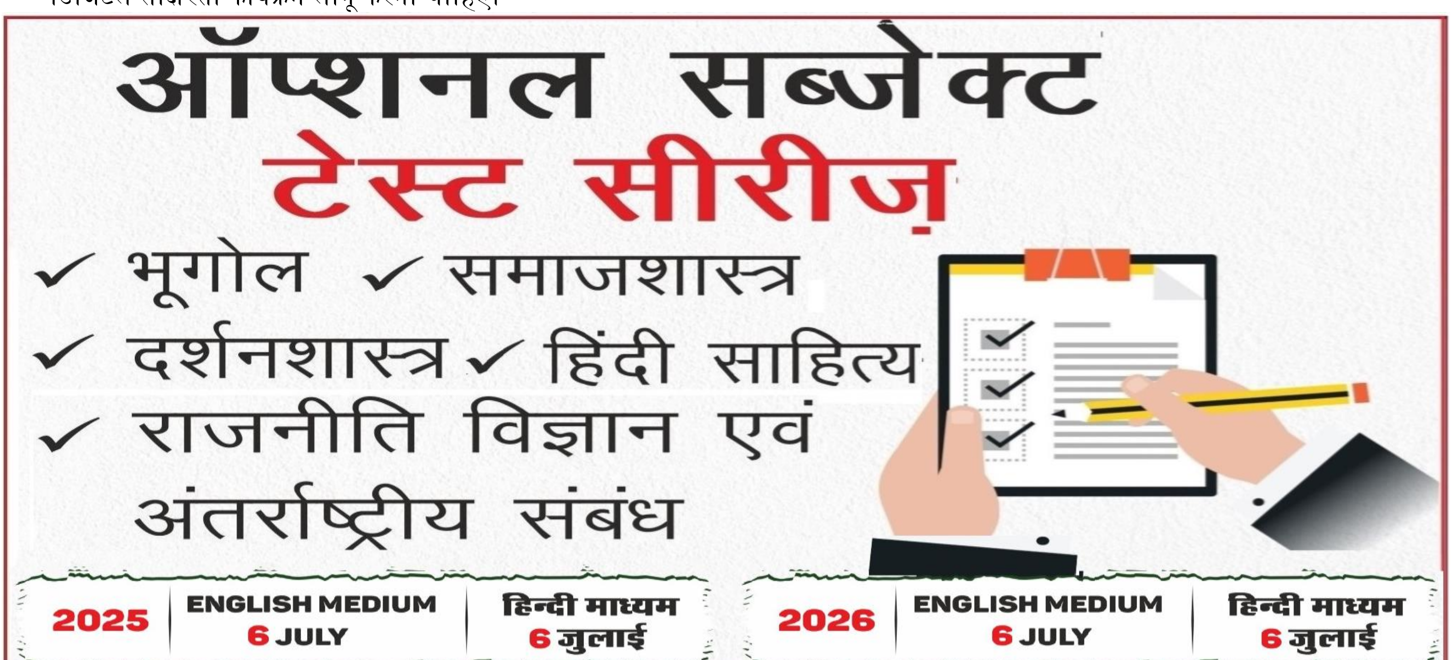

© Vision IAS

6.5. भारत में पर्यावरणीय गवर्नेंस: एक नज़र में (Environmental governance in India at a glance)

भारत में पर्यावरणीय गवर्नेंस

महत्वपूर्ण पर्यावरणीय विनियामक निकाय और उनकी भूमिका

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स (SPCBs)	राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL)	केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA)	राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA)	राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स (SPCBs): जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 के तहत जल निकायों की स्वच्छता एवं वायु की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु गठन किया गया है।	**राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL):** वन्यजीवों और वनों के संरक्षण हेतु **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के तहत गठित एक वैधानिक बोर्ड है।	**केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA):** इसका गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA), 1986 के तहत भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन एवं नियंत्रण के उद्देश्य से किया गया है।	**राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA):** गैर- वन उपयोगों के लिए हस्तांतरित वन भूमि के प्रतिपूरक के एक तरीके के रूप में वनरोपण और पुनरुद्धार गतिविधियों को बढ़ावा देना है।	**राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT):** इसका गठन **2010 में NGT अधिनियम, 2010** के तहत किया गया था। इसे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए गठित किया गया है।

भारत में पर्यावरणीय विनियामक निकायों से संबंधित मुद्दे

सीमित प्रवर्तन: कर्मचारियों, निधियों और विशेषज्ञता की कमी से कानूनों का कार्यान्वियन सीमित हो जाता है।	**कमजोर संस्थागतकरण:** दक्षता और सत्यनिष्ठा जैसे मानदंडों का खराब पालन; नए निकायों के लगातार निर्माण के लिए मज़बूत संस्थागत आधार की आवश्यकता आदि।	**कमजोर निगरानी:** राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे विनियामक निकाय अनुपालन की निगरानी के लिए अपर्याप्त निधि, आधुनिक उपकरणों और अवसंरचना की कमी आदि से पीड़ित हैं।	**पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी:** अपर्याप्त सार्वजनिक प्रकटीकरण और हितधारक भागीदारी जांच एवं भागीदारी को कम करते हैं।

आगे की राह (सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश, 2024)

संरचना: संरचना, योग्यता, कार्यकाल और नियुक्ति प्रक्रिया को परिभाषित करना चाहिए।	**वित्त-पोषण:** इन्हें पर्याप्त वित्त-पोषण प्रदान किया जाना चाहिए और उनका वित्त निश्चित व स्पष्ट होना चाहिए।	**स्पष्ट कार्य:** प्रत्येक प्राधिकरण और निकाय के कार्य एवं भूमिकाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित होनी चाहिए।	**पहुंच:** इनके नियमों, विनियमों व दिशा-निर्देशों को क्षेत्रीय भाषाओं सहित वेबसाइट्स पर उपलब्ध कराकर सुलभ बनाया जाना चाहिए।	**जवाबदेही:** इन प्राधिकरणों के काम-काज का नियमित और व्यवस्थित लेखा-परीक्षण होना चाहिए।

6.5.1. पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण (Eco-centric Approach)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने यह उल्लेख किया है, कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय-निर्णय के क्षेत्र में भारत पहला देश है जिसने **मानव-केंद्रित (Anthropocentric) दृष्टिकोण** से हटकर **पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण** अपनाया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत के सुप्रीम कोर्ट ने **तेलंगाना** के **वन्यजीव वार्डन** को **कांचा गाचीबोवली 'वन' क्षेत्र** की 100 एकड़ वन भूमि के विनाश से प्रभावित वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
    - यह निर्देश उस समय जारी किया गया जब तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास लगभग 400 एकड़ वन भूमि की नीलामी कर IT पार्क बनाने की योजना बनाई थी। इस नीलामी का छात्र बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण के बारे में

- यह दृष्टिकोण **सम्पूर्ण पारिस्थितिक-तंत्र और उसके घटकों के संवर्धन को प्राथमिकता** देता है। साथ ही, यह **प्रकृति को स्वयं में मूल्यवान** मानता है, न कि केवल मानव उपयोग के लिए।
- हालांकि, इसके विपरीत **मानव-केंद्रित दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि मनुष्य पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण इकाई है** और **अन्य प्राणियों अथवा चीजों को मुख्य रूप से मनुष्यों के लिए उनकी उपयोगिता** के **आधार पर महत्व दिया जाता** है।

- इस दृष्टिकोण को मान्यता **नॉर्वे के दार्शनिक अर्ने नेस द्वारा डीप इकोलॉजी मूवमेंट** से भी मिली है।
- यह विचार **हित सिद्धांत (Interest Theory)** से भी सुसंगत है, जो यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति उन अधिकारों का दावा कर सकता है जो उसके हित में हों, और जिनसे मिलने वाला लाभ **आंतरिक या अंतिम मूल्य वाला हो।**

पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण के लिए प्रमुख चालक/ सुविधाकर्ता

- **संवैधानिक आधार:**
  - **अनुच्छेद 21:** इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है।
  - **अनुच्छेद 48A:** राज्य को पर्यावरण और वन्य जीवन का संरक्षण और सुधार करने का निर्देश देता है।
  - **अनुच्छेद 51A (g):** प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है।
- **विधायी उपाय:** उदाहरणार्थ, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (1960), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (1972), आदि।
- **पर्यावरण पर न्यायिक निर्णय:** वनों की कटाई, नदी प्रदूषण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट को **पर्यावरणीय विषयों को संविधान के नजरिए से विचार करना** जाना चाहिए।
  - सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से पर्यावरण संकटों से निपटने के लिए **मूल अधिकारों के दायरे को व्यापक बनाने** हेतु **अनुच्छेद 32 और 142 के** तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया है।
- **सांस्कृतिक लोकाचार:** भारत की पारंपरिक विचारधारा यह नहीं मानती है कि मनुष्य प्रकृति से श्रेष्ठ है।

पर्यावरणीय मुद्दों के संवैधानिकीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **एम.के. रंजीत सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2024):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 द्वारा मान्यता** दी जानी चाहिए।
- **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ वाद (1986):** संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत **प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा** माना गया।
- **मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद, (1978):** इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि **रोग और संक्रमण के खतरे से मुक्त वातावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित है।**

निष्कर्ष

भारत की न्यायपालिका द्वारा पारिस्थितिक तंत्र को केंद्र में रखकर निर्णय लेना एक बड़ा और परिवर्तनकारी कदम है। यह प्रकृति के अपने आप में मूल्यवान होने को मान्यता देता है। यह हमारे संविधान की उस सोच को फिर से मजबूत करता है जिसमें मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलित सह-अस्तित्व की बात की गई है। इससे दीर्घकालिक पारिस्थितिक न्याय सुनिश्चित होता है।

6.6. केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme: CSS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, व्यय संबंधी सुधारों के भाग के रूप में **नीति आयोग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) में सुधार की प्रक्रिया** शुरू की है।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSSs) के बारे में

- **परिभाषा:** CSSs ऐसी योजनाएं हैं, जिन्हें **केंद्र और राज्य द्वारा 'संयुक्त रूप से वित्त-पोषित'** किया जाता है। इन्हें संविधान की **राज्य सूची व समवर्ती सूची में आने वाले क्षेत्रकों में राज्यों की सहायता से कार्यान्वित** किया जाता है।
- **विशेषताएं:**
  - CSSs का वर्तमान ढांचा **CSS के युक्तिकरण पर मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की रिपोर्ट (2015)** पर आधारित है।
  - **फोकस:** CSS का फोकस उन योजनाओं पर रहता है, जिन्हें **विज़न 2022** को साकार करने के लिए **राष्ट्रीय विकास एजेंडा** में शामिल किया गया है। इसके तहत केंद्र और राज्यों को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता होती है।

- **वर्तमान स्थिति:** वर्तमान में **75 केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSSs) चल रही हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों** में वर्गीकृत किया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार, मौजूदा समय में केंद्र सरकार अपने **कुल बजटीय व्यय का लगभग 10.4% वर्तमान में चल रही 75 CSSs** पर खर्च करती है।
- **वित्त-पोषण:** राज्यों को CSSs के लिए सभी हस्तांतरण **राज्य की संचित निधि** के माध्यम से किए जाते हैं। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों और 2017 से योजना व गैर-योजना भेद को समाप्त करना।

- **'कोर' योजनाओं के लिए वित्त-पोषण का ढांचा:**
  - **8 पूर्वोत्तर राज्य और 3 हिमालयी राज्य:** योजना के वित्त-पोषण में केंद्र व राज्यों की हिस्सेदारी **90:10** के अनुपात में तय की गई है ।
  - **अन्य राज्य:** योजना के वित्त-पोषण में केंद्र व राज्यों की हिस्सेदारी **60:40** के अनुपात में तय की गई है।
  - **केंद्र शासित प्रदेश:** जिन केंद्र शासित प्रदेशों में **विधान सभा नहीं** है, वहां **100%** वित्त-पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- **निगरानी:** संघ एवं राज्यों के साथ-साथ **नीति आयोग** को भी CSSs की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है और वह **थर्ड पार्टी मूल्यांकन** की देखरेख भी करता है।

CSS का औचित्य

- **समनुषंगिता या सहायकता का सिद्धांत (Principle of Subsidiarity):** केंद्रीय प्राधिकरण उन कार्यों को संपन्न करता है जिन्हें स्थानीय स्तर पर प्रभावी रूप से नहीं किया जा सकता।
- **राज्यों में बुनियादी सेवाओं की समानता:** उदाहरण के लिए- स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं की समानता सुनिश्चित करती हैं।
- **मेरिट गुड्स को प्राथमिकता देना:** इससे सब्सिडी वाले आवास या सामाजिक सेवाओं या स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं जैसी मदों पर सरकारी संसाधनों का खर्च सुनिश्चित होता है।
- **राज्य के नीति-निदेशक तत्व:** ये सभी स्तरों पर सरकारों का मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही, इनसे कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रयासों के लिए संवैधानिक जिम्मेदारी प्राप्त हुई है, जैसे- **शिक्षा (अनुच्छेद 45), कमजोर वर्गों का कल्याण (अनुच्छेद 46) तथा लोक स्वास्थ्य (अनुच्छेद 47)।**

CSS के मौजूदा ढांचे से संबंधित समस्याएं/ मुद्दे

- **संसाधन वितरण संबंधी मुद्दे:** वित्त वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान से पता चलता है कि **कुल वित्त-पोषण का 91.14% भाग 15 योजनाओं** को प्राप्त हुआ। यहां तक कि 'अम्ब्रेला' योजनाओं के तहत आने वाली कई उप-योजनाओं को बहुत कम वित्त-पोषण प्राप्त हुआ है।
- **योजनाओं की अधिक संख्या: किसी योजना के अनेक लघु उप-घटक** होने या अधिक संख्या में लघु योजनाओं के कारण **प्रयासों में दोहराव** होता है। इसके चलते संसाधनों का आवंटन भी कम होता है।
- **संघ सूची में सूचीबद्ध मदों के लिए कम राजकोषीय आवंटन:** राज्य सूची में सूचीबद्ध मदों पर संघ का व्यय काफी बढ़ गया है, इसलिए संघ सूची में शामिल मदों के लिए राजकोषीय आवंटन में कमी हो गई है।
  - उदाहरण के लिए- राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के अनुसार, रक्षा व्यय 2011-12 के सकल घरेलू उत्पाद के 2% से घटकर 2019-20 में 1.5% हो गया था।
- **'वन साइज फिट्स ऑल' का दृष्टिकोण:** CSS की रूपरेखा केंद्रीय मंत्रालय द्वारा परिभाषित की जाती है। इस वजह से राज्यों के भीतर और राज्यों के बीच मतभेदों का समाधान करना मुश्किल हो जाता है।
- **कुछ राज्यों में योजना संबंधी कम निवेश होना:** इसके अलावा, कम GSDP वाले राज्य श्रम बल, कौशल, तकनीकी विशेषज्ञता में अपर्याप्त क्षमता तथा कमजोर गवर्नेंस के कारण केंद्र की ओर से जारी फंड्स का निश्चित समय में उपयोग करने में असमर्थ होते हैं।
- **बेहतर निगरानी का अभाव:** वर्तमान में, CSSs परिणामों यानी आउटकम्स की बजाय प्रक्रियाओं (क्या और कैसे करना है) पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। यह निगरानी वास्तविक आउटकम्स पर आधारित होने की बजाय इनपुट पर आधारित होती है।

आगे की राह

- **वित्त-पोषण को प्राथमिकता देना:** 15वें वित्त आयोग के अनुसार, उन CSSs और उनके उप-घटकों के लिए धीरे-धीरे वित्त-पोषण बंद करना चाहिए।
- **वित्त-पोषण की आरंभिक सीमा:** अरविंद वर्मा समिति ने 2005 में कहा था कि किसी नई CSS को तभी शुरू किया जाना चाहिए, जब वार्षिक व्यय 300 करोड़ रुपये से अधिक हो।
  - मौजूदा लघु योजनाओं के लिए, वित्त-पोषण को सामान्य केंद्रीय सहायता के रूप में राज्यों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
- **मुद्रास्फीति सूचकांक आधारित वित्त-पोषण:** योजनाओं के कुछ घटकों के वित्तीय मानदंडों जैसे मिड डे मील योजनाओं में खाना पकाने की लागत को थोक मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए।

- **बेहतर गवर्नेंस:** 15वें वित्त आयोग के अनुसार:
    - CSSs के वित्त-पोषण के पैटर्न को पारदर्शी तरीके से पहले से तय किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार **डेटा सिस्टम को बढ़ाने वाली** पहलों में सहयोग कर सकती है। **आउटपुट व आउटकम संकेतकों पर विश्वसनीय जानकारी** भी शामिल होनी चाहिए।

6.7. सिविल सोसाइटी: एक नज़र में (Civil society at a glance)

सिविल सोसायटी

सिविल सोसायटी सरकार (राज्य) और आर्थिक बाजार से अलग एक क्षेत्र के रूप में मौजूद लोकतांत्रिक समाज का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये साझा हितों को आगे बढ़ाने, सामाजिक मुद्दों का समाधान करने और सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने के लिए लोगों द्वारा गठित स्वैच्छिक संगठन एवं समूह होते हैं।

सिविल सोसायटी की भूमिका

सिविल सोसायटी **लोकतंत्र के लिए एक सामाजिक आधार** हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करती हैं। साथ ही, ये पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देकर राजनीतिक व्यवस्था में विश्वसनीयता लाती हैं।	ये **नीति निर्माण** और कार्यान्वियन में **मूल्यवान भागीदार** के रूप में कार्य करती हैं।	ये **महत्वपूर्ण दबाव समूहों** के रूप में कार्य करती हैं।

सिविल सोसायटी के कुशल काम-काज में मौजूद बाधाएं

सिविल सोसायटी की गुणवत्ता और कार्य पद्धति को बेहतर बनाने वाले **सक्षम स्वयंसेवकों की कमी।**	**धन के दुरुपयोग की घटनाओं में वृद्धि होने के** कारण जवाबदेही संबंधी चिंताएं उत्पन्न हुई हैं।	भारतीय समाज की सामाजिक, धार्मिक, नृजातीय और आर्थिक समस्याएं **ऐसे संगठनों के भीतर असमानता एवं संघर्ष** उत्पन्न करती हैं।	**सरकार का असहनशील रवैया और अत्यधिक विनियमन** ऐसे संगठनों की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता को प्रभावित करता है।	**कुछ सिविल सोसायटी की नकारात्मक छवि:** इन्हें "राष्ट्र-विरोधी" और "विकास-विरोधी" के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही, इन्हें विदेशी हितों की पूर्ती करने वाले संगठन भी कहा जाता है।

आगे की राह

सिविल सोसायटी संगठनों (CSOs) और सरकार के बीच सहयोगात्मक संबंध की पारस्परिक समझ को बढ़ावा देना चाहिए।	CSOs को **वैधानिक निकाय का दर्जा प्रदान** करना चाहिए। इससे किसी मामले के लिए निजी दायित्व से बचा जा सकेगा।	**सरकार द्वारा प्रक्रियाओं और निर्णय लेने में पारदर्शिता की आवश्यकता है और ऐसी जानकारी NGOs को आसानी से उपलब्ध** होनी चाहिए।	**जुड़ाव के नए अवसरों की तलाश करना:** प्रौद्योगिकी द्वारा कार्रवाई; प्रेरणा के नवीन स्त्रोतों की खोज; युवा पीढ़ियों के सहयोग से गतिविधियों का संचालन।	अन्य देशों के साथ भारत की विकास साझेदारियों को आकार देने में CSOs का लाभ उठाना चाहिए, जैसे- अफ्रीका में **VANI (वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया)** कार्यक्रम।

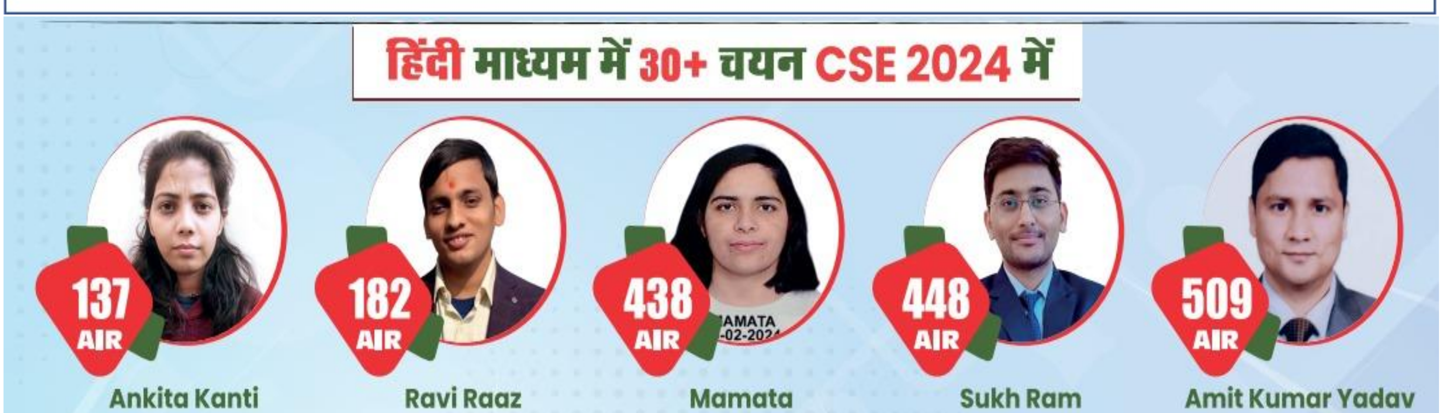

6.7.1. गैर-सरकारी संगठन (Non-Governmental Organizations: NGOs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम**[17], 2010 के तहत पंजीकृत सभी **गैर-सरकारी संगठनों (NGOs)** को अपने **प्रमुख पदाधिकारियों और सदस्यों में किसी भी बदलाव की सूचना देने का निर्देश** दिया है।

NGOs क्या हैं और भारत में इन्हें किस प्रकार विनियमित किया जाता है?

- NGOs एक प्रकार के **गैर-लाभकारी संगठन, समूह या संस्था** होते हैं। ये सरकार से अलग **स्वतंत्र रूप से संचालित** होते हैं। इनके उद्देश्य **मानवीय या विकासात्मक** होते हैं।
- **भारत में NGOs का गठन निम्नलिखित अधिनियमों के तहत किया जाता है:**
    - **सोसाइटी:** ये **सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860** के तहत पंजीकृत होते हैं।
    - **ट्रस्ट:**
        - **निजी ट्रस्ट** केंद्र सरकार के **भारतीय न्यास अधिनियम, 1882** के तहत पंजीकृत होते हैं।
        - **सार्वजनिक ट्रस्ट** संबंधित राज्य के न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं।
    - **चैरिटेबल कंपनियां:** ये **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8** के तहत **गैर-लाभकारी कंपनियों के रूप में पंजीकृत** होती हैं।

NGOs से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **7वीं अनुसूची: ट्रस्ट और धर्मार्थ संस्थाएं समवर्ती सूची** में आती हैं, अर्थात इन विषयों पर कानून **संसद एवं राज्य विधान-मंडल** दोनों द्वारा बनाए जा सकते हैं।
- **अनुच्छेद 19(1)(c): संगठन व संघ बनाने के अधिकार** की गारंटी देता है।

- **FCRA पंजीकरण:** विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले **सभी गैर-सरकारी संगठनों** को **FCRA, 2010** के तहत गृह मंत्रालय से **FCRA पंजीकरण लाइसेंस लेना अनिवार्य है।**
    - **FCRA, 2010 के तहत विनियमन: विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020** के जरिए **2020** में FCRA अधिनियम, 2010 को संशोधित किया गया था। इसके तहत विदेशों से वित्त-पोषित NGOs द्वारा **धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए गए थे:**
        - विदेशी अंशदान को केवल **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), नई दिल्ली** की उस शाखा में प्राप्त किया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी। इसे **'FCRA अकाउंट'** के रूप में निर्दिष्ट खाते में ही प्राप्त किया जाना चाहिए।
        - किसी **अन्य व्यक्ति** को विदेशी अंशदान के हस्तांतरण पर पूर्ण **प्रतिबंध** लगाया गया है।
        - विदेशी अंशदान के माध्यम से संचालित होने वाले NGO के **प्रशासनिक खर्चों** के लिए किए जाने वाले व्यय को **50% से कम कर 20%** कर दिया है।
        - **केंद्र सरकार को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं:**
            - **जांच** के बाद विदेशी धन का उपयोग करने से रोक सकती है।
            - NGOs के **पदाधिकारियों, निदेशकों और प्रमुख पदाधिकारियों** को अपनी पहचान के लिए **आधार नंबर** प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।

गैर-सरकारी संगठनों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

- **गवर्नेंस:**
    - **लोकतंत्र और गवर्नेंस को मजबूत करना:** उदाहरण के लिए- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने चुनावी और राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है।
    - **सरकारी प्रयासों का पूरक:** उदाहरण के लिए- **अक्षय पात्र फाउंडेशन** भारत में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए संचालित **पी.एम. पोषण पहल** का कार्यान्वयन कर रहा है।

[17] Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA)

- **सामाजिक उत्थान एवं सुधार:**
  - **मानवाधिकारों की रक्षा:** उदाहरण के लिए- **'बचपन बचाओ आंदोलन'**।
  - **महिला सशक्तीकरण:** उदाहरण के लिए- **सेल्फ एम्प्लाइड वुमन एसोसिएशन (SEWA/ सेवा)**।
  - **गरीबी उन्मूलन:** उदाहरण के लिए- **NGO-गूंज**।
- **मानव संसाधन विकास:**
  - **शिक्षा:** उदाहरण के लिए- **NGO प्रथम**।
  - **स्वास्थ्य में सुधार:** उदाहरण के लिए- **मेडेसिन्स सैन्स फ्रंटियर्स (MSF)** भारत में तपेदिक (TB), HIV और अन्य संक्रामक रोगों आदि के लिए कार्यक्रम चलाता है।
- **अन्य:**
  - **अनुसंधान एवं विकास:** उदाहरण के लिए- **ऑक्सफैम**।
  - **विरासत का संरक्षण:** उदाहरण के लिए- **इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH)**।
  - **पर्यावरण का समर्थन:** उदाहरण के लिए- **वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (WTI)**।

NGOs को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **वित्त-पोषण का प्रावधान:** केंद्र सरकार NGOs के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए **स्वाधार, उज्ज्वला** जैसी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को धन प्रदान करती है।
- **NGO दर्पण:** यह NGO दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत NGOs को एक विशिष्ट आई.डी. प्रदान करता है।

NGOs से संबंधित चुनौतियां/ मुद्दे

- **कार्यात्मक चुनौतियां:**
  - **संभावित दाता-संचालित एजेंडा स्थानीय संदर्भों के अनुरूप नहीं है**। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को कुछ अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों के कारण गंभीर विरोध का सामना करना पड़ा है। **सुरक्षा संबंधी चिंताएं** उत्पन्न हुई हैं।
- **विनियामक और कानूनी चुनौतियां: FCRA** के सख्त प्रावधान, **संभावित वित्तीय कुप्रबंधन**।
- **परिचालन संबंधी मुद्दे:** दानदाताओं पर अत्यधिक निर्भरता; ख़राब स्वयंसेवी सहभागिता; NGO आदि की तकनीकी सीमाएं इत्यादि।

सुधार के लिए सिफारिशें

- **विजय कुमार समिति (2017) की सिफारिशें:** विनियमन के संदर्भ में लचीला दृष्टिकोण, आधुनिक पंजीकरण प्रक्रियाएं, एक नोडल निकाय की स्थापना, पारदर्शिता के लिए डेटाबेस, स्वयंसेवा की संस्कृति को बढ़ावा देना।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की सिफारिशें:**
  - FCRA के कार्यान्वयन का **विकेंद्रीकरण** किया जाना चाहिए।
  - स्वैच्छिक क्षेत्रक के **संचालन** की सुरक्षा के लिए विधायी नियमों का **संतुलित और स्पष्ट** ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

संतुलित विनियमन और संस्थाओं के समर्थन के माध्यम से NGOs की पारदर्शिता सुनिश्चित करना एक जीवंत और सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।

© Vision IAS

6.8. भारत में विज्ञापन संबंधी विनियमन (Advertisement Regulation in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने **भारतीय खेल प्राधिकरण और BCCI** से आग्रह किया है कि **वे खिलाड़ियों को तंबाकू या शराब के सरोगेट उत्पादों का विज्ञापन करने से रोकें।**

सरोगेट विज्ञापन क्या है?

- **परिचय:** सरोगेट विज्ञापन एक ऐसी विज्ञापन रणनीति है जिसमें किसी **प्रतिबंधित उत्पाद** (जैसे- तंबाकू या शराब) को सीधे विज्ञापित करने के बजाय, उसी **कंपनी के किसी अन्य उत्पाद का विज्ञापन** किया जाता है।
- **पद्धति: गलत विवरण या छिपी हुई जानकारी** जैसी भ्रामक रणनीति का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अनुचित व्यापार व्यवहार को बढ़ावा मिलता है।
    - अक्सर ब्रांड अपनी पहचान छिपाने या नियमों से बचने के लिए मशहूर हस्तियों और आकर्षक दृश्यों का सहारा लेते हैं, जैसे शराब कंपनियों द्वारा म्यूजिक CD का प्रचार या पान मसाला ब्रांड्स द्वारा इलायची के विज्ञापनों के जरिए परोक्ष रूप से प्रचार करना।
- **उद्देश्य: लोकप्रिय खेल आयोजनों** में ये विज्ञापन **ब्रांड्स को रिकॉल वैल्यू हासिल** करने में मदद करते हैं। इससे प्रतिबंधित उत्पादों की **बिक्री बढ़** जाती है।
    - उदाहरण के लिए- IPL 2024 के दौरान प्रचारित कुल विज्ञापनों में **पान मसाला उत्पादों** से संबंधित विज्ञापनों की हिस्सेदारी 16% थी।

सरोगेट विज्ञापनों से संबंधित कानूनी फ्रेमवर्क

- **केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995; केबल टेलीविजन नियम, 1994;** तथा **सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003** के तहत शराब, तंबाकू एवं सिगरेट उत्पादों का विज्ञापनों के जरिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 'भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के अनुमोदन की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश, 2022'** जारी करके पहली बार **सरोगेट विज्ञापनों को परिभाषित** किया था।
- **भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) संहिता** के तहत प्रतिबंधित वस्तुओं से जुड़े ब्रांड का किसी अप्रतिबंधित वस्तु के विज्ञापन के लिए उपयोग करने पर कोई रोक नहीं है बशर्ते यह **'जेन्युइन ब्रांड एक्सटेंशन'** होना चाहिए।
    - जेन्युइन ब्रांड एक्सटेंशन की प्रामाणिकता का आकलन उत्पादन और बिक्री के आंकड़ों के साथ विज्ञापन अभियानों के बीच सहसंबंध स्थापित करके किया जा सकता है।
- **औषधि और चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954[18], 1954** चमत्कारिक गुणों वाले उपचारों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है।
- **सेबी (निवेश सलाहकार) विनियम[19] 2013:** यह शुल्क के एवज में वित्तीय सलाह देने वाले लोगों के लिए एक फ्रेमवर्क जैसा है। यह फिनफ्लुएंसर्स (सोशल मीडिया पर वित्तीय सलाह देने वाले) की गतिविधियों को विनियमित करने में भी मदद करता है।

सरोगेट विज्ञापनों से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद (2024):** वैध स्व-घोषणा प्रमाणपत्र के बिना टेलीविजन, प्रिंट मीडिया या इंटरनेट पर कोई भी विज्ञापन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- **टीवी टुडे नेटवर्क बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2021): कंपनी की शराब की बोतल जैसा दिखने वाला क्लब सोडा** का विज्ञापन सरोगेट विज्ञापन के तौर पर देखा गया। ब्रांड से **माफ़ी मांगने के लिए कहा गया।**

---

[18] rugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act

[19] SEBI (Investment Advisors) Regulations

सरोगेट विज्ञापन के निहितार्थ

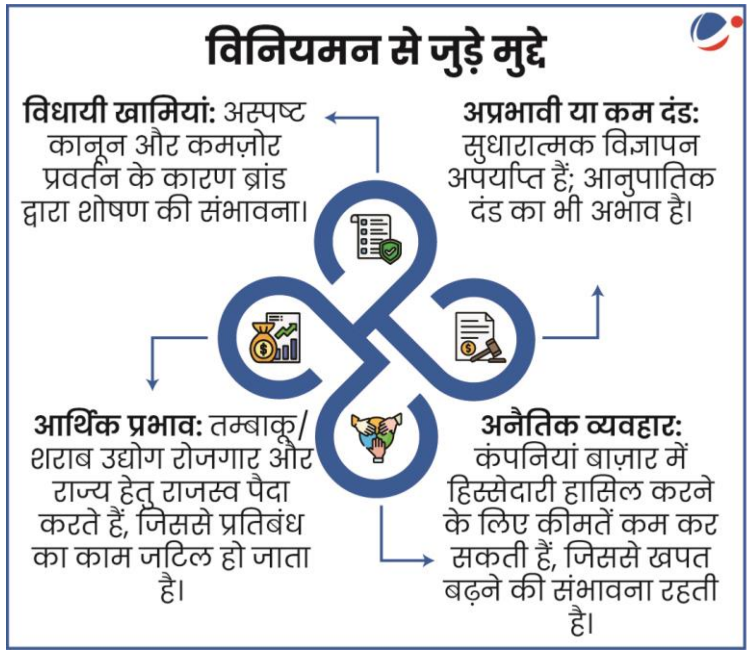

- **उपभोक्ताओं के संबंध में: जागरूकतापूर्ण निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करना,** विज्ञापन **आकांक्षापूर्ण कंटेंट** के जरिए सपनों को बेचने के लिए बनाए जाते हैं। यह कंटेंट उत्पाद से जुड़ा होता है। ये **युवाओं और निर्धन वर्गों को सर्वाधिक गुमराह** करते हैं।
- **लोक स्वास्थ्य के संबंध में:** ICMR के एक अध्ययन में पाया गया कि **ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप, 2023 में कुल विज्ञापनों में से 41.3% स्मोकलेस तंबाकू ब्रांड्स के सरोगेट विज्ञापन थे।**
- **कंपनियों के संबंध में:** सरोगेट विज्ञापन प्रतिबंधित उत्पादों की **ब्रांड दृश्यता और बिक्री को बढ़ावा** देते हैं। इससे **अनुचित व्यापार प्रथाओं के और इन उत्पादों के अधिक उपयोग** को बढ़ावा मिलता है।
  - **डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, BCCI और राज्य संघों** के खेल टूर्नामेंट्स के दौरान सरोगेट विज्ञापनों से इनके राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए- ब्रांड, 10 सेकंड के विज्ञापन स्पॉट के लिए 60 लाख रुपये का भुगतान करते हैं।
- **सामाजिक प्रभाव और नज थ्योरी: 'आउट ऑफ साइट-आउट ऑफ माइंड' मार्केटिंग रणनीति** का उपयोग उपभोक्ताओं को तम्बाकू या शराब उत्पादों का सेवन करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए- **सेलिब्रिटी द्वारा किए गए विज्ञापन।**

आगे की राह

- **सरकारी हितधारकों और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) द्वारा की गई सिफारिशें:**
  - ब्रांड एक्सटेंशन और विज्ञापित किए जा रहे प्रतिबंधित उत्पाद या सेवा के बीच स्पष्ट अंतर सुनिश्चित करना चाहिए;
  - विज्ञापन में प्रतिबंधित उत्पाद का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संदर्भ नहीं होना चाहिए;
  - विज्ञापन की प्रस्तुति में प्रतिबंधित उत्पाद से सादृश्यता नहीं होनी चाहिए;
- **मौजूदा विनियमनों को मजबूत करना:**
  - **COTPA और ASCI के तहत स्पष्टीकरण:** सरोगेट विज्ञापन पर प्रतिबंध को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और इसे सभी मीडिया, आयोजनों तक पहुंचना चाहिए।
  - **डिजिटल मीडिया विनियमन:** खेलों से संबंधित सट्टेबाजी, स्वास्थ्य-केंद्रित सप्लीमेंट्स।
- **जवाबदेही सुनिश्चित करना:** दंड की मात्रा बढ़ानी चाहिए और जुर्माना लगाकर मीडिया निगमों को उत्तरदायी बनाना चाहिए तथा जिम्मेदार विज्ञापन प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए।
- **विनियामक अंतर्दृष्टि:** समय-समय पर ऑडिट, रियल टाइम सतर्कता और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना चाहिए।
- **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC)** अभियानों के माध्यम से लोक जागरूकता एवं शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष

विशेष रूप से नए युग की तकनीक के इस दौर में **विज्ञापनों का उपभोक्ताओं के मन पर गहरा प्रभाव** पड़ता है। इसलिए, स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए **उनके दावों की वैधता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण** है।

6.9. ऑनलाइन बेटिंग और गैंबलिंग क्षेत्रक (Online Betting and Gambling Sectors)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कर्नाटक सरकार ने **ऑनलाइन गैंबलिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म्स** को विनियमित करने के लिए एक समिति गठित की है। इसका उद्देश्य **धोखाधड़ी रोकना और वैध गेमिंग क्षेत्रक** को समर्थन प्रदान करना है।

ऑनलाइन बेटिंग को विनियमित करने की आवश्यकता क्यों है?

- **बेहतर निगरानी और प्रवर्तन:** विधि आयोग की **276वीं रिपोर्ट** के अनुसार, पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना प्रभावी नहीं रहा है। क़ानून द्वारा विनियमित बेटिंग क्षेत्रक एक बेहतर समाधान हो सकता है।
- **मैच फिक्सिंग को रोकना: न्यायमूर्ति लोढा समिति** के अनुसार बेटिंग को विनियमित करने से बेटिंग में खिलाड़ियों की अनैतिक भागीदारी को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **काले धन पर अंकुश:** फिक्की (FICCI) सरकार से बेटिंग को वैध बनाने का आग्रह कर रहा है, तथा अनुमान है कि सरकार को इससे 12,000-19,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।
- **बढ़ती लत और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं:** बेटिंग संबंधी ऐप्स के आसानी से उपलब्ध होने से विशेष रूप से युवाओं में इसकी लत लगने का खतरा बढ़ जाता है।

ऑनलाइन बेटिंग और गैंबलिंग को विनियमित करने से संबंधित मुद्दे

- **कौशल का खेल: खेल में बेटिंग वैचारिक रूप से हॉर्स राइडिंग में बेटिंग जैसा है,** इसलिए भारत में खेल के तहत बेटिंग की अनुमति दी जानी चाहिए।
  - **आर.एम.डी चमारबागवाला बनाम भारत संघ वाद (1957)** में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई गतिविधि **प्रमुख रूप से कौशल पर आधारित हो,** तो वह व्यापार की श्रेणी में आती है और **अनुच्छेद 19(1)(g)** के तहत संरक्षित है।
- **गैंबलिंग राज्य सूची का विषय है:** यह केंद्र और राज्यों के मध्य **विषयों के विभाजन से संबंधित संघीय सिद्धांत का उल्लंघन** होगा।
- **पर्यटन पर प्रभाव:** अधिकांश राज्यों ने स्थानीय लोगों के लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन गोवा जैसे राज्यों में यह पर्यटकों के लिए एक आकर्षण है।

मौजूदा विनियामकीय फ्रेमवर्क

- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("IT नियम 2021"):** सह-विनियामक व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतंत्र स्व-विनियामक निकाय यह सत्यापित करेंगे कि कोई "ऑनलाइन रियल-मनी गेम" आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जाए या नहीं।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) (संशोधन) नियम, 2023:** ये निजता संबंधी नीतियों के साथ-साथ यूजर्स एग्रीमेंट्स के संबंध में सत्यापन, पंजीकरण और पारदर्शिता को अनिवार्य करके ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने का प्रयास करते हैं।
- **अलग-अलग राज्यों में नियम:** असम राज्य में असम गेमिंग और बेटिंग अधिनियम (1970) बनाया गया है; गोवा में गोवा, दमन और दीव पब्लिक गैंबलिंग अधिनियम (1976) बनाया गया है, आदि।

निष्कर्ष

हालांकि, ऑनलाइन बेटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन एक बेहतर विनियामक कानून अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने, उपभोक्ताओं की सुरक्षा करने और राजस्व सृजित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। किसी भी प्रकार के विनियमन के लिए यह आवश्यक है कि संघीय ढांचा के सिद्धांतों का सम्मान हो; स्किल-बेस्ड गेम्स और चांस-बेस्ड गेम्स में अंतर किया जाए तथा डिजिटल माध्यम का जिम्मेदार पूर्ण तरीके उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

6.10. मुख्य शब्दावलियां (Key Words)

मुख्य शब्दावलियां				
प्रशासनिक सुधार	नियम-आधारित शासन से भूमिका-आधारित शासन की ओर	लैटरल एंट्री	नेट न्यूट्रैलिटी	नागरिक-केंद्रित प्रशासन
नौकरशाही की बाधाएं प्रतिरोध	सहभागी शासन	पर्यावरण शासन	संप्रभुता को खतरा	विनियामक की अनुपस्थिति

प्रवर्तन में विलंब	प्रावधान का लागू होना	पर्यावरण पर न्याय-निर्णय	सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था	सिविल सोसाइटी
मिशन कर्मयोगी	जवाबदेही आधारित डिजिटल सहभागिता			

6.11. अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

उत्तर लेखन प्रारूप

मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य भारतीय नौकरशाही को नियम-आधारित प्रणाली से भूमिका-आधारित प्रणाली की ओर स्थानांतरित करना है। इसकी महत्ता का विश्लेषण कीजिए और भारत में इस प्रकार के सुधारों को लागू करने में आने वाली प्रमुख चुनौतियों को उजागर कीजिए।

भूमिका	मुख्य भाग 1	मुख्य भाग 2	निष्कर्ष
मिशन कर्मयोगी का संक्षिप्त विवरण दीजिए	भूमिका-आधारित, योग्यता-संचालित दृष्टिकोण का महत्व	कार्यान्वयन में चुनौतियां	नागरिक-केंद्रित सिविल सेवा की ओर

7. स्थानीय शासन (Local Governance)

7.1. राज्यों में पंचायतों को अंतरण या हस्तांतरण की स्थिति (Status of Devolution to Panchayats in States)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने **"राज्यों में पंचायतों को (फंड) अंतरण की स्थिति- सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग[20]"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

पंचायतों को अंतरण या हस्तांतरण के बारे में

- पंचायतों को अंतरण का आशय- **शक्ति, प्राधिकार, अधिकार, कर्तव्य, जिम्मेदारियों और धनराशि** को उच्च स्तर की शासन व्यवस्था से निचले स्तर की शासन व्यवस्था को हस्तांतरित करने से है।
- **स्थानीय शासन,** जिसमें पंचायतें शामिल हैं, संविधान में **राज्य सूची** का विषय है। इसलिए, पंचायतों को शक्ति और अधिकार सौंपने का निर्णय राज्यों के विवेक पर निर्भर करता है।

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं:

- **पंचायत अंतरण सूचकांक[21]:** यह राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को **अधिकारों के अंतरण के 6 आयामों** (इन्फोग्राफिक देखें) के आधार पर **रैंक** प्रदान करता है।
- **पंचायतों को अंतरण में सुधार:** पंचायतों को अंतरण **2013-14 में 39.9% था, जो 2021-22** के दौरान बढ़कर **43.9%** तक हो गया था।
- **सूचकांक में शामिल क्षमता में वृद्धि घटक:** क्षमता में वृद्धि **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)** जैसी पहलों के चलते **44% से बढ़कर 54.6%** हो गई है।

अंतरण के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 243G:** राज्य पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा, जो **उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएं।**
- **अनुच्छेद 243H:** यह राज्य विधान-मंडलों को पंचायतों को **कर, शुल्क, टोल और फीस आरोपित एवं एकत्र करने के लिए अधिकृत करने वाले कानून बनाने का अधिकार** देता है।
- **अनुच्छेद 243I:** यह पंचायतों को संसाधनों के हस्तांतरण के लिए **प्रत्येक पांच वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन** का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 243ZD:** यह पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित करने एवं संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने हेतु एक **जिला योजना समिति के गठन** का प्रावधान करता है।

पंचायतों को अंतरण से जुड़ी मुख्य चुनौतियां

- **फ्रेमवर्क संबंधी चुनौतियां:** अनियमित चुनाव, वार्डों के परिसीमन या निर्माण में देरी, संविधान के अनुच्छेद **243E (नियमित चुनाव की अनिवार्यता)** के प्रावधान के विपरीत हैं।

[20] Status of Devolution to Panchayats in States – An Indicative Evidence Based Ranking

[21] Panchayat Devolution Index

* **काम-काज संबंधी चुनौतियां:** रिपोर्ट के अनुसार, समग्र पंचायत अंतरण सूचकांक 43.89% (2021-22) है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि पंचायतों के कार्य अभी भी पारंपरिक नागरिक सेवाओं तक ही सीमित हैं। कई जरूरी काम अभी भी पैरास्टाटल निकायों के कब्जे में हैं।
* **वित्त संबंधी चुनौतियां:** राज्य वित्त आयोग का नियमित रूप से गठन नहीं होना। **95% राजस्व ऊपरी स्तर की सरकारों से प्राप्त अनुदानों** पर निर्भर करता है।
* **कार्मिक:** कर्मचारियों की कमी है, एक सचिव 17 ग्राम पंचायतों का प्रबंधन करता है।
* **क्षमता निर्माण संबंधी चुनौतियां:** आधारभूत अवसंरचना की कमी, नियमित प्रशिक्षण की अनुपलब्धता। साथ ही, भारत में 40,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के पास अभी भी कंप्यूटर नहीं हैं।
* **जवाबदेही संबंधी चुनौतियां:** जागरूकता के अभाव में पंचायतों में भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं।
  * उदाहरण के लिए- तमिलनाडु के कृष्णा जिले की 70% पंचायतों में धन के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं।

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

* **राज्य चुनाव आयोग (SEC) को मजबूत बनाना:** चुनाव तिथियों के निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन जैसे चुनाव-संबंधी सभी मामलों का अधिकार **राज्य चुनाव आयोग (SEC)** को दिया जाना चाहिए। **साझा मतदाता सूची** तैयार की जानी चाहिए और इसे **हर वर्ष अपडेट** किया जाना चाहिए।
* **आरक्षित सीटें:** सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण को 2 से 3 कार्यकालों के लिए स्थिर रखा जाना चाहिए। समान सीटों पर सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को लगातार कार्यकाल दिए जाने चाहिए, ताकि स्थानीय नेतृत्व प्रभावी रूप से सशक्त हो सके।
* **स्वायत्तता:** सभी राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSSs) में **पंचायतों की सक्रिय भूमिका** सुनिश्चित की जानी चाहिए। **ग्यारहवीं अनुसूची** में सूचीबद्ध विषयों को पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए।
* **वित्तीय सुधार: राज्य वित्त आयोग** का गठन **हर 5 वर्ष में निर्धारित समय** पर किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के लिए **वित्तीय स्रोतों का विविधीकरण** किया जाना चाहिए।
* **जवाबदेही:** नियमित और निष्पक्ष ऑडिट अनिवार्य रूप से होना चाहिए। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से सभी खर्चों के लेन-देन को दर्ज करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
* **श्रमबल प्रबंधन: स्थानीय सरकार सेवा आयोग** जैसी **एक स्वतंत्र संस्था** बनाई जा सकती है, जो पंचायत के कर्मचारियों की नियुक्ति करे।
* **क्षमता निर्माण:** पंचायत प्रतिनिधियों को **लोक व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, और ई-गवर्नेंस** जैसे विषयों में प्रशिक्षित किया जा सकता है।

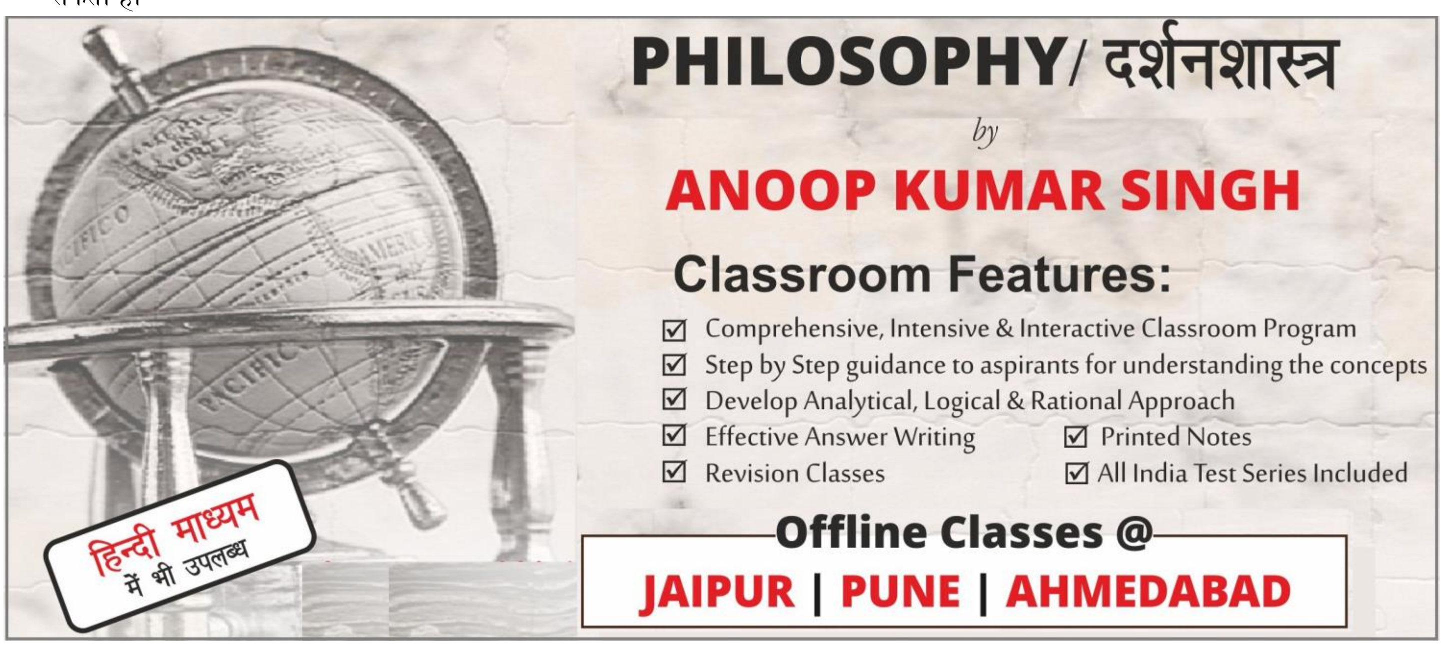

7.2. स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा (Auditing of Local Bodies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **गुजरात के राजकोट में "स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (iCAL)[22]"** का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र **स्थानीय सरकार की लेखा परीक्षा के लिए मानकों का विकास और संवर्धन** करेगा।

स्थानीय स्वशासन और उसके लेखा-परीक्षण के बारे में

- **ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन: वर्ष 2020 में, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत खातों का ऑनलाइन ऑडिट** करने तथा जमीनी स्तर पर धन के उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए **ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन** विकसित की थी।
- **CAG का अधिदेश:** नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) को स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करने का अधिकार **CAG (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971** से प्राप्त होता है।
    - CAG पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के सभी तीन स्तरों के लेखाओं के उचित रखरखाव एवं लेखा परीक्षण पर नियंत्रण रखता है व उनका पर्यवेक्षण करता है।

स्थानीय निकायों की लेखा-परीक्षा का महत्त्व

- **वित्तीय जवाबदेही:** लेखा-परीक्षा के जरिये **धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन का पता लगाकर एवं उसे रोककर लोक निधियों की सुरक्षा** की जाती है।
- **प्रदर्शन मूल्यांकन:** बेंचमार्क के आधार पर परिचालन का मूल्यांकन किया जाता है।
- **सेवा वितरण:** लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के निष्कर्षों व सिफारिशों में सार्वजनिक सेवा वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव लाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने की क्षमता होती है।
- **लोकतांत्रिक भागीदारी:** लेखा-परीक्षा गतिविधियां **नागरिक सहभागिता को बढ़ाकर शासन व्यवस्था को मजबूत** करती हैं। उदाहरण के लिए- मिड-डे मील योजना के बेहतर कार्यान्वयन हेतु सामाजिक लेखा-परीक्षा का प्रावधान किया गया है।
- **लोक विश्वास:** लेखा परीक्षक **सरकारी संगठनों को जवाबदेह और सत्यनिष्ठ बनाने, वित्तीय परिचालनों में सुधार करने तथा नागरिकों एवं हितधारकों के बीच विश्वास** पैदा करने में सहायता करते हैं।
- **विकेंद्रीकरण:** कार्यों के हस्तांतरण, निधियों के अंतरण और पदाधिकारियों के स्थानांतरण की स्थिति के संबंध में लेखा-परीक्षा पर्यवेक्षण/ निष्कर्ष मुद्दों की पहचान करने एवं विकेंद्रीकरण को और मजबूत बनाने में सहायता करते हैं।

[22] International Centre for Audit of Local Governance

स्थानीय निकायों की लेखा-परीक्षा से जुड़े मुद्दे

- **रिकॉर्ड रखने का खराब तरीका:** कई स्थानीय निकायों के वित्तीय रिकॉर्ड अधूरे हैं और सही ढंग से व्यवस्थित नहीं हैं। इसके अलावा, अलग-अलग राज्यों एवं स्थानीय निकायों में **एक समान लेखा-परीक्षा मानकों का अभाव** भी है।
- **कुशल कर्मियों का अभाव:** स्थानीय निकायों को अक्सर खातों को बनाए रखने के लिए **योग्य लेखा परीक्षकों की कमी** का सामना करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप, अपर्याप्त या सतही लेखा-परीक्षा हो सकती है।
- **अधिकार-क्षेत्र का ओवरलैप होना:** विविध एजेंसियों (जैसे राज्य लेखा-परीक्षा विभाग), स्थानीय सरकारी लेखा परीक्षकों और CAG के बीच लेखा-परीक्षा जिम्मेदारियों का विभाजन भ्रम एवं अक्षमता पैदा कर सकता है।
- **पुरानी प्रक्रियाएं:** 11वें वित्त आयोग के अनुसार कई राज्यों में स्थानीय निकायों द्वारा खातों के रखरखाव के लिए **प्रारूप और प्रक्रियाएं** दशकों पहले तैयार की गई थीं तथा उनकी बढ़ी हुई जिम्मेदारियों के बावजूद उन्हें **अपडेट नहीं** किया गया है।
- **कम जागरूकता:** आम जनता और स्थानीय समुदाय के सदस्यों के बीच लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं व उनके महत्त्व के बारे में जागरूकता कम है। इससे सार्वजनिक जांच और जवाबदेही कम हो जाती है।

आगे की राह (द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशें)

- **सरलीकृत मानदंड: पंचायतों के लिए लेखा-परीक्षा और लेखांकन मानक एवं प्रारूप** इस तरह से तैयार किए जाएं कि वे पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए सरल हों।
- **स्वतंत्र ऑडिटिंग संस्था: DLFA या किसी अन्य एजेंसी की स्वतंत्रता को राज्य प्रशासन से स्वतंत्र बनाकर संस्थागत** बनाया जाना चाहिए। इस निकाय के प्रमुख को CAG द्वारा अनुमोदित पैनल से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए।
- **विधायिका की निगरानी: स्थानीय निकायों की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान-मंडल के समक्ष** रखी जानी चाहिए। साथ ही, इन रिपोर्ट्स पर लोक लेखा समिति की तर्ज पर राज्य विधान-मंडल की अलग समिति द्वारा चर्चा की जानी चाहिए।
- **अभिलेखों (रिकाड्र्स) तक पहुंच:** राज्य कानूनों में उपयुक्त प्रावधानों को शामिल करके **DLFA/ लेखा-परीक्षा करने के लिए नामित प्राधिकारी या CAG तक प्रासंगिक जानकारी/ रिकॉर्ड तक पहुंच** सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **क्षमता निर्माण:** प्रत्येक राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **स्थानीय निकायों में लेखांकन और लेखा-परीक्षा मानकों को पूरा करने की क्षमता** है।

7.3. जन योजना अभियान (Jan Yojana Abhiyan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय** ने **जन योजना अभियान** शुरू किया है। इसे **2025-26** की अवधि के लिए **ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (GPDPs)** बनाने के लिए आरंभ किया गया है।

जन योजना अभियान (People's Plan Campaign) के बारे में

- **उद्देश्य:** पंचायत के विकास से संबंधित योजनाओं को तैयार करने की प्रक्रिया में **लोगों की भागीदारी** को बढ़ाना।
- **कार्यान्वयन:** पंचायतों के **सभी तीन स्तरों पर इसका कार्यान्वयन** किया जाएगा। इसे **निर्वाचित प्रतिनिधियों, अग्रिम पंक्ति के सरकारी कर्मियों, समुदाय आधारित संगठनों {जैसे- स्वयं सहायता समूहों (SHGs)} और अन्य हितधारकों** की सक्रिय भागीदारी के साथ सफल बनाया जाएगा।

जन योजना अभियान के मुख्य घटक:

- थिमैटिक या विषयगत एप्रोच **'समग्र सरकार और समग्र समाज दृष्टिकोण'** को अपनाकर **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के स्थानीयकरण पर आधारित** है।
- **ग्राम सभा-वार कैलेंडर तैयार** करना तथा **पंचायत विकास सूचकांक (PDI)** के आधार पर **विषयगत विकास संबंधी अंतरालों की पहचान करना,** जिसे ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
- **समावेशी भागीदारी:** ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी में सहायता के लिए युवाओं और 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को शामिल कर समावेशी भागीदारी पर भी जोर दिया गया है।
    - **उन्नत भारत अभियान (UBA) के साथ सहयोग:** इस वर्ष उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEI) से 15,000 से अधिक स्टूडेंट्स को जन योजना अभियान में शामिल किया जाएगा।

- ○ **भागीदारी के रूप:** अधिकार के रूप में (वोट), प्रक्रिया के रूप में (ऑडिट), साधन या लक्ष्य के रूप में (सकारात्मक कार्रवाई)।
- मंजूरी प्राप्त प्रत्येक ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) को **ई-ग्राम स्वराज पोर्टल** पर प्रकाशित किया जाएगा।

भागीदारी के विभिन्न प्रकार

अधिकार के तौर पर भागीदारी: सार्वजनिक मामलों के संचालन में भाग लेने के अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे मामलों में भाग लेने की अनुमति या अधिकार है। उदाहरण के लिए- लोकतंत्र में **वोट देने का अधिकार।**

प्रक्रिया के रूप में भागीदारी: वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी कार्यक्रम को लागू करने हेतु भागीदारी **एक साधन या उपकरण** है। उदाहरण के लिए- **मनरेगा का सोशल ऑडिट।**

भागीदारी एक लक्ष्य के रूप में: लोगों को आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध कराने के लिए **शक्ति और संसाधनों तक पहुंच प्रदान** की जाती है। उदाहरण के लिए- हाशिए पर रहे वर्गों हेतु सकारात्मक कार्रवाई।

विकास संबंधी योजना निर्माण में जन-भागीदारी का महत्त्व

- **कार्यान्वयन दक्षता:** उदाहरण के लिए- **मनरेगा (MGNREGA)** में ग्राम सभाएं न केवल योजना की प्रगति की समीक्षा करती हैं, बल्कि प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के माध्यम से इसकी निगरानी भी करती हैं।
- **समावेशी तरीके से निर्णय लेना:** उदाहरण के लिए- **MyGov साथी 2.0** नागरिकों को गवर्नेंस प्रक्रिया में शामिल करता है।
- **आत्मनिर्भरता:** उदाहरण के लिए- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)** के तहत स्वयं-सहायता समूह (SHGs)।
- **कवरेज:** उदाहरण के लिए- **स्वच्छ भारत अभियान** में सरकार ने सामुदायिक स्वयंसेवकों को संगठित किया है।
- **स्थिरता:** उदाहरण के लिए- **संयुक्त वन प्रबंधन (JFM)**।
- **बेहतर परियोजना डिजाइन: स्थानीय ज्ञान।**

जन-भागीदारी में चुनौतियां

- स्थानीय सरकारों के पास **आवश्यक धन और क्षमता का अभाव।**
- जटिल **नौकरशाही प्रक्रिया।**
- विविध कार्यक्रमों में **भागीदारी की गैर-बाध्यकारी प्रकृति।**
- लोगों को शामिल करने के लिए **प्रत्यक्ष प्रोत्साहन का अभाव।**
- अतीत में, असमान **संरक्षक-ग्राहक** संबंध से सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ावा मिलता था।

आगे की राह

जन योजना अभियान समावेशी, भागीदारी-पूर्ण और डेटा आधारित दृष्टिकोणों के माध्यम से नीति-निर्माण एवं जनता की आवश्यकताओं के बीच अंतराल को कम करता है। समुदाय की क्षमताओं को सशक्त बनाना, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और स्थानीय ज्ञान को मुख्यधारा में लाना पंचायत विकास योजनाओं को अधिक उत्तरदायी, न्यायसंगत एवं सतत बनाने के लिए अहम कदम साबित होगा।

7.4. मुख्य शब्दावलियां (Key Words)

मुख्य शब्दावलियां					
पंचायतों को अंतरण/ हस्तांतरण	स्वतंत्र लेखा-परीक्षा निकाय	लोकतांत्रिक भागीदारी	वित्तीय जवाबदेही	प्रदर्शन मूल्यांकन	स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियां
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण	समझने योग्य लेखापरीक्षा और लेखांकन प्रारूप	राजकोषीय सशक्तीकरण	लेखा परीक्षा जवाबदेही	समावेशी नियोजन	जन योजना अभियान
ई-ग्राम स्वराज	सामुदायिक भागीदारी				

7.5. अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

उत्तर लेखन प्रारूप

भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को शक्तियों, कार्यों और वित्त का विकेंद्रीकरण करने में आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु सुझाव दीजिए।

भूमिका	मुख्य भाग 1	मुख्य भाग 2	निष्कर्ष
जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और अंतरण का संवैधानिक दृष्टिकोण	विकेंद्रीकरण को साकार करने में चुनौतियां	विकेंद्रीकरण को बेहतर करने के लिए सुधार और सिफारिशें	समावेशी और जवाबदेह स्थानीय शासन को मजबूत बनाना

8. महत्वपूर्ण संवैधानिक, वैधानिक और कार्यकारी निकाय (Important Constitutional, Statutory and Executive Bodies)

8.1. नीति आयोग के 10 वर्ष (10 Years of NITI Aayog)

सुर्ख़ियों में क्यों?

1 जनवरी, 2025 को **नीति/ NITI (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग** ने अपना **दसवां स्थापना दिवस** मनाया।

नीति आयोग

विवरण	सौंपे गए कार्य/ अधिदेश	मुख्य उद्देश्य
यह **गैर-संवैधानिक और गैर- सांविधिक** तथा एक **सलाहकार निकाय (थिंक-टैंक)** है। इसे **केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के तहत पूर्ववर्ती योजना आयोग के स्थान** पर स्थापित किया गया है।	› देश में **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को अपनाने एवं उन्हें हासिल करने** की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की निगरानी करना; › राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच **प्रतिस्पर्धात्मक और सहकारी संघवाद** को बढ़ावा देना।	› **ग्राम स्तर** पर विश्वसनीय योजनाओं का निर्माण करना और **कमजोर वर्गों** पर विशेष ध्यान देना। › **आर्थिक रणनीति** निर्माण में **राष्ट्रीय सुरक्षा** हितों का समावेश करना। › **ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता** को समर्थन देने वाली **प्रणाली** का विकास करना। › **विभिन्न क्षेत्रकों और विभागों के बीच** मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना।

भारत के विकास एजेंडे में नीति आयोग की भूमिका

सहकारी संघवाद	प्रतिस्पर्धी संघवाद	क्षेत्रीय और क्षेत्रक-वार उपाय
नीति आयोग राष्ट्रीय विकास एजेंडे की दिशा में काम करने के लिए राज्यों को 'टीम इंडिया' के रूप में एक साथ लाता है।	पारदर्शी रैंकिंग के माध्यम से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए- आकांक्षी जिला कार्यक्रम, 'SDG-इंडिया इंडेक्स' आदि।	उदाहरण के लिए- केंद्र द्वारा पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम, प्रोजेक्ट SATH-E (सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफोर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन) आदि।

नीति आयोग की उपलब्धियां

- **योजना निर्माण:**
  - **पंचवर्षीय योजनाओं से बदलाव:** सख्त योजनाओं की जगह सततता और समावेशन पर केंद्रित उदार दीर्घकालिक पद्धति को अपनाया गया।
  - **सहकारी संघवाद:** टीम इंडिया हब, आकांक्षी जिलों (112) के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के लक्ष्यों का समन्वय करता है।
  - **अलग-अलग क्षेत्रकों में सुधार:** जीरो बजट फार्मिंग, ग्राम स्तरीय अनाज भंडारण, तथा स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रकों में सुधार प्रस्तावित किए गए हैं।
- **कार्यान्वयन:**
  - **सुविधाकर्ता की भूमिका:** नीति आयोग साझेदारी, नवाचार और समन्वय के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता करता है। उदाहरण के लिए- नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट, पोषण अभियान आदि।
  - **नवाचार और डिजिटल पहल:** अटल लैब्स, इनक्यूबेटर और डिजिटल भुगतान पहलों का संचालन।
  - **व्यवसाय करना आसान बनाना:** सरलीकृत नियम, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना (उदाहरण के लिए- AI रणनीति), और फिनटेक समिट का आयोजन करना।
- **मूल्यांकन:**
  - **जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन की निगरानी:** नीति आयोग का "विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO)" डेटा के आधार पर योजनाओं का मूल्यांकन सुनिश्चित करता है।

- **आकांक्षी जिलों की निगरानी:** आकांक्षी जिलों के बीच विकास की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 49 संकेतकों के आधार पर उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।
- **प्रतिस्पर्धी संघवाद:** सतत विकास लक्ष्यों (SDG), राजकोषीय स्थिति, जल आपूर्ति, ऊर्जा आपूर्ति और जलवायु सूचकांकों के आधार पर राज्यों को रैंकिंग प्रदान करता है।

निष्कर्ष

नीति आयोग ने **सहकारी संघवाद, रणनीतिक योजना और नवाचार को बढ़ावा देने के माध्यम से भारत के नीति परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाई है। नीति आयोग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे एक **सशक्त संस्थान के रूप में विकसित** करने की आवश्यकता है, जिसमें **अधिक वित्तीय स्वायत्तता, संसाधन आवंटन और मजबूत नीतिगत प्रवर्तन तंत्र** शामिल हो। इससे **राज्यों तथा केंद्र व राज्यों के बीच भी बेहतर समन्वय सुनिश्चित** किया जा सकेगा, जिससे इसकी प्रभावशीलता और बढ़ेगी।

8.2. लोकपाल और लोकायुक्त (Lokpal and Lokayukta)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जनवरी, 2025 में लोकपाल संस्था ने अपना **पहला स्थापना दिवस** मनाया। भारत का लोकपाल एक **भ्रष्टाचार विरोधी वैधानिक निकाय** है। इसे **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013** के तहत स्थापित किया गया है।

लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के बारे में

- यह अधिनियम **संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त** के पद के सृजन का प्रावधान करता है। इससे कुछ लोक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों का निवारण किया जा सकेगा।
- इस अधिनियम में **2016 में एक संशोधन** किया गया था। इस संशोधन द्वारा लोक सभा में एक मान्यता प्राप्त विपक्षी नेता के न होने पर, लोक सभा में **एकल सबसे बड़े विपक्षी दल** के नेता को **लोकपाल चयन समिति** का सदस्य बनने का प्रावधान किया गया था।
    - इस संशोधन ने अधिनियम की **धारा 44** को भी संशोधित किया था। यह धारा लोक सेवक द्वारा संपत्ति और देनदारियों का विवरण प्रस्तुत करने से संबंधित थी।

लोकपाल/ लोकायुक्त से जुड़ी समस्याएं

- **शिकायतों की अस्वीकृति:** लोकपाल द्वारा पिछले पांच वर्षों में लगभग **90% शिकायतों को खारिज** कर दिया गया, क्योंकि वे **निर्धारित प्रारूप** में नहीं थीं।

- **नियुक्तियों में देरी:** वर्तमान में **जांच निदेशक (Director of Inquiry)** के पद के रिक्त होने के कारण, लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों की जांच संबंधित मंत्रालयों या संस्थाओं के केंद्रीय सतर्कता अधिकारियों (CVO) की सहायता से की जा रही है।
- **शिकायतकर्ता संरक्षण:** कमजोर शिकायतकर्ता सुरक्षा उपाय।
- **अपील के लिए अपर्याप्त प्रावधान।**
- **प्रधान मंत्री को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में शामिल करना:** प्रधान मंत्री को **लोकपाल की जांच के दायरे में लाना** सरकार के नेतृत्व को कमजोर करने जैसा है।
- **अधिनियम की अन्य कमियां:**
  - लोकपाल और लोकायुक्त के पदों को **संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं** है।
  - भ्रष्टाचार की शिकायत **7 साल की समय सीमा के बाद दर्ज नहीं** की जा सकती।

आगे की राह

- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की सिफारिशें: प्रधान मंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा** जाना चाहिए।
- **संवैधानिक दर्जा और वित्तीय स्वायत्तता** प्रदान करने से लोकपाल का कार्य बेहतर हो सकता है।
- शक्तियों को कई **विकेंद्रीकृत संस्थाओं में वितरित** करना चाहिए, साथ ही प्रत्येक में **उचित जवाबदेही तय करने संबंधी उपाय** किए जाने चाहिए।
- **11वां अखिल भारतीय लोकायुक्त सम्मेलन (2012): लोकायुक्त को नोडल शिकायत-निवारण एजेंसी बनाया जाए**, उसे राज्य स्तरीय जांचों पर नियंत्रण दिया जाए, और नौकरशाहों को भी इसकी जांच के दायरे में लाया जाए आदि।

निष्कर्ष

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत सत्यनिष्ठा को बनाए रखने वाली संस्थाओं को मजबूत करने से होनी चाहिए। पारदर्शी और जवाबदेह शासन ढांचे के लिए स्वतंत्रता एवं जनता के विश्वास के साथ सशक्त लोकपाल व लोकायुक्त आवश्यक हैं।

8.3. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation: CBI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच को लेकर केंद्र के खिलाफ दायर पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार **(पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ वाद, 2024)** की है। इस मुकदमे में पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार पर **राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना मामले की एकतरफा तरीके से CBI से जांच करवाने का आरोप** लगाया है। ज्ञातव्य है कि **पश्चिम बंगाल** ने 2018 में राज्य में जांच के मामले में **CBI को दी गई अपनी सामान्य सहमति वापस** ले ली थी।

अन्य संबंधित तथ्य

- **अनुच्छेद 131** के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पास केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद पर निर्णय देने का मूल अधिकार-क्षेत्र है।
- पश्चिम बंगाल ने यह मुकदमा संविधान के **अनुच्छेद 131** के तहत दायर किया है। राज्य के अनुसार **राज्य की पूर्व सहमति के बिना मामले की एकतरफा तरीके से CBI से जांच करवाने का केंद्र का निर्णय संविधान का अतिक्रमण और संघवाद का उल्लंघन है।**

CBI जांच के लिए राज्य की सहमति

- **"सामान्य सहमति":**
  - CBI को **प्रत्येक संबंधित मामले के लिए विशिष्ट अनुमति की आवश्यकता के बिना राज्य के भीतर मामलों की जांच करने की अनुमति** मिल जाती है।
  - **DSPE अधिनियम की धारा 6** राज्य सरकार को **CBI अधिकारी को सहमति देने या सहमति न देने का अधिकार** प्रदान करती है।
  - उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के अलावा, **पंजाब, तेलंगाना** जैसे अन्य राज्यों ने भी अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली है।
- **अपवाद:**
  - **सुप्रीम कोर्ट/ हाई कोर्ट्स** राज्य की सहमति के बिना **CBI जांच का आदेश** दे सकते हैं।
  - यदि कोई व्यक्ति **रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता है**, तो उस मामले में **राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती** है।
  - **विशिष्ट सहमति:** यदि किसी राज्य ने सामान्य सहमति वापस ले ली है, तो **CBI को प्रत्येक मामले के लिए राज्य सरकार से अलग-अलग अनुमति लेनी होती है।**

CBI से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2019:** केंद्र सरकार **निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति की सिफारिश पर CBI निदेशक की नियुक्ति करेगी-**
  - प्रधान मंत्री (अध्यक्ष);
  - विपक्ष का नेता (लोक सभा) या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता (सदस्य); तथा
  - भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) या CJI द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश (सदस्य)।
- **CPIO CBI बनाम संजीव चतुर्वेदी, 2024:** दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि **CBI को RTI अधिनियम के दायरे से पूरी तरह से मुक्त नहीं** किया गया है। इसके अलावा, **RTI अधिनियम के तहत उसे मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में जानकारी प्रकट** करनी होगी।

- **CBI से जुड़ी चिंताएं**
  - **बड़ी संख्या में रिक्तियां:** संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में कुल 724 पद रिक्त हैं, जो **CBI की स्वीकृत संख्या का लगभग 16%** है।
  - **पारदर्शिता का अभाव:** CBI में दर्ज मामलों के विवरण, उनकी जांच में हुई प्रगति और संबंधित अंतिम परिणाम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं।
  - **राज्यों द्वारा सहमति वापस लेना:** DSPE अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, किसी राज्य में जांच के लिए संबंधित राज्य सरकार की सहमति एक पूर्व शर्त है। **9 राज्यों ने सामान्य सहमति वापस ले ली है,** जिससे विविध मामलों की जांच में बाधा उत्पन्न हो रही है।
  - **CBI के प्रति विश्वास में कमी:** देश के कई नामी राजनेताओं से जुड़े मामलों के कुप्रबंधन तथा कई संवेदनशील मामलों, जैसे- हवाला व बोफोर्स घोटाले आदि को सही से न संभाल पाने के लिए CBI की आलोचना की जाती रही है।
  - **प्रशासनिक बाधाएं: संयुक्त सचिव स्तर और उससे ऊपर** के केंद्र सरकार के अधिकारियों से पूछताछ या उनकी जांच करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
  - **वित्त संबंधी मुद्दे:** कार्मिक, प्रशिक्षण, उपकरण या अन्य सहायता संरचनाओं में अपर्याप्त निवेश और निधियों का कम उपयोग, CBI की प्रभावशीलता को प्रतिकूल रूप से बाधित करता है।
  - **स्वायत्तता का अभाव: CBI कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम** करती है। साथ ही, CBI के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका, इस एजेंसी की स्वतंत्रता के बारे में चिंता उत्पन्न करती है।

आगे की राह

- **कार्मिक, लोक शिकायत, कानून एवं न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें**
  - **रिक्तियों को भरना:** CBI के निदेशक को **त्रैमासिक आधार पर रिक्तियों को भरने में हुई प्रगति की निगरानी** करनी चाहिए।
  - **केस प्रबंधन प्रणाली:** यह एक **केंद्रीकृत डेटाबेस** (आम जनता के लिए सुलभ) होगा, जिसमें CBI के पास दर्ज मामलों का विवरण और उनके निपटान में हुई प्रगति संबंधी सारी जानकारी शामिल होगी।
  - **एक नया कानून बनाना: CBI के दर्जे, कार्य और शक्तियों को परिभाषित करने की आवश्यकता है।** साथ ही, इसके कामकाज में ईमानदारी एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय निर्धारित करने की भी जरूरत है।
  - **भर्ती प्रक्रिया में सुधार करना:** पुलिस निरीक्षक स्तर पर **प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भर्ती किए गए अधिकारियों का प्रतिशत 10% तक सीमित किया जाना चाहिए तथा 40% अधिकारियों की भर्ती, सीधी भर्ती/ सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा** के माध्यम से की जा सकती है।
    - **साइबर अपराध, फोरेंसिक आदि के विशेषज्ञों के लिए लेटरल एंट्री** शुरू करनी चाहिए।
  - **पारदर्शिता:** CBI को अपनी वेबसाइट पर **केस संबंधी आंकड़ों और वार्षिक रिपोर्ट्स** को प्रकाशित करना चाहिए।
  - **राज्य की सहमति:** जिन मामलों से **राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता के समक्ष खतरा उत्पन्न** हो रहा है, ऐसे मामलों में **सामान्य सहमति के प्रावधान को लागू नहीं** करना चाहिए।

निष्कर्ष

CBI के लिए एक अलग अधिनियम लागू करना चाहिए। इसमें **CBI** के अधिकारों, जवाबदेही मानदंडों और अधिकार-क्षेत्र की सीमाओं को स्पष्ट रूप से तय किया जाना चाहिए। भारत जैसे जटिल संघीय लोकतंत्र में **CBI की स्वतंत्रता की रक्षा, इसकी कार्यकुशलता में वृद्धि और कानून के शासन को बनाए** रखने के लिए ऐसा कानून होना अत्यंत आवश्यक है।

© Vision IAS

8.4. राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women: NCW)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में इस वर्ष 7,698 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और आपराधिक प्रकृति की धमकी सबसे आम शिकायतें रहीं।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के बारे में:

- **स्थापना: वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990** के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में।
- **कार्य:** महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, विधायी सुधारों की सिफारिश करना, जांच के माध्यम से शिकायत निवारण करना, पूछताछ और कानूनी सहायता प्रदान करना आदि।
- **रिपोर्ट:** महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं और सुधारों पर वार्षिक व समय-समय पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपता है।
    - संबंधित रिपोर्ट्स राज्य सरकारों को कार्यवाही के लिए भेजी जाती हैं।

उपलब्धियां एवं प्रमुख पहलें:

- प्रमुख कानूनों की समीक्षा और संशोधन की सिफारिश की है, जैसे - **घरेलू हिंसा अधिनियम (2005); महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न. (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, (2013)** आदि।
- **सहायता केंद्रों की स्थापना में सहयोग:** जैसे निर्भया फंड के तहत **वन स्टॉप सेंटर** की स्थापना।
- **स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई:** जैसे **बाड़मेर आत्महत्या मामला (जून 2025)**।
- **विवाह-पूर्व परामर्श:** जैसे **"तेरे मेरे सपने"** कार्यक्रम।
- **डिजिटल साक्षरता अभियान:** जैसे **"यशोदा AI पहल"** जो महिलाओं में AI साक्षरता और डिजिटल जागरूकता बढ़ाती है।
- **पारिवारिक महिला लोक अदालतों का आयोजन:** विवाह संबंधी और पारिवारिक विवादों का त्वरित समाधान करना।
- **NRI प्रकोष्ठ:** इनके तहत उन भारतीय महिलाओं की शिकायतों का निवारण किया जाता है, जो NRI या प्रवासी पतियों द्वारा त्याग दी गई हैं। विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय कर मध्यस्थता में सहायता करते हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग की आलोचना:

- **पर्याप्त अधिकार नहीं:** राष्ट्रीय महिला आयोग के पास अर्ध-न्यायिक शक्तियां नहीं हैं; यह केवल सिफारिश कर सकता है, कानूनों को लागू नहीं कर सकता (इसे **"दंतहीन बाघ"** कहा जाता है)।
- **सीमित संसाधन और सभी जगह पहुंच नहीं होना:** बजट और स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ता है; ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थिति कम है; जनता में जागरूकता भी कम है आदि।
- **समन्वय की कमी:** राज्य महिला आयोगों के साथ समन्वय की कमी है; अधिकार-क्षेत्रों को लेकर टकराव देखा जाता है; आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही में कमी देखी जाती है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष अक्सर राजनीतिक रूप से प्रभावित होती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षों को बार-बार बदलने से उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होती है। संवेदनशील मामलों में देरी से कार्यवाही के आरोप भी लगते रहे हैं (जैसे **हाथरस और मणिपुर मामले**)।

आगे की राह:

- **संसदीय समिति की सिफारिशें:**
    - **राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990** की समीक्षा करके आयोग को अधिक स्वतंत्र और प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
    - **पुलिस पर आयोग के प्रति कुछ हद तक जवाबदेही तय** की जानी चाहिए, ताकि आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो सके और पालन न करने पर दंड का प्रावधान किया जा सके।
    - **राज्य महिला आयोगों के साथ कानूनी रूप से तालमेल** सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो सके।
- **स्वतंत्र नियुक्तियां सुनिश्चित करना:** राष्ट्रीय महिला आयोग में सिविल सोसाइटी और न्यायपालिका की भागीदारी से निष्पक्ष एवं योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।
- **संसाधन और पहुंच बढ़ाना:** आयोग की फंडिंग बढ़ानी चाहिए, क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने चाहिए, NGOs के साथ साझेदारी बढ़ानी चाहिए और डिजिटल माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना चाहिए।

- **वंचित समूहों का विशेष ध्यान रखना:** अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, दिव्यांग और अल्पसंख्यक महिलाओं की जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। महिलाओं से संबंधित (विकास या अन्य संकेतकों पर) डेटा संग्रह करना चाहिए और स्थानीय शोध को बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन सकता है, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए इसे अधिक कानूनी शक्तियां और अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना तथा जमीनी स्तर पर इसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग का सशक्तीकरण भारत में महिलाओं के साथ न्याय और पुरुषों के साथ समानता सुनिश्चित करने की कुंजी है।

8.5. मुख्य शब्दावलियां (Key Words)

मुख्य शब्दावलियां				
सहकारी संघवाद	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया	शिकायत निवारण	लोकपाल चयन समिति	अनुच्छेद 131
सामान्य सहमति	घरेलू हिंसा	यशोदा AI पहल	तेरे मेरे सपने	संसदीय समिति

8.6. अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

उत्तर लेखन प्रारूप

पिछले एक दशक में भारत में विकास संबंधी योजना निर्माण को कठोर केंद्रीकृत नियोजन से सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धी संघवाद की दिशा में रूपांतरित करने में नीति आयोग की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

भूमिका	मुख्य भाग 1	मुख्य भाग 2	निष्कर्ष
केंद्रीकृत नियोजन से सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद तक	विकास संबंधी योजना निर्माण को बदलने में नीति आयोग की उपलब्धियां	सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने वाले तंत्र और सुधार	समावेशी और डेटा-संचालित नीति नियोजन की ओर

9. महत्वपूर्ण अधिनियम और विधान (Important Acts and Legislations)

9.1. वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 {Waqf (Amendment) Act, 2025}

हाल ही में **राष्ट्रपति ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को मंजूरी** दी है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा **वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन** किए गए हैं।

'वक्फ' क्या है?

- वक्फ इस्लामी कानून के तहत **धार्मिक या धर्मार्थ उपयोग के लिए समर्पित संपत्ति** होती है। इसे **न तो बेचा जा सकता है और न ही किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग** किया जा सकता है।
  - ऐसी संपत्तियों का प्रबंधन एक **मुतवल्ली (कार्यवाहक)** द्वारा किया जाता है।
- भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ भू-संपत्ति है-लगभग **9.4 लाख एकड़ में फैली हुई 8.7 लाख संपत्तियां**।

अधिनियम में किए गए मुख्य संशोधन

- **वक्फ का निर्माण:** केवल **संपत्ति का कानूनी स्वामी** ही उस संपत्ति को वक्फ के रूप में दान दे सकता है।
- **वक्फ का सर्वेक्षण:** अब **वक्फ सर्वेक्षण का कार्य जिला कलेक्टर** करेगा न कि सर्वेक्षण आयुक्त।
- **सरकारी संपत्ति: सरकारी भूमि** को वक्फ घोषित **नहीं** किया जा सकता।
- **केंद्रीय वक्फ परिषद:** वक्फ का प्रभारी केंद्रीय मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। इस परिषद में सांसद, प्रतिष्ठित व्यक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीश और मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ शामिल होंगे।
  - सभी सदस्य (मंत्री को छोड़कर) मुस्लिम होने चाहिए; परिषद में **कम-से-कम 2 महिलाएं और 2 गैर-मुस्लिम** सदस्य अवश्य शामिल होने चाहिए।
- **राज्य वक्फ बोर्ड:** इसमें मुस्लिम सांसदों, विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद सदस्यों और बार काउंसिल से चुने गए सदस्य शामिल होंगे। साथ ही, इसमें निम्नलिखित भी अवश्य शामिल होने चाहिए:
  - **2 गैर-मुस्लिम सदस्य;**
  - शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम समुदायों, प्रत्येक में से **1-1 सदस्य।**
  - बोहरा और अगाखानी समुदायों, प्रत्येक में से **1-1 सदस्य** (यदि राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय हों) (कम-से-कम 2 महिलाएं)।
- **वक्फ अधिकरण:** इसमें एक न्यायाधीश (अध्यक्ष), संयुक्त सचिव-स्तर का एक अधिकारी और एक मुस्लिम कानून विशेषज्ञ शामिल होंगे।
  - अधिकरण के निर्णयों के खिलाफ **90 दिनों के भीतर संबंधित हाई कोर्ट में अपील** की जा सकती है।
  - यदि अधिकरण कार्य नहीं कर रहा हो, तो कोई व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है।

वक्फ संशोधन का विरोध और चिंताएं:

- **धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन:** वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम का सदस्य के रूप में शामिल होना और केंद्रीकृत नियंत्रण व्यवस्था इस्लामिक कानून की स्वायत्तता का उल्लंघन करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का उल्लंघन है।

- **सरकारी हस्तक्षेप:** संपत्ति विवादों के लिए वक्फ बोर्ड की शक्तियों को जिला कलेक्टरों को स्थानांतरित करने से विवाद निपटान में देरी हो सकती है और पक्षपात का भी संदेह उत्पन्न होगा।
- **'वक्फ बाय यूजर' प्रावधान की समाप्ति:** 'वक्फ बाय यूजर' का अर्थ उस संपत्ति से है, जिसके कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन संपत्तियों का इस्तेमाल लंबे समय से धार्मिक कार्यों के लिए किया जा रहा है। इसलिए, इन संपत्तियों को वक्फ बाय यूजर के तहत वक्फ की संपत्ति मान लिया जाता है। हालांकि, नए कानून में इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है। प्रावधान के निरस्त होने से लगभग वे 8.7 लाख वक्फ संपत्तियां खतरे में पड़ सकती हैं, जिनमें से कई के पास औपचारिक मालिकाना दस्तावेज नहीं हैं।
- **मान्यता नहीं:** वक्फ के माध्यम से दान (चैरिटी) को इस्लाम की **अनिवार्य धार्मिक प्रथा/ परंपरा (ERP)**[23] के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

निष्कर्ष:

वक्फ संशोधन अधिनियम समावेशी प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देकर और सार्वजनिक भूमि पर वक्फ के मनमाने दावों की जांच सुनिश्चित करके अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा राज्य के पर्यवेक्षण के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।

अनिवार्य धार्मिक प्रथा/ परंपरा (ERP) क्या है?

- **अवधारणा की शुरुआत:** सुप्रीम कोर्ट द्वारा **श्री शिरूर मठ मामले** (1954) में।
- **परिचय:** ERP एक प्रकार का परीक्षण या शर्त है, जिसे भारतीय न्यायपालिका द्वारा यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि क्या किसी विशेष धार्मिक प्रथा या परंपरा को किसी **धर्म का मूल पहलू माना जा सकता है या नहीं।**

ERP से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्णय

- **श्री आदि विशेश्वर वाद (1997):** कोर्ट ने मंदिर के धार्मिक और लौकिक कार्यों के बीच अंतर स्थापित किया।
- **शायरा बानो वाद (2017):** कोर्ट ने **ट्रिपल तलाक** को **धर्म के मूल सिद्धांतों के खिलाफ माना और कहा कि धर्म द्वारा केवल स्वीकृत या अप्रतिबंधित प्रथा को धर्म द्वारा स्वीकृत अनिवार्य या सकारात्मक सिद्धांत नहीं माना** जा सकता है।

9.2. उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 {Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कुछ धार्मिक स्थलों का सर्वेक्षण करने के लिए याचिका दायर करने के संदर्भ में **"उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991"** सुर्ख़ियों में था।

उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 के बारे में

- यह अधिनियम किसी भी उपासना स्थल के **रूपांतरण को प्रतिबंधित** करता है और **15 अगस्त, 1947 को मौजूद** किसी भी उपासना स्थल के **धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने** का प्रावधान करता है।
- **अधिनियम के अपवाद:**
  - इसके अलावा, यह अधिनियम **प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958** के अंतर्गत आने वाले स्मारकों व पुरातत्वीय स्थलों पर लागू नहीं होता है।
  - **अयोध्या** में विवादित स्थल को इस अधिनियम से छूट दी गई थी।

अधिनियम के पक्ष में तर्क	अधिनियम के विपक्ष में तर्क
• **देश में शांति सुनिश्चित करता है:** उपासना स्थलों के वर्ष 1947 की स्थिति के अनुसार स्वरूप बनाए रखकर सांप्रदायिक तनावों को रोकता है और ऐतिहासिक आधार पर या साम्प्रदायिक आधार पर विवादों की पुनरावृत्ति से बचाता है।	• **मूल अधिकारों का उल्लंघन: विधि के समक्ष समता का अधिकार (अनुच्छेद 14)** और **धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25, 26 व 29)** जैसे मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करता है।

[23] Essential Religious Practice

• **पंथनिरपेक्षता को संरक्षित रखता है:** भारत के संविधान के 'पंथनिरपेक्षता' मूल्य को मजबूत करता है और सभी धर्मों के बीच समानता सुनिश्चित करता है (2019 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार)। • **धार्मिक स्थलों के राजनीतिकरण पर रोक:** धार्मिक विवादों का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करने से रोकता है और समकालीन प्रासंगिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है।	• **न्यायिक समीक्षा की अनुमति नहीं:** यह अधिनियम न्यायालयों को उपासना स्थलों के धार्मिक स्वरुप पर विवादों की सुनवाई करने से रोकता है, जिससे 'न्याय की अवधारणा' कमजोर होती है। • **बिना किसी तर्क के कट ऑफ वर्ष निर्धारित करना:** उपासना स्थलों के स्वरूप में परिवर्तन पर प्रतिबंध के लिए वर्ष 1947 की स्थिति निर्धारित करना ऐतिहासिक तथ्यों की अनदेखी करना है, क्योंकि उपासना स्थलों के धार्मिक स्वरूप में शासकों द्वारा पूर्व में किए गए अनुचित परिवर्तन से प्रभावित समुदायों को न्याय प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। • **अधिनियम हेतु अपवाद निर्धारित करने के लिए कोई स्पष्ट मानक नहीं होना: अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के धार्मिक स्वरूप में परिवर्तन** को 1947 की कट ऑफ तारीख से छूट दी गई है, जबकि ज्ञानवापी जैसे अन्य विवादित स्थलों को ऐसी छूट नहीं दी गई है।

निष्कर्ष

उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 पर वर्तमान में देशभर के अलग-अलग हाई कोर्ट्स में याचिकाएं लंबित हैं। दीर्घकालिक शांति, देश की प्रगति और संवैधानिक आदर्शों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि इस कानून की संवैधानिक वैधता पर विवाद का यथाशीघ्र निपटान किया जाए।

10. विविध (Miscellaneous)

10.1. सहकारिता (Cooperatives)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री तथा केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने **संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 (IYC 2025)** का उद्घाटन किया।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष (IYC) 2025 के बारे में

- **घोषणा:** जून, 2024; संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा।
- **थीम:** "सहकारी समितियां एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं (Cooperatives Build a Better World)"।
- **उद्देश्य:** जागरूकता बढ़ाना, विकास को बढ़ावा देना, नीतियों का समर्थन करना आदि।
- **आयोजक:** सहकारी संस्थाओं के प्रचार और बढ़ावा देने हेतु समिति (COPAC)[24]।

सहकारी समितियां क्या हैं?

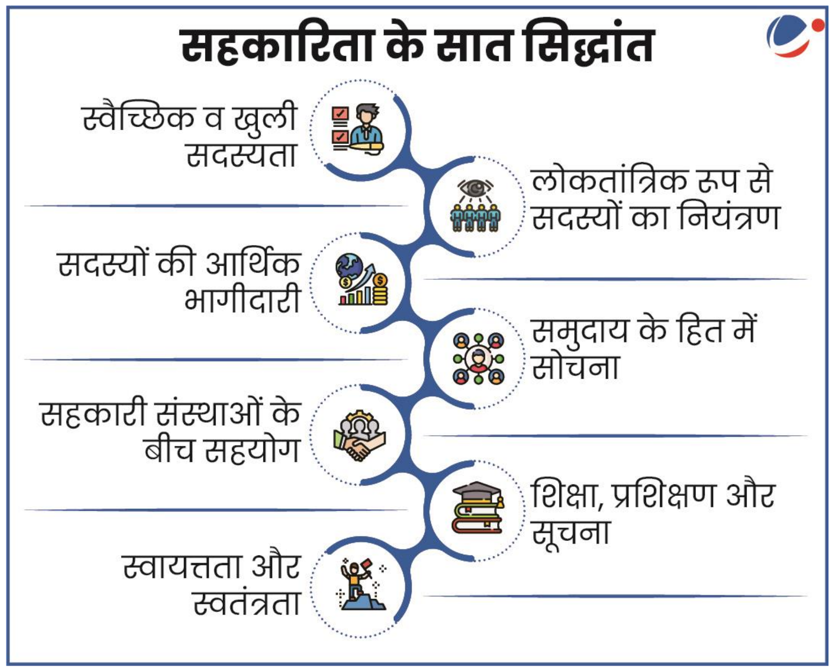

- **परिभाषा:** एक सहकारी समिति **समान आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक समूह** है, जो **साझा आर्थिक लक्ष्यों** को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं।
- **उद्देश्य:** स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता के माध्यम से **समाज के गरीब वर्गों के हितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सदस्यों का समर्थन** करना।
- **संसाधन साझा करना:** सदस्य **संसाधनों को एकत्रित** करते हैं।
- **सहकारी आंदोलन:** सहकारी समितियों का वैश्विक उदय आंशिक रूप से **अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA)** के कार्यों के कारण हुआ है।
  - नवंबर 2024 में, भारत ने पहली बार **ICA के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन की मेजबानी** की थी।
    - इस सम्मेलन की थीम थी- **"सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है[25]"**। यह थीम **भारत के "सहकार से समृद्धि"** दृष्टिकोण के अनुरूप थी।

भारत में सहकारी समितियां

- **उत्पत्ति:** भारत में सहकारिता **कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट, 1904** के साथ शुरू हुई थी।
- **वर्तमान स्थिति:** भारत में विश्व की **27% सहकारी समितियां हैं।**
- **शीर्ष 3 सहकारी क्षेत्रक:** आवास; डेयरी; और प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS)।
- **अग्रणी राज्य (कुल सहकारी समितियों का 57%):** महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि। **महाराष्ट्र में देश की 25% सहकारी समितियां** मौजूद हैं।
- **संवैधानिक स्थिति: 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011** ने निम्नलिखित प्रावधानों के साथ सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया है-

[24] Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives

[25] Cooperatives Build Prosperity For All

- ○ **मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 19(1)(c)** में "सहकारी समितियों" को जोड़ा गया।
- ○ **राज्य की नीति के निदेशक तत्व:** सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए **अनुच्छेद 43B** जोड़ा गया।
- ○ **नया भाग IXB:** सहकारी गवर्नेंस के लिए **अनुच्छेद 243ZH से 243ZT** जोड़े गए।

- **गवर्नेंस संरचना:**
  - ○ **बहु-राज्य सहकारी समितियां:** ये संविधान की **संघ सूची की प्रविष्टि 44** के अंतर्गत आती हैं। इन्हें **बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002** के तहत शासित किया जाता है।
  - ○ **राज्य सहकारी समितियां:** ये संविधान की **राज्य सूची की प्रविष्टि 32** के अंतर्गत आती हैं। इन्हें संबंधित **राज्य के सहकारी समिति अधिनियमों** के तहत शासित किया जाता है।

सामाजिक-आर्थिक विकास में सहकारी समितियों का महत्त्व

- **सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करना: उदाहरण-** आवास संबंधी सहकारी समितियां निवासियों और शहरी नीतियों के बीच के अंतराल को खत्म करती हैं।
- **समाज को सशक्त बनाना:** समान अधिकार, सौदेबाजी की शक्ति, नेतृत्व विकास आदि।
- **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना:** किसानों के लिए किफायती ऋण।
- **धन संबंधी असमानता को कम करना: कम ब्याज दरों पर ऋण** से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को आर्थिक मदद मिलती है। साथ ही, ये **स्वरोजगार और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा** को भी प्रोत्साहित करती हैं।
- **नैतिक मूल्यों को स्थापित करना:** ये समितियां सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए **एकता और विश्वास को बढ़ावा** देती हैं।

भारत में सहकारी समितियों के सामने आने वाली चुनौतियां

- **शासन संबंधी मुद्दे:**
  - ○ **सरकारी हस्तक्षेप:** उधार, लेन-देन और निवेश पर विनियमन सहकारी समितियों की दक्षता को सीमित करते हैं।
  - ○ **राजनीतिकरण:** शक्तिशाली स्थानीय व्यक्ति सहकारी समितियों के प्रबंधन कार्य को प्रभावित करते हैं।
  - ○ **जागरूकता की कमी:** कई सदस्य एवं निदेशक सहकारी उद्देश्यों और नियमों से अनजान रहते हैं।
  - ○ **आंतरिक प्रतिद्वंद्विता:** सदस्यों के बीच झगड़े और तनाव सक्रिय भागीदारी को कम करते हैं।
- **सीमित पहुंच और अक्षमता:**
  - ○ **क्षेत्रीय असंतुलन:** पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में सहकारी समितियां अविकसित हैं।
  - ○ **छोटी समितियां:** सीमित सदस्यता और संसाधनों का अभाव समितियों के विकास में बाधा डालते हैं।
  - ○ **एकल-उद्देश्यीय फोकस:** सहकारी समितियों में सामुदायिक समस्याओं को हल करने के लिए समग्र दृष्टिकोण का अभाव है।
- **परिचालन संबंधी चुनौतियां:**
  - ○ **कमजोर लेखा परीक्षा प्रणाली:** लेखा परीक्षा अनियमित, विलंबित और अप्रभावी है।
  - ○ **समन्वय की कमी:** अलग-अलग स्तरों पर सहकारी समितियां एक साथ काम करने में विफल रहती हैं।
- **कार्यात्मक कमजोरियां:**
  - ○ **काम-काज के विस्तार की कमी:** सहकारी समितियां वित्तीय, प्रबंधकीय और तकनीकी सीमाओं से जूझती हैं।
  - ○ **कुशल कार्यबल की कमी:** प्रशिक्षण संस्थानों और पेशेवर अवसरों की कमी है।
  - ○ **खराब प्रबंधन:** सीमित करियर विकास संबंधी नेतृत्व और दक्षता को प्रभावित करता है।
  - ○ **डिजिटल उपकरणों से परिचित न होना:** आंकड़ों के अनुसार केवल 45% सहकारी सदस्य डिजिटल उपकरणों से परिचित हैं, जो तकनीकी साक्षरता में महत्वपूर्ण अंतराल को दर्शाता है।

सहकारी संस्थाओं से जुड़ा केंद्र-राज्य विवाद:

- **97वां संविधान संशोधन (2011):** सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के भाग IX-B को राज्य सहकारिताओं पर लागू करने के प्रावधान को रद्द कर दिया, लेकिन बहु-राज्य सहकारी संस्थाओं (Multistate Cooperatives) पर इसे लागू रहने दिया।
- **बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002:** राज्यों ने केंद्र सरकार के नियंत्रण का विरोध किया है। 2023 के संशोधनों से केंद्रीय निगरानी और अधिक बढ़ने के कारण यह विवाद और गहरा गया है।
- **2021 में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन:** राज्यों द्वारा इसे अपनी शक्तियों का केंद्र द्वारा अतिक्रमण के रूप में देखा जा रहा है।
- **वित्त-पोषण और नीतिगत टकराव:** केंद्रीय योजनाएं अक्सर राज्य-विशेष की जरूरतों की अनदेखी कर देती हैं, जिससे अक्सर मतभेद उत्पन्न होते हैं।

भारत में सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए प्रमुख पहलें

संस्थागत समर्थन	• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) (1963) • सहकारिता मंत्रालय (2021) • राष्ट्रीय सहकारिता नीति।
कानूनी और गवर्नेंस संबंधी सुधार	• बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2023 • PACS के लिए मॉडल उप-नियम
आर्थिक और अवसंरचनात्मक विकास	• **'विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना' (पायलट परियोजना): PACS गोदामों को खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत** करती है। • **मार्गदर्शिका योजना: 2 लाख नवीन PACS, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना** करना आदि। • **'श्वेत क्रांति 2.0' के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs):** डेयरी क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करना। साथ ही, **2029 तक दूध की खरीद को बढ़ाकर 1,000 लाख किलोग्राम** प्रतिदिन करना।
प्रौद्योगिकी और वित्तीय समावेशन	• **राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD):** राज्यों और क्षेत्रों में **सहकारी समितियों पर डेटा** प्रदान करता है। • **राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम (NUCFDC):** यह शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। यह एक **स्व-विनियामक संगठन** के रूप में कार्य करता है। • **'सहकारी समितियों के बीच सहयोग' के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं:** सहकारी समिति के सदस्यों के लिए **बैंक खाते खोलने की सुविधा देकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा** देना।

भारत में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना

- **संरचनात्मक सुधार: कमजोर समितियों का विलय।**
- **परिचालन दक्षता में सुधार:** पेशेवर प्रबंधक, ऋणों को सरल बनाना, समन्वय, आदि।
- **क्षमता निर्माण:** कौशल विकास और डिजिटलीकरण।
- **जन जागरूकता और शिक्षा।**
- **कानूनी ढांचे को मजबूत करना:** सहकारी बैंकिंग के लिए **नरसिम्हम समिति** की सिफारिशों को लागू करना चाहिए।
- **पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** सहकारी समितियों को **RTI अधिनियम** के तहत लाना चाहिए। **CBI एवं CVC की जांच प्रक्रिया को लागू** करना चाहिए। **सहकारी समितियों में आंतरिक ऑडिट प्रणाली को मजबूत करना चाहिए** और एक पेशेवर दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने और जमीन (स्थानीय स्तर पर) पर कार्य करने के साथ, सहकारिताएं भागीदारी आधारित लोकतंत्र और समावेशी विकास की महत्वपूर्ण माध्यम हैं। कानूनी, संस्थागत और तकनीकी सुधारों के माध्यम से सहकारी संस्थाओं का कायाकल्प भारतीय जनसंख्या के बड़े वर्ग के सशक्तीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

10.2. सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 {Right to Information (RTI) Act, 2005}

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2025 में **"सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005"** के लागू होने के **20 साल** पूरे हो गए।

RTI अधिनियम, 2005 के बारे में

- यह अधिनियम नागरिकों को **लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार** प्रदान करता है।

© Vision IAS

- सुप्रीम कोर्ट ने **'राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वाद'** में सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार** के रूप में स्थापित किया।
- **हालिया उपलब्धियां:** लंबित अपीलों की संख्या लगभग 35,000 (2019-20) से घटकर 23,000 (2023-24) हो गई।

RTI अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

- **संस्थागत ढांचा:** केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग तथा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (PIO) एवं राज्य PIOs.
- **प्रदान किए गए अधिकार: प्रत्येक नागरिक को लोक प्राधिकरणों (Public authority)** से जानकारी मांगने का अधिकार है। विशिष्ट श्रेणियों की सूचना को **सक्रिय रूप से खुलासा करने का प्रावधान** करती है।
- **सूचना के प्रकाशन या खुलासा या प्रकटीकरण (Disclosure) से छूट:** धारा 8 के तहत।
- **अन्य प्रमुख प्रावधान: दंड** (सूचना प्रदान करने में विफलता तथा गलत, अधूरी या अपूर्ण जानकारी); समय-सीमा (30 दिनों के भीतर); अपीलें, आदि।
- **संशोधन:**
    - **सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019** के जरिए केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों (ICs) की सेवा शर्तों में संशोधन किया गया है।
        - इसने **केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों (मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त) की सेवा शर्तों, वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित** करने का अधिकार प्रदान किया है।
    - **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP)[26] अधिनियम, 2023:** इसने **RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j)** में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत **सभी व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट** दी गई है।

सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम का महत्त्व: नागरिकों का सशक्तीकरण, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, भ्रष्टाचार को उजागर करना, नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन।

RTI से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय

- **पीपल्स यूनियन फॉर सिविल राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2004) वाद:** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार को संविधान के तहत **मौलिक अधिकार** के रूप में मान्यता दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने आगे RTI अधिनियम के लिए आधार का काम किया था।
- **सुभाष चंद्र अग्रवाल बनाम कार्मिक विभाग (2010) वाद:** इस वाद में शीर्ष न्यायालय ने सुस्पष्ट किया था कि **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का कार्यालय** भी **RTI अधिनियम** के अंतर्गत आता है। इससे न्यायिक पर्दर्शिता को बढ़ावा मिला।
- **नमित शर्मा बनाम भारत संघ (2012) वाद:** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि **सूचना आयोग RTI अधिनियम के तहत एक न्यायालय के समान अर्ध-न्यायिक अधिकरण** है।

RTI अधिनियम के कार्यान्वयन में चुनौतियां

- **कार्यात्मक समस्याएं:** निष्क्रिय सूचना आयोग और रिक्तियां, अनावश्यक विलंब, अधिक संख्या में लंबित मामले या अत्यधिक कार्यभार, विषम जेंडर संरचना आदि।
- **संरचनात्मक मुद्दे: छूट (Exemptions), 'लोक प्राधिकरण' परिभाषा के बाहर की संस्थाएं:** उदाहरण के लिए- RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत **पी.एम. केयर्स फंड को छूट** आदि।
- **प्रक्रियात्मक मुद्दे: नौकरशाही की ओर से विरोध,** उनके अपने विभागों के भीतर भ्रष्टाचार, राजनीतिक दलों द्वारा **गैर-अनुपालन, जागरूकता और शिक्षा की कमी** आदि।
- **अधिनियम का कमजोर होना: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023** ने RTI अधिनियम की **धारा 8 में संशोधन** किया है। इसके तहत सभी 'व्यक्तिगत जानकारी' को साझा करने पर रोक लगा दी गई है।
- **अन्य मुद्दे:** RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की कमी; PIOs का अपर्याप्त प्रशिक्षण; ऑफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के साथ विरोधाभास; आदि।

[26] Digital Personal Data Protection

आगे की राह

- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की सिफारिशें,** जिसका शीर्षक है- **"सूचना का अधिकार - सुशासन की मास्टर कुंजी:** राष्ट्रीय समन्वय समिति (NCC)[27] का गठन, जागरूकता अभियान आदि।
- **न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण समिति (2018):** धारा 8(1)(j) के तहत आंशिक रूप से ही छूट की सिफारिश की गई है, जिसमें सूचनाओं को केवल तभी नहीं देने की अनुमति (सूचना प्रकटीकरण से छूट) दी गई जहां गंभीर क्षति होने का खतरा हो। उदाहरण के लिए; पहचान की चोरी, भेदभाव आदि।
- **सूचना को स्वतः प्रकट या सार्वजनिक करना:** RTI अधिनियम की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक संस्थाओं को लोक हित की जानकारी को सरलतापूर्वक सार्वजनिक कर देना चाहिए।
- **प्रशासनिक उपाय: पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति; विशेषज्ञों द्वारा रिकॉर्ड का उचित रख-रखाव;** सरकारी अधिकारियों को RTI का कठोर प्रशिक्षण; रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण; आदि।

निष्कर्ष

पिछले दो दशकों में सूचना के अधिकार (RTI) ने भारत में भागीदारी आधारित लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है, जिससे नागरिकों को संस्थाओं को जवाबदेह बनाने का अधिकार मिला है। पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए RTI व्यवस्था को और सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है।

"जहां समाज ने लोकतंत्र को अपने धार्मिक विश्वास के रूप में स्वीकार करना चुना है, वहां नागरिकों द्वारा यह जानना उनका प्राथमिक अधिकार है कि उनकी सरकार क्या कर रही है।"

- न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती

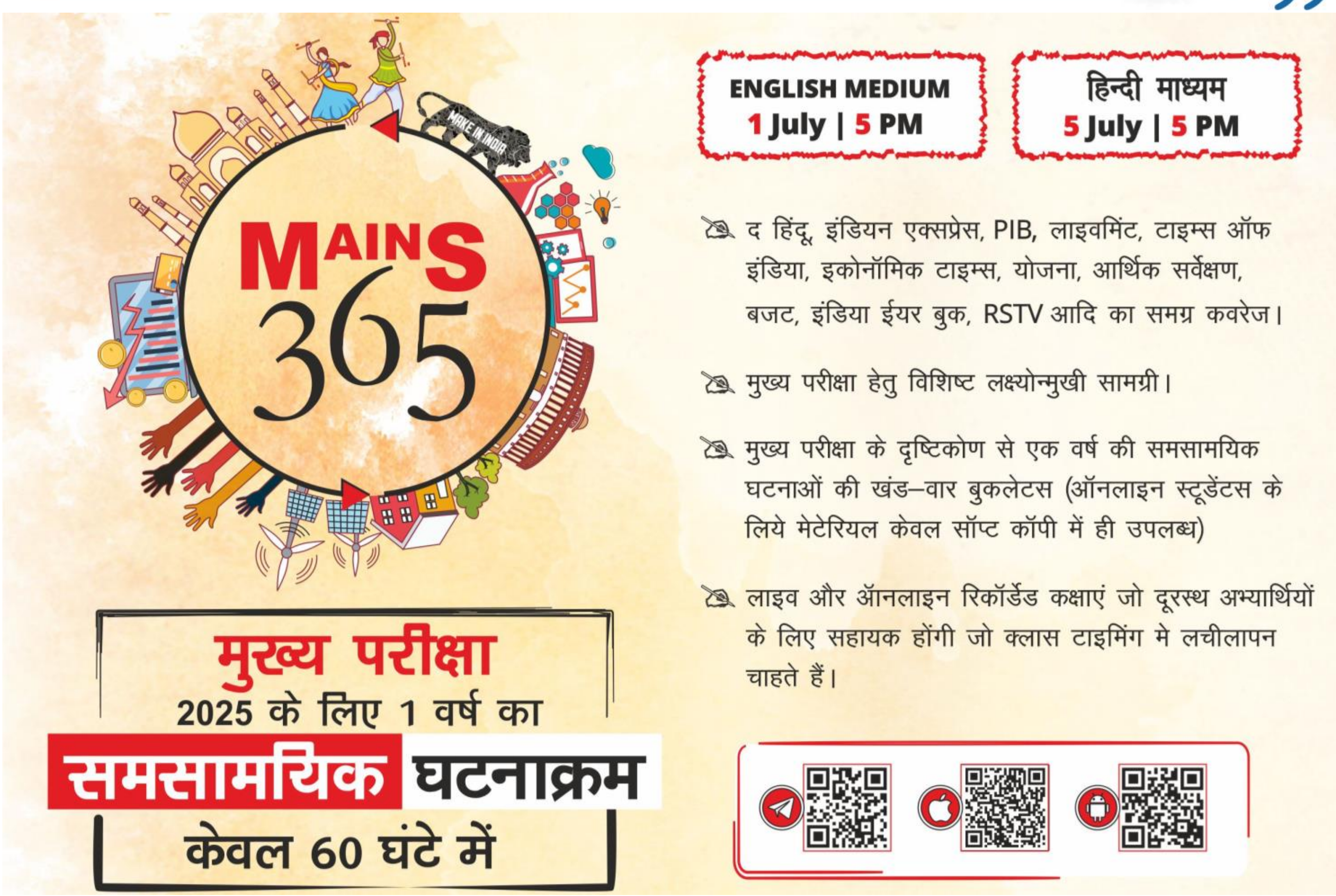

[27] National Coordination Committee

10.3. लोकतंत्र की वैश्विक स्थिति 2024 (Global State of Democracy 2024)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (International IDEA) ने **'द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2024: स्ट्रेंथनिंग द लेजिटिमेसी ऑफ इलेक्शंस इन ए टाइम ऑफ रेडिकल अनसर्टेनिटी'** शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है।

निर्वाचन प्रणालियों के समक्ष चुनौतियां

- **मतदाता की घटती भागीदारी:** विवादित चुनावों के कारण पिछले 15 वर्षों में विश्व के विभिन्न देशों में चुनावों में जनता की भागीदारी **65.2% से घटकर 55.5%** हो गई।
- **चुनाव की सत्यनिष्ठा कमजोर होना:** चुनाव में धोखाधड़ी, मतदाताओं का उत्पीड़न, राजनीतिक हस्तक्षेप, सरकार में शामिल पक्षों की धमकी और अनियमितताएं चुनाव की विश्वसनीयता को कम करती हैं।
    - जिन 39 देशों की **क्रेडिबल इलेक्शंस इंडेक्स** में गिरावट दर्ज की गई है, उनमें से 38 देशों में सरकार द्वारा धमकी की प्रवृत्ति में वृद्धि देखी गई है और 33 देशों में चुनाव में अनियमितताएं दर्ज की गई है।
- **लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट:** 2023 में **47% देशों (82) में लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट** दर्ज की गई।
- **नागरिक स्वतंत्रताओं का कम होना:** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता वास्तव में पूरी जानकारी के आधार पर मतदान के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन स्वतंत्रताओं पर पूरे विश्व में खतरा देखा जा रहा है, जिनमें स्थापित लोकतांत्रिक देश भी शामिल हैं।
    - जैसे- अफगानिस्तान, बेलारूस, बुर्किना फासो, म्यांमार, निकारागुआ आदि में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता में तीव्र गिरावट दर्ज होना; उच्च प्रदर्शन करने वाले यूरोपीय देशों (इटली, स्लोवाकिया आदि) में मीडिया पर दबाव बढ़ना इत्यादि।
- **चुनाव को प्रभावित करने के लिए डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग:** गलत सूचना पोस्ट करना, डीपफेक और ऑनलाइन दुष्प्रचार लोगों के विश्वास को कमजोर करते हैं तथा चुनावों को प्रभावित करते हैं।
    - यूरोप में राजनेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ जासूसी सॉफ्टवेयर का उपयोग बढ़ा है।
- **जनता का विश्वास कम होना:** अवसरवादी राजनेताओं द्वारा बढ़ावा दिए गए राजनीतिक विभाजन और झूठे नैरेटिव लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास को कमजोर करते हैं (जैसे ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत आदि)।

चुनाव में जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए सिफारिशें

- **जनता की राय को शामिल करना:** चुनाव सुधारों के क्रम में जनता के संदेहों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि चुनाव की वैधता और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिल सके।
- **डिजिटल खतरों से सुरक्षा:** नागरिक अधिकारों, AI उपयोग नियमों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही और डेटा संरक्षण कानूनों के माध्यम से डिजिटल माध्यम से उत्पन्न खतरों से निपटने वाले सुरक्षा उपायों को मजबूत करना चाहिए। जैसे- यूरोपीय संघ का डिजिटल सर्विसेज एक्ट, ब्राजील का मार्को सिविल, कनाडा का डिजिटल चार्टर आदि।
- **जागरूकता अभियान चलाना:** चुनाव प्रबंधन संस्थाओं (EMBs) को शैक्षिक संस्थानों और स्थानीय चुनाव कार्यकर्ताओं की भागीदारी से मतदाताओं को जागरूक करना चाहिए। उदाहरण के लिए- फिलीपींस में स्पष्ट संवाद से सफलता मिलना।
- **हितधारकों को जोड़ना:** चुनाव प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए व्यापक परामर्श, राजनीतिक सहमति और प्रायोगिक अध्ययनों पर आधारित सुधारों को लागू करना चाहिए।
- **पारदर्शिता बढ़ाना:** चुनाव प्रबंधन संस्थाओं को मतदान प्रक्रियाओं पर साक्ष्य-आधारित और पारदर्शी जानकारी प्रदान करनी चाहिए। इस प्रक्रिया में सिविल सोसाइटी, मीडिया और न्यायिक संस्थाओं को शामिल करना चाहिए। जैसे- नाइजीरिया में टीवी पर प्रतिदिन ब्रीफिंग का प्रसारण।
- **गलत सूचना से निपटना:** झूठे नैरेटिव की समस्या से निपटने के लिए कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और मीडिया फैक्ट-चेकिंग का उपयोग करना चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को पर्यवेक्षण की अनुमति:** चुनाव की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए चुनाव के दौरान संयुक्त राष्ट्र या क्षेत्रीय विशेष प्रतिवेदक (special rapporteur) नियुक्त करना चाहिए। साथ ही, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए स्वतंत्र चुनाव लोकपालों की नियुक्ति पर विचार करना चाहिए।

10.4. अल्पसंख्यक संस्थान (Minority Institution)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **"एएमयू बनाम नरेश अग्रवाल एवं अन्य"** मामले में अपने उस फैसले को पलट दिया, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से इनकार किया गया था।

अन्य संबंधित तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने 4-3 बहुमत से **एस. अजीज बाशा बनाम भारत संघ वाद (1967)** के अपने फैसले को पलट दिया। 1967 के इस निर्णय में कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) संविधान के **अनुच्छेद 30(1)** के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि इसे एक **अधिनियम द्वारा स्थापित** किया गया था।
    - सुप्रीम कोर्ट ने **एस. अजीज बाशा बनाम भारत संघ वाद (1967)** में कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) न तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया गया था और न ही इसका संचालन मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा किया जाता है। यह एक **केंद्रीय विश्वविद्यालय** है, जिसे **AMU अधिनियम 1920** के तहत स्थापित किया गया था।
- हालांकि बाद में, संसद ने **AMU (संशोधन) अधिनियम, 1981 के माध्यम से AMU का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल** कर दिया था।
    - हालांकि, **इलाहाबाद हाई कोर्ट** ने 2006 में AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को **रद्द** कर दिया था। इस निर्णय को बाद में **2019 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती** दी गई थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले में स्थापित सिद्धांतों के आधार पर संविधान के **'अनुच्छेद 30 के तहत AMU के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे को'** नियमित पीठ के पास भेज दिया है।

इस निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- यह साबित करने के लिए कि कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, इसके लिए उसके **प्रशासन पर अल्पसंख्यकों का नियंत्रण होना अनिवार्य नहीं है।**
- अदालतों को **संस्थान की उत्पत्ति का पता लगाना चाहिए और संस्थान की स्थापना करने वाले की मंशा की पहचान** करनी चाहिए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि संस्था की स्थापना किसने की है।
- **किसी संस्थान का अल्पसंख्यक का दर्जा केवल इसलिए रद्द नहीं** किया जा सकता, कि इसकी स्थापना किसी कानून द्वारा या विश्वविद्यालय के रूप में की गई है।
- **जो समुदाय संविधान के लागू होने से पहले अल्पसंख्यक नहीं थे,** वे भी स्वतंत्रता से पहले स्थापित संस्थाओं के लिए **अनुच्छेद 30(1) के तहत संरक्षण के हकदार हैं।**

निष्कर्ष

अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करके यह निर्णय वंचित समुदायों को सशक्त बनाता है और संस्था-निर्माण एवं स्वनिर्धारित विकास तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है।

10.5. मुख्य शब्दावलियां (Key Words)

मुख्य शब्दावलियां				
परिचालन दक्षता	सूचना प्रकटीकरण से छूट	सहकारी आंदोलन	लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण	अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार
लैंगिक अधिकार	नागरिक शिक्षा	पारदर्शिता और जवाबदेही		

10.6. अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

उत्तर लेखन प्रारूप

पिछले दो दशकों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की उपलब्धियों और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

भूमिका	मुख्य भाग 1	मुख्य भाग 2	निष्कर्ष
सुशासन की आधारशिला के रूप में RTI।	पिछले दो दशकों में RTI अधिनियम की उपलब्धियां और महत्व	चुनौतियां, कमजोरियां और RTI को मजबूत करने के लिए आवश्यक सुधार	पारदर्शिता और नागरिक सशक्तीकरण को बेहतर करना

11. विगत वर्षों के प्रश्न 2013-2024 (सिलेबस के अनुसार) {Previous Year Questions 2013-2024 (Syllabus Wise)}

भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना (Indian Constitution: Historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure)

- प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। (2023) 15
  {Explain the constitutional perspective of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws. (2023) 15}
- "भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया एक संविधान है।" जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। (2023) 15 अंक
  {"The Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society." Illustrate with special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty. (2023) 15 Marks}
- "भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किन्तु ये अधिकार असीम नहीं हैं।" टिप्पणी कीजिए।
  {"Right of movement and residence throughout the territory of India are freely available to the Indian citizens, but these rights are not absolute". Comment. (2022) 10}
- 'संवैधानिक नैतिकता' की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तार्किक फलकों पर आधारित है। 'संवैधानिक नैतिकता' के सिद्धांत की प्रासंगिकता न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए।
  {'Constitutional Morality' is rooted in the Constitution itself and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of 'Constitutional Morality' with the help of relevant judicial decisions. (2021) 10}
- "संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे आत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है।" इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है?
  {"Parliament's power to amend the Constitution is a limited power and it cannot be enlarged into absolute power." In the light of this statement explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the Basic Structure of the Constitution by expanding its amending power? (2019) 15}
- निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में, मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए।
  {Examine the scope of Fundamental Rights in the light ofthe latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy. (2017)15}
- 'उद्देशिका (प्रस्तावना)' में शब्द 'गणराज्य' के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं?
  {Discuss each adjective attached to the word 'Republic' in the 'Preamble'. Are they defendable in the present circumstances? (2016) 12.5}
- क्या भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था? चर्चा कीजिए। (2016) 12.5
  {Did the Government of India Act, 1935 lay down a federal constitution? Discuss. (2016) 12.5}

© Vision IAS

- चर्चा कीजिए कि वे कौन-से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य की नीति के निदेशक तत्व में प्रदत्त के अनुसार अपने नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता को अधिनियमित करने से रोकते हैं।

  {Discuss the possible factors that inhibit India from enacting for its citizen a uniform civil code as provided for in the Directive Principles of State Policy. (2015) 12.5}
- 'आधारिक संरचना' के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने में अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाई है कि भारत एक उन्नतशील लोकतंत्र के रूप में विकसित हो। इस कथन के प्रकाश में, लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लिए हाल के समय में 'न्यायिक सक्रियतावाद' द्वारा निभाई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

  {Starting from inventing the 'basic structure' doctrine, the judiciary has played a highly proactive role in ensuring that India develops into a thriving democracy. In light of the statement, evaluate the role played by judicial activism in achieving the ideals of democracy. (2014) 12.5}
- आप 'वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक् भी आता है? भारत में फ़िल्में अभिव्यक्तित के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों हैं? चर्चा कीजिये।

  {What do you understand by the concept "freedom of speech and expression"? Does it cover hate speech also? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression? Discuss. (2014) 12.5}
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को इससे कथित संविधान के अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के संदर्भ में विवेचना कीजिए।

  {Discuss Section 66A of IT Act, with reference to its alleged violation of Art 19. (2013) 10}
- 'संविधान में संशोधन करने के संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है।' समालोचनात्मक विवेचना कीजिए।

  {'The Supreme Court of India keeps a check on arbitrary power of the Parliament in amending the Constitution.' Discuss critically. (2013) 10}
- मंत्रिमंडल का आकार उतना होना चाहिए कि जितना सरकारी कार्य सही ठहराता हो और उसको उतना बड़ा होना चाहिए कि जितने को प्रधान मंत्री एक टीम के रूप में संचालन कर सकता हो। उसके बाद सरकार की दक्षता किस सीमा तक मंत्रिमंडल के आकार से प्रतिलोमतः संबंधित है? चर्चा कीजिए।

  {The size of the cabinet should be as big as governmental work justifies and as big as the Prime Minister can manage as a team. How far is the efficacy of a government then inversely related to the size of the cabinet? Discuss. (2014) 12.5}
- अनेक राज्य सरकारें बेहतर प्रशासन के लिए भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों जैसे जनपद व तालुकों को विभाजित कर देती हैं। उक्त के आलोक में, क्या यह भी औचित्यपूर्ण कहा जा सकता है कि अधिक संख्या में छोटे राज्य, राज्य स्तर पर प्रभावी शासन देंगे? विवेचना कीजिए।

  {Many State Governments further bifurcate geographical administrative areas like Districts and Talukas for better governance. In light of the above, can it also be justified that more number of smaller States would bring in effective governance at State level? Discuss. (2013) 10}

संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां (Functions and responsibilities of the Union and the States, Issues and challenges pertaining to the federal structure)

- केन्द्र सरकार ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के क्षेत्र में हाल ही में क्या बदलाव किये हैं? संघवाद को मजबूत करने के लिए तथा केन्द्र और राज्यों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए उपाय सुझाइए। (2024) 15

  {What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism. (2024) 15}

- 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व समझाइए। यह किस हद तक संघवाद की समावेशी भावना को दर्शाता है? (2023) 15
  {Explain the significance of the 101st Constitutional Amendment Act. To what extent does it reflect the accommodative spirit of federalism? (2023) 15}
- एक राज्य-विशेष के अन्दर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने तथा जांच करने के केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के क्षेत्राधिकार पर कई राज्य प्रश्न उठा रहे हैं। हालांकि, CBI जांच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोके रखने की शक्ति आत्यंतिक नहीं है। भारत के संघीय ढांचे के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए।
  {The jurisdiction of the Central Bureau of Investigation (CBI) regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular state is being questioned by various States. However, the power of States to withhold consent to the CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of India.(2021)15}
- आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिए।
  {How far do you think cooperation, competition and confrontation have shaped the nature of federation in India? Cite some recent examples to validate your answer (2020) 15}
- राष्ट्र की एकता और अखण्डता बनाए रखने के लिये भारतीय संविधान केन्द्रीयकरण करने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। महामारी अधिनियम, 1897; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा हाल में पारित किये गये कृषि क्षेत्र के अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में सुस्पष्ट कीजिए।
  {Indian constitution exhibits centralising tendencies to maintain unity and integrity of the nation. Elucidate in the perspective of the Epidemic Diseases Act, 1897; The Disaster Management Act, 2005 and recently passed Farm Acts. (2020) 15}
- न्यायालयों के द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने से, 'परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत' और 'समरस अर्थान्वयन' उभर कर आए हैं। स्पष्ट कीजिए।
  {From the resolution of contentious issues regarding distribution of legislative powers by the courts, 'Principle of Federal Supremacy' and 'Harmonious Construction' have emerged. Explain. (2019) 10}
- संविधान (एक सौ एक संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइए। क्या आप समझते हैं कि यह "करों के सोपानिक प्रभाव को समाप्त करने में और वस्तु तथा सेवाओं के लिए साझा राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने में" काफी प्रभावकारी है?
  {Explain the salient features of the constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016. Do you think it is efficacious enough 'to remove cascading effect of taxes and provide for common national market for goods and services'? (2017) 15}
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, जिसके साथ हाशिया नोट "जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध" लगा हुआ है, किस सीमा तक अस्थायी है? भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में इस उपबंध की भावी संभावनाओं पर चर्चा कीजिए।
  {To what extent is Article 370 of the Indian Constitution, bearing marginal note "Temporary provision with respect to the State of Jammu and Kashmir", temporary? Discuss the future prospects of this provision in the context of Indian polity. (2016) 12.5}
- हाल के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद की संकल्पना पर अधिकाधिक बल दिया जाता रहा है। विद्यमान संरचना में असुविधाओं और सहकारी परिसंघवाद किस सीमा तक इन असुविधाओं का हल निकाल लेगा, इस पर प्रकाश डालिए।
  {The concept of cooperative federalism has been increasingly emphasised in recent years. Highlight the drawbacks in the existing structure and the extent to which cooperative federalism would answer the shortcomings. (2015) 12.5}

- यद्यपि परिसंघीय सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है और वह सिद्धांत संविधान के आधारिक अभिलक्षणों में से एक है, परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन परिसंघवाद (फेडरलिज्म) सशक्त केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल परिसंघवाद की संकल्पना के विरोध में है। चर्चा कीजिए।

  {Though the federal principle is dominant in our Constitution and that principle is one of its basic features, but it is equally true that federalism under the Indian Constitution leans in favour of a strong Centre, a feature that militates against the concept of strong federalism. Discuss. (2014) 12.5}

स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां (Devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein)

- स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने के फायदे और नुकसान को स्पष्ट कीजिए। (2024) 10

  {Analyse the role of local bodies in providing good governance at local level and bring out the pros and cons of merging rural local bodies with urban local bodies. (2024) 10}

- आपकी राय में, भारत में शक्ति के विकेन्द्रीकरण ने जमीनी-स्तर पर शासन-परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है?

  {To what extent, in your opinion, as the decentralization of power in India changed the governance landscape at the grassroots? (2022) 10}

- भारत में स्थानीय निकायों की सुदृढ़ता एवं संपोषिता 'प्रकार्य, कार्यकर्ता व कोष' की अपनी रचनात्मक प्रावस्था से 'प्रकार्यात्मकता' की समकालिक अवस्था की ओर स्थानांतरित हुई है। हाल के समय में प्रकार्यात्मकता की दृष्टि से स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही अहम् चुनौतियों को आलोकित कीजिए।

  {The strength sustenance of local institutions in India has shifted from their formative phase of 'Functions, Functionaries and Funds' to the contemporary stage of 'Functionality'. Highlight the critical challenges faced by local institutions in terms of their functionality in recent times. (2020) 15}

- "स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भारत के राजनीतिक प्रक्रम के पितृसत्तात्मक अभिलक्षण पर एक सीमित प्रभाव पड़ा है।" टिप्पणी कीजिए।

  {"The reservation of seats for women in the institutions of local self- government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian Political Process." Comment. (2019) 15}

- भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्व का आकलन कीजिए। विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों को खोज सकती हैं?"

  {Assess the importance of the Panchayat system in India as a part of local government. Apart from government grants, what sources the Panchayats can look out for financing development projects? (2018) 15}

- "भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति, शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है?" इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा स्थिति में सुधार के लिए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।

  {"The local self-government system in India has not proved to be effective instrument of governance". Critically examine the statement and give your views to improve the situation. (2017) 10}

- सुशिक्षित और व्यवस्थित स्थानीय स्तर की शासन-व्यवस्था की अनुपस्थिति में 'पंचायतें' और 'समितियां' मुख्यतः राजनीतिक संस्थाएं बनी रहती हैं न कि शासन के प्रभावी उपकरण। आलोचनात्मक रूप से चर्चा कीजिए।"

  {In absence of well–educated and organised local level government system, 'Panchayats' and 'Samitis' haveremained mainly political institutions and not effective instruments of governance. Critically discuss. (2015) 12.5}

- खाप पंचायतें संविधानेतर प्राधिकरणों के तौर पर प्रकार्य करने, अक्सर मानवाधिकार उल्लंघनों की कोटि में आने वाले निर्णयों को देने के कारण खबरों में बनी रही हैं। इस संबंध में स्थिति को ठीक करने के लिए विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा की गई कार्रवाइयों पर समालोचनापूर्वक चर्चा कीजिए।"

  {Khap panchayats have been in the news for functioning as extra–constitutional authorities, often delivering pronouncements amounting to human rights violations. Discuss critically the actions taken by the legislative, executive and the judiciary to set the things right in this regard. (2015) 12.5}

विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान (Separation of powers between various organs, dispute redressal mechanisms and institutions)

- भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिए। इसके परिणामस्वरूप, क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है ? (2024) 15

  {Explain the reasons for the growth of public interest litigation in India. As a result of it, has the Indian Supreme Court emerged as the world's most powerful judiciary? (2024) 15}

- लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या कीजिए तथा उनमें अन्तर स्पष्ट कीजिये। क्या वे दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार करते हैं? (2024) 10

  {Explain and distinguish between Lok Adalats and Arbitration Tribunals. Do they entertain civil as well as criminal cases? (2024) 10}

- विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिए।

  {Discuss the desirability of greater representation to women in the higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness. (2021) 10}

- न्यायिक विधायन, भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में, कार्यपालक अधिकरणों को दिशा-निर्देश देने की प्रार्थना करने सम्बन्धी, बड़ी संख्या में दायर होने वाली, लोक हित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिये।

  {Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities. (2020) 15}

- क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह 'नियंत्रण एवं संतुलन' के सिद्धांत पर आधारित है ? व्याख्या कीजिए।

  {Do you think that constitution of India does not accept principle of strict separation of powers rather it is based on the principle of 'checks and balance'? Explain (2019) 10}

- क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय (जुलाई 2018) दिल्ली के उप-राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनैतिक कशमकश को निपटा सकता है? परीक्षण कीजिए।

  {Whether the Supreme Court Judgment (July 2018) can settle the political tussle between the Lt. Governor and elected government of Delhi? Examine. (2018) 15}

- 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के उन अत्यावश्यक तत्त्वों और विषमताओं, यदि कोई हों, पर चर्चा कीजिए, जिन्होंने दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उप-राज्यपाल के बीच मतभेदों को हाल में समाचारों में दिखाया गया है। क्या आपके विचार में इससे भारतीय परिसंघीय राजनीति के प्रकार्य में एक नई प्रवृत्ति का उदय होगा?

{Discuss the essentials of the 69th Constitutional Amendment Act and anomalies, if any, that have led to recent reported conflicts between the elected representatives and institution of Lieutenant Governor in the administration of Delhi. Do you think that this will give rise to a new trend in the functioning of the Indian Federal Politics? (2016) 12.5}

संसद और राज्य विधायिका - संरचना, कार्य, कार्य-संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय (Parliament and State Legislatures – structure, functioning, conduct of business, powers & privileges and issues arising out of these)

- "कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणामस्वरूप व्यावहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है।" स्पष्ट कीजिए। (2024) 10

  {"The growth of cabinet system has practically resulted in the marginalisation of the parliamentary supremacy." Elucidate (2024) 10}
- संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए। भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहां तक मदद की?

  {Explain the structure of the Parliamentary Committee system. How far have the financial committees helped in the institutionalisation of Indian Parliament? (2023) 15 Marks}
- विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परम्पराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिए।

  {Discuss the role of presiding officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices. (2023) 10 Marks}
- राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए। विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

  {Discuss the essential conditions for exercise of the legislative powers by the Governor. Discuss the legality of re-promulgation of ordinances by the Governor without placing them before the Legislature. (2022) 15}
- राज्य सभा के सभापति के रूप में भारत के उप-राष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

  {Discuss the role of the Vice –Presidents of India as the chairman of the Rajya Sabha. (2022) 10}
- क्या विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियां प्रशासन को अपने पैर की उंगलियों पर रखती है और संसदीय नियंत्रण के लिए सम्मान-प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ ऐसी समितियों के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

  {Do Department -related Parliamentary Standing Committees keep the administration on its toes and inspire reverence for parliamentary control? Evaluate the working of such committees with suitable examples. (2021) 15}
- उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिनके अंतर्गत विधान परिषदें स्थापित होती हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विधान परिषदों के कार्य और वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

  {Explain the constitutional provisions under which Legislative Councils are established. Review the working and current status of Legislative Councils with suitable illustrations. (2021) 15}
- आपकी दृष्टि में, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

  {To what extent, in your view, the Parliament is able to ensure accountability of the executive in India? (2021) 10}
- 'एकदा स्पीकर, सदैव स्पीकर'! क्या आपके विचार में लोक सभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस कार्यप्रणाली को स्वीकारना चाहिए? भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं ? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये)

  {"Once a speaker, Always a speaker'! Do you think the practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India. (2020) 10}

- विगत कुछ दशकों में राज्य सभा एक 'उपयोगहीन स्टैपनी टायर' से सर्वाधिक उपयोगी सहायक अंग में रूपांतरित हुआ है। उन कारकों तथा क्षेत्रों को आलोकित कीजिए जहां यह रूपांतरण दृष्टिगत हो सकता है। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिये)

  {Rajya Sabha has been transformed from a 'useless stepney tyre' to the most useful supporting organ in past few decades. Highlight the factors as well as the areas in which this transformation could be visible. (2020) 15}
- राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले एक संसद सदस्य की भूमिका अवनति की ओर है, जिसके फलस्वरूप वाद-विवादों की गुणता और उनके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ भी चुका है। चर्चा कीजिए।

  {Individual Parliamentarian's role as the national lawmaker is on a decline, which in turn, has adversely impacted the quality of debates and their outcome. Discuss. (2019) 15}
- आप यह क्यों सोचते हैं कि समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं? इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

  {Why do you think the committees are considered to be useful for parliamentary work? Discuss, in this context, the role of the Estimates Committee. (2018) 10}
- भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। उन अवसरों को गिनाये जब सामान्यतः यह होता है तथा उन अवसरों को भी जब यह नहीं किया जा सकता, और इसके कारण भी बताइए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

  {The Indian Constitution has provisions for holding a joint session of the two houses of the Parliament. Enumerate the occasions when this would normally happen and also the occasions when it cannot, with reasons thereof. (2017) 15}
- "भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली परिवर्तन के ऐसे दौर से गुज़र रही है, जो अंतर्विरोधों और विरोधाभासों से भरा प्रतीत होता है।" चर्चा कीजिए।

  {"The Indian party system is passing through a phase of transition which looks to be full of contradictions and paradoxes." Discuss. (2016) 12.5}
- कोहिलो केस में क्या अभिनिर्धारित किया गया था? इस संदर्भ में, क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्त्व का है?

  {What was held in the Coelho case? In this context, can you say that judicial review is of key importance amongst the basic features of the Constitution? (2016) 12.5}
- संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां (इम्यूनिटीज़), जैसे कि वे संविधान की धारा 105 में परिकल्पित हैं, अनेकों असंहिताबद्ध (अन-कोडिफाइड) और अ-परिगणित विशेषाधिकारों के जारी रहने का स्थान खाली छोड़ देती हैं। संसदीय विशेषाधिकारों के विधिक संहिताकरण की अनुपस्थिति के कारणों का आकलन कीजिए। इस समस्या का क्या समाधान निकाला जा सकता है?

  {The 'Powers, Privileges and Immunities of Parliament and its Members' as envisaged in Article 105 of the Constitution leave room for a large number of un-codified and un-enumerated privileges to continue. Assess the reasons for the absence of legal codification of the 'parliamentary privileges'. How can this problem be addressed? (2014) 12.5}
- कुछ वर्षों से सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है जिसके फलस्वरूप नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहस प्रायः देखने को नहीं मिलती। दल परिवर्तन विरोधी कानून, जो भिन्न उद्देश्य से बनाया गया था, को कहाँ तक इसके लिए उत्तरदायी माना जा सकता है ? [200 शब्द]

  {The role of individual MPs (Members of Parliament) has diminished over the years and as a result healthy constructive debates on policy issues are not usually witnessed. How far can this be attributed to the anti- defection law which was legislated but with a different intention? (2013) 10}
- अन्तर-राज्य जल विवादों का समाधान करने में संवैधानिक प्रक्रियाएं समस्याओं का समाधान करने व हल करने में असफल रही हैं। क्या यह असफलता संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता अथवा दोनों के कारण हुई है? विवेचना कीजिए। [200 शब्द)

  {Constitutional mechanisms to resolve the inter-state water disputes have failed to address and solve the problems. Is the failure due to structural or process inadequacy or both? Discuss. (2013) 10}

कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य - सरकार के मंत्रालय एवं विभाग

(Structure, organization and functioning of the Executive and the Judiciary; Ministries and Departments of the Government)

- संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिये जिम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए।

  {Account for the legal and political factors responsible for the reduced frequency of using Article 356 by the Union Governments since mid 1990s. (2023) 15 Marks}
- "संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है।" टिप्पणी कीजिए।

  {“Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment. (2023) 10}
- "भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा को संविधान के दायरे में लाना है।" प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों के उदाहरणों सहित इस कथन पर विस्तार से चर्चा कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

  {“The most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court.” Discuss this statement with the help of relevant case laws. (2022) 10}
- "महान्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है।" चर्चा कीजिए।

  {“The Attorney-General is the chief legal adviser and lawyer of the Government of India.” Discuss. (2019) 15}
- किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? ऐसी उद्घोषणा के लागू रहने तक, इसके अनुसरण के क्या-क्या परिणाम होते हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

  {Under what circumstances can the Financial Emergency be proclaimed by the President of India? What consequences follow when such a declaration remain in force? (2018) 10}
- आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते हैं? उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत में अधिकरणों की संवैधानिक वैधता तथा सक्षमता की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

  {How far do you agree with the view that tribunals curtail the jurisdiction of ordinary courts? In view of the above, discuss the constitutional validity and competency of the tribunals in India? (2018) 15}
- भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

  {Critically examine the Supreme Court’s judgement on ‘National Judicial Appointments Commission Act, 2014’ with reference to appointment of judges of higher judiciary in India. (2017) 10}
- अध्यादेशों का आश्रय लेने ने हमेशा ही शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत की भावना के उल्लंघन पर चिंता जागृत की है। अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति के तर्काधार को नोट करते हुए विश्लेषण कीजिए कि क्या इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों ने इस शक्ति का आश्रय लेने को और सुगम बना दिया है। क्या अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति का निरसन कर दिया जाना चाहिए?

  {Resorting to ordinances has always raised concern on violation of the spirit of separation of powers doctrine. While noting the rationales justifying the power to promulgate ordinances, analyse whether the decisions of the Supreme Court on the issue have further facilitated resorting to this power. Should the power to promulgate the ordinances be repealed? (2015) 12.5}
- राष्ट्रपति द्वारा हाल में प्रख्यापित अध्यादेश के द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में क्या प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं? यह भारत के विवाद समाधान यांत्रिकत्व को किस सीमा तक सुधारेगा? चर्चा कीजिए।
- {What are the major changes brought in the Arbitration and Conciliation Act, 1996 through the recent Ordinance promulgated by the President? How far will it improve India’s dispute resolution mechanism? Discuss. (2015) 12.5}

- क्या स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में दिवाली के दौरान पटाखे जलाने के विधिक विनियम भी शामिल है? इस पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के, और इस संबंध में शीर्ष न्यायालय के निर्णय/ निर्णयों के, प्रकाश में चर्चा कीजिए।

  {Does the right to clean environment entail legal regulation on burning crackers during Diwali? Discuss in the light of Article 21 of Indian Constitution and Judgement(s) of the Apex court in this regard. (2015) 12.5}
- मृत्यु दंडादेशों के लघुकरण में राष्ट्रपति के विलंब के उदाहरण न्याय प्रत्याख्यान (डिनायल) के रूप में लोक वाद-विवाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने/ अस्वीकार करने के लिए एक समय सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए ? विश्लेषण कीजिये।

  {Instances of President's delay in commuting death sentences has come under public debate as denial of justice. Should there be a time limit specified for the President to accept/reject such petitions? Analyse. (2014) 12.5}

विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व। सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय (Appointment to various Constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various Constitutional Bodies, Statutory, regulatory, and various quasi-judicial bodies)

- "नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं बल्कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना है।" टिप्पणी कीजिए। (2024) 10

  {"The duty of the Comptroller and Auditor General is not merely to ensure the legality of expenditure but also its propriety." Comment. (2024) 10}
- निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन हैं? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (NALSA) की भूमिका का आकलन कीजिए।

  {Who are entitled to receive free legal aid? Assess the role of the National Legal Service Authority (NALSA) in rendering free legal aid in India. 2023 (10)}
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

  {Discuss the role of the National Commission for Backward Classes in the wake of its transformation from a statutory body to a constitutional body. (2022) 10}
- यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के विरुद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

  {Though the Human Rights Commissions have contributed immensely to the protection of human rights in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful. Analyzing their structural and practical limitations, suggest remedial measures. (2021) 15}
- भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने में कैसे सक्षम किया है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

  {How have the recommendations of the 14th Finance Commission of India enabled the states to improve their fiscal position? (2021) 10}
- किसी आयोग के संवैधानिककरण के लिए कौन-कौन से कदम उठाने की आवश्यकता है? क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना भारत में लैंगिक न्याय एवं सशक्तिकरण और अधिक सुनिश्चित करेगा? कारण बताइए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिये)

  {Which steps are required for constitutionalization of a commission? Do you think imparting constitutionality to the National Commission for Women would ensure greater gender justice and empowerment in India? Give reasons. (2020) 15}

- "केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसकी स्थापना केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा या उनके विरुद्ध शिकायतों एवं परिवादों के निवारण हेतु की गई थी, आजकल एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है।" व्याख्या कीजिए ।

  {"The Central Administration Tribunal which was established for redressal of grievances and complaints by or against central government employees, nowadays is exercising its powers as an independent judicial authority." Explain. (2019) 10}
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के इस्तेमाल संबंधी हाल के विवाद के आलोक में, भारत में चुनावों की विश्वास्यता सुनिश्चित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या-क्या चुनौतियां है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

  {In the light of recent controversy regarding the use of Electronic Voting Machine (EVM), what are the challenges before the Election Commission of India to ensure the trustworthiness of elections in India? (2018) 10}
- "नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) को एक अत्यावश्यक भूमिका निभानी होती है।" व्याख्या कीजिए कि यह किस प्रकार उसकी नियुक्ति की विधि और शर्तों और साथ ही साथ उन अधिकारों के विस्तार से परिलक्षित होती है, जिनका प्रयोग वह कर सकता है। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

  {"The Comptroller and Auditor General (CAG) has a very vital role to play." Explain how this is reflected in the method and terms of his appointment as well as the range of powers he can exercise. (2018) 10}
- भारत के वित्त आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है? हाल में गठित वित्त आयोग के विचारार्थ विषय (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) के बारे में आप क्या जानते हैं? विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

  {How is the Finance Commission of India constituted? What do you know about the terms of reference of the recently constituted Finance Commission? Discuss. (2018) 15}
- क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक आरक्षण के कार्यान्वयन को लागू कर सकता है? परीक्षण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

  {Whether National Commission for Scheduled Castes (NCSC) can enforce the implementation of constitutional reservation for the Scheduled Castes in the religious minority institutions? Examine. (2018) 10}
- समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न आयोगों की बहुलता, अतिव्यापी अधिकारिता और प्रकार्यों के दोहरेपन की समस्याओं की ओर ले जाती है। क्या यह अच्छा होगा कि सभी आयोगों को एक व्यापक मानव अधिकार आयोग के छत्र में विलय कर दिया जाय? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

  {Multiplicity of various commissions for the vulnerable sections of the society leads to problems of overlapping jurisdiction & duplication of functions. Is it better to merge all commissions into an umbrella human rights commission? Argue your case. (2018) 15}
- संघ और राज्यों के लेखाओं के सम्बन्ध में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 से व्युत्पन्न है। चर्चा कीजिए कि क्या सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करना अपने स्वयं (नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) की अधिकारिता का अतिक्रमण करना होगा या कि नहीं।

  {Exercise of CAG's powers in relation to the accounts of the Union and the States is derived from Article 149 of the Indian Constitution. Discuss whether audit of the Government's policy implementation could amount to overstepping its own (CAG) jurisdiction. (2016) 12.5}
- अर्ध-न्यायिक (न्यायिकवत्) निकाय से क्या तात्पर्य है? ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए।

  {What is quasi-judicial body? Explain with the help of concrete examples. (2016) 12.5}

- भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य यांत्रिक तत्वों (मकैनिज्म) का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टिप्पणी के प्रकाश में, मानव अधिकार मानकों की प्रोन्नति करने और उनकी रक्षा करने में, न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के प्रभावी पूरक के तौर पर, NHRC की भूमिका का आकलन कीजिए।

  {National Human Rights Commission (NHRC) in India can be most effective when its tasks are adequately supported by other mechanisms that ensure the accountability of a government. In light of the above observation assess the role of NHRC as an effective complement to the judiciary and other institutions in promoting and protecting human rights standards. (2014) 12.5}
- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की विवेचना कीजिए जो स्थानीय शासन की वित्त-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पिछले आयोगों से भिन्न हैं। [200 शब्द]

  {Discuss the recommendations of the 13th Finance Commission which have been a departure from the previous commissions for strengthening the local government finances. (2013) 10}
- वित्तीय संस्थाओं व बीमा कंपनियों द्वारा की गई उत्पाद विविधता के फलस्वरूप उत्पादों व सेवाओं में उत्पन्न परस्पर व्यापन ने सेबी (SEBI) व इरडा (IRDA) नामक दोनों नियामक अभिकरणों के विलय के प्रकरण को प्रबल बनाया है। औचित्य सिद्ध कीजिए। [200 शब्द]

  {The product diversification of financial institutions and insurance companies, resulting in overlapping of products and services strengthens the case for the merger of the two regulatory agencies namely SEBI and IRDA. Justify. (2013) 10}

भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना (Comparison of the Indian constitutional scheme with that of other countries)

- भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में विवेचना कीजिए और अमेरिकी संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्तों के साथ तुलना कीजिए। (2024) 15

  {Discuss India as a secular state and compare with the secular principles of the US constitution. (2024) 15}
- संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना करें और अंतर भी बताएं।

  {Compare and contrast the British and Indian approaches to Parliamentary sovereignty. (2023) 10 Marks}
- भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

  {Critically examine the procedures through which the Presidents of India and France are elected. (2022) 15}
- संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में, समता के अधिकार की धारणा की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

  {Analyze the distinguishing features of the notion of Equality in the Constitutions of the USA and India. (2021) 15}
- हाल के समय में भारत और यू. के. की न्यायिक व्यवस्थाएं अभिसरणीय एवं अपसरणीय होती प्रतीत हो रही हैं। दोनों राष्ट्रों की न्यायिक कार्यप्रणालियों के आलोक में अभिसरण तथा अपसरण के मुख्य बिंदुओं को आलोकित कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये)

  {The judicial systems in India and UK seem to be converging as well as diverging in the recent times. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of their judicial practices. (2020) 10}
- धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है?

  {What can France learn from the Indian Constitution's approach to secularism? (2019) 10}
- भारत एवं यू० एस० ए० दो बड़े लोकतांत्रिक देश है। उन आधारभूत सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए जिन पर ये दो राजनीतिक तंत्र आधारित हैं। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

  {India and USA are the two large democracies. Examine the basic tenets on which the two political systems are based. (2018) 15}

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं (Salient features of the Representation of People's Act)

- विभिन्न समितियों द्वारा सुझाये गये, एवं "एक राष्ट्र एक चुनाव के विशिष्ट संदर्भ में, चुनाव 13 सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करें। (2024) 10
  {Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation – one election" principle. (2024) 10}
- आदर्श आचार-संहिता के उद्भव के आलोक में, भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
  {Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct. (2022) 15}
- "भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केन्द्रीयकरण के पक्ष में हैं, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य-स्वायत्तता के पक्ष में।" टिप्पणी कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
  {While the national political parties in India favour centralisation, the regional parties are in favour of State autonomy." Comment. (2022) 15}
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है? इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन-सा उपाय उपलब्ध है? वाद विधियों का संदर्भ दीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
  {Discuss the procedures to decide the disputes arising out of the election of a Member of the Parliament or State Legislature under the Representation of the People Act, 1951. What are the grounds on which the election of any returned candidate may be declared void? What remedy is available to the aggrieved party against the decision? Refer to the case laws. (2022) 15}
- "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है"। टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये)
  {"There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of peoples Act" Comment (2020) 10}
- किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन निरर्हित किया जा सकता है? उन उपायों का भी उल्लेख कीजिए जो ऐसे निरर्हित व्यक्ति को अपनी निरर्हता के विरुद्ध उपलब्ध हैं।
  {On what grounds a people's representative can be disqualified under the Representation of People Act, 1951? Also mention the remedies available to such person against his disqualification. (2019) 15}
- "लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के एक ही समय में चुनाव, चुनाव प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमित कर देंगे, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी।" चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
  {'Simultaneous election to the Lok Sabha and the State Assemblies will limit the amount of time and money spent in electioneering but it will reduce the government's accountability to the people' Discuss. (2017) 10}
- भारत में लोकतंत्र की गुणता को बढ़ाने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाए गए सुधार क्या है और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे किस सीमा तक महत्त्वपूर्ण है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
  {To enhance the quality of democracy in India the Election Commission of India has proposed electoral reforms in 2016. What are the suggested reforms and how far are they significant to make democracy successful? (2017) 15}

सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय (Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation)

- लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को उस व्यवस्था के बाजारीकरण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए व्यापक भूमिका निभानी चाहिए। कुछ ऐसे उपाय सुझाइए जिनके माध्यम से राज्य, लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की पहुंच का विस्तार तृणमूल स्तर तक कर सके। (2024) 15

  {In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level. (2024) 15}
- निर्धनता और कुपोषण एक विषाक्त चक्र का निर्माण करते हैं जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस चक्र को तोडने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? (2024) 10

  {Poverty and malnutrition create a vicious cycle, adversely affecting human capital formation. What steps can be taken to break the cycle? (2024) 10}
- "वंचित वर्ग के लिए विकास और कल्याणकारी योजनाएं अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं।" क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। {"Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach." Do you agree? Give reasons for your answer. (2023) 15 Marks}
- मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सके।

  {The crucial aspect of developmental process has been the inadequate attention paid to Human Resource Development in India. Suggest measures that can address this inadequacy. (2023) 10}
- क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्त्व को कम करती है? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

  Do you agree with the view that increasing dependence on donor agencies for development reduces the importance of community participation in the development process? Justify your answer. (2022) 15
- कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

  Besides the welfare schemes, India needs deft management of inflation and unemployment to serve the poor and the underprivileged sections of the society. Discuss. (2022) 15
- "एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है।" विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

  "Besides being a moral imperative of Welfare State, primary health structure is a necessary pre-condition for sustainable development." Analyze. (2021) 10
- 'विकास योजना के नव-उदारी प्रतिमान के संदर्भ में, आशा की जाती है कि बहु-स्तरी योजनाकरण संक्रियाओं को लागत प्रभावी बना देगा और अनेक क्रियान्वयन रुकावटों को हटा देगा।' चर्चा कीजिए।

  {'In the context of neo-liberal paradigm of development planning, multi-level planning is expected to make operations cost effective and remove many implementation blockages.'- Discuss. (2019) 15}
- "विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्रों और साझेदारों के मध्य नीतिगत विरोधाभासों के परिणामस्वरूप पर्यावरण के 'संरक्षण तथा उसके निम्नीकरण की रोकथाम' अपर्याप्त रही है।" सुसंगत उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

  {"Policy Contradictions among various competing sectors and stakeholders have resulted in inadequate 'protection and prevention of degradation' to environment." Comment with relevant illustrations. (2018) 10}

- क्या भारतीय सरकारी तंत्र ने 1991 में शुरू हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की माँगों के प्रति पर्याप्त रूप से अनुक्रिया की है? इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के प्रति अनुक्रियाशील होने के लिए सरकार क्या कर सकती है?

  {Has the Indian governmental system responded adequately to the demands of Liberalization, Privatization and Globalization started in 1991? What can the government do to be responsive to this important change? (2016) 12.5}
- "वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विनियामक संस्थाएँ स्वतंत्र और स्वायत्त बनी रहें।" पिछले कुछ समय में हुए अनुभवों के प्रकाश में चर्चा कीजिए।

  {“For achieving the desired objectives, it is necessary to ensure that the regulatory institutions remain independent and autonomous.” Discuss in the light of experiences in recent past. (2015) 12.5}
- सरकार की दो समांतर चलाई जा रही योजनाओं, यथा 'आधार कार्ड' और 'राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर' (NPR), एक स्वैच्छिक और दूसरी अनिवार्य, ने राष्ट्रीय स्तरों पर वाद-विवादों और मुकदमों को जन्म दिया है। गुणों-अवगुणों के आधार पर चर्चा कीजिए कि क्या दोनों योजनाओं को साथ-साथ चलाना आवश्यक है या नहीं है। इन योजनाओं की विकासात्मक लाभों और न्यायोचित संवृद्धि को प्राप्त करने की संभाव्यता का विश्लेषण कीजिये।

  {Two parallel run schemes of the Government, viz. the Aadhaar Card and NPR, one as voluntary and the other as compulsory, have led to debates at national levels and also litigations. On merits, discuss whether or not both schemes need run concurrently. Analyse the potential of the schemes to achieve developmental benefits and equitable growth. (2014) 12.5}
- यद्यपि 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) पहले से व्यापार प्रकाशन और सामान्य मनोरंजन चैनल जैसे समाचार-इतर मीडिया में अनुमत है, तथापि सरकार काफी कुछ समय से समाचार मीडिया में वर्धित एफ.डी.आई. के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। एफ.डी.आई. में बढ़ोतरी क्या अंतर पैदा करेगी ? समालोचनापूर्वक इसके पक्ष-विपक्ष का मूल्यांकन कीजिये।

  {Though 100 percent FDI is already allowed in non-news media like a trade publication and general entertainment channel, the Government is mulling over the proposal for increased FDI in news media for quite some time. What difference would an increase in FDI make? Critically evaluate the pros and cons. (2014) 12.5}
- किरायों का विनियमन करने के लिए रेल प्रशुल्क प्राधिकरण की स्थापना आमदनी बंधे (कैश स्ट्रैप्ड) भारतीय रेलवे को गैर-लाभकारी मार्गों और सेवाओं को चलाने के दायित्व के लिए सहायिकी (सब्सिडी) मांगने पर मजबूर कर देगी। विद्युत क्षेत्रक के अनुभव को सामने रखते हुए, चर्चा कीजिये कि क्या प्रस्तावित सुधार से उपभोक्ताओं, भारतीय रेलवे या कि निजी कंटेनर प्रचालकों को लाभ होने की आशा है।

  {The setting up of a Rail Tariff Authority to regulate fares will subject the cash strapped Indian Railways to demand subsidy for obligation to operate non-profitable routes and services. Taking into account the experience in the power sector, discuss if the proposed reform is expected to benefit the consumers, the Indian Railways or the private container operators. (2014) 12.5}
- खिलाड़ी औलंपिक्स में व्यक्तिगत विजय और देश के गौरव के लिए भाग लेता है; वापसी पर, विजेताओं पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा नकद प्रोत्साहनों की बौछार की जाती है। प्रोत्साहन के तौर पर पुरस्कार कार्यविधि के तर्काधार के मुकाबले, राज्य प्रायोजित प्रतिभा खोज और उसके पोषण के गुणावगुण पर चर्चा कीजिये।

  {An athlete participates in Olympics for personal triumph and nation’s glory; victors are showered with cash incentives by various agencies, on their return. Discuss the merit of state sponsored talent hunt and its cultivation as against the rationale of a reward mechanism as encouragement. (2014) 12.5}
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाल के निर्देशों को 'नागाओं' द्वारा उनके राज्य को मिली विशिष्ट स्थिति को रद्द करने के खतरे के रूप में देखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A के आलोक में इसकी विवेचना कीजिए। [200 शब्द]

  {Recent directives from Ministry of Petroleum and Natural Gas are perceived by the ‘Nagas’ as a threat to override the exceptional status enjoyed by the State. Discuss in light of Article 371A of the Indian Constitution. (2013) 10}

प्रभावक समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका (Pressure groups & formal/informal associations & their role in Polity)

- "भारत में सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।" समझाइए कि व्यवसाय संघ, सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान करते हैं। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

  {"Pressure groups play a vital role in influencing public policy making in India." Explain how the business associations contribute to public policies. (2021) 10}
- भारत में नीति-निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए किसान संगठनों द्वारा क्या-क्या तरीके अपनाए जाते हैं और वे तरीके कितने प्रभावी हैं?

  {What are the methods used by the Farmers organizations to influence the policy- makers in India and how effective are these methods? (2019) 10}
- भारतीय राजनीतिक प्रक्रम को दबाव समूह किस प्रकार प्रभावित करते हैं? क्या आप इस मत से सहमत है कि हाल के वर्षों में अनौपचारिक दबाव समूह, औपचारिक दबाव समूहों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली रूप में उभरे हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

  {How do pressure groups influence Indian political process? Do you agree with this view that informal pressure groups have emerged as powerful as formal pressure groups in recent years? (2017) 10}
- प्रभावक-समूह राजनीति को कभी-कभी राजनीति का अनौपचारिक मुखपृष्ठ माना जाता है। उपर्युक्त के संबंध में, भारत में प्रभावक समूहों की संरचना व कार्यप्रणाली का आकलन कीजिए। [200 शब्द]

  {Pressure group politics is sometimes seen as the informal face of politics. With regards to the above, assess the structure and functioning of pressure groups in India. (2013) 10}

विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग - गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका (Development processes and the development industry- the role of NGOs, SHGs, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders)

- कतिपय अत्यावश्यक सार्वजनिक मुद्दों से सम्बन्धित होने के कारण, सार्वजनिक चैरिटेबिल ट्रस्टों में भारत के विकास को अधिक समावेशी बनाने का सामर्थ्य है। टिप्पणी कीजिए। (2024) 10

  {Public charitable trusts have the potential to make India's development more inclusive as they relate to certain vital public issues. Comment. (2024) 10}
- विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित की है। इस कथन के सन्दर्भ में शिक्षा, कौशल और रोजगार के मध्य संयोजन का विश्लेषण कीजिए।

  {Skill development programmes have succeeded in increasing human resources supply to various sectors. In the context of the statement, analyse the linkages between education, skill and employment. (2023) 15}
- भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिये नागरिक समाज समूहों के योगदान पर विचार कीजिए।

  {Discuss the contributions of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in State Legislatures in India. (2023) 15}
- भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। हाल के निर्णयों का संदर्भ लें।

  {Discuss the role of the Competition Commission of India in containing the abuse of dominant position by the Multi-National Corporations in India. Refer to the recent decisions. (2023) 10}

© Vision IAS

- "भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं।" टिप्पणी कीजिए।

  {“The states in India seem reluctant to empower urban local bodies both functionally as well as financially.” Comment 2023 (10 Marks)}

- क्या नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठन, आम नागरिक को लाभ प्रदान करने के लिए लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं? इस वैकल्पिक प्रतिमान की चुनौतियों की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

  {Can Civil Society and Non-Governmental Organizations present an alternative model of public service delivery to benefit the common citizen. Discuss the challenges of this alternative model. (2021) 15}

- "सूक्ष्म-वित्त एक गरीबी रोधी टीका है जो भारत में ग्रामीण दरिद्र की परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा के लिए लक्षित है"। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उपरोक्त दोहरे उद्देश्यों के लिए कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिये)

  {“Micro-Finance as an anti-poverty vaccine, is aimed at asset creation and income security of the rural poor in India”. Evaluate the role of Self-Help Groups in achieving the twin objectives along with empowering women in rural India. (2020) 15}

- विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के बीच सहयोग की आवश्यकता विकास प्रवचन का एक अंतर्निहित घटक रहा है। साझेदारी क्षेत्रकों के बीच पुल बनाती है। यह 'सहयोग' और 'टीम भावना' की संस्कृति को भी गति प्रदान कर देती है। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में भारत के विकास प्रक्रम का परीक्षण कीजिए।

  {The need for cooperation among various service sector has been an inherent component of development discourse. Partnership bridges bring the gap among the sectors. It also sets in motion a culture of ‘Collaboration’ and ‘team spirit’. In the light of statements above examine India’s Development process. (2019) 15}

- उच्च संवृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद, भारत के मानव विकास के निम्नतम संकेतक चल रहे हैं। उन मुद्दों का परीक्षण कीजिए, जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में आने नहीं दे रहे हैं।

  {Despite Consistent experience of High growth, India still goes with the lowest indicators of human development. Examine the issues that make balanced and inclusive development elusive. (2019) 10}

- "वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूहों का उद्भव राज्य के विकासात्मक गतिविधियों से धीरे परंतु निरंतर पीछे हटने का संकेत है।" विकासात्मक गतिविधियों में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का एवं भारत सरकार द्वारा स्वयं-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों का परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

  {The emergence of Self-Help Groups (SHGs) in contemporary times points to the slow but steady withdrawal of the state from developmental activities’. Examine the role of the SHGs in developmental activities and the measures taken by the Government of India to promote the SHGs. (2017) 15}

- "भारतीय शासकीय तंत्र में, गैर-राजकीय कर्ताओं की भूमिका सीमित ही रही है।" इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  {“In the Indian governance system, the role of non-state actors has been only marginal.” Critically examine this statement. (2016) 12.5}

- "विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभाविता तथा शासकीय तंत्र में जन-सहभागिता अन्योन्याश्रित होती हैं।" भारत के संदर्भ में इनके बीच सम्बन्ध पर चर्चा कीजिए।

  {“Effectiveness of the government system at various levels and people’s participation in the governance system are interdependent” Discuss their relationship in the context of India. (2016) 12.5}

- विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफ० सी० आर० ए०), 1976 के अधीन गैर-सरकारी संगठनों के विदेशी वित्तीयन के नियंत्रक नियमों में हाल के परिवर्तनों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  {Examine critically the recent changes in the rules governing foreign funding of NGOs under the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA), 1976. (2015) 12.5}

- आत्मनिर्भर समूह (एस० एच० जी०) बैंक अनुबंधन कार्यक्रम (एस० बी० एल० पी०), जो कि भारत का स्वयं का नवाचार है, निर्धनता न्यूनीकरण और महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमों में एक सर्वाधिक प्रभावी कार्यक्रम साबित हुआ है। सविस्तार स्पष्ट कीजिए।

  {The Self Help Group (SHG) Bank Linkage Programme (SBLP), which is India's own innovation , has proved to be one of the most effective poverty alleviation and women empowerment programmes. Elucidate. (2015) 12.5}

- पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित विकास कार्यों के लिए भारत में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को किस प्रकार मजबूत बनाया जा सकता है? मुख्य बाध्यताओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए।

  {How can the role of NGOs be strengthened in India for development works relating to protection of the environment? Discuss throwing light on the major constraints. (2015) 12.5}

- ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में भागीदारी की प्रोन्नति करने में स्वावलंबन समूहों (एस.एच.जी.) के प्रवेश को सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षण कीजिये।

  {The penetration of Self Help Groups (SHGs) in rural areas in promoting participation in development programmes is facing socio-cultural hurdles. Examine. (2014) 12.5}

- स्वयं सहायता समूहों की वैधता एवं जवाबदेही और उनके संरक्षक, सूक्ष्म-वित्त पोषक इकाइयों का, इस अवधारणा की सतत सफलता के लिए योजनाबद्ध आकलन व संवीक्षण आवश्यक है। विवेचना कीजिए। [200 शब्द]

  {The legitimacy and accountability of Self Help Groups (SHGs) and their patrons, the micro-finance outfits, need systematic assessment and scrutiny for the sustained success of the concept. Discuss. (2013) 10}

शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं (Important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance- applications, models, successes, limitations, & potential)

- निजता का अधिकार, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। व्याख्या कीजिये। इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिये डी.एन.ए. परीक्षण से सम्बन्धित विधि की चर्चा कीजिये। (2024) 15

  {Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity. (2024) 15}

- अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई-शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेयता का आगाज कर दिया है। कौन-सी अपर्याप्तताएं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं?

  {e-governance, as a critical tool of governance, has ushered in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadequacies hamper the enhancements of these features? (2023) 10}

- "चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के प्रादुर्भाव ने ई-गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है"। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये)

  {"The emergence of Fourth Industrial Revolution (Digital Revolution) has initiated e-Governance as an integral part of government". Discuss. (2020) 10}
- सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) आधारित परियोजनाओं / कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आम तौर पर कुछ विशेष महत्वपूर्ण कारकों की दृष्टि से ठीक नहीं रहता है। इन कारकों की पहचान कीजिए और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाइए।

  {Implementation of information and Communication Technology (ICT) based Projects / Programmes usually suffers in terms of certain vital factors. Identify these factors, and suggest measures for their effective implementation. (2019) 10}
- ई-शासन केवल नवीन प्रौद्योगिकी की शक्ति के उपयोग के बारे में नहीं है, अपितु इससे अधिक सूचना के 'उपयोग मूल्य' के क्रांतिक महत्त्व के बारे में है। स्पष्ट कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

  {E-governance is not only about utilization of the power of new technology, but also much about critical importance of the 'use value' of information. Explain. (2018) 10}
- भ्रष्टाचार को नगण्य करने, अपव्यय को समाप्त करने और सुधारों को सुगम बनाने हेतु कल्याणकारी योजनाओं में इलेक्ट्रॉनीय नकद हस्तांतरण प्रणाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। टिप्पणी कीजिए। [200 शब्द]

  {Electronic cash transfer system for the welfare schemes is an ambitious project to minimize corruption, eliminate wastage and facilitate reforms. Comment. (2013) 10}

नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय (Citizens charters, Transparency & accountability & institutional & other measures)

- नागरिक-केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार-पत्र एक ऐतिहासिक पहल रही है। किन्तु, इसे अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचना बाकी है। इसके वादे की प्राप्ति में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान कीजिए और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाएं। (2024) 15

  {The Citizens' charter has been a landmark initiative in ensuring citizen-centric administration. But it is yet to reach its full potential. Identify the factors hindering the realisation of its promise and suggest measures to overcome them. (2024) 15}
- अभी हाल में पारित तथा लागू किये गये, लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं? क्या विश्वविद्यालय / राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षायें भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं ? (2024) 15

  {What are the aims and objects of the Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024? Are University/State Education Board examinations covered under this Act? (2024) 15}
- "सूचना का अधिकार अधिनियम में किये गये हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे"। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये)

  {"Recent amendments to the Right to information Act will have profound impact on the autonomy and independence of the Information Commission". Discuss (2020) 10}
- नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है, परन्तु इसकी अपनी परिसीमाएँ हैं। परिसीमाओं की पहचान कीजिए तथा नागरिक चार्टर की अधिक प्रभाविता के लिए उपायों का सुझाव दीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

  {The Citizen's Charter is an ideal instrument of organizational transparency and accountability, but it has its own limitations. Identify the limitations and suggest measures for greater effectiveness of the Citizens' Charter. (2018) 15}

- जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
  {Discuss the role of Public Accounts Committee in establishing accountability of the government to the people. (2017) 10}
- सत्यम् घोटाला (2009) के प्रकाश में कॉर्पोरेट शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए लाए गए परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए।
  {In the light of Satyam Scandal (2009), discuss the changes brought in corporate governance to ensure transparency, accountability. (2015) 12.5}
- "यदि संसद में पटल पर रखे गए व्हिसलब्लोअर्स अधिनियम, 2011 के संशोधन बिल को पारित कर दिया जाता है, तो हो सकता है कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई बचे ही नहीं।" समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
  {"If amendment bill to the Whistleblowers Protection Act, 2011 tabled in the Parliament is passed, there may be no one left to protect." Critically evaluate. (2015) 12.5}
- यद्यपि अनेक लोक सेवा प्रदान करने वाले संगठनों ने नागरिकों के घोषणा-पत्र (चार्टर) बनाए हैं, पर दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और नागरिकों के संतुष्टि स्तर में अनुकूल सुधार नहीं हुआ है। विश्लेषण कीजिए। [200 शब्द]
  {Though Citizens' charters have been formulated by many public service delivery organizations, there is no corresponding improvement in the level of citizens' satisfaction and quality of services being provided. Analyse. (2013) 10}

लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका (Role of civil services in a democracy)

- प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धान्त यह अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे। विवेचना कीजिए। (2024) 10
  {The Doctrine of Democratic Governance makes it necessary that the public perception of the integrity and commitment of civil servants becomes absolutely positive. Discuss. (2024) 10}
- "आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है"। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सिविल सेवा में सुधारों के सुझाव दीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये)
  {"Institutional quality is crucial driver of economic performance". In this context suggest reforms in Civil Services for strengthening democracy. (2020) 10}
- प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएं तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई थीं, जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोक सेवाओं में कड़े सुधारों की आवश्यकता है? टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
  {Initially Civil Services in India were designed to achieve the goals of neutrality and effectiveness, which seems to be lacking in the present context. Do you agree with the view that drastic reforms are required in Civil Services. Comment. (2017) 15}
- 'ट्रान्सपेरेन्सी इंटरनेशनल' के ईमानदारी सूचकांक में, भारत काफी नीचे के पायदान पर है। संक्षेप में उन विधिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों पर चर्चा कीजिए, जिनके कारण भारत में सार्वजनिक नैतिकता का ह्रास हुआ है।
  {In the integrity index of Transparency International, India stands very low. Discuss briefly the legal, political, social and cultural factors that have caused the decline of public morality in India. (2016) 12.5}
- "पारंपरिक अधिकारीतंत्रीय संरचना और संस्कृति ने भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली है।" टिप्पणी कीजिए।
  {"Traditional bureaucratic structure and culture have hampered the process of socio-economic development in India." Comment. (2016) 12.5}

- क्या संवर्ग आधारित सिविल सेवा संगठन भारत में धीमे परिवर्तन का कारण रहा हैं? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
  {Has the Cadre based Civil Services Organization been the cause of slow change in India? Critically examine. (2014) 12.5}
- 'राष्ट्रीय लोकपाल कितना भी प्रबल क्यों न हो, सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता।' विवेचना कीजिए। [200 शब्द]
  {'A national Lokpal, however strong it may be, cannot resolve the problems of immorality in public affairs.' Discuss. (2013) 10}

12. परिशिष्ट (Appendix)

टॉपिक	प्रमुख संवैधानिक प्रावधान/ निर्णय/ आंकड़े
1. जातिगत जनगणना	• **अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची (प्रविष्टि 69) के तहत** जनगणना **संघ सूची का विषय** है। • **अनुच्छेद 340** में पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए एक आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। • **जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियमावली, 1990** इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। • **जस्टिस रोहिणी आयोग** ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उप-वर्गीकरण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।
2. नागरिकता	• **अनुच्छेद 5:** संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। • **अनुच्छेद 6:** पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन/ प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के **नागरिकता के अधिकार**। • **अनुच्छेद 8:** भारत के बाहर रहने वाले **भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता देने** से संबंधित अधिकार है। • **अनुच्छेद 11:** संसद को यह अधिकार देता है कि वह **नागरिकता के अधिकार को कानून के माध्यम से विनियमित कर सकती है**।
3. समान नागरिक संहिता (UCC)	• **अनुच्छेद 44:** राज्य को समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है। • **अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता):** UCC के विरुद्ध तर्क के रूप में उपयोग किया जाता है। • **शाह बानो बेगम (1985) और सरला मुद्गल (1995)** वाद में **समान नागरिक संहिता (UCC)** की आवश्यकता पर बल दिया। • **21वें विधि आयोग (2018)** ने कहा था कि इस समय UCC का निर्माण आवश्यक या वांछनीय नहीं है।
4. संपत्ति का अधिकार	• **अनुच्छेद 300A:** संपत्ति का अधिकार एक **संवैधानिक अधिकार** है। आरंभ में यह अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 के तहत एक मूल अधिकार था। ○ **44वें संशोधन (1978)** द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया। • **प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य वाद:** इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की राज्य की शक्तियों को सीमित किया है। • **टी. एन. गोदावर्मन बनाम भारत संघ वाद: सार्वजनिक न्यास सिद्धांत** के अनुसार, राज्य एक ट्रस्टी के रूप में सार्वजनिक लाभ के लिए संसाधनों का प्रबंधन करता है।
5. राज्यों की स्वायत्तता	• **राजमन्नार समिति (1969):** इस समिति ने सातवीं अनुसूची में शामिल विषयों के पुनर्वितरण के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग के गठन की सिफारिश की थी। • **आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (1973):** केंद्र की शक्तियां केवल रक्षा, विदेश मामले, संचार, मुद्रा आदि तक सीमित रखने की मांग की गई, जबकि शेष सभी शक्तियां राज्यों को सौंपे जाने की बात कही गई थी। • **पश्चिम बंगाल ज्ञापन (1977): अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) को हटाने** और संविधान में "संघात्मक" शब्द जोड़ने की मांग की गई थी।
6. नए राज्यों के गठन की मांग	• **अनुच्छेद 3:** संविधान के इस अनुच्छेद में **नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में बदलाव** से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। • **एस. के. धर आयोग (1948):** आयोग ने भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। • **जे. वी. पी. समिति (1948):** इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग खारिज कर दी थी। • **फजल अली आयोग (1953):** देश की एकता और सुरक्षा; भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता; वित्तीय स्थिरता, आदि के आधार पर पुनर्गठन की सिफारिश की।

© Vision IAS

	• **बेरुबाड़ी यूनियन मामला (1960):** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी क्षेत्र को सौंपने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।
7. संसद और राज्य विधान-मंडलों के कामकाज में गिरावट (PRS रिपोर्ट)	**संसद** • **17वीं लोक सभा** में निर्धारित समय का **88%** और राज्य सभा **में निर्धारित समय का 73%** ही काम हुआ था। • **18वीं लोक सभा (शीतकालीन 2024)** में लोक सभा और राज्य सभा के कामकाज में क्रमशः **54.5%** और **40%** तक गिरावट आई। **राज्य विधान-मंडल** • **बैठकों के औसत दिनों में गिरावट:** 2017 में औसतन 28 बैठकें होती थीं, जो 2024 में घटकर 20 रह गई। • **सीमित चर्चाएं: 51% विधेयक उसी दिन पारित कर दिए गए जिस दिन पेश किए गए थे**; केवल **4% को ही विस्तृत जांच के लिए समिति के पास भेजा** गया था।
8. दल-बदल विरोधी कानून	• इसे **52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985** के माध्यम से लाया गया था। इसके द्वारा संविधान में **दसवीं अनुसूची** को जोड़ा गया था। • **किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हु वाद (1992):** यदि अध्यक्ष कार्यवाही में देरी करता है, तो कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए। • **कर्नाटक विधायकों की अयोग्यता से संबंधित वाद (2020):** अध्यक्ष द्वारा शक्तियों को एक स्वतंत्र अधिकरण को हस्तांतरित करने पर विचार किया जाना चाहिए।
9. लोक सभा उपाध्यक्ष का पद	• **अनुच्छेद 93 (चुनाव):** लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार, उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के सांसद को दिया जाता रहा है। • **अनुच्छेद 94:** इसमें पद के रिक्त होने, पद त्याग और हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। ध्यातव्य है कि लोक सभा उपाध्यक्ष को **सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया** जा सकता है। • **अनुच्छेद 95:** अध्यक्ष की अनुपस्थिति या रिक्ति की स्थिति में उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
10. विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व	• **18वीं लोक सभा (LS):** महिलाओं के प्रतिनिधित्व में थोड़ी गिरावट आई है। **17वीं लोक सभा में** इनकी संख्या **78 थी जो 18वीं लोक सभा में घटकर 74** रह गई है। इस प्रकार वर्तमान में कुल संसद सदस्यों का **13.6%** महिलाएँ हैं। ○ वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की हिस्सेदारी **26.9%** है।
11. भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली	• **दोषसिद्धि की कम दर:** यह हत्या के मामले में 43.8% और बलात्कार के मामले में 27.4% है। (NCRB 2022) • **मामले लंबित:** अदालतों में 4.7 करोड़ मामले लंबित हैं। • **विचाराधीन कैदी:** भारत की जेलों में बंद कैदियों की संख्या 75.8% है। • **जेलों में क्षमता से अधिक कैदी: भारतीय जेलों की ऑक्यूपेंसी रेट 131.4%** है। • **खराब प्रत्यर्पण दर:** केवल 3 में से 1 भगोड़े अपराधी का ही सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण किया जाता है। • **पुलिस कार्मिकों की कमी:** प्रति लाख जनसंख्या पर 192 पुलिसकर्मी हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र के मानदंड के अनुसार 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। • **कम न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात:** प्रति दस लाख जनसंख्या पर केवल 21 न्यायाधीश हैं।
12. निःशुल्क विधिक सहायता	• **एम.एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1978):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैदियों को अनुच्छेद 21 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार है। • **हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979):** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक कैदी को स्पीडी ट्रायल यानी शीघ्र सुनवाई का मौलिक अधिकार प्राप्त है।

13. जेल सुधार	• **मॉडल प्रिजन मैनुअल, 2016 और मॉडल प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट, 2023:** राज्यों को जेलों से संबंधित सर्वोत्तम आधुनिक प्रथाओं को शामिल करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। • **रामामूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य मामला 1996:** सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधिनियम, 1894 को बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया।
14. भारत में अधिकरण	• **अनुच्छेद 323A:** यह अनुच्छेद संसद को लोक सेवा मामलों के निपटारे के लिए **प्रशासनिक अधिकरण** स्थापित करने का अधिकार देता है। • **अनुच्छेद 323B:** विधायिकाओं को कराधान, भूमि सुधार जैसे विशिष्ट विषयों के लिए **अधिकरण** बनाने की अनुमति देता है। • **एल. चंद्र कुमार मामला (1997):** इसमें शीर्ष न्यायालय ने सभी अधिकरणों की देख-रेख के लिए एक **राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC)** की सिफारिश की गई।
15. राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र	• **ADR की रिपोर्ट के अनुसार, नवनिर्वाचित लोक सभा सदस्यों में से 46% के खिलाफ आपराधिक** मामले दर्ज हैं। • **तारकुंडे समिति (1975), दिनेश गोस्वामी समिति (1990), और इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998)** ने देश में राजनीतिक दलों के कार्यों में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया है। • **विधि आयोग (255वीं रिपोर्ट):** इसमें गैर-अनुपालन के कुछ मामलों सहित किसी दल का पंजीकरण रद्द करने की चुनाव आयोग की शक्ति से संबंधित प्रावधान शामिल हैं
16. राजनीति का अपराधीकरण	• **ADR वाद (2002):** इसके तहत मतदाताओं को उम्मीदवार की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार है। • **PUCL वाद (2004):** इसमें धारा 33B को रद्द किया गया, तथा पूर्ण प्रकटीकरण (सूचना साझा करने) के अधिकार को बरकरार रखा गया। • **लिली थॉमस वाद (2013):** इस मामले में RPA, 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक माना गया; अब **अयोग्यता पर कोई रोक नहीं** लगेगी।
17. फ्रीबीज/ मुफ्त सुविधाएं	• **सुब्रमण्यम बालाजी वाद (2013):** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि पात्र लाभार्थियों को **"रंगीन टीवी, लैपटॉप जैसी नागरिक सुविधाओं का वितरण राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के तहत** किया जा सकता है।" • **अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ (विचाराधीन वाद):** सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त सुविधाएं देने को चुनौती देने संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
18. भारत निर्वाचन आयोग	• **अनुच्छेद 324:** इसके तहत संसद, राज्य विधान मंडल तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले चुनावों के **अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति** भारत निर्वाचन आयोग को प्रदान की गई है। • **गोस्वामी समिति (1990):** सिफारिश की कि **मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्त (ECs)** को सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद के लिए अपात्र घोषित किया जाए। • **255वीं विधि आयोग की रिपोर्ट:** अनुच्छेद 324(5) में संशोधन कर CEC और अन्य ECs के हटाए जाने की प्रक्रिया को एक समान बनाया जाना चाहिए।
19. राज्य चुनाव आयोग	• **73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** में राज्य चुनाव आयोगों के गठन का प्रावधान किया गया है। इसकी सिफारिश **गाडगिल समिति** ने भी की थी। • **अनुच्छेद 243K (1) और अनुच्छेद 243ZA:** मतदाता सूची तैयार करने और पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। • **अनुच्छेद 243K(2):** राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा की शर्तें और कार्यकाल राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। • **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग:** राज्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कॉलेजियम के माध्यम से की जानी चाहिए, जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता शामिल हों।

© Vision IAS

20. परिसीमन आयोग	• **संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत,** संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम पारित करके परिसीमन आयोग का गठन करना चाहिए। • **संविधान के अनुच्छेद 170** के तहत, राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए। • **किशोरचंद्र छागनलाल राठौड़ मामला:** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि परिसीमन आयोग की कोई सिफारिश स्पष्ट रूप से मनमाना है और संवैधानिक मूल्यों के साथ असंगत है, तो संवैधानिक न्यायालय इन सिफारिशों की समीक्षा कर सकता है।
21. सहभागी गवर्नेंस	• **भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013:** इसमें भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के सहयोग से **सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन** का प्रावधान किया गया है। • **वन अधिकार अधिनियम, 2006: ग्राम सभा** की सहभागी और लोकतांत्रिक प्रकृति के कारण उसे **वैधानिक संस्था का दर्जा** दिया गया है। • **पहुंच एवं लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल:** इसमें पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों को स्थानीय समुदायों के साथ साझा करने का प्रावधान किया गया है।
22. डिजिटल फॉर्मेट पर अश्लीलता	• **रंजीत डी. उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1964) वाद** में, सुप्रीम कोर्ट ने **हिकलिन टेस्ट** लागू किया। इसके अनुसार "भ्रष्ट करने और भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति" वाली किसी भी कंटेंट को अश्लील माना जाता है। • **अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2014) वाद** में, न्यायालय ने सामुदायिक मानक परीक्षण की ओर रुख किया। इसमें प्रचलित सामाजिक और नैतिक मानदंडों के आधार पर अश्लीलता का मूल्यांकन किया गया।
23. पर्यावरण संबंधी मुद्दों का संवैधानिकीकरण	• **एम. के. रंजीत सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2024):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। • **एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ वाद (1986):** संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा माना गया। • **मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद, (1978):** इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रोग और संक्रमण के खतरे से मुक्त वातावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित है।
24. गैर-सरकारी संगठन (NGOs)	• **विजय कुमार समिति (2017) की सिफारिशें:** विनियमन के संदर्भ में लचीला दृष्टिकोण, आधुनिक पंजीकरण प्रक्रियाएं, एक नोडल निकाय की स्थापना, पारदर्शिता के लिए डेटाबेस, स्वयंसेवा की संस्कृति को बढ़ावा देना। • **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की सिफारिशें:** FCRA के कार्यान्वयन का **विकेंद्रीकरण** किया जाना चाहिए। स्वैच्छिक क्षेत्रक के **संचालन** की सुरक्षा के लिए विधायी नियमों का **संतुलित और स्पष्ट** ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
25. शक्तियों का अंतरण (Devolution)	• **अनुच्छेद 243G:** राज्य पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा, जो **उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएं।** • **अनुच्छेद 243H:** राज्य विधानमंडल पंचायतों को **कर, शुल्क, टोल, फीस** एकत्र करने का अधिकार देता है। • **अनुच्छेद 243I:** यह पंचायतों को संसाधनों के हस्तांतरण के लिए **प्रत्येक पांच वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन** का प्रावधान करता है। • **अनुच्छेद 243ZD:** यह पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित करने हेतु एक **जिला विकास योजना** बनाई जाती है।

26. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)	• **कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2019:** केंद्र सरकार **निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति की सिफारिश पर CBI निदेशक की नियुक्ति करेगी-** ○ प्रधान मंत्री (अध्यक्ष); ○ विपक्ष का नेता (लोक सभा) या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता (सदस्य); तथा ○ भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) या CJI द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश (सदस्य)। ○ **CPIO CBI बनाम संजीव चतुर्वेदी, 2024:** दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि **CBI को RTI अधिनियम के दायरे से पूरी तरह से मुक्त नहीं** किया गया है। इसके अलावा, **RTI अधिनियम के तहत उसे मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में जानकारी प्रकट** करनी होगी।
27. इंटरनेट शटडाउन	• **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973:** वर्ष 2017 तक CrPC की धारा 144 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163) के तहत। ○ जिला मजिस्ट्रेट को गैर-कानूनी सभा रोकने/ गतिविधियों पर अंकुश लगाने की शक्तियां प्रदान की गई थीं। • **दूरसंचार अधिनियम, 2023:** प्राकृतिक आपदा या सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति के अलावा कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा आदि बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का अधिकार देता है। • **फ़हीमा शिरीन बनाम केरल राज्य मामला:** केरल हाई कोर्ट ने संविधान के **अनुच्छेद 21 के तहत इंटरनेट के अधिकार को मौलिक अधिकार** माना। • **अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामला:** सुप्रीम कोर्ट ने **अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इंटरनेट की स्वतंत्रता** की पुष्टि की।
28. भारत में सहकारी समितियां	• **उत्पत्ति:** भारत में सहकारिता **कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट, 1904** के साथ शुरू हुई थी। • **वर्तमान स्थिति:** भारत में विश्व की **27% सहकारी समितियां हैं।** • **शीर्ष 3 सहकारी क्षेत्रक:** आवास; डेयरी; और प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS)। • **अग्रणी राज्य:** महाराष्ट्र (25%), गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। • **संवैधानिक स्थिति:** 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने निम्नलिखित प्रावधानों के साथ सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया है- ○ **मौलिक अधिकार:** अनुच्छेद 19(1)(c) ○ **राज्य नीति निदेशक तत्व:** अनुच्छेद 43B जोड़ा गया ○ **नया भाग IXB:** अनुच्छेद 243ZH-243ZT • **गवर्नेंस संरचना:** ○ **बहु-राज्य समितियां:** ये **संघ सूची की प्रविष्टि 44** के अंतर्गत आती हैं और इन्हें **बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002** के तहत शासित किया जाता है। ○ **राज्य सहकारी समितियां:** ये **राज्य सूची की प्रविष्टि 32** के अंतर्गत आती हैं और इन्हें संबंधित **राज्य के सहकारी समिति अधिनियमों** के तहत शासित किया जाता है।
29. सूचना का अधिकार (RTI)	• **पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ (2004):** इसमें सूचना के अधिकार को **अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मूल अधिकार** घोषित किया गया। इस निर्णय ने आगे चलकर RTI **अधिनियम, 2005** का मार्ग प्रशस्त किया। • **नमित शर्मा बनाम भारत संघ (2013):** कोर्ट ने माना कि **सूचना आयोग** एक **अर्ध-न्यायिक** संस्था है, यानी यह अदालत की तरह काम कर सकती है। • **2nd ARC की सिफारिशें: राष्ट्रीय समन्वय समिति (NCC)** का गठन किया जाए; RTI के संबंध में **जागरूकता अभियान** चलाना चाहिए। • **जस्टिस बी. एन. श्रीकृष्ण समिति (2018): धारा 8(1)(j)** के तहत **सूचना ना देने के कारणों** को सीमित और स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की सिफारिश की। केवल वहीं सूचना ना दी जाए जहाँ वास्तव में **गंभीर नुकसान** हो सकता हो, जैसे: पहचान की चोरी, भेदभाव आदि।

30. अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान	• **अनुच्छेद 30(1)** भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं उनके प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। • **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग (NCMEI) अधिनियम** को संविधान के **अनुच्छेद 30(1)** में निहित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया है।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

▶ लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2026

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली

15 जुलाई, 2 PM

अवधि – 12 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए **QR कोड को स्कैन कीजिए**

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए **QR** कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल **टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए**

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोटः अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

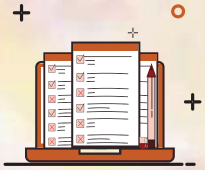

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन

अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित

विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन

इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

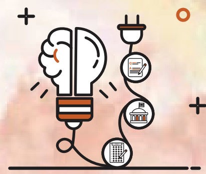

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें

प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी

अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates
10
in TOP 10 Selections in CSE 2024
from various programs of Vision IAS
1 AIR
Shakti Dubey
2 AIR
Harshita Goyal
GS Foundation Classroom Student
3 AIR
Dongre Archit Parag
GS Foundation Classroom Student
4 AIR
Shah Margi Chirag
5 AIR
Aakash Garg
6 AIR
Komal Punia
7 AIR
Aayushi Bansal
8 AIR
Raj Krishna Jha
9 AIR
Aditya Vikram Agarwal
10 AIR
Mayank Tripathi
हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में
137 AIR
Ankita Kanti
182 AIR
Ravi Raaz
438 AIR
Mamata
448 AIR
Sukh Ram
509 AIR
Amit Kumar Yadav
DELHI
HEAD OFFICE
33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005
MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar
GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009
FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066
enquiry@visionias.in
/@visioniashindi
/visionias.upsc
/vision_ias_hindi/
/hindi_visionias
अहमदाबाद
बेंगलूरु
भोपाल
चंडीगढ
दिल्ली
गुवाहाटी
हैदराबाद
जयपुर
जोधपुर
लखनऊ
प्रयागराज
पुणे
रांची